पंचदश माला, खंड 19, अंक 23

सोमवार, 5 सितम्बर, 2011
14 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 10 Feb 2014

(खण्ड 19 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 19, आठवां सत्र 2011/1933 (शक)]

अंक 23, सोमवार, 5 सितम्बर, 2011/14 भाद्रपद, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में देश में आयोजित शिक्षक दिवस	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441	1-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 460	9-103
अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 से 5290	103-534
सभा पटल पर रखे गए पत्र	534-538
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थाई समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति	
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	538-539
राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011	539-540
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन के त्यागपत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा द्वारा समर्थित प्रस्ताव और समावेदन पर विचार तथा उसका समर्थन करने के प्रश्न के बारे में	
श्री सलमान खुर्शीद	540
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में मुक्कूडल में स्थित ईएसआई अस्पताल में सुविधाओं में सुधार किए जाने तथा पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	916

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) लोगों में नेत्रदान के बारे में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	542
(तीन) केरल में गुरुवायूर से तिरुनवाया रेल लाइन परियोजना पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.के. राघवन	543
(चार) 51वीं इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप राज्य सशस्त्र बल में परिवर्तित किए जाने तथा इंडिया रिजर्व बटालियन के कार्मिकों को उन संघ राज्यक्षेत्रों जहां से वे आते हैं, में पदस्थापित/तैनात करने के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता	
श्री हमदुल्लाह सईद	543
(पांच) कानपुर में आयुध उपस्कर फैक्ट्री को इसकी पूरी क्षमता के साथ चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री हर्ष वर्धन	544
(छह) असम में रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के मामलों का निपटान करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	545
(सात) आंध्र प्रदेश के ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के भाग के रूप में बकिंघम नहर के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	546
(आठ) उत्तराखंड के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	546
(नौ) गुजरात को पर्याप्त मात्रा में एपीएम गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	547

विषय	कॉलम
(दस) राजस्थान में अनुपगढ़ से बीकानेर तक रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अर्जुन राम मेघवाल	548
(ग्यारह) झारखंड राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री निशिकांत दुबे	549
(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड के खनन क्रियाकलापों के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री पकौड़ी लाल	550
(तेरह) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	551
(चौदह) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मदरसों को भी दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती अश्वमेध देवी	551
(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के रणघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में भागीरथी नदी के प्रवाह-मार्ग पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए उसके तटबंधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. सुचारु रंजन हल्दर	552
(सोलह) पुदुचेरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22403/22404), हावड़ा-पुदुचेरी द्विसाप्ताहिक ट्रेन संख्या 12867-12868 को तमिलनाडु में बरास्ता तिरुवन्नामलाई चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	553
(सत्रह) ऑटोरिक्शा चालकों के हितों की रक्षा के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.आर. नटराजन	554

विषय कॉलम

(अठारह) आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंटूर से कोंडामोडु (पीडुगुरल्ला) तथा गुंटूर से कुरनूल तक राजमार्गों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 554

(उन्नीस) यूरिया के मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने और उसे वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 555

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011 — राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन

विचार करने के लिए प्रस्ताव 556

खंड 10 557

पारित करने के लिए प्रस्ताव 567

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

विचार करने के लिए प्रस्ताव 558

श्री विलासराव देशमुख 558

खंड 2 से 38 और 1 558

पारित करने के लिए प्रस्ताव 558

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 569-570

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 569-596

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 597-598

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 597-600

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 5 सितम्बर, 2011/14 भाद्रपद, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में देश में आयोजित शिक्षक दिवस

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, आज शिक्षक दिवस है। यह दिन जैसाकि आप जानते हैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर मनाया जाता है। एक अभूतपूर्व शिक्षक होने के नाते उनका भारतीय शिक्षा पद्वति के लिये योगदान था।

जैसाकि आप सभी सहमत होंगे कि शिक्षक की प्रत्येक छात्र के जीवन में अहम भूमिका होती है। वे मार्ग प्रदर्शक होते हैं, हमारे जीवन के शुरूआती वर्षों में हमें राह दिखाते हैं। वे हमें ढालते हैं और इस प्रक्रिया में हमारा भविष्य निर्माण करते हैं। यह दिन हमारे शिक्षकों के प्रति हमारी सराहना और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।

इस अवसर पर हम सभी शिक्षकों को समाज में उनके योगदान के प्रति सम्मान अर्पित करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 441 श्री सी. शिवासामी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 441, श्री सी. शिवासामी।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

+

***441. श्री सी. शिवासामी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी जारी की गई है और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) धनराशि का समुचित उपयोग तथा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में हाल ही में कोई मूल्यांकन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)** : इस योजना के अंतर्गत, विकलांग विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हाफ-वे-होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास, विकलांगों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्रों और कुष्ठ उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों इत्यादि जैसे प्रयोजनों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

(ii) **विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)** : इस योजना

के अंतर्गत जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा प्राथमिक विद्यालयों में विकलांग छात्रों के लिए भी यंत्र/उपकरण वितरित किए जाते हैं।

उक्त दो योजनाओं के अंतर्गत, सहायता अनुदान गैर-सरकारी संगठनों/अन्य एजेंसियों को निर्मुक्त की जाती है न कि राज्य सरकारों को। अब तक विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान डीडीआरएस और एडिप योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 217.30 करोड़ रुपए और 198.86 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए निर्मुक्त राज्य-वार धनराशि दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I पर है।

उल्लिखित के अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:

(i) **निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना (एसआईपीडीए):-** इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं के लिए निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए, विशेषरूप से बाधामुक्त वातावरण सृजित करने, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों को समर्थन देने, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 6 संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी, सुन्दरनगर, भोपाल, पटना, श्रीनगर और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। मार्च, 2011 में अहमदाबाद में एक अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र संस्वीकृत किया गया है। अब तक विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 70.22 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। राज्य-वार निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-II पर हैं

(ii) **राष्ट्रीय संस्थान-** मंत्रालय निम्नलिखित सात स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जो पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं तथा विकलांगताओं के विभिन्न प्रकारों के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान करते हैं:-

(क) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

(ख) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश।

(ग) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान, मुंबई।

(घ) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

(ङ) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा।

(च) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली।

(छ) राष्ट्रीय बहुविध विकलांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त राष्ट्रीय संस्थानों को उनके कार्यकलापों के लिए योजना के अंतर्गत 161.35 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(iii) मंत्रालय ने जुलाई, 2011 में नई दिल्ली में एक भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। यह केन्द्र भारतीय संकेत भाषा के अध्ययन, शैक्षिक विकास और प्रसार में इसके शिक्षण और प्रशिक्षण में मार्ग प्रशस्त करेगा तथा बधिर समुदाय की एक प्रमुख आवश्यकता को पूरा करेगा।

(iv) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से स्व-रोजगार के लिए विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। विगत तीन वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा एनएचएफडीसी को साम्या सहायता के रूप में 77.00 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) महत्वपूर्ण तंत्र निम्नानुसार हैः-

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति प्रत्येक वर्ष केवल (क) राज्य सरकार से संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति, और (ख) देय उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर की जाती है;

(ii) मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों को अन्य बातों के साथ-साथ, उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत ग्राही गैर-सरकारी संगठनों के कार्य का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया है, और

(iii) मंत्रालय के अधिकारी भी अपने दौरों के दौरान अनुदान सहायता ग्राही संगठनों का निरीक्षण करते हैं।

(घ) और (ङ) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना से संबंधित 4 अध्ययन तथा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र की योजना का एक अध्ययन 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित कराया गया था।

अनुबंध-I

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.8.2011 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी सहायता अनुदान	
		डीडीआरएस	एडिप
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	5335.85	384.00
2.	बिहार	257.84	126.61
3.	छत्तीसगढ़	133.85	48.25
4.	गोवा	45.44	4.00
5.	गुजरात	190.63	341.90
6.	हरियाणा	321.51	90.50
7.	हिमाचल प्रदेश	112.39	89.25
8.	जम्मू और कश्मीर	57.04	112.00
9.	झारखंड	46.09	176.42
10.	कर्नाटक	2733.31	185.25
11.	केरल	1748.25	146.75
12.	मध्य प्रदेश	445.72	335.76
13.	महाराष्ट्र	622.24	499.47
14.	ओडिशा	1407.15	388.79
15.	पंजाब	259.66	109.28
16.	राजस्थान	454.43	633.50
17.	तमिलनाडु	1312.47	654.19
18.	उत्तर प्रदेश	2146.62	960.42
19.	उत्तराखंड	249.22	84.12
20.	पश्चिम बंगाल	1835.85	208.46
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		
21.	अरुणाचल प्रदेश	17.45	155.00
22.	असम	404.05	979.66
23.	मणिपुर	637.52	62.84
24.	मेघालय	183.43	120.00
25.	मिजोरम	66.63	102.00
26.	नागालैंड	0.00	74.00
27.	त्रिपुरा	38.37	142.00
28.	सिक्किम	0.00	22.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	चंडीगढ़	10.50	0.00
30.	दिल्ली	621.48	53.10

1	2	3	4
31.	पुदुचेरी	35.54	20.50
32	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	10.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	6.50
34.	दमन और दीव	0.00	3.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0.00	6.50
	कुल	21730.53	7336.02
II.	मुख्यालय कार्यकलाप (एडिप योजना के अंतर्गत)*		4917.41
III.	विशेष शिविर*		632.62
IV.	एडिप-एसएसए*		7000.00
	कुल योग		19886.05

*इन कार्यकलापों के अंतर्गत जारी राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय की गई है।

अनुबंध-II

एसआईपीडीए के अंतर्गत विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (31.8.2011 तक) के दौरान जारी सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.8.2011 तक) के दौरान जारी सहायता अनुदान (लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	253.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.28
3.	असम	375.62
4.	बिहार	786.16
5.	छत्तीसगढ़	155.00
6.	गुजरात	330.45
7.	हरियाणा	7.86
8.	हिमाचल प्रदेश	229.48
9.	जम्मू और कश्मीर	618.30
10.	झारखंड	17.20
11.	कर्नाटक	320.20
12.	केरल	31.93
13.	मध्य प्रदेश	1258.04
14.	महाराष्ट्र	26.31
15.	मणिपुर	133.97
16.	मेघालय	13.47
17.	मिजोरम	27.14
18.	नागालैंड	32.23
19.	ओडिशा	42.40
20.	पंजाब	47.57
21.	तमिलनाडु	4.99
22.	त्रिपुरा	34.67
23.	उत्तर प्रदेश	1722.61
24.	उत्तराखंड	237.67
25.	पश्चिम बंगाल	26.31

1	2	3
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.14
27.	दिल्ली	245.44
	कुल	7022.18

श्री सी. शिवासामी : महोदया...*(व्यवधान)*

पूर्वोह्न 11.02 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री जगदीश शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

9-10

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एकीकृत परिवहन प्रणाली

***442. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :**
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एकीकृत और सतत् परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में एकीकृत और सतत् परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 1 फरवरी, 2010 को डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की स्थापना की है जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन नीति सुझाने का है जिससे ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम रखते हुए अर्थव्यवस्था में समग्र दक्षता सुकर होगी ताकि प्रतियोगी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने और परिवहन के वैकल्पिक साधनों के बीच समन्वय के लिए एक समेकित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली का प्रावधान हो सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 10-11

अनुसूचित जातियों का विकास

***443. श्री प्रेमदास :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के विकास हेतु निर्धारित धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई दिशा-निर्देश मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ धनराशि के कथित अन्यत्र उपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के संबंध में योजना आयोग के दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:-

(i) अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत, कुल योजना परिव्यय में से, कम से कम कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों के अनुपात में परिव्यय उद्दिष्ट करना;

(ii) जिसका उद्देश्य जिसके लिए अनुसूचित जाति उप-योजना परिव्यय का उपयोग किया जाए; और

(iii) बजट में एक पृथक लघु-शीर्ष के अंतर्गत, अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत उद्दिष्ट आवंटन दर्शाना, तथा उसका अन्यत्र उपयोग न करना।

(ग) और (घ) सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के तथाकथित अन्यत्र उपयोग के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राष्ट्र मंडल खेल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा 678.91 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई थी, को इस मान्यता के आधार पर अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था कि परियोजनाओं के लाभ अनुसूचित जातियों को भी मिलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

इस्पात परियोजनाएं

*444. **श्री जफर अली नकवी :**
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में इस्पात उद्योग से संबंधित चालू, लंबित और अधूरी परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी तथा खर्च की गई है; और

(घ) लंबित और अधूरी परियोजनाओं के राज्य-वार कब तक पूरा होने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) (ग) और (घ) इस्पात मंत्रालय अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों की स्टील परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय स्थिति की मॉनीटरिंग और समीक्षा कर रहा है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों की विभिन्न स्टील क्षमता परियोजनाओं की स्थिति और उन्हें चालू करने की संभावित तिथि का संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वास्तविक एवं वित्तीय मामलों के संबंध में विस्तृत रणनीति का निर्धारण अलग-अलग निवेशकों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस्पात मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके निजी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाता है। संबंधित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर निजी क्षेत्र की कुछेक प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति और उनको पूरा किए जाने की संभावित तिथि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी स्टील परियोजना शुरू नहीं की जा रही है। तथापि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) जगदीशपुर में मिनी स्टील यूनिट और उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्यों में स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों का क्रियान्वयन कर रहा है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ख) स्टील क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं में अधिक स्रोत जुटाए जाने, उच्च मूल्य के उपस्करों को प्राप्त करने और परियोजना में शामिल अनेकों एजेंसियों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होने के कारण इन्हें पूरा करने में सामान्यत: 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील यूनिटें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) भी अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, विशेषत: कुछ पैकेजों की प्राप्ति में कुछ कारणों यथा बोलीदाताओं से अपर्याप्त अनुक्रिया, बोली की शर्तों की तुलना में बोली प्रस्ताव का भिन्न होना और परियोजना लागत के अनुमानों की तुलना में निविदादाताओं द्वारा ऊंची कीमतों का प्रस्ताव देना इत्यादि के कारण इन परियोजनाओं में कुछ विलंब हुआ है।

विवरण-I

(क्रूड स्टील की सभी क्षमताएं मिलियन टन प्रति वर्ष)

परियोजना का नाम	राज्य	वर्तमान क्षमता	प्रस्तावित क्षमता	वर्तमान स्थिति	आरंभ होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड					
(क) सेलम स्टील प्लांट	तमिलनाडु	0.18*	0.34*	सभी प्रमुख सुविधाएं सितम्बर, 2010 में पूरी हो गई हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप रूट के जरिए स्टेनलैस स्टील का उत्पादन किया जा रहा है।	आरंभ
(ख) राउरकेला स्टील प्लांट	ओडिशा	1.9	4.2	सभी प्रमुख पैकेजों के आर्डर दे दिए गए हैं। परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।	मार्च, 2013
(ग) भिलाई स्टील प्लांट	छत्तीसगढ़	3.93	7	प्रमुख पैकेजों के आर्डर दे दिए गए हैं। प्लेट मिल, कंप्रैस्ड एयर स्टेशन नं. 4 और कोक ओवन बैटरी नं. 6 का उच्चीकरण पूरा हो गया है। परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।	जून, 2013
(घ) बोकारो स्टील प्लांट	झारखंड	4.36	4.61	स्टील मेल्टिंग शॉप-2 में दूसरे लैडल फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस नं. 2 का उच्चीकरण तथा कोक ओवन नं. 1 की रिबिल्डिंग पूरी कर ली गई है। शेष क्रियान्वयनाधीन है।	दिसंबर, 2011
(ङ) दुर्गापुर स्टील प्लांट	पश्चिम बंगाल	1.8	2.2	ब्लूम एवं राउंड कास्टर, मीडियम स्ट्रक्चरल मिल, रिहीटिंग फर्नेस, न्यू डोलोमाइट प्लांट, न्यू लैडल फर्नेस और कोक ओवन बैटरी के आर्डर दे दिए गए हैं। परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।	दिसंबर, 2012
(च) इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर	पश्चिम बंगाल	0.5	2.5	(i) सिविल एवं ढांचागत कार्य अग्रिम अवस्था में है। उपस्कर की आपूर्ति लगभग पूरी होने वाली है और उपस्करों का उत्थापन प्रगति पर है। यूटिलिटी पाइप-लाइनें, पावर केबल, वाटर पाइप-लाईनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है।	मार्च, 2012 (आंशिक आरंभ)

1	2	3	4	5	6
				(ii) कोक ओवन बैटरी नं. 10 अगस्त, 2010 में पूरी कर ली गई है और यह प्रचालन में है। (iii) मुख्य पावर रिसिविंग स्टेशन चालू हो गया है और डीवीसी से 220 के.वी. आपूर्ति 13.7.2011 से आरंभ हो गई है। (iv) रॉ मेटेरियल हैंडलिंग प्लांट, पिग कास्टिंग मशीन और आक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाएं चालू किए जाने हेतु तैयार हैं। (v) ब्लास्ट फर्नेस और कंटीन्युअस कास्टिंग प्लांट के लिए उपस्कर उत्थापन आरंभ हो गया है।	
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी)	आंध्र प्रदेश	2.9	6.3	विस्तार का प्रमुख भौतिक क्रियान्वयन पूरा हो गया है। विभिन्न पैकेजों की जांच, ट्रायल रन और कमीशनिंग चल रही हैं। सभी प्रमुख यूनिटों को वर्तमान वर्ष के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।	मार्च, 2012
एनएमडीसी लि., (नागपुर ग्रीनफील्ड यूनिट)	छत्तीसगढ़	—	3.0	प्लांट और टाउनशिप के लिए अपेक्षित 1934 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 4 बड़े प्रौद्योगिकीय पैकेजों के आर्डर दे दिए।	अक्तूबर, 2014

*विक्रय स्टील

विवरण-II

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा क्रियान्वयनाधीन प्रमुख स्टील परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति की स्थिति

(करोड़ रुपए)

परियोजना	कुल अनुमानित लागत	2010-11 तक किए गए खर्च	2011-12 के लिए नियोजित खर्च	वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए खर्च (अप्रैल-जुलाई 2011)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.				
(क) सेलम स्टील प्लांट	1,902	1,863	90	130
(ख) राउरकेला स्टील प्लांट	11,812	4,030	2,619	851
(ग) भिलाई स्टील प्लांट	17,266	2,448	5,730	488
(घ) बोकारो स्टील प्लांट	6,325	1,874	1,309	205
(ङ) दुर्गापुर स्टील प्लांट	2,875	218	775	57
(च) इस्को स्टील प्लांट	16,408	10,618	2,069	654
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट)	12,291	8156	1800	563
एमएमडीसी लि. (नागरनार ग्रीनफील्ड यूनिट)	15,525	259.86	1,352 (संशोधित)	170.16

विवरण-III

निजी क्षेत्र में चल रही उन स्टील परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति जिन्हें अगले तीन वर्षों के दौरान पूरा कर लिये जाने की संभावना है

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना स्थल	राज्य	प्रस्तावित/एमओयू क्षमता	आरंभ होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	टाटा स्टील लिमिटेड	जमशेदपुर	झारखंड	6.8 एमटीपीए से 10 एमटीपीए	2011-12

1	2	3	4	5	6
2.	टाटा स्टील लिमिटेड	कलिंगानगर	ओडिशा	6 एमटीपीए	मार्च, 2014
3.	एस्सार स्टील लिमिटेड	हजीरा	गुजरात	4.6 एमटीपीए से 8.5 एमटीपीए	2011-12
4.	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	विजयनगर	कर्नाटक	6.6 एमटीपीए से 10 एमटीपीए	2011-12
5.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	रायगढ़	छत्तीसगढ़	7 एमटीपीए	2013 तक 3 एमटीपीए और 2017 तक 7 एमटीपीए
6.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	डोल्वी	महाराष्ट्र	3.6 एमपीटीपीए से 4.2 एमटीपीए	2013
7.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	अंगुल	ओडिशा	6.0 एमटीपीए	2011-12 तक 2 एमटीपीए
8.	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	पतरातू	झारखंड	6.0 एमटीपीए	2013 तक 3 एमटीपीए
9.	भूषण पावर एंड स्टील लि.	झारसुगडा	ओडिशा	2.8 एमटीपीए	वर्तमान क्षमता 1.2 एमटीपीए
10.	भूषण स्टील लि.	अंगुल-धेनकनाल	ओडिशा	3.0 एमटीपीए	2011-12

(राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और संबंधित कंपनियों द्वारा सूचित क्षमता)

विवरण-IV

उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रियान्वयनाधीन स्टील यूनिटें

1. **उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर स्टील यूनिटः**

सेल द्वारा तत्कालीन मै. मालविका स्टील लिमिटेड (एमएसएल), जगदीशपुर की परिसंपत्तियां डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 (डीआरटी-1), नई दिल्ली के माध्यम से 209 करोड़ रुपये का भुगतान करने के पश्चात फरवरी, 2009 में खरीदी गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि सेल इस यूनिट का पुनरुद्धार एवं विकास करेगी।

तदनुसार, सेल बोर्ड ने सेल की जगदीशपुर यूनिट के चरण-1 को 99.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अक्तूबर, 2009 में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया था। प्रस्तावित सुविधाओं में टीएमटी बार मिल (150,000 टीपीए), कोल्ड फोरमिंग लाइन (10,000 टीपीए) और कोरूगेशन लाइन (13,000 टीपीए) की परिकल्पना की गई है।

कोरूगेशन मशीन कमीशनिंग के लिए पहले ही तैयार है। टीएमटी बार मिल और कोल्ड फोरमिंग लाइन पर कार्य चल रहे हैं। टीएमटी बार मिल और कोल्ड फोरमिंग लाइन के जनवरी, 2012 में पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

किया गया कुल खर्च 36.47 करोड़ रुपये है।

2. **लखीमपुर में सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिटः**

84.28 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मृदा जांच और स्थल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। वर्तमान में नींव कार्य प्रगति पर है। स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना और प्रचालन की

रूपात्मकता संयुक्त उद्यम मॉडल के अनुसार पुन: तय की गई है।

3. बेतिया, बिहार में सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट:

परियोजना के चरण-1 को सेल बोर्ड द्वारा जुलाई, 2008 में 116.24 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसमें से 95.62 करोड़ रु. जुलाई, 2011 तब खर्च कर लिए गए हैं। कार्य का अधिकांश हिस्सा पूरा कर लिया गया है तथा कट टू लैंथ लाइन स्लीटिंग लाइन और ट्यूब मिल के लिए ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं। परियोजना सितम्बर 2011 तक प्रचालनाधीन होने की प्रत्याशा है।

4. गया, बिहार में सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट:

81.74 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मृदा जांच और स्थल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कंपनी ने कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन किया है जिसपर कार्रवाई प्रतीक्षित है।

5. महनार, बिहार में सेल की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट:

131.74 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मृदा जांच और स्थल सर्वेक्षण कार्य से यह इंगित होता है कि भूमि का स्तर नीचे है और पर्याप्त मात्रा में मिट्टी भराई अपेक्षित है। स्थल पर निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुए हैं।

21-23

वस्त्र उद्योग

***445. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री विश्व मोहन कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र क्षेत्र की संभाव्यता और विभिन्न वस्त्र मिलों द्वारा हाल ही में किए गए क्षमता विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2011-12 तक वस्त्र क्षेत्र का निर्यात 52 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था और घरेलू वस्त्र क्षेत्र 65 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा थी। वर्ष 2010-11 के दौरान वस्त्र क्षेत्र ने 26.82 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया। वर्ष 2011-12 के लिए वस्त्र एवं क्लोदिंग क्षेत्र हेतु 32.35 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्षमता वृद्धि के रूप में, 11वीं योजना के दौरान 9 मिलियन अतिरिक्त स्पिंडल्स की स्थापना की गई जिससे देश के कुल स्पिंडलेज मार्च 2011 तक 48 मिलियन हो गए। सूती यार्न का उत्पादन 2007-08 में 2948 मिलियन कि. ग्रा. से बढ़कर 2010-11 में 3210 मिलियन कि.ग्रा. हो गया है। फैब्रिक का उत्पादन 2007-08 में 55257 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 2010-11 में 61057 मिलियन वर्ग मीटर हो गया है।

(ख) और (ग) भारत के औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 14% है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की लगभग 4% है। भारत का वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात 2008-09 में 21.30 बिलियन अमरीकी डॉलर से तेजी से बढ़कर 2009-10 में 22.41 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2010-11 में 26.82 बिलियन अमरीकी डॉलर का हो गया है। तथापि, भारत के कुल निर्यात में वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यात की हिस्सेदारी प्रतिशतता के रूप में वस्त्र एवं क्लोदिंग की हिस्सेदारी 2008-09 में 11.46% से घटकर 2010-10 में 10.63% रह गई है। डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कलैंडर वर्ष 2007 के लिए वस्त्र एवं क्लोदिंग के विश्व के कुल निर्यात में भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग की हिस्सेदारी 3.36% थी जो 2009 में बढ़कर 3.91% हो गई है।

(घ) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना

के लिए आबंटन को 8000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 15404 करोड़ रु. करना; (ii) नए एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना करने के लिए 400 करोड़ रु. का आंबटन करना; (iii) भारतीय वस्त्र क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं उन्नयन हेतु 14000 करोड़ रु. के 11वीं योजना आबंटन के अलावा 5000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन करना शामिल है; और (iv) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में वस्त्र निर्यातों सहित भारत के विनिर्माण निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यसमूह का गठन किया है।

[अनुवाद]

यमुना नदी की सफाई

***446. श्री समीर भुजबल :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना सफाई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के शुरू होने के बाद से इसके अंतर्गत हितधारकों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) आज की तारीख तक इसमें कितनी सफलता मिली है तथा उक्त योजना पर प्रत्येक हितधारक द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या उच्चतम/उच्च न्यायालय ने इस विषय पर कुछ निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरण करने हेतु भारत सरकार, जापान इन्टरनेशनल कॉओपरेशन एजेंसी, जापान सरकार की सहायता से चरणबद्ध रूप में यमुना कार्य योजना (वाईएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। यमुना कार्य योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में अपरिष्कृत सीवेज का अवरोधन और अपवर्तन, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना अंल्पलागत साफ-सफाई सुविधाओं का निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाह गृह की स्थापना, नदी तटाग्र विकास, शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 38 मल-जल शोधन संयंत्रों सहित कुल 276 स्कीमें पूरी की गई और 753.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल शोधन क्षमता सृजित की गई जिनमें से 401.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में, 322 मिलियन लीटर प्रतिदिन हरियाणा में और दिल्ली में 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।

यमुना कार्य योजना के अंतर्गत तीन राज्यों में से प्रत्येक द्वारा स्वीकृत लागत, जारी धनराशि और किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि	किया गया व्यय (राज्य के भाग सहित)
1.	दिल्ली	656.68 करोड़ रु.	417.06 करोड़ रु.	536.58 करोड़ रु.
2.	उत्तर प्रदेश	409.96 करोड़ रु.	333.64 करोड़ रु.	380.93 करोड़ रु.
3.	हरियाणा	305.63 करोड़ रु.	231.6 करोड़ रु.	307.07 करोड़ रु.

वर्ष 1994 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 725 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सीपीसीबी, जल गुणता का तथा विभिन्न नालों के माध्यम से यमुना नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण भारों का नियमित रूप से मॉनीटरन कर रहा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय को आकड़े प्रस्तुत कर रहा है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार एकीकृत

कार्य योजना का भी, कार्यान्वयन के लिए अभिनिर्धारित विभिन्न एजेंसियों के द्वारा दिल्ली में कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिल्ली में एक त्रि-स्तरीय मॉनीटरन प्रणाली गठित की गई है जिसमें शहरी विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष समिति शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल शोधित बहिस्राव ही यमुना नदी और इसके दिल्ली के भागों में बहाया जाए, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 1357 करोड़ रु. की लागत पर तीन मुख्य नालों नामशः नजफगढ़, शाहदरा और सप्लीमेंटरी के समीप अवरोधक सीवर बिछाने के लिए परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

रोजगार के अवसर

***447. श्री पी. विश्वनाथन :**
श्री पशुपतिनाथ सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगारों के सृजन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त लक्ष्यों को अब तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षत्रों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत बेहतर हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों मे चालू दैनिक स्थिति आधार पर 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का आकलन किया गया है।

(ख) 11वीं योजना के दौरान 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्य की तुलना में, 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर 2004-05 से 2009-10 के दौरान चालू दैनिक स्थिति आधार पर लगभग 20 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

(ग) 2004-05 से 2009-10 के दौरान रोजगार में कमी के कारण हैं- विशेषकर महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर में कमी, सहायक रोजगार में कमी, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्तर में वृद्धि, शिक्षा में भागीदारी का उच्चतर स्तर इत्यादि।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2004-05 से 2009-10 के दौरान 0.39 प्रतिशत अनुमानित की गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वृद्धि दर उसी अवधि के दौरान 2.59 प्रतिशत अनुमानित की गई थी।

(च) क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्रक वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से तथा अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआइवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु रोजगार अवसर सृजित करने क लिए सतत प्रयास करती रही है।

[हिन्दी]

पत्तनों पर माल की संभलाई

***448. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश में कुछ पत्तनों पर माल संभलाई की वृद्धि दर बहुत कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पत्तनों पर माल की मात्रा की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार और पत्तन-वार कितनी सफलता मिली है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, नहीं। महापत्तनों में सामान की संभलाई की वृद्धि दर गत समय में कम नहीं रही है। केवल वर्ष 2010-11 में ही कुछ पत्तनों जैसे कि नवमंगलूर और कोलकाता पत्तन न्यास में कम अथवा नकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ख) यह विश्वस्तर व्यापार की धीमी गति, आर्थिक मंदी और लौह अयस्क की मांग में आई महत्वपूर्ण कमी के कारण हुआ है।

(ग) महापत्तनों में क्षमता को बढ़ाने/और उत्पादक्ता और विकास दर को बढ़ाने की दृष्टि से हाल ही में कई पहलें की गई हैं। भारत सरकार ने पत्तनों के आधुनिकीकरण को निम्नलिखित के माध्यम से प्राथमिकता दी है:

- नए घाटों/टर्मिनलों का निर्माण
- घाटों और ड्रैजिंग के लिए विभिन्न विस्तार/उन्नयन परियोजनाएं
- नए और आधुनिक उपस्करों की स्थापना
- कार्गो संभालाई के अपेक्षाकृत उच्चतर क्षमता वाले उपस्करों के माध्यम से उन्नयन/प्रतिस्थापन
- कार्गो संभालाई प्रचालनों का यांत्रिकीकरण
- पत्तन प्रचालन में ऑटोमेशन को प्रोत्साहित किए जाने हेतु कंप्यूटर द्वारा प्रचालित विभिन्न प्रणालियां
- वेब पर आधारित पत्तन कम्यूनिटी प्रणाली का कार्यान्वयन

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कार्गो संभालाई के मशीनीकरण से संबंधित तीन परियोजनाएं पारादीप पत्तन न्यास में पूरी कर ली गई हैं। सिंगल प्वाइंट मूरिंग और एक कैप्टिव घाट के निर्माण का कार्य भी पारादीप पत्तन न्यास में पूरा कर लिया गया है। दूसरे कंटेनर टर्मिनल के विकास से संबंधित एक परियोजना का कार्य चेन्नई पत्तन न्यास में पूरा कर लिया गया है। घाटों के यांत्रिकीकरण से संबंधित दो परियोजनाओं का कार्य कोलकाता पत्तन न्यास के हल्दिया डॉक परिसर में पूरा कर लिया गया है। इन्नौर पत्तन में एक मैरीन तरल टर्मिनल, एक लौह अयस्क टर्मिनल और एक कोयला टर्मिनल का कार्य इस अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया है। वल्लारपदम में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल के पहले चरण को कोचीन पत्तन में प्रचालनात्मक बना दिया गया है।

28-20

Rohini

विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

***449. श्री दारा सिंह चौहान :**
डॉ. भोला सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए लड़ाकू विमानों विशेषकर जगुआर और मिग श्रृंखला के विभिन्न विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पायलटों/कार्मिकों सहित हुए जानमाल के नुकसान का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मृतक पायलटों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि तथा अन्य लाभों में वृद्धि करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विमान दुर्घटनाओं के मामलों की जांच में इनके क्या कारण पाए गए हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) मिग विमानों विशेषकर मिग-21 और मिग-27 पर निर्भरता को न्यूनतम करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है और वायुसेना में अपनी आयु पूरी कर चुके/पुराने पड़ चुके विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए क्या विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2010-11 तथा चालू वित्त वर्ष (31 अगस्त, 2011 तक) के दौरान भारतीय वायुसेना के 7 मिग श्रृंखला के विमान तथा 1 जगुआर विमान सहित कुल 8 लड़ाकू विमान दुर्घटना में नष्ट हुए। मारे गए सेना कार्मिकों तथा सिविलियनों के ब्यौरों सहित इन दुर्घटनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	तारीख	विमान की किस्म	मारे गए पायलट/ सेना कार्मिक	मारे गए सिविलियन
1.	15 जून, 10	मिग 21 एम	शून्य/शून्य	शून्य
2.	24 जुलाई, 10	मिग 27 एमएल	शून्य/शून्य	04
3.	24 सितंबर, 10	मिग 27	शून्य/शून्य	शून्य
4.	10 नवम्बर, 10	मिग 27 यूपीजी	शून्य/शून्य	शून्य
5.	04 फरवरी, 11	मिग 21 बाइसन	शून्य/शून्य	शून्य
6.	01 मार्च, 11	मिग 21 एम	शून्य/शून्य	शून्य
7.	02 अगस्त, 11	मिग 21 एम	01/शून्य	शून्य
8.	04 अगस्त, 11	जगुआर	01/शून्य	01

इन दुर्घटनाओं के कारण मारे गए/घायल सिविलियनों तथा सिविलियन सम्पत्ति के नुकसान के लिए 31.08.2011 तक कुल 34,45,657/-रु. के मुआवजे का भुगतान किया गया है।

मृत/घायल पायलटों तथा सिविलियनों के निकट संबंधी को मुआवजे का भुगतान मौजूदा सरकारी अनुदेशों, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है, के अनुसार किया जाता है।

विमान दुर्घटनाओं के मुख्य कारण तकनीकी खराबी तथा मानव-चूक हैं। रक्षा विमान की प्रत्येक दुर्घटना की जांच-अदालत द्वारा कराई जाती है और तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय वायुसेना में उड़ान सुरक्षा में वृद्धि तथा उसका उन्नयन करने के लिए सदैव एक सतत एवं बहु-आयामी प्रयास किया जाता है। पायलटों के कौशल स्तर, समुचित निर्णय लेने की क्षमता तथा परिस्थितिजन्य जानकारी में अभिवृद्धि करने के लिए उपाए किए जा रहे हैं। विमान की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए स्वदेशी तथा विदेशी दोनों तरह के मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ निरंतर संपर्क भी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, पक्षीरोधी उपाय भी किए जाते हैं।

वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मौजूदा विमान बेड़े की पुनरीक्षा के आधार पर मौजूदा विमान बेड़े की पुनरीक्षा, उसका उन्नयन तथा उसमें नया बेड़ा शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

लच्छा सूत के मूल्य

***450. श्री संजय भोई :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लच्छा सूत बाध्यता (एचवाईओ) योजना का आशय हथकरघा उद्योग को बचाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा मांग की कमी के कारण लच्छा सूत के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ स्थापित रॉ मटीरियल बैंक तथा एपेक्स सोसाइटियों के माध्यमों उसे बुनकरों को रियायती मूल्य पर सूत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न वस्त्र उद्योगों को आपूर्ति किए जा रहे लच्छा सूत से संबंधित लच्छा सूत बाध्यता मानदंडों में परिवर्तन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तनों का वस्त्र उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां। हथकरघा उद्योग को उचित मूल्य पर लच्छा सूत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लच्छा सूत पैकिंग बाध्यता योजना शुरू की गई थी।

(ख) कपास सूत के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि का समाधान करने हेतु भारत सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें (i) कपास मौसम 2010-11 (अक्तू. से सित.) के लिए सितंबर 2010 में 55 लाख गांठ कपास निर्यात की सीमा और दिसंबर 2010 में कपास सूत की 720 मिलियन किग्रा. की निर्यात सीमा निर्धारित करना (ii) कपास सूत पर शुल्क वापसी एवं डीईपीबी को वापिस लेना (iii) वस्त्र आयुक्त द्वारा लच्छा सूत बाध्यताओं पर कड़ी निगरानी; दोषी इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले शुरू करना (iv) 31.3.2010 से लच्छा सूत बाध्यता को 40 काउंट से बढ़ाकर 80 काउंट करना; और (v) कपास सूत सलाहकार बोर्ड का गठन करना शामिल है।

(ग) जी, हां। लच्छा सूत 40 काउंट मूल्य अक्तूबर 2010 में 188 रु. प्रति किलोग्राम से अप्रैल 2011 में 279 रु. प्रति किलोग्राम तक बढ़ गए। यह बढ़ोत्तरी कपास के मूल्यों में वृद्धि के कारण थी जो अक्तूबर 2010 में 37700/- रु. प्रति कैंडी से बढ़कर अप्रैल 2011 में 62400/- प्रति कैंडी पर पहुंच गए थे। तत्पश्चात, मांग में कमी के कारण कपास के मूल्य 29500 रु. प्रति कैंडी तक कम हो जाने की वजह से अगस्त 2011 में घरेलू सूत (40 काउंट) के मूल्य घटकर 173 रु. प्रति किग्रा. हो गए।

(घ) विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा कार्यान्वित की जा रही मिल गेट मूल्य योजना के तहत सरकार पात्र हथकरघा एजेंसियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के सूत उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत देश में 750 सूत डिपो प्रचालनरत हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने लच्छा सूत बाध्यता योजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। उक्त समिति ने सिफारिश की है कि लच्छा सूत की मांग एवं खपत से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध होने और हथकरघा क्षेत्र को लच्छा सूत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र संबंधी एक उद्योग कंसेप्ट पेपर तैयार किए जाने तक लच्छा सूत बाध्यता योजना के संबंध में "यथा स्थिति" बनाई रखी जाए।

[हिन्दी] 32-40

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती

***451. श्री जगदीश सिंह राणा :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्थापित भर्ती केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कुछ और केन्द्रों को खोलने का यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों से सशस्त्र सेनाओं में की गई भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भर्ती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी राज्य की भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या पर विचार करने संबंधी मौजूदा आनुपातिक भर्ती नीति के अंतर्गत किसी राज्य की रिक्तियां न भरे जाने की स्थिति में अन्य राज्यों से लोगों को भर्ती करने की व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न पर्वतीय राज्यों से उक्त भर्ती नीति में संशोधन करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की क्षमताओं के मद्देनजर ऐसे राज्यों से भर्ती को प्राथमिकता दी जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) अन्य रैंक के कार्मिकों के लिए भर्ती केंद्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस समय नए भर्ती केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से की गई अन्य

रैंक के कार्मिकों की भर्ती का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) अन्य रैंक से नीचे के कार्मियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

सेना

विभिन्न राज्यों के ग्रामीण/पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों सहित देश में प्रत्येक जिले से आने वाले उम्मीदवारों को वर्ष में कम-से-कम एक बार खुली रैली में भर्ती के अवसर दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य को रिक्तियों का आबंटन उस राज्य में भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के कारक और सैनिकों की प्रत्येक श्रेणी/ट्रेड में सेना में मौजूदा विशिष्ट रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। राज्य उन्हें आबंटित की जा रही सैनिक (सामान्य ड्यूटी) रिक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिक्तियां अन्य राज्यों को स्थानांतरित नहीं की जा रही हैं। तथापि, कुछ राज्य आबंटित रिक्तियों विशेष तौर पर लिपिकों, सैनिक/तकनीकी तथा परिचर्या सहायक श्रेणियों की रिक्तियों को भरने में सक्षम नहीं हैं और इस प्रकार एक विशेष मामले के रूप में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है।

नौसेना

नौसेना में भर्ती, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार "पात्र भर्ती योग्य पुरूष आबादी की राज्यवार योग्यता पर अखिल भारतीय आधार पर" की जाती है। ऐसे मामले में, अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को उनकी सापेक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता है।

वायुसेना

सभी उम्मीदवारों को अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली भर्ती में समुचित अवसर प्रदान किए जाते हैं और उम्मीदवारों को अखिल भारतीय प्रवरण सूची में उनकी योग्यता के अनुसार भर्ती किया जाता है। जनसांख्यकीय स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए, देश के दूरवर्ती/भर्ती के लिए कम आने वाले/ सीमावर्ती/ विद्रोह-प्रभावित या पहाड़ी जिलों और द्वीपीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को अवसर देने के लिए भर्ती रैलियां की जाती हैं।

(ङ) और (च) भर्ती नीति में परिवर्तन किए जाने के लिए विगत में कुछ राज्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस समय इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	जोन	राज्य
1	2	3
सेना		
1.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), अम्बाला	हरियाणा
2.	सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक	
3.	सेना भर्ती कार्यालय, हिसार	
4.	सेना भर्ती कार्यालय, चरखी दादरी	
5.	सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर	हिमाचल प्रदेश
6.	सेना भर्ती कार्यालय, हमीरपुर	
7.	सेना भर्ती कार्यालय, शिमला	
8.	सेना भर्ती कार्यालय, मंडी	
9.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), बंगलौर	कर्नाटक
10.	सेना भर्ती कार्यालय, बेलगांव	
11.	सेना भर्ती कार्यालय, मंगलौर	
12.	सेना भर्ती कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	केरल
13.	सेना भर्ती कार्यालय, कालीकट	
14.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), चेन्नई	तमिलनाडु
15.	सेना भर्ती कार्यालय, तिरुचिरापल्ली	
16.	सेना भर्ती कार्यालय, कोयम्बतूर	

1	2	3
17.	सेना भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश
18.	सेना भर्ती कार्यालय, गुंटूर	
19.	सेना भर्ती कार्यालय, विशाखापट्टनम	
20.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), दानापुर	बिहार
21.	सेना भर्ती कार्यालय, मुज्जफरपुर	
22.	सेना भर्ती कार्यालय, गया	
23.	सेना भर्ती कार्यालय, कटिहार	
24.	सेना भर्ती कार्यालय, रांची	झारखंड
25.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), जबलपुर	मध्य प्रदेश
26.	सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर	
27.	सेना भर्ती कार्यालय, महू	
28.	सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल	
29.	सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़
30.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), जयपुर	राजस्थान
31.	सेना भर्ती कार्यालय, अलवर	
32.	सेना भर्ती कार्यालय, झुनझुनू	
33.	सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर	
34.	सेना भर्ती कार्यालय, कोटा	
35.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), जालंधर	पंजाब
36.	सेना भर्ती कार्यालय, अमृतसर	
37.	सेना भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर	
38.	सेना भर्ती कार्यालय, पटियाला	
39.	सेना भर्ती कार्यालय, लुधियाना	

1	2	3
40.	सेना भर्ती कार्यालय, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
41.	सेना भर्ती कार्यालय, श्रीनगर	
42.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), कोलकाता	पश्चिम बंगाल
43.	सेना भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी	
44.	सेना भर्ती कार्यालय, बैरकपुर	
45.	सेना भर्ती कार्यालय, बरहामपुर	
46.	सेना भर्ती कार्यालय, कटक	ओडिशा
47.	सेना भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर	
48.	सेना भर्ती कार्यालय, गोपालपुर केंटोनमेंट	
49.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), लखनऊ	उत्तर प्रदेश
50.	सेना भर्ती कार्यालय, मेरठ	
51.	सेना भर्ती कार्यालय, बरेली	
52.	सेना भर्ती कार्यालय, आगरा	
53.	सेना भर्ती कार्यालय, वाराणसी	
54.	सेना भर्ती कार्यालय, अमेठी	
55.	सेना भर्ती कार्यालय, लेंसडाउन	उत्तराखंड
56.	सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा	
57.	सेना भर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़	
58.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), पुणे	महाराष्ट्र
59.	सेना भर्ती कार्यालय, मुंबई	
60.	सेना भर्ती कार्यालय, नागपुर	
61.	सेना भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर	
62.	सेना भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद	

1	2	3
63.	सेना भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात
64.	सेना भर्ती कार्यालय, जामनगर	
65.	भर्ती अफसर (मुख्यालय), शिलांग	मेघालय
66.	सेना भर्ती कार्यालय, जोरहाट	असम/अरुणाचल प्रदेश
67.	सेना भर्ती कार्यालय, नारंगी	असम
68.	सेना भर्ती कार्यालय, रंगापहाड़	नागालैंड/त्रिपुरा
69.	सेना भर्ती कार्यालय, सिल्चर	असम/त्रिपुरा
70.	सेना भर्ती कार्यालय, आइजॉल	मिजोरम
71.	गोरखा भर्ती डिपो, कुनराघाट (गोरखपुर)	नेपाल
72.	गोरखा भर्ती डिपो, घूम	
73.	स्वतंत्र भर्ती कार्यालय, दिल्ली कैंट	दिल्ली/हरियाणा

नौसेना

नौसेना के पास भर्ती के लिए कोई स्थायी अवसंरचना/कार्यालय नहीं है। भर्ती परीक्षाओं की अवधि में देश भर में विभिन्न स्थानों पर तैंतीस (33) भर्ती केन्द्र निम्नानुसार सक्रिय किए जाते हैं:

क्र. सं.	केन्द्र	कवर किए जाने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	चेन्नई	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी
2.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी
3.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली
4.	चिल्का	ओडिशा
5.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
6.	देहरादून	उत्तराखंड
7.	वास्को	गोवा
8.	हमला	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली
9.	नई दिल्ली	दिल्ली
10.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
11.	कारवाड़	कर्नाटक
12.	तिरुनलवेली	तमिलनाडु और पुदुचेरी
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
14.	अरक्कोणम	तमिलनाडु और पुदुचेरी
15.	लोनावाला	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली
16.	जामनगर	गुजरात, दमन और दीव
17.	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप
18.	आइजोल	मिजोरम
19.	अम्बाला	हरियाणा
20.	गंगटोक	सिक्किम
21.	गुवाहाटी	असम और त्रिपुरा
22.	होशंगाबाद/भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	जालंधर	पंजाब और चंडीगढ़
24.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
25.	जोधपुर	राजस्थान
26.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
27.	कोहिमा	नागालैंड

1	2	3
28.	लेह	जम्मू और कश्मीर
29.	रांची	बिहार और झारखंड
30.	शिलांग	मेघालय
31.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
32.	पौड़ी/अल्मोड़ा	उत्तराखंड
33.	तेजपुर	अरुणाचल प्रदेश

वायुसेना

वायुसैनिक चयन केन्द्र (एएससी) संख्या		स्थान
1.	एएससी	अम्बाला
2.	एएससी	नई दिल्ली
3.	एएससी	कानपुर
4.	एएससी	बैरकपुर
5.	एएससी	जोधपुर
6.	एएससी	मुंबई
7.	एएससी	बंगलौर
8.	एएससी	तांबरम
9.	एएससी	भुवनेश्वर
10.	एएससी	बिहटा
11.	एएससी	गुवाहाटी
12.	एएससी	बेगमपेट
13.	एएससी	कोचीन
14.	एएससी	भोपाल

विवरण-II

भर्ती के आंकड़े

सेना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भर्ती का वर्ष		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार (यू.टी.) द्वीपसमूह	71	104	0
2.	आंध्र प्रदेश	1970	3744	4581
3.	अरुणाचल प्रदेश	27	248	534
4.	असम	534	1009	1116
5.	बिहार	2439	3916	3309
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	0	1	0
7.	छत्तीसगढ़	394	548	644
8.	दादरा और नगर हवेली (यू.टी.)	0	0	0
9.	दमन और दीव (यू.टी.)	0	0	0
10.	दिल्ली	547	963	65
11.	गोवा	16	1	18
12.	गुजरात	1112	1281	1620
13.	हरियाणा	1383	2216	2439
14.	हिमाचल प्रदेश	1189	1220	1514
15.	जम्मू और कश्मीर	1212	1511	1336
16.	झारखंड	548	953	985

1	2	3	4	5
17.	कर्नाटक	1545	1871	2210
18.	केरल	1248	2373	2871
19.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	0	7	58
20.	मध्य प्रदेश	1869	3004	3072
21.	महाराष्ट्र	5544	5371	5746
22.	मणिपुर	287	573	781
23.	मेघालय	31	90	92
24.	मिजोरम	67	240	365
25.	नगालैंड	103	451	524
26.	ओडिशा	826	1347	1289
27.	पुदुचेरी (यू.टी.)	14	4	14
28.	पंजाब	3523	3681	4044
29.	राजस्थान	1301	3431	2765
30.	सिक्किम	30	71	92
31.	तमिलनाडु	2074	3105	3433
32.	त्रिपुरा	116	83	144
33.	उत्तर प्रदेश	6616	8873	8244
34.	उत्तराखंड	1982	1967	2348
35.	पश्चिम बंगाल	1787	2449	2474
	कुल	40405	56706	58727

यू.टी. : संघ राज्य क्षेत्र

नौसेना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपमसूह	—	2	7	3
2.	आंध्र प्रदेश	92	196	277	96
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	0	0	0
4.	असम	97	106	79	21
5.	बिहार	269	395	379	235
6.	चंडीगढ़	1	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	5	8	7	7
8.	दादरा और नगर हवेली	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	दमन और दीव	—	0	0	0
10.	दिल्ली	0	11	13	7
11.	गोवा	2	4	7	3
12.	गुजरात	8	14	35	21
13.	हरियाणा	200	372	423	180
14.	हिमाचल प्रदेश	105	127	280	36
15.	जम्मू और कश्मीर	76	119	206	35
16.	झारखंड	59	120	135	41
17.	कर्नाटक	1	34	37	40
18.	केरल	204	255	259	96
19.	लक्षद्वीप	—	0	1	0
20.	मध्य प्रदेश	77	139	183	126
21.	महाराष्ट्र	22	76	74	82
22.	मणिपुर	48	61	34	23
23.	मेघालय	4	4	15	8
24.	मिजोरम	7	14	27	10
25.	नागालैंड	31	26	27	6
26.	ओडिशा	108	309	307	145
27.	पुदुचेरी	—	0	0	0
28.	पंजाब	31	51	258	72
29.	राजस्थान	246	430	515	383
30.	सिक्किम	16	25	30	12
31.	तमिलनाडु	19	48	28	43

1	2	3	4	5	6
32.	त्रिपुरा	1	1	4	0
33.	उत्तर प्रदेश	416	621	570	346
34.	उत्तराखंड	107	133	130	33
35.	पश्चिम बंगाल	62	122	122	51
	कुल	2314	3823	4469	2161

यू.टी. : संघ राज्य क्षेत्र

वायुसेना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	2	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	328	293	421	388
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	0	2
4.	असम	106	56	79	74
5.	बिहार	995	832	587	542
6.	चंडीगढ़	5	15	0	0
7.	छत्तीसगढ़	7	31	24	19
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	54	38	31	34
11.	गोवा	1	0	1	0
12.	गुजरात	104	32	111	73
13.	हरियाणा	647	647	601	657

1	2	3	4	5	6
14.	हिमाचल प्रदेश	48	200	316	297
15.	जम्मू और कश्मीर	222	284	137	328
16.	झारखंड	148	103	72	30
17.	कर्नाटक	63	66	97	89
18.	केरल	123	379	855	234
19.	लक्षद्वीप	0	7	4	2
20.	मध्य प्रदेश	61	91	745	249
21.	महाराष्ट्र	74	208	210	74
22.	मणिपुर	204	44	267	100
23.	मेघालय	9	1	6	3
24.	मिजोरम	0	0	8	0
25.	नागालैंड	5	0	3	2
26.	ओडिशा	105	41	56	224
27.	पुदुचेरी	0	1	2	0
28.	पंजाब	154	183	110	46
29.	राजस्थान	985	695	564	706
30.	सिक्किम	12	6	1	1
31.	तमिलनाडु	62	74	57	32
32.	त्रिपुरा	19	2	10	1
33.	उत्तर प्रदेश	2060	2157	1650	1132
34.	उत्तराखंड	501	687	819	596
35.	पश्चिम बंगाल	86	112	170	117
	कुल	7196	7290	8014	6052

यू.टी. : संघ राज्य क्षेत्र

LF-55

३५।।३।

औद्योगिक अवसंरचना

*452. **डॉ. संजय सिंह :**

डॉ. कृपारानी किल्ली :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त औद्योगिक अवसंरचना देश में धीमे औद्योगिक विकास का एक मुख्य कारण रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक अवसंरचना के स्तर में सुधार करने की कोई योजना/स्कीम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(च) देश में औद्योगिक अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ङ) देश के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक अवसंरचना की उपलब्धता एक आवश्यक पूर्व-शर्त है। औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने तथा उनका रख-रखाव करने का कार्य राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है जो इन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु कर/प्रयोक्ता प्रभार एकत्र करते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा अनेक स्कीमों के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता दी जाती है जैसे कि औद्योगिक अवसंरचनात्मक उन्नयन योजना (आईआईयूएस), निर्यात अवसंरचना के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्य सरकारों को सहायता (एएसआईडीई), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)।

(i) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों में सरकारी-निजी साझेदारी के जरिए गुणवत्तायुक्त अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करा कर उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक अवसंरचनात्मक उन्नयन योजना का कार्यान्वयन करता रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे विवरण-I में दिया गया है:

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	परियोजना संख्या/नाम	कुल लागत (रुपए करोड़)	भारत सरकार से अनुदान (रुपए करोड़)
1	2	3	4	5
1.	असम	बैंबू टैक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी	62.28	52.63
2.	बिहार	हैंडलूम क्लस्टर, भागलपुर	20.82	15.69
3.	गुजरात	टैक्सटाइल क्लस्टर, नरोल	145.30	58.28
4.	हिमाचल प्रदेश	फार्मा एंड अलाइड क्लस्टर, बद्दी	80.50	58.28
5.	झारखंड	ऑटो क्लस्टर, आदित्यपुर	65.63	47.79

1	2	3	4	5
6.	मध्य प्रदेश	पांढुरना औद्योगिक क्लस्टर, छिंदवाड़ा	66.78	43.07
7.	महाराष्ट्र	ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद	81.35	58.20
8.	ओडिशा	प्लास्टिक, पॉलीमर एंड अलाइड क्लस्टर, बालासोर	81.90	58.28
9.	पंजाब	हैंड टूल्स क्लस्टर, जालंधर	79.49	58.28
10.	तमिलनाडु	इंजी. क्लस्टर, त्रिची	102.81	58.28

(ii) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यातों के विकास और वृद्धि के लिए उपर्युक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु निर्यात प्रयासों में राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय तौर पर प्रयोजित एक स्कीम, नामतः, निर्यात अवसंरचना के विकास तथा संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्य सरकारों को सहायता (एएसआईडीई) चला रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 349 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे विवरण-II में दिया गया है:

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत रु. करोड़	एएसआईडीई का योगदान रु. करोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	17	55.79	54.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	6.23	6.23
3.	असम	29	89.17	89.17
4.	छत्तीसगढ़	7	67.64	62.55
5.	दादरा और नगर हवेली	1	1.36	0.68
6.	दमन और दीव	14	82.85	42.27
7.	गोवा	11	121.26	121.26
8.	गुजरात	27	563.36	260.40
9.	हरियाणा	22	111.76	63.53
10.	हिमाचल प्रदेश	18	52.05	40.89
11.	जम्मू और कश्मीर	2	9.76	9.64
12.	कर्नाटक	28	358.86	192.50
13.	केरल	5	75.26	29.00
14.	मध्य प्रदेश	10	33.80	25.82
15.	महाराष्ट्र	8	355.65	177.82
16.	मेघालय	11	40.76	40.76
17.	नागालैंड	6	39.63	14.61
18.	ओडिशा	6	43.29	14.56
19.	पंजाब	17	106.18	73.60
20.	राजस्थान	9	145.09	89.44

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	13	10.21	10.21
22.	तमिलनाडु	12	331.06	96.44
23.	त्रिपुरा	10	91.02	91.02
24.	उत्तर प्रदेश	41	198.44	133.79
25.	पश्चिम बंगाल	16	160.03	93.77

(iii) वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तर की अवसंरचना प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) संचालित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 40 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे विवरण-III में दिया गया है:

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत रु. करोड़	भारत सरकार से अनुदान रु. करोड़
1.	आंध्र प्रदेश	5	583.39	156.80
2.	गुजरात	7	801.61	280.00
3.	कर्नाटक	1	84.92	33.96
4.	मध्य प्रदेश	1	88.92	35.57
5.	महाराष्ट्र	9	970.50	327.58
6.	तमिलनाडु	8	699.53	248.95
7.	राजस्थान	5	447.72	176.83
8.	पंजाब	3	351.91	120.00
9.	पश्चिम बंगाल	1	104.00	40.00

(iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और साथ ही क्षमता निर्माण के लिए समूह विकास दृष्टिकोण के अनुरूप समूह विकास कार्यक्रम कार्यान्वित का रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 80 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे विवरण-IV में दिया गया है:

विवरण-IV

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	भारत सरकार से अनुदान रु. करोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1	0.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.60
3.	असम	18	10.51
4.	छत्तीसगढ़	4	1.04
5.	गुजरात	1	0.17
6.	जम्मू और कश्मीर	4	1.70
7.	कर्नाटक	1	0.51
8.	केरल	1	0.37
9.	मध्य प्रदेश	4	0.81
10.	महाराष्ट्र	7	2.41
11.	ओडिशा	1	0.26
12.	राजस्थान	13	5.38
13.	तमिलनाडु	20	7.07
14.	पश्चिम बंगाल	3	0.60

(च) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की प्रस्तावित नई विनिर्माण नीति में बड़े पैमाने पर विनिर्माण जोन सृजित करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी हेतु पारिव्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव है। यह आशा है कि राज्य इस अवसंरचना को राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) में विनिर्माण क्रियाकलाप संवर्धित करने के लिए और विकसित करेंगे।

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर एक अन्य उदाहरण है जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के हिस्सों को शामिल करते हुए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कोरीडोर के दोनों ओर की पट्टी पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास करने का प्रस्ताव है। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय वाणिज्य सक्रिय बनाने, निवेश बढ़ाने तथा सतत विकास बनाए रखने के लिए मजबूत तथा अत्याधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है।

अवसंरचना परियोजनाएं न केवल लंबी अवधि की हैं बल्कि बड़े निवेश वाली हैं। केंद्रीय बजट 2011-12 में अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण की उपलब्धता में तेजी लाने तथा उसे बढ़ाने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) स्थापित करने की घोषणा की गई। एक आईडीएफ या तो भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक कंपनी के रूप में आईडीएफ द्वारा ऋण बढ़ाने के नवीन उपायों के माध्यम से बीमा और पेंशन निधियों जैसे बचत स्रोतों के उपयोग के जरिए अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कम लागत के दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

55-65

बाघ अभयारण्यों का विस्तार

*453. **श्री एम.के. राघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम होते वन्य जीव पर्यावास बाघों की संख्या के लिए गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में मौजूदा बाघ अभयारण्यों का विस्तार करने का है या नए बाघ पर्यावास घोषित करने/खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में बाघों के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त पर्यावास क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) बाघों के लिए प्रमुख खतरों में से एक पर्यावास को होने वाला नुकसान है। हाल ही के राष्ट्र स्तरीय आकलन (2010) के अनुसार, 2006 के आकलन जिसमें बाघों की अनुमानित संख्या 1411 (न्यूनतम संख्या 1165 और अधिकतम संख्या 1657) थी, की तुलना में बाघों की अनुमानित संख्या बढ़ कर 1706 (न्यूनतम संख्या 1520 और अधिकतम संख्या 1909) हो गई है। तथापि, बाघ रिजर्वों तथा बाघ स्रोत संख्या के बाहर परिधीय और छितरे हुए क्षेत्रों में बाघों की मौजूदगी में 12.6% की हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। छह नए बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ''सैद्धांतिक रूप से'' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और ये स्थल हैं: (i) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), (ii) रातापानी (मध्य प्रदेश), (iii) सुनाबेडा (ओडिशा), (iv) मुकुन्दारा हिल्स (दर्राह, जवाहर सागर और चम्बल वन्यजीव अभयारण्यों सहित), (राजस्थान), (v) कुद्रेमुख (कर्नाटक), और (vi) कवल अभयारण्य (आंध्र प्रदेश)। इसके साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) सत्यमंगलम (तमिलनाडु), (v) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़) और (vi) महादेई अभयारण्य (गोवा)।

(ङ) बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

2001 और 2010 के बीच वन में मौजूदगी और अनुमानित संख्या के संबंध में बाघों की स्थिति

राज्य	बाघों की संख्या			बाघ कि.मी.²		
	2006	2010	वृद्धि/कमी/ स्थिर	2006	2010	वृद्धि/कमी/ स्थिर
1	2	3	4	5	6	7
शिवालिक-गांगेय मैदान लैंडस्केप परिसर						
उत्तराखंड	178 (161-195)	227 (199-256)	वृद्धि	1,901	3,476	वृद्धि
उत्तर प्रदेश	109 (91-127)	118 (113-124)	स्थिर	2,766	2,511	स्थिर
बिहार	10 (7-13)	8 (-)	स्थिर	510	750	वृद्धि
शिवालिक-गांगेय	297 (259-335)	353 (320-388)	स्थिर	5,177	6,712	वृद्धि
केन्द्रीय भारतीय लैंडस्केप परिसर और पूर्वी घाट लैंडस्केप परिसर						
आंध्र प्रदेश	95 (84-107)	72 (65-79)	कमी	14,126	4,495	कमी
छत्तीसगढ़	26 (23-28)	26 (24-27)	स्थिर	3,609	3,514	स्थिर
मध्य प्रदेश	300 (236-364)	257 (213-301)	स्थिर	15,614	13,833	कमी
महाराष्ट्र	103 (76-131)	169 (155-183)	वृद्धि	4,273	11,960	वृद्धि
ओडिशा	45 (37-53)	32 (20-44)	स्थिर	9,144	3,398	कमी
राजस्थान	32 (30-35)	36 (35-37)	स्थिर	356	637	वृद्धि
झारखंड	आकलन नहीं किया गया	10 (6-14)	—	1,488	1,180	कमी
केन्द्रीय भारत	601 (486-718)	601 (518-685)	स्थिर	48,610	39,017	कमी
पश्चिमी घाट लैंडस्केप परिसर						
कर्नाटक	290 (241-339)	300 (280-320)	स्थिर	18,715	14,414	कमी
केरल	46 (39-53)	71 (67-75)	वृद्धि	6,168	6,804	स्थिर
तमिलनाडु	76 (56-95)	163 (153-173)	वृद्धि	9,211	8,389	स्थिर

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी घाट	412 (336-487)	534 (500-568)	वृद्धि	34,094	29,607	कमी
पूर्वोत्तर पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र बाढ़ वाले मैदान						
असम	70 (60-80)	143 (113-173)	वृद्धि	1,164	2,381	वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	14 (12-18)	आकलन नहीं किया गया	—	1,685	1,304	कमी
मिजोरम	6 (4-8)	5	स्थिर	785	416	कमी
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10 (8-12)	आकलन नहीं किया गया	—	596	799	वृद्धि
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र	100 (84-118)	148 (118-178)	वृद्धि	4,230	4,900	वृद्धि
सुन्दरवन	आकलन नहीं किया गया	70 (64-90)	—	1,586	1,645	स्थिर
कुल	1,411) (1,165-1,657)	1,706 (1,520-1,909)		93,697	81,881	

विवरण-II

बाघों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए (हाल ही में किए गए उपायों सहित) महत्वपूर्ण उपाय

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंधों का प्रावधान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दण्ड को और कड़ा करना।

प्रशासनिक उपाय

3. बाघ रिजर्व राज्यों से यथा-प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपो शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए

दिनांक 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा चार नए बाघ रिजर्वों के सृजन की 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई है, और ये स्थल हैं: पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा), मुकन्द्रा हिल्स (दराह, जवाहर सागर और चम्बल वन्यजीव अभयाण्य सहित) (राजस्थान) कुदरेमुख (कर्नाटक) और कवल आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को बाघ रिजर्वों के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को घोषित करने के लिए प्रस्तावों को भेजने की सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) सत्यमंगलम (तमिलनाडु), (v) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़) और (vi) महादेई (गोवा)।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र में आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास विखण्डन को रोकने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघों का (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 16 बाघ राज्यों द्वारा (17 राज्यों में से) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, की धारा 38V के अन्तर्गत कोर क्षेत्र अथवा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 32578.78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)। बिहार राज्य ने कोर अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट्स (840 वर्ग किलामीटर) अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

वित्तीय उपाय

10. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा वन्यजीव पर्यावासो का स्वीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पर अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

12. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

13. साइट्स (सी.आई.टी.ई.एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक के दौरान, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, भारत ने चीन, नेपाल और रुसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर ऑपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा उजा सके, जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

14. दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में आयोजित साइट्स की स्थायी समिति की 58वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं कि वे 20.10.2009 से 90 दिनों के भीतर 14.69 और 14.65 पर हुए निर्णयों के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग ऑपरेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति)।

नए बाघों को छोड़ा जाना

15. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुनर्निर्माण हेतु सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नए बाघों/बाघिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

16. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या के स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष एडवाइजरीज जारी की गई है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस.टी.पी.एफ.) का सृजन

17. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एस.टी.पी.एफ. के सृजन के लिए कार्बेट, रणथम्भौर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु. जारी किए गए हैं। तब से बन गूजर जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों की तैनाती के लिए एसटीपीएफ के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

18. ट्रेफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन बाघ अपराध डाटा बेस आरंभ किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जेनेरिक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

हाल ही के उपाय

1. बाघ संरक्षण पायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किए गए और उन्हें निधि प्रवाह के साथ जोड़ा गया।

2. बाघ रिजर्वों का तेजी से मूल्यांकन किया गया।

3. लेफ्ट विंग उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

4. तात्कालिक मामलों अर्थात् त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन, बाघ संरक्षण फाउंडेशन का सृजन, सुरक्षा को बढ़ाना आदि विषय पर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर बाघ बहुल राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया था।

5. लेफ्ट विंग प्रभावित तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए लिखा गया था।

6. प्रभावी तरीके से क्षेत्र पेट्रोलिंग और मॉनीटरिंग हेतु 'एम-स्ट्रिप्स' की शुरूआत के अलावा ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और फील्ड सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए।

7. जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

8. प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठन करने के साथ-साथ स्थिति का आकलन करने के लिए सिमिलिपाल को विशेष स्वतंत्र दल भेजा गया।

9. चीन के प्राधिकारियों के साथ पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर बाघ फार्मिंग और बाघ के शरीरांगों की तस्करी के मामल पर चर्चा की गई थी।

10. प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने हेतु कार्रवाई की गई।

11. प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाते हुए फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए उपाय किए गए।

12. बाघ रिजर्वों की स्वतंत्र मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु कदम उठाए गए।

13. बाघ रिजर्वों में निगरानी सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।

14. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ टकराव को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

15. नई दिल्ली में आयोजित चौथी सीमापार परामर्शदात्री समूह की बैठक के परिणामस्वरूप, जैव विविधता बाघ संरक्षण के लिए नेपाल के साथ एक संयुक्त संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. नागपुर, बंगलुरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

65-66

समुद्र से भू-कटाव

*454. **श्री कमलेश पासवान** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों के लिए समुद्र से भू कटाव का खतरा और बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन सहित ऐसे क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे भू कटाव को रोकने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, आबंटित और खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (च) वैज्ञानिक अध्ययनों तथा सुसंगत मूल्यांकनों से ग्लोबल वार्मिंग से तटरेखा एवं समुद्र तटों को संभावित खतरों और समुद्र स्तर के बढ़ने के संभावित दुष्प्रभाव का पता चला है। समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रमुख प्रभावों में तटीय कटाव, ताजे पानी में खारेपन का आ जाना और समुद्र से अधिक आप्लावन शामिल हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, वायु, लहरों, ज्वारों एवं तूफानों जैसे प्राकृतिक कारणों और कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण, तटीय बालू का खनन और अपतटीय निकर्षण जैसे मानीव कार्यकलापों उसे भी समुद्र में भू-कटाव हो सकता है। तथापि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में भू-कटाव के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

तटीय भू-कटाव के लिए समुचित संरक्षण उपाय प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

पाटनरोधी उपाय

66-70

*455. **श्री एम.आई. शानवास** :
डॉ. के.एस. राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों द्वारा माल को पाटने के किन्हीं मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे घरेलू उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन पर ऐसे पाटन प्रयासों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने तथा घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए किए गए या किए जाने वाले पाटनरोधी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सऊदी अरब जैसे देश सरकार पर प्लास्टिक के कच्चे माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने के लिए अत्यधिक दबाव डाल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ग) जी, हां। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा शुरू की गई जांचों एवं पिछले तीन वर्षों

(01.04.2008-31.03.2011) के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	शुरू किए गए मामलों की संख्या	केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क (अनन्तिम/निश्चयात्मक)
2008-09	21	17 एवं 14 मामले समाप्त किए गए
2009-10	15	12 एवं 2 मामले समाप्त किए गए
2010-11	15	2 (1 अनन्तिम शुल्क) (1 मामला बंद किया जा चुका है। 11 मामलों में जांच अभी चल रही है। डीजीएडी ने 2 मामलों में जांच परिणाम को अंतिम रूप दे दिया है एवं अंतिम निर्धारण हेतु राजस्व विभाग को अपनी संस्तुतियां भेज दी हैं।)

(ख) संबंधित घरेलू उद्योगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सऊदी अरब सरकार ने पॉलीप्रॉपीलीन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का मुद्दा विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकों में हुए विचार-विमर्श के दौरान भारत सरकार के साथ उठाया है। सऊदी अरब सरकार को अवगत कराया गया है कि पाटनरोधी कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक होती है और लागू कानूनी कार्यढांचे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है।

विवरण

क्र.सं.	घरेलू उद्योग
1	2
1.	पॉलीएस्टर निर्मित सभी फुली ड्रॉन अथवा फुली ओरिएन्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (एफडीवाई)
2.	प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड
3.	पावर स्टियरिंग गियर सिस्टम
4.	थियोनाइल क्लोराइड
5.	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी
6.	कैथोड रे टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स-III
7.	नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स
8.	फ्लैक्स फैब्रिक्स
9.	टायर क्योरिंग प्रेस
10.	सिरेमिक टाइल्स
11.	रेडियल टायर्स
12.	पेनीसिलीन-जी-II
13.	फॉस्फोरिक अम्ल
14.	डाइ-इथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीसी/डीईटीपीसी)
15.	स्टेनलेस स्टील निर्मित कोल्ड रोल्ड उत्पाद
16.	हॉट रोल्ड स्टील उत्पाद
17.	फ्रंट एक्सल बीम एंड स्टियरिंग नकल्स
18.	कार्बन ब्लैक
19.	फॉस्फोरस आधारित कतिपय रासायनिक यौगिक
20.	विस्कस स्टेपल फाइबर
21.	पॉलीप्रॉपिलीन
22.	सिन्क्रोनस डिजिटल हायरार्की (एसडीएच) ट्रांसमिशन उपस्कर
23.	रेकॉर्डेबल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी)
24.	सर्कुलर विविंग मशीनें
25.	बेरियम कार्बोनेट
26.	कुमारिन
27.	पेनीसिलीन-जी, पोटेशियम; और 6एपीए

1	2
28.	1, 1, 1, 2- टेट्रा फ्लोरो इथेन अथवा सभी किस्म के आर-134
29.	फीनॉल
30.	एसीटोन
31.	पीवीसी पेस्ट रेजीन
32.	सोडियम ट्राई पॉली फॉस्फेट (एसटीपीपी)
33.	ग्लास फाइबर्स
34.	सीमलेस ट्यूब्स
35.	पीवीसी फ्लेक्स फिल्म्स
36.	पॉलीप्रॉपीलीन
37.	स्टेनलेस स्टील निर्मित कतिपय हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद
38.	एजोडीकार्बोनामाइड
39.	सिलाई मशीन की सुईयां
40.	कास्टिक सोडा
41.	पैरा नाइट्रो एनिलीन
42.	600 मिमी से कम चौड़ाई वाले 200 सीरिज के स्टेनलेस स्टील निर्मित कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद
43.	600 मिमी से कम चौड़ाई वाले 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील निर्मित कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद
44.	सोडा एश
45.	ओपल ग्लासवेयर
46.	जीयोग्रिड
47.	मॉर्फोलीन
48.	मैलामाइन
49.	एनिलिन
50.	पेन्टा इरीथ्रीटॉल
51.	सभी ग्रेड तथा सभी सान्द्रणों वाला फॉस्फोरिक अम्ल (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)

एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं

70-74

*456. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नई एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा हो चुका है तथा उक्त अवधि के दौरान इस पर राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) कितनी परियोजनाएं लंबित हैं तथा इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए कुछ राज्य सरकारों से सहयोग नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं लंबित परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) सरकार ने, नवंबर, 2006 में 16,680 करोड़ रुपए की कुल लागत से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चरण-VI के अंतर्गत 1000 किमी एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग सं. एनई II अर्थात् जो कुंडली के निकट किमी 30.083 से प्रारंभ

होता है और पलवल के निकट रारा-2 पर किमी 64.033 पर समाप्त होता है, का विकास किए जाने का प्रस्ताव है।

इन एक्सप्रेस मार्गों तथा उनकी वर्तमान स्थिति का संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एनई-I अहमदाबाद-वदोदरा एक्सप्रेस मार्ग का कार्य, वर्ष 2004 में ही पूरा कर लिया गया है।

(ग) लंबित एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 31.08.2011 की स्थिति के अनुसार एक्सप्रेस मार्ग परियोजनाओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	एनएचडीपी	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	वदोदरा-मुंबई (400 किमी)	VI	संपूर्ण परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। पीपीपी आधार पर वदोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग के कार्यान्वियन के लिए आगे की कार्रवाई, डीपीआर तैयार होने के पश्चात् शुरू की जानी है। वदोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का साध्यता अध्ययन अक्तूबर, 2009 तक पूरा किया जाना था। तथापि, निम्नलिखित कारणों से साध्यता अध्ययन पूरा करने में विलंब हुआ था: (i) साध्यता अध्ययन के दौरान, लगभग 94 किमी की अतिरिक्त लंबाई को महाराष्ट्र राज्य में बाह्य मुंबई क्षेत्र के अंदर रारा-4 और जेएनपीटी को उपयुक्त सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु वदोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग में एक स्कंध के रूप में जोड़ना पड़ा। (ii) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा इस स्कंध के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था। तत्पश्चात् स्कंध कासाध्यता अध्ययन किया गया। स्कंध के संरेखण सहित वदोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का साध्यता अध्ययन अब पूरा हो चुका है।
2.	दिल्ली-मेरठ (66 किमी)	VI	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग का साध्यता अध्ययन प्रगति पर है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग का प्रस्तावित संरेखण निजामुद्दीन पुल से शुरू होगा ओर डासना तक रारा-24 के साथ-साथ जारी रहेगा

1	2	3	4
			तथा मेरठ में समाप्त होगा। इस परियोजना जिसमें रारा-24 के डासना-हापुड़ खंड को 6 लेन का बनाया जाना और दिल्ली-मेरठ खंड को 6 लेन का बनाया जाना भी शामिल है, का साध्यता अध्ययन प्रगति पर है। रारा-24 के डासना-हापुड़ खंड को 6 लेन का बनाए जाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-मेरठ खंड को 6 लेन का बनाए जाने सहित रारा-24 के संरेखण के साथ-साथ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण, साध्यता रिपोर्ट के पश्चात् ही निश्चित हो पाएगा।
3.	बंगलौर-चेन्नै (334 किमी)	VI	साध्यता अध्ययन किया जा रहा है। एक्सप्रेस मार्ग के संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों से इस संरेखण के लिए अनुमोदन ले लिया गया है।
4.	कोलकाता-धनबाद (277 किमी)	VI	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
5.	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग (135 किमी, कुल परियोजना लागत 2699 करोड़ रु.)	अन्य पीपीपी परियोजना	आरएफक्यू का मूल्यांकन किया जा चुका है और आरएफपी अभी जारी किया जाना है। प्रारंभ में इस परियोजना के लिए प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि तब तक ही निविदा प्राप्त हुई थी और इस परियोजना का पुनर्गठन करना पड़ा।

[हिन्दी] 13-13

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-एक और दो

***457. श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी :**
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-एक तथा चरण-दो के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा इसके अंतर्गत कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के चरण-एक और चरण-दो पर अब तक वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इसके अंतर्गत वर्ष-वार कितने किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण/विकास किया गया?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II के अंतर्गत सड़क लंबाई उनके विकास के लिए अनुमोदित लागत का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को पूरा करने का लक्ष्य मूल रूप से दिसंबर, 2003 तक का और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को पूरा करने का

लक्ष्य दिसंबर, 2007 तक का रखा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I का 98.89% कार्य पूरा हो चुका है और हाल ही में सौंपी गई चेन्नई-एन्नोर पत्तन संपर्क परियोजना सहित सभी शेष कार्य जून, 2012 तक पूरा हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II का 79.5% कार्य पूरा हो चुका है और सौंपी गई परियोजनाओं का कार्य काफी हद तक दिसंबर, 2012 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II के अंतर्गत वर्षवार किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और चरण-II के अंतर्गत पूरी की गई लंबाई का वर्षवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

एनएचडीपी चरण-I और चरण-II की स्थिति

क्र.सं.	एनएचडीपी चरण	कुल लक्षित लंबाई किमी. में	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत रुपए करोड़
1.	चरण-I स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण कॉरीडोर, पत्तन संपर्क और अन्य	7,522*	12.12.2000	30,300
2.	चरण-II उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम कॉरीडोर, अन्य को 4/6 का बनाना	6,647	18.12.2003	34,339

*चेन्नै-एन्नौर पत्तन संपर्क की दो परियोजनाओं (24 किमी) को पुन: सौंपा गया है। इन दोनों परियोजनाओं को चरण-I की अन्य परियोजनाओं के साथ मिला दिया गया था। पूर्व अनुमोदित कुल लंबाई में 24 किमी की वृद्धि हुई है।

विवरण-II

एनएचडीपी चरण-I और चरण-II के अंतर्गत किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	किया गया व्यय करोड़ रु.	
		एनएचडीपी चरण-I	एनएचडीपी चरण-II
1	2	3	4
1.	1998 तक	163.44	—
2.	1998-99	328.16	0.8
3.	1999-00	732.05	3.7
4.	2001-01	1239.51	7.52
5.	2001-02	3878.36	1.92
6.	2002-03	6021.37	12.55
7.	2003-04	7422.56	75.03
8.	2004-05	6116.51	184.44

1	2	3	4
9.	2005-06	4317.46	1773.35
10.	2006-07	2089.63	5465.31
11.	2007-08	1863.03	10169.22
12.	2008-09	1257.72	11621.94
13.	2009-10	1098.85	8968.83
14.	2010-11	1872.94	9238.49
15.	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	297.94	1954.73

विवरण-III

एनएचडीपी चरण-I और चरण-II के अंतर्गत पूर्ण की गई लंबाई का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	पूर्ण की गई लंबाई किमी. में	
		एनएचडीपी चरण-I	एनएचडीपी चरण-II
1	2	3	4
1.	2000 से पूर्व	963	—
2.	2000-01	262	—
3.	2001-02	480	—
4.	2002-03	391	—
5.	2003-04	1318	—
6.	2004-05	2343.4	—
7.	2005-06	727.57	—
8.	2006-07	360.33	275.41

1	2	3	4
9.	2007-08	213.73	1020.5
10.	2008-09	130.94	1533.53
11.	2009-10	140.06	1635.07
12.	2010-11	89.75	649.35
13.	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	19.09	173.4

कर्मचारी पेंशन योजना

***458. श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
श्री बाल कुमार पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में दस वर्ष बाद पेंशन में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे संशोधन किए गए थे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न संगठनों/पक्षों से इस योजना में संशोधन की मांग के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान, कर्मचारी पेंशन योजना,

1995 (ईपीएस, 1995) के उपबंधों को संशोधित करके लाभों में बढ़ोत्तरी की मांग करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों/अभ्यावेदनों/शिकायतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:-

- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए नियोजकों और सरकार के अंशदान की दर में वृद्धि
- नियमित रूप से अतिरिक्त राहत प्रदान करना
- अधिकतम वेतन की सीमा में वृद्धि
- केन्द्र सरकार के बराबर पेंशन
- संराशीकरण और पूंजी से आय संबंधी उपबंधों को बहाल करना
- पेंशन भोगियों को सूचकांक लागत से जुड़ा महंगाई भत्ता

केन्द्र सरकार ने ई.पी.एस, 1995 की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त, 2010 को सौंप दी थी तथा समिति की सिफारिशों को 15 सितम्बर, 2010 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि [(सी बीटी (ईपीएफ)] के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने यह निदेश दिया कि इस रिपोर्ट पर पहले पेंशन कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) द्वारा विचार किया जाए। पेंशन कार्यान्वयन समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है और इस मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के समक्ष रखे जाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भेज दिया है।

[अनुवाद]

79-82

चाय निर्यात

***459. श्री पी.सी. गद्दीगौदर :**
श्री नृपेन्द्रनाथ राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में चाय बागानों तथा चाय प्रसंस्करण कारखानों के बंद होने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान चाय के कुल उत्पादन और निर्यात में गिरावट आने की आशंका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुन: बागान लगाने तथा पुराने और जराग्रस्त बागानों तथा चाय प्रसंस्करण कारखानों के पुनरुद्धार सहित चाय के उत्पाद में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित प्रमुख चाय उतपादक राज्यों में छोटे चाय उत्पादकों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजनाएं आरंभ की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं तथा अब तक कुल कितना व्यय हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय बागानों और चाय प्रसंस्करण फैक्टरियों के बंद होने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) वर्ष 2010 की तुलना में 2011 के दौरान चाय के उत्पादन एवं निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलि. किग्रा. में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2010 (जून तक) (अनुमानित	338.97	90.72
2011 (जून तक) (अनुमानित)	358.32	74.56
वृद्धि/कमी	5.71%	-17.81%

अनुमानित उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 की समनुरूपी अवधि की तुलना में जून, 2011 तक अनुमानित निर्यातों में कमी आई है। तथापि, उत्पादन एवं निर्यातों की अन्तिम मात्रा चालू कैलेन्डर वर्ष की दूसरी छमाही के समाप्त होने के पश्चात ज्ञात होगी।

(ग) सरकार ने चाय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चाय की पुरानी झाड़ियों को उखाड़ने और पुनर्रोपण/नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2007 में विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) की स्थापना की है। फैक्टरी के आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता मानकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नवरोपण, स्व-सहायता समूह (एसएचजीएस) के गठन तथा प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बंगाल सहित देश में चाय की खेती वाले सभी राज्यों में लघु चाय उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान में निर्धारित लक्ष्यों, प्राप्त उपलब्धियों तथा किए गए कुल खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्यकलाप	वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय प्राप्तियां		
		लक्ष्य	उपलब्धि	किया गया खर्च (करोड़ रुपए)
1.	नवरोपण (हेक्टेयर)	4250	3084	16.15
2.	लघु उपजकर्ताओं के स्व-सहायता समूह (एसएचजीएस) (संख्या)	145	167	1.76
3.	लघु चाय उपजकर्ताओं और कामगारों का प्रशिक्षण (संख्या)	8000	37191	6.25*

*बड़े उपजकर्ताओं, प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, एसएचजी के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित

व्यवसाय जनित रोग

***460. श्री एस. सेम्मलई :**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में जहाज तोड़ने, पत्थर खदान, बीड़ी उद्योग आदि जैसे उद्योगों में श्रमिकों को होने वाले व्यवसाय जनित रोगों या उनकी मौत हो जाने के संबंध में कोई सांख्यिकीय आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, उद्योग-वार और रोग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्य-स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को प्रवर्तित करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या उक्त रोगों से ग्रस्त इन श्रमिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों/उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सूचित किए गए व्यावसायिक रोगों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोयला खानों, धातु खानों (जिंक खानों पत्थर की खदान, तांबे की खानों, स्वर्ण खानों आदि) मे सूचित किए गए व्यावसायिक रोगों संबंधी मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को कार्य-स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति

परिचालित कर दी है। कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, ने राष्ट्रीय नीति के बारे में जागरूकता लाने हेतु कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए हैं। डीजीफासली द्वारा किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) खान अधिनियम, 1952 की धारा 9-क(4) में निःशुल्क चिकित्सा उपचार का प्रावधान है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में व्यावसायिक रोगों से प्रभावित कामगारों को उपचार/क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान कारखाना अधिनियम की धारा 92 और धारा 96-क के अंतर्गत राज्य-वार अभियोजन और दोषसिद्धि संबंधी मामलों का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्यावसायिक रोगों के सूचित किए गए मामलों के आंकड़े

राज्य	व्यावसायिक रोग	2007	2008	2009	2010
गुजरात	बायसियोनोसिस	2	शून्य	शून्य	2
गुजरात	शोर के कारण श्रवण शक्ति की हानि	3	शून्य	शून्य	14
गुजरात	एस्बेस्टोसिस	शून्य	शून्य	शून्य	21
गुजरात	सिलिकोसिस	शून्य	शून्य	शून्य	14
महाराष्ट्र	शोर के कारण श्रवण शक्ति की हानि	3	1	शून्य	शून्य
केरल	लेड विषाक्तता	शून्य	1	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	व्यावसायिक अथवा कॉन्टेक्ट डरमेटाइटिस	शून्य	11	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	नेज़ल सेप्टम परफोरेशन	शून्य	शून्य	5	शून्य
पश्चिम बंगाल	बायसियोनोसिस	शून्य	शून्य	5	उ.न.
पश्चिम बंगाल	सिलिकोसिस	शून्य	शून्य	23	उ.न.
	कुल	8	13	33	51

स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीफासली द्वारा संग्रहीत आंकड़े।

* पांच राज्यों नामत : गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से सूचना प्राप्त हो गई है जहां वर्ष 2010 के दौरान किसी व्यवसायिक रोग के बारे में सूचित नहीं किया गया और वर्ष 2000 के लिए पत्राचार द्वारा गुजरात से संग्रहीत सूचना।

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोयला खानों के संबंध में व्यावसायिक रोगों के सूचित किए गए मामलों संबंधी आंकड़े

वर्ष	राज्य	कोयला कामगार न्यूमोकोनियोसिस	फेफड़े का कैंसर	पेट का कैंसर
1	2	3	4	5
1994	झारखंड	6	0	0
1995	झारखंड	7	0	0
1996	झारखंड	8	0	0
	ओडिशा	7	0	0
1997	झारखंड	3	0	0
	पश्चिम बंगाल	2	0	0
1998	झारखंड	1	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0
1999	मध्य प्रदेश	1	0	0
	ओडिशा	1	0	0
	छत्तीसगढ़	1	0	0
2000	झारखंड	2	0	0
	मध्य प्रदेश	4	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	1	1
2001	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2002	झारखंड	1	0	0
	ओडिशा	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2003	झारखंड	2	0	0
	ओडिशा	1	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0

1	2	3	4	5
2004	झारखंड	29	0	0
	ओडिशा	1	0	0
2005	झारखंड	8	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	0	1
2006	झारखंड	3	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0
2007	झारखंड	5	0	0
	मध्य प्रदेश	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	1	1	2
2008	आंध्र प्रदेश	1	0	1
2009	आंध्र प्रदेश	0	2	1
2010	ओडिशा	1	0	0
	आंध्र प्रदेश	0	1	0
2011 (31.07.2011 तक)	ओडिशा	2	0	0
	झारखंड	1	0	0
कुल	अखिल भारत	104	5	8

विवरण-III

खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गैर-कोयला खानों के संबंध में व्यावसायिक रोगों के सूचित किए गए मामलों संबंधी आंकड़े

वर्ष	राज्य	सिलिकोसिस						
		पत्थर खदान	तांबा खान	जिंक खान	स्वर्ण खान	लौह अयस्क खान	यूरेनियम खान	हीरे की खान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994	—	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995	झारखंड	0	1	0	0	0	0	0
1996	झारखंड	0	0	0	0	0	3	0
	राजस्थान	0	0	2	0	0	0	0
1997	—	0	0	0	0	0	0	0
1998	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1
	राजस्थान	0	0	1	0	0	0	0
1999	—	0	0	0	0	0	0	0
2000	राजस्थान	55	0	0	0	0	0	0
	झारखंड	0	2	0	0	0	1	0
2001	कर्नाटक	0	0	0	0	1	0	0
2002	झारखंड	0	0	0	0	0	4	0
	राजस्थान	0	0	1	0	0	0	0
2003	झारखंड	0	0	0	0	0	5	0
2004	झारखंड	0	0	0	0	0	9	0
2005	राजस्थान	0	0	30	0	0	0	0
	कर्नाटक	0	0	0	3	0	0	0
2006	—	0	0	0	0	0	0	0
2007	—	0	0	0	0	0	0	0
2008	कर्नाटक	0	0	0	3	0	0	0
2009	—	0	0	0	0	0	0	0
2010	—	0	0	0	0	0	0	0
2011 (31.7.2011 तक)	ओडिशा	0	0	0	0	1	0	0
कुल	अखिल भारत	55	3	34	6	2	22	1

विवरण-IV

कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के संबंध में डीजीफासली द्वारा किए गए कार्यकलाप

शीर्षक	स्थान	तारीख	प्रतिभागी	संगठनों की संख्या
1	2	3	4	5
असम सरकार के मुख्य कारखाना निरीक्षक के सहयोग से डीजीफासली द्वारा "चाय विनिर्माण उद्योगों में सुरक्षा और उत्पादकता" पर सेमिनार	गुवाहाटी	26/01/10	100	80
लिफ्टिंग टेकल्स के प्रयोग में सुरक्षा	के.श्र.सं., मुंबई	09/02/10	304	35
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य - सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में चुनौतियों पर संगोष्ठी	के.श्र.सं., फरीदाबाद	10/02/10	75	58
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों पर सेमिनार	के.श्र.सं., चेन्नई	07/05/10	62	31
"डिस्पर्सन मॉडलिंग एंड इम्पेक्ट असेसमेंट ऑफ टॉक्सिक एण्ड फ्लेमेबल रिलीजेज" पर दो दिवसीय सेमिनार	के.श्र.सं., चेन्नई	24-25/06/10	11	9
"आईटी और आईटीईएस उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	के.श्र.सं., चेन्नई	26/07/10	225	49
कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण में सर्वोत्तम पद्धतियों पर सेमिनार	के.श्र.सं., चेन्नई	22/11/10	225	116
"व्यवहार आधारित सुरक्षा" पर राष्ट्रीय सेमिनार	के.श्र.सं., मुंबई	26/11/10	99	8
"व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी जोखिमों की रोकथाम द्वारा स्थायी औद्योगिक विकास" पर सेमिनार कारखाना निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ, कोलकाता के सहयोग से डीजीफासली, मुंबई द्वारा आयोजित	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	03/12/10	59	59

1	2	3	4	5
सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को संचालित करने संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला	के.श्र.सं., फरीदाबाद	09/3/10	52	34
सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को संचालित करने संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला	के.श्र.सं., कानपुर	16/03/10	100	65
सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को संचालित करने संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला	के.श्र.सं., कोलकाता	19/03/10	60	40
सुरक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति को संचालित करने संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला	के.श्र.सं., चेन्नई	25/03/10	81	54
"व्यावसायिक खतरा प्रबंधन" पर राष्ट्रीय सेमिनार	के.श्र.सं., चेन्नई	18/02/11	196	101
"जोखिमकारी उद्योगों में चिकित्सा अधिकारी की भूमिका" पर सेमिनार	के.श्र.सं., मुंबई	09/2/11	322	115

विवरण-V

वर्ष 2007 (अ) के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और धारा 96-क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान चलाए गए	वर्ष के दौरान निर्णीत	दोषसिद्धि	कारवास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2359	786	585	540	0	3769530
असम	0	7	0	16	0	0
बिहार	43	6	0	0	0	0
चंडीगढ़	15	15	16	16	0	69000
छत्तीसगढ़	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न	उ.न:	उ.न:

1	2	3	4	5	6	7
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
गोवा	10	8	2	2	0	24000
गुजरात	27312	2369	5177	4042	0	12109000
हरियाणा	4785	2113	1721	1707	0	9524814
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	110	0	0	0	0	0
झारखंड	25	2	0	0	0	0
कर्नाटक	216	196	96	66	0	1810900
केरल	75	47	46	33	0	334000
मध्य प्रदेश	3609	212				794500
महाराष्ट्र	674	492	152	152	0	1104500
मणिपुर	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
मेघालय	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	1046	85	2	0	0	0
पुदुचेरी	0	3	3	3	0	110000
पंजाब	447	441	313	169	0	2253200
राजस्थान	914	76	57	56	0	477700
तमिलनाडु	10985	2743	2180	2213	0	11947875
त्रिपुरा	5	7	2	2	0	9000
उत्तर प्रदेश	2116	148	99	93	0	1267400

1	2	3	4	5	6	7
उत्तराखंड	100	3	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	441	125	42	37	0	606000
कुल	55287	9884	10493	9147	0	46211419

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और सिक्किम के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है/कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

अ: अनंतिम, उ.न: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीफासली द्वारा संग्रहीत आंकड़े।

वर्ष 2008 (अ) के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और धारा 96-क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान चलाए गए	वर्ष के दौरान निर्णित	दोषसिद्धि	कारवास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2560	1392	672	423	4	1839503
असम	0	8	0	20	0	0
बिहार	43	6	0	0	0	0
चंडीगढ़	12	1	7	7	0	33000
छत्तीसगढ़	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
दमन और दीव और दादरा तथा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
गोवा	16	11	4	4	0	55100
गुजरात	24504	2286	1933	2034	0	5994900

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	5203	3558	3164	1925	0	9023150
हिमाचल प्रदेश	95	89	58	58	0	504000
जम्मू और कश्मीर	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
झारखंड	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
कर्नाटक	281	274	153	64	0	2428500
केरल	59	149	39	17	0	477180
मध्य प्रदेश	3383	160	310	0	0	1516800
महाराष्ट्र	1014	654	594	594	0	5143100
मणिपुर	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
मेघालय	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	1127	62	57	30	0	1139
पुदुचेरी	0	34	32	32	0	145000
पंजाब	575	86	151	29	0	937500
राजस्थान	933	49	122	46	1	564037
तमिलनाडु	10985	2743	2180	2213	0	11947875
त्रिपुरा	10	33	2	2	0	10000
उत्तर प्रदेश	2165	96	125	112	0	1312700
उत्तराखंड	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:	उ.न:
पश्चिम बंगाल	458	95	21	21	0	359700
कुल	42395	9037	7444	5418	5	30345309

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और सिक्किम के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है/कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

अ: अनंतिम। उ.न: उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीफासली द्वारा संग्रहीत आंकड़े।

वर्ष 2009 (अ) के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और धारा 96-क के अंतर्गत अभियोजन और दोषसिद्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान चलाए गए	वर्ष के दौरान निर्णीत	दोषसिद्धि	कारावास (व्यक्ति)	लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	3280	1551	644	432	0	5804300
3.	असम	0	7	0	19	0	0
4.	बिहार	31	10	0	0	0	0
5.	चंडीगढ़	6	0	2	2	0	27000
6.	छत्तीसगढ़	673	273	229	199	82	4862900
7.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र)	334	96	93	93	0	1580000
9.	गोवा	23	14	8	4	0	80000
10.	गुजरात	24866	1344	942	690	0	3764400
11.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
13.	जम्मू और कश्मीर	110	0	1	0	0	0
14.	झारखंड	153	14	3	2	1	0
15.	कर्नाटक	438	290	142	94	0	1864750
16.	केरल	169	50	68	46	0	622440
17.	मध्य प्रदेश	3205	163	146	0	0	1156200

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	महाराष्ट्र	1074	538	350	350	39	132500
19.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
22.	ओडिशा	1132	78	21	21	0	398000
23.	पुदुचेरी	2	8	9	8	0	190000
24.	पंजाब	510	74	36	4	0	368000
25.	राजस्थान	914	131	89	33	0	398000
26.	तमिलनाडु	11459	5434	4069	2077	0	12527535
27.	त्रिपुरा	26	24	25	25	0	150000
28.	उत्तर प्रदेश	2136	109	164	146	0	260210000
29.	उत्तराखंड	139	16	0	0	0	80000
30.	पश्चिम बंगाल	437	104	34	34	0	1111700
	कुल	51117	10328	7075	4279	122	295327725

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और सिक्किम में कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है।

अ. : अनंतिम। उ.न. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीफासली द्वारा संग्रहीत आंकड़े।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 को चार लेन का करना

5061. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़ से पिंडवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-14 को चार लेन का करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने के कारण निर्माण लागत बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों को उनकी भूमि के लिए मुआवजा देने में विलम्ब के कारण डी.एल.सी. दरों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसानों को 2008 की डीएलसी दरों पर भुगतान किया जाएगा या 2011 में प्रचलित दरों पर और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) बाड़ से पिंडवाड़ा तक सड़क को चार लेन का बनाने का कार्य, राष्ट्रीय विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत रारा-14 के ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना का हिस्सा है। यह कार्य, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू किया जाना है। कार्य सौंपा जा चुका है। दिनांक 22.06.2011 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्य, वित्त व्यवस्था किए जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा जिसके लिए 180 दिन की अवधि रियायत करार में विनिर्धारित की गई है। निर्माण अवधि, कार्य शुरू किए जाने की तारीख से 910 दिन की है।

(ख) जी, नहीं।।

(ग) से (ङ) रारा-14 के ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा खंड को चार लेन का बनाए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य, पदनामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है। किसानों को उनकी भूमि के लिए मुआवजा अवार्ड करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ए) के अंतर्गत अधिसूचना जारी किए जाते समय प्रचलित दरों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के खंड 3(जी) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानी वाली मुआवजा राशि के आधार पर किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद] 105-08

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

5062. **डॉ. अरविंद कुमार शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चयन के मापदण्डों और गठित चयन समिति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में चार विशेषज्ञ और दो न्यायिक सदस्य नियुक्त किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत तैयार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य नियम एवं शर्तें तथा जांच प्रक्रिया) नियम, 2010 के नियम 3 के अंतर्गत दिनांक 26.11.2010 को निम्नानुसार एक चयन समिति का गठन किया गया:

(1)	भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से नामांकित उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2)	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष	सदस्य
(3)	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
(4)	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर	सदस्य
(5)	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य

न्यायाधिकरण में सदस्यों की चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के दौरान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 5 के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता पूरी करने वाले अभ्यार्थियों के लिए आवेदनों की पुन: समीक्षा करने के लिए निम्न मापदंड अपनाए गए:—

न्यायिक सदस्यों के लिए

(क) न्यायाधिकरण के 'न्यायिक सदस्य' के पद पर नियुक्ति

हेतु उच्च न्यायालय के किसी भी सेवारत/पूर्व न्यायाधीश पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि वह विज्ञापन तिथि के हिसाब से एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल शेष हो। यह न्यायाधिकरण और न्यायिक प्रशासन के हित में है कि नियुक्त व्यक्ति के पास न्यायाधिकरण का सदस्य बनने के लिए समुचित अवधि हो और वह अपने कार्यों का प्रभावी रूप से निवर्हन कर सके।

(ख) संबंधित न्यायाधीश द्वारा पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित न्यायिक कार्य गए होने चाहिए।

(ग) न्यायाधिकरण के लिए 'न्यायिक सदस्य' के रूप में नियुक्ति हेतु छांटे गए न्यायाधीशों के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां भी प्राप्त की जा सकती हैं।

(घ) ऐसे आवेदक जो किसी न्यायाधिकरण में सदस्य के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा जिन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त कोई कार्य प्राप्त हुआ है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञ सदस्यों के लिए

(क) न्यायाधिकरण के 'विशेषज्ञ सदस्य' के पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि वह विज्ञापन तिथि के हिसाब से एक वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल शेष हो। यह न्यायाधिकरण और न्यायिक प्रशासन के हित में है कि नियुक्त व्यक्ति के पास न्यायाधिकरण का सदस्य बनने के लिए समुचित अवधि हो और वह अपने कार्यों का प्रभावी रूप से निवर्हन कर सके।

(ख) 'विशेषज्ञ सदस्य' के पास नियम 5 के साथ पठित धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित योग्याताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रबंधन में विशेषज्ञता संबंधी अपेक्षित अनुभव होना चाहिए।

(ग) मंत्रालय द्वारा यह जांच भी की जाएगी कि आवेदन और मंत्रालय/न्यायाधिकरण के प्रशासनिक हितों के बीच कोई गंभीर टकराव तो नहीं हो रहा।

(घ) ऐसे आवेदकों पर, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति को ही चुना है और जो भारत सरकार के अपर सचिव रैंक से नीचे है; विचार नहीं किया जाएगा।

1.8

पत्तन को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

5063. श्री के.पी. धनपालन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में विहिंजम पत्तन के कार्य की शुरूआत करने हेतु प्रारंभिक पर्यावरणिक स्वीकृति जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत प्रारंभिक पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। विहिंजम, केरल स्थित विहिंजम इन्टरनेशनल कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास करने के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत मैसर्स विहिंजम पोर्ट लिमिटेड का 10.6.2011 को विचारार्थ विषय (टीओआर) जारी किए गए।

[हिन्दी] 108-09 शा. तलवार

मध्य प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में सड़क/पुल

5064. श्री के.डी. देशमुख : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में मंजूरी तथा स्वीकृति हेतु लंबित सड़कों/पुलों से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में उक्त सड़कों/पुलों/पुलियाओं के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में गत तीन वर्ष के दौरान संस्वीकृत कार्यों और आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	संस्वीकृत सड़कों की लंबाई	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	आबंटन (करोड़ रुपए)
2008-09	0.00	0.00	0.00
2009-10	125.90	100.16	5.00
2010-11	111.05	96.00	20.00
जोड़	236.95	196.16	25.00

मध्य प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

109-10

विश्व नौसेना शिखर सम्मेलन

5065. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिबौटी में आयोजित विश्व नौसेना शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सोमालियाई जलदस्युओं के विरुद्ध अभियान में स्थायी सदस्य बनने हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत सोमालिया के तट के आस-पास जलदस्यु संबंधी सम्पर्क समूह का पहले से ही सदस्य है जो सोमालिया के तट के आस-पास जलदस्युओं से लड़ने का राज्यों, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्र है और जो अपने कार्यकलापों की प्रगति के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को नियमित रूप से सूचना देता है। भारतीय नौसेना भी साझा जागरूकता तथा संघर्ष निवारक तंत्र के जरिए अदन की खाड़ी और अरब सागर में जलदस्युओं का प्रतिकार करने में अन्य नौसेनाओं के साथ सहयोग कर रही है।

[अनुवाद]

110-11

जम्मू और कश्मीर हेतु नौकरियों का पैकेज

5066. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में नौकरियों का पैकेज बनाने हेतु एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या समिति ने इस राज्य के विद्यार्थियों को देशभर के स्कूलों तथा स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर के युवाओं को बेहतर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु और क्या सिफारिशें की गई हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु एक रोजगार योजना तैयार करने के लिए अगस्त, 2010 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।

(ख) विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) रिपोर्ट में विशाल रोजगार सृजन सम्भाव्यता वाले चिन्हित क्षेत्रों को प्रोत्सहित करके तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य राज्यों में शिक्षा तक पहुंच में सुधार तथा संकेन्द्रित नियोजन उन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल समुच्चयों में सुधार पर संकेन्द्रित मानवव संसाधन पहल द्वारा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने की सिफारिशें की गई हैं। विशेषज्ञ समूह ने राज्य में रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के

लिए कृषि एवं पशु पालन, उद्यान कृषि, पर्यटन, हस्त शिल्प, मध्य पैमाने और अति लघु उद्यमों तथा आईटी क्षेत्र के विकास हेतु भी कार्यनीतियों का सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) शिक्षा के अवसरों तक युवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समूह ने चार पहलों की सिफारिश की है- पहली, जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना, दूसरी, संकाय विकाय कार्यक्रम, तीसरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा एक विशेष पहल और चौथी जम्मू एवं श्रीनगर में इग्नू द्वारा क्षेत्रीय नियोजन सैलों की स्थापना करना। समूह ने यह सिफारिश भी की है कि युवाओं को कार्य दिलाने के उद्देश्य से एक पहल 5 वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष 8000 विद्यार्थियों हेतु रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए एक शैक्षिक संस्थान के साथ भागीदारी करने तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए समूचे उद्योग क्षेत्रों में 10-20 कंपनियों को चिन्हित करना हो सकती है। इससे जम्मू एवं कश्मीर में 40,000 युवाओं को समूचे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेजगारपरक बनने में सहायता मिल सकेगी। समूह ने आगे यह सुझाव दिया है कि निजी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को जम्मू एवं कश्मीर के बच्चों को लेने के लिए मनाया जा सकता है। समूह ने यह सुझाव भी दिए हैं- (क) प्रतिबद्धता निर्मित करने हेतु स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को साथ लाया जाए और (ख) दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं नाम वाले 150 अन्य स्कूलों को इस बात के लिए मनाया जाए कि वे ऐसी प्रतिबद्धता पूरी करने हेतु यथा अपेक्षित सीटों को अलग से रख दें। विशेषज्ञ समूह ने यह सिफारिश भी की है कि अगले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5,000 छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं। कुल में से 4500 छात्रवृत्तियां (90%) सामान्य स्नातक पाठयक्रमों के लिए, 250 (5%) इंजीनियरिंग के लिए और 250 (5%) चिकित्सा अध्ययन के लिए हो सकती है। इससे 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ परामर्श से जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं हेतु एक विशेष नियोजन संबंधित, बाजार प्रेरित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किया है। यह योजना 3 से 5 वर्षों में 50,000 से 1 लाख युवाओं को नियोजन संबंधित, बाजार प्रेरित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

111.13

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष निकाय

5067. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास तथा आरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किसी शीर्ष निकाय का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शीर्ष निकाय के सदस्यों तथा उसे सौंपे गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच तथा निगरानी के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य हैं। आयोग का पुनर्गठन अक्तूबर-नवम्बर, 2010 में 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है तथा निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाये गए पदों पर की गई है:-

नाम	पदनाम
डॉ. पी.एल. पुनिया	अध्यक्ष
श्री राजकुमार वेरका	उपाध्यक्ष
श्री राजू परमार	सदस्य
श्री एम. शिवन्ना	सदस्य
श्रीमती लता प्रियाकुमार	सदस्य

आयोग को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 338(5) में यथावर्णित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं:-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान का तत्संबंधी

प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करना तथा उनकी मानीटरिंग करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना;

(च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

[अनुवाद] 113-14

राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूट

5068. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूट की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितनी घटनाएं सूचित की गईं;

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों से यात्रा करने वाले लोगों तथा ले जाए जाने वाले माल-असबाब की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। तथापि, इस संबंध में ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) कानून-व्यवस्था, एक राज्यीय विषय है और इस मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

114

अस्पतालों में बांड-प्रणाली

5069. श्री जोस के. मणि : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी अस्पतालों की बांड-प्रणाली विधिसम्मत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इस संबंध में प्राप्त शिकायतों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो वहां काम न करने की इच्छुक नर्सों के प्रमाण-पत्रों को रोके बैठे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (घ) निजी अस्पताल राज्य परिधि के दायरे में आते हैं। संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से सूचना मंगाई जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

[हिन्दी] 114-15

सी.डी.ए. कार्यालय का स्थान परिवर्तन

5070. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री रामकिशुन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा लेखा नियंत्रक (सी.डी.ए.) कार्यालय को पटना से हटाकर कोलकाता ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

115

ऑटिज्म रोग को निःशक्तता मानना

5071. श्री पन्नालाल पुनिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऑटिज्म रोग को निःशक्तता की कोटि में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

115-17

फैशन डिजाइन में डिप्लोमा

5072. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2005 के पूर्व उक्त डिप्लोमा-परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को रोजगार सुनिश्चित करने/नौकरी दिलाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या वर्ष 2005 के पूर्व डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं प्रिंसिपल तथा अनुदेशक के पदों हेतु आवेदन करने के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) सरकार ने वर्ष 2003 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत सहकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) के माध्यम से कार्यान्वियन हेतु एक वर्ष की अवधि का "फैशन प्रौद्योगिकी" व्यवसाय आरंभ किया है। पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेने तथा निर्धारित अखिल भारत व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त व्यवसाय की अवधि अभी भी एक वर्ष है।

(ख) प्रशिक्षण सह परामर्श के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सामान्य नियोजन प्रणाली तथा नियोजन प्रकोष्ठ भी उन्हें उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र रोजगार हेतु एक मान्यताप्राप्त अर्हता है। प्रधानाचार्य तथा अनुदेशक के पद हेतु भर्ती नियम संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं। तथापि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य तथा अनुदेशकों की भर्ती हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. आईटीआईज/आईटीसीज में **प्रधानाचार्य** की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव निम्नलिखित हैं:-

   किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में उपाधि अथवा समतुल्य के साथ पांच वर्ष का अनुभव। अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में डिप्लोमा अथवा समतुल्य के साथ किसी कार्यशाला अथवा कारखाने अथवा उत्पादन में लगी किसी प्रतिष्ठित संस्था अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में शिक्षण का आठ वर्ष का अनुभव।

2. आईटीआईज/आईटीसीज में **व्यावसायिक अनुदेशक** की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित हैं:-

   (क) **शैक्षिक** - 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष

   (ख) **तकनीकी** - संबंधित व्यवसाय की उपयुक्त शाखा में

इंजीनियरी में उपाधि/तीन वर्षीय डिप्लोमा, उपाधिधारकों हेतु एक वर्ष तथा डिप्लोमा धारकों हेतु 2 वर्ष का अनुभव

अथवा

- तीन वर्ष के अनुभव के साथ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र अथवा संगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र।

प्लास्टिक के कचरे का सड़क निर्माण में पुनः उपयोग

5073. श्री नरेंद्र सिंह तोमर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्लास्टिक के कचरे का सड़क निर्माण हेतु पुनः उपयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानिदेशक, पोत परिवहन के सर्वेक्षक

5074. श्री देवेन्द्र नागपाल : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षकों को जिन नियमों के अधीन नियुक्त किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या तदर्थ सर्वेक्षकों के लिए महानिदेशक, पोत परिवहन द्वारा 'लास्ट इन फर्स्ट आउट' नीति का पालन किया जा रहा है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत सर्वेक्षकों के दो वर्गों अर्थात् नॉटिकल और इंजीनियरिंग की भर्ती, संबंधित भर्ती नियमों द्वारा की जाती है।

(ख) तदर्थ सर्वेक्षकों के लिए नौवहन महानिदेशालय द्वारा ऐसी किसी नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। तदर्थ सर्वेक्षकों की पुनः नियुक्ति, उनके निष्पादन के आधार पर होती है।

आर.एस.बी.वाई. के तहत कवरेज

5075. श्री पी. करुणाकरन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अधीन अनुमत्य कवरेज की अधिकतम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के अधीन कैंसर हृदय, वक्ष शिल्प क्रिया, मस्तिष्क शल्क क्रिया आदि सहित जीवन रक्षक शल्य क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के कवरेज को भी शामिल कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार को आर.एस.बी.वाई. में अतिरिक्त सुविधा के रूप में गैर-बीपीएल परिवारों के लिए उनकी चिकित्सा कवरेज की भी योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो 2010-11 और 2011-12 में इस योजना के अधीन कितने परिवारों के पंजीकरण की अनुमति दी गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत कवरेज की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आर.एस.बी.वाई. में प्रसूति सहित प्रायः सभी बीमारियों के मामले में अस्पताल में भर्ती पर व्यय शामिल है। प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन जीवन रक्षक शल्य क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार गैर-बीपीएल परिवारों के लिए आर.एस.बी.वाई. के अलावा अन्य सुविधा के रूप में अतिरिक्त बीमा कवर हेतु अपनी स्वयं की योजना कार्यान्वित कर रही है। अतिरिक्त कवरेज के लिए पूरा प्रीमियम केरल राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान 8.03 लाख गैर-बीपीएल परिवारों और 2011-12 के दौरान 16.59 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

119

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों की अभिपुष्टि

5076. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रम संगठन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो महत्वपूर्ण अभिसमयों (सं. 87 और 98) की अभिपुष्टि की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित कर रहे हैं;

(ख) क्या इन अभिसमयों की अभिपुष्टि 160 से अधिक देशों ने की है; और

(ग) यदि हां, तो आईएलओ का संस्थापक सदस्य होने के बावजूद सरकार द्वारा इन दो अभिसमयों की अभिपुष्टि नहीं करने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, हां।

(ख) अभिसमय संख्या 87 का अनुसमर्थन 150 देशों द्वारा किया गया है और अभिसमय संख्या 98 का अनुसमर्थन 160 देशों ने किया है।

(ग) हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को "हमारे संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत अत्यधिक उच्च स्तर की रोजगार सुरक्षा प्राप्त है।" उन्हें वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र जैसे संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आदि भी प्रदान किए गए हैं। अभिसमय संख्या 87 एवं 98 के अनुसमर्थन से उन्हें कार्य संबंधी हड़ताल, सरकार की नीतियों की खुली आलोचना, खुलकर वित्तीय अंशदान स्वीकार करने, खुलकर विदेशी संगठनों के साथ जुड़ने इत्यादि जैसे कतिपय अधिकार मिलते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सांविधिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं।

16ड्रीप 2/5/भाग

119-22

एन.एच.डी.पी. के अधीन कवर किए गए लक्ष्य

5077. **श्री शिवकुमार उदासी** :
श्री उदय सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजमार्गों के निर्माण के लिए निजी प्रचालकों को दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.डी.पी.) के अधीन अब तक किन लक्ष्यों को कवर किया गया है और इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कर्नाटक राज्य में एन.एच.डी.पी. IV'बी' के अधीन सुधार के लिए विचार की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी.ओ.टी. प्रणाली में सरकारी-निजी भागीदारी, सरकार द्वारा किए गए कार्यों से बेहतर परिणाम दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी-निजी भागीदारी में संभावित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों की उपलब्धियां क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ठेके, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के माध्यम रसे इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी), निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी, पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निजी प्रचालकों को सौंपे जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी प्रचालकों को अभी तक, 49 परियोजनाएं बीओटी (वार्षिकी), 136 परियोजनाएं बीओटी (पथकर) तथा 271 परियोजनाएं ईपीसी आधार पर सौंपी गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए आज की तिथि तक कवर किए गए लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVख के अंतर्गत सुधार के लिए अभिनिर्धारित खंड का ब्यौरा संलगन विवरण-II में दिया गया हैं।

(घ) बीओटी विधि से निजी क्षेत्र की क्षमताओं और निपुणता के दोहन की संभावना है। अभी तक पूरी की गई 41 बीओटी (पथकर) परियोजनाओं में से केवल 8 परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक की अवधि का विलंब हुआ है। अभी तक पूरी की गई 17 बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं में से केवल 1 परियोजना में एक वर्ष से अधिक की अवधि का विलंब हुआ है।

(ङ) निर्माण की पृथक-पृथक विधियों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूरी हो चुकी सड़क लंबाई (किमी)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	534	391
2003-04	2195	763
2004-05	2896	2348
2005-06	1099	724
2006-07	817	636
2007-08	2885	1682
2008-09	3519	2205
2009-10	3165	2693
2010-11	2500	1780
2011-12	2500	506 (जुलाई, 2011 तक)

विवरण-II

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV ख के अंतर्गत सुधार के लिए अभिनिर्धारित खंड

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई किमी.
1	2	3	4
1.	होसपेट-चित्रदुर्ग	13	119
2.	हासन-बीसी रोड	48	130
3.	होसपेट से बेलारी	63	73
4.	बेलारी-गूटी	63	77
5.	होसपेट-हुबली-अंकोला	63	271
6.	गुंडूलूपेट-कोयम्बतूर (केरल सीमा)	67	26
7.	होसकोटे से डोबासपेट	207	89
8.	तमिलनाडु सीमा-बंगलौर (265/8-469.32)	209	204
9.	गुलबर्गा-बीजापुर-हुमनाबाद	218	200

[हिन्दी]

122

वन क्षेत्र में वृद्धि

5078. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि को लक्ष्य कर कोई मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000 से जुलाई, 2011 की अवधि के दौरान वन क्षेत्र में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस अवधि के दौरान वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गयी; और

(च) गत तीन दशकों की तुलना में इस अवधि के दौरान इसमें किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

122-26

[अनुवाद]

ओडिशा में पीपीपी के अंतर्गत विकास परियोजनायें

5079. श्री जयराम पांगी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में सरकारी-निजी भागीदारी प्रणाली के अधीन विकासात्मक परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में जिन मिसिंग लिंक्स का निर्माण करने का प्रस्ताव है उनके नाम और प्रत्येक जिला मुख्यालय को राज्य से गुजरने वाले रारा से जोड़ने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) ओडिशा में कम विकसित खंडों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) यह मंत्रालय, मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ओडिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तलचर के निकट रारा-200 पर 6.72 किमी का एक मिसिंग लिंक है जिसका निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चंडीखोल-दुबरी-तलचर परियोजना को चार लेन का बनाए जाने के कार्य के भाग के रूप में शामिल किया गया है। ओडिशा के 30 जिलों में से 7 जिला मुख्यालय अर्थात् जगतसिंहपुर, कंधमाल, जाजपुर, रायगडा, गजपति, मल्कानगिरि और सुंदरगढ़-राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए इस मंत्रालय में कोई योजना नहीं है। ओडिशा राज्य सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण, एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार कार्य को निधियों की उपलब्धता, यातायात घनत्व तथा पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है।

विवरण

ओडिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि के अंतर्गत विकास परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	रिमुली-राजमुंडा खंड को चार लेन का बनाया जाना (रारा-215 का किमी 163.00 से किमी 269.00)	परियोजना पहले ही सौंप दी गई है और रियायत करार पर हस्ताक्षर दिनांक 6.7.2010 को किए गए हैं।
2.	सम्बलपुर-बारागढ़-ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड (रारा-6 का किमी 0.00 से किमी 88.00) को चार लेन का बनाया जाना	परियोजना पहले ही सौंप दी गई है और रियायत करार पर हस्ताक्षर दिनांक 29.6.2010 को किए गए हैं।
3.	भुवनेश्वर-पुरी खंड (रारा-203 का किमी 0.00 से किमी 59.00) को चार लेन का बनाया जाना	परियोजना पहले ही सौंप दी गई है और रियायत करार पर हस्ताक्षर दिनांक 30.7.2010 को किए गए हैं।
4.	चंडीखोले-जगतपुर-भुवनेश्वर खंड (रारा-5 का किमी 413.00 से किमी 418.00 और किमी 0.00 से किमी 62.000) को छः लेन का बनाया जाना	परियोजना पहले ही सौंप दी गई है और रियायत करार पर हस्ताक्षर दिनांक 6.8.2010 को किए गए हैं।
5.	पानीकोईली-रिमुली खंड (रारा-215 का किमी 0.000 से किमी 163.00) को चार लेन का बनाया जाना	यह परियोजना दिनांक 11.8.2011 को सौंपी गई है। रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
6.	अंगुल-संबलपुर खंड (रारा-42 का किमी 112 से किमी 265.00) को चार लेन का बनाया जाना	निविदाएं दिनांक 30.8.2011 को प्राप्त हुई हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल की 'अवसंरचना समिति का

1	2	3
		अनुमोदन मिलने के पश्चात् इस परियोजना को सौंपा जाना है।
7.	बीरमित्रपुर-बरकोटे खंड (रारा-23 का किमी 211 से किमी 337) खंड को 4/2 लेन का बनाया जाना	मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति का अनुमोदन मिलने के पश्चात् इस परियोजना को सौंपा जाएगा।
8.	चंडीखोल-पारादीप खंड (रारा-5ए का किमी 0.00 से किमी 77.00) को छः लेन का बनाया जाना	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
9.	कटक-अंगुल खंड (रारा-5 का किमी 413.00 से किमी 418.00 और किमी 0.00 से किमी 62.000) खंड को चार लेन का बनाया जाना	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का अनुमोदन मिलने की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति और मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति का अनुमोदन मिलने के पश्चात् यह परियोजना सौंपी जाएगी।
10.	चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड (रारा-200 का किमी 301.89 से किमी 428.03 खंड) को चार लेन का बनाया जाना	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
11.	बालेश्वर-बरीपडा-झरपोखरिया खंड (रारा-5 का किमी 0.00 से किमी 86.600)	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-IV के अंतर्गत चार लेन बनाए जाने के लिए साध्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
12.	बहरागोरा-सम्बलपुर खंड (रारा-6 का किमी 200 से किमी 568)	
13.	रारा-200 का कणकटोरा-झरसूगुडा जंक्शन (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन)	साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। एसएफसी/पीपीपीएसी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी] 125-26

सड़क निर्माण की मंजूरी

5080. **श्री तूफानी सरोज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामनगर से देहरादून बरास्ता कॉर्बेट पार्क-कालागढ़-कोटद्वार के लिए कांडी रोड के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त रोड के पुनर्व्यवस्थापन पर निर्देश दिए हैं, अतः भारत सरकार स्तर पर कोई कार्रवाई आरंभ किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन और उन्हें चौड़ा करना

5081. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं-43 के उन्नयन तथा चौड़ाकरण हेतु दिए गए ठेकों की लागत कितनी है;

(ख) इस संबंध में दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) वर्ष 2009 के बाद से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए 121.93 करोड़ रुपए की कुल संस्वीकृत लागत से बारह ठेके सौंपे गए हैं। ये कार्य, कार्यान्वयन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं और इन्हें मई, 2012 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

[अनुवाद]

नदियों का पर्यावरणीय प्रवाह

5082. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित नीति है कि सभी नदियों उनके ऊपर बांध और विद्युत परियोजनाएं बनाए जाने के बाद भी अपना पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियों से कम से कम सभी नदियों के 'पर्यावरणीय प्रवाह' के आश्वासन पर बल दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वीकृति दिए जाने से पहले महत्वपूर्ण घटक के रूप में पर्यावरणीय प्रवाह की शर्त को हटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

ईसीएचएस सुविधाओं से मना करना

5083. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल में कुछ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अस्पताल भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं देने से मना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं देने से मना करने संबंधी केरल स्थित भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पोलीक्लीनिकों से कोई सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस संबंध में ईसीएचएस के सूचीबद्ध अस्पताल अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कोच्चि के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि का हस्तांतरण

5084. श्री अशोक कुमार रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित छावनी क्षेत्र में करोड़ों रुपए मूल्य की रक्षा भूमि पट्टा विलेख के माध्यम से और भू-उपयोग नीति को परिवर्तित का भूमि माफियाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पता लगाए गए मामलों की राज्य-वार और छावनी-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) विभिन्न राज्यों में स्थित छावनी क्षेत्रों में रक्षा भूमि को पट्टा विलेखों के जरिए हस्तांतरित करने तथा भू-माफिया के लिए भूमि उपयोग नीति को परिवर्तित करने संबंधी ऐसी कोई रिपोर्ट रक्षा संपदा महानिदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

129-30

निजी क्षेत्र में आरक्षण

5085. **श्री सुखदेव सिंह :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में रोजगार दिए जाने के लिए योजना के अधीन निजी क्षेत्र द्वारा देश में नि:शक्ति व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना 1.4.2008 से आरंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 1.4.2008 या इसके पश्चात् निजी क्षेत्र में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के लिए जिनका मासिक वेतन 25 हजार रुपए तक है, के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान तथा 3 वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा प्रदान करती है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, 317 (30.6.2011 तक) और 652 (31.5.2011 तक) विकलांग व्यक्तियों को क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर कर लिया गया है।

(ग) इस योजना का व्यापक प्रचार किया गया है। शीर्ष उद्योग मंडलों से अपने उद्योग सदस्यों को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने और योजना की प्रगति की निकटता से मानीटरिंग करने का अनुरोध किया गया था। 20 शीर्ष औद्योगिक संगठनों से भी इस योजना का व्याकतम संभावित प्रचार करने का अनुरोध किया गया था। इस योजना की मानी टरिंग एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा की जाती है। शीर्ष उद्योग मंडलों को समिति की बैठकों में संबद्ध किया जा रहा है। इस योजना का प्रचार ईपीएफओ, ईएसआईसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है।

130-31

सेना के प्लॉट की बिक्री

5086. **श्री गोविंद प्रसाद मिश्र :**
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपो द्वारा हाल में कांडिवली-मलाड, मुंबई में महत्वपूर्ण स्थान पर अवस्थित सेना के एक भूखंड को एक निजी बिल्डर को बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना की आपत्तियों के बावजूद यह भूमि बेच दी गयी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या दक्षिण कमान ने इस मामले में एक जांच की मांग की है और तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा संपदा महानिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार अकरुली ग्राम में 13.28 एकड़ राज्य सरकार की भूमि काफी लंबे समय से सेना द्वारा किराए पर ली गई थी। 2007 में मुंबई उप शहर जिले के कलैक्टर ने केन्द्रीय आयुध डिपो (सीओडी) के निकट 5166.50 वर्ग मीटर भूमि, उसका बाजार मूल्य प्राप्त होने के बाद मैसर्स नियोफार्मा लिमिटेड को आवंटित की थी। इस पर सीओडी उतथा रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) द्वारा इस आधार पर आपत्ति उठाई गई थी कि यह किराए पर रक्षा भूमि

का ही भाग है। कलैक्टर को यह भी सूचित किया गया था कि सीओडी रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना रक्षा भूमि का कब्जा लेने के लिए किसी भी एजेंसी को अनुमति नहीं देगा। तथापि, उनकी आपत्तियों की कलैक्टर द्वारा अनदेखी की गई। सीओडी अपनी आपत्तियों पर कायम रहे तथा उन्होंने उक्त भूमि का कब्जा देने का विरोध किया। तदन्तर मुख्यालय, दक्षिणी कमान के निर्देश पर नियोफार्मा को प्लॉट का नियोजित विकास करने की स्वीकृति दी गई।

(घ) सरकार ने सेना मुख्यालय को न्यायालय की जांच के जरिए अथवा अन्यथा यह पता लगाने के लिए कहा है कि मुख्यालय दक्षिणी कमान ने कैसे उक्त भूमि पर अपने दावे को छोड़ा तथा इस मामले में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

लाडली योजना

5087. **श्री विष्णुपद राय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार में शुरू की गई बालक-बालिका अनुपात को बराबरी के स्तर पर लाने वाली लाडली योजना को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी कार्यान्वित किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह संभावित समय-सीमा क्या है जब तक इस योजना को कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिये वित्तीय सहायता योजना को अन्य राज्यों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी लागू किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वह संभावित समय-सीमा क्या है जब तक इस योजना को कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिल्ली सरकार की लाडली योजना को आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को टोल प्लाजा

5088. **श्री जगदीश ठाकोर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोल प्लाजा का प्रबंधन भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों को दिये गये टोल प्लाजा ठेके पर बेचे जा रहे हैं तथा इनका प्रबंधन निजी फर्में कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है/किये जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 2006 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, शुल्क प्लाजा को प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) ठेकेदारों को सौंपे जाने तक इन शुल्क प्लाजाओं का प्रबंधन, पूर्व सैनिकों के पुनरूद्धार के उद्देश्य से, पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर) द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, कुछ पथकर प्लाजाओं का प्रबंधन पूर्व सैनिकों द्वारा किया जा रहा था।

(ग) और (घ) पूर्व सैनिकों द्वारा प्रबंधित शुल्क प्लाजाओं के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण जुलाई, 2009 में सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के लिए खुली प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी ठेकेदारों को नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, उद्धृत राशि का भुगतान उच्चतम निविदादाता द्वारा किया जाएगा चाहे वास्तविक संग्रहण कितना भी हो।

[अनुवाद]

रक्षा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

5089. श्री पूर्णमासी राम :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता, पुणे और मुंबई में अनेक एकड़ रक्षा भूमि पर निजी एजेंसियों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और उनके ऊपर भारी किराया राशि बकाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अम्बाला में कुछ निजी पार्टियों और जोरहाट क्षेत्र में भी एक प्राइवेट टी इस्टेट ने संबंधित पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी अनेक एकड़ रक्षा भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिससे उनके ऊपर अत्यधिक किराया बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बकाया देय की वसूली करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं तथा पट्टों का समय पर नवीनीकरण किये जाने हेतु निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव, यदि कोई हो, क्या है

(घ) रक्षा भूमि से अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) रक्षा भूमि का प्रबंध देखने वाले अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियों को विहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिन्दु सागर झील के संरक्षण हेतु निधियां

5090. श्री रुद्रमाधव राय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बिन्दु सागर झील के संरक्षण के लिये निधियों को संस्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा इसके लिये अब तक कितनी निधियां जारी की गईं;

(ग) क्या जारी की गई निधियां वास्तव में व्यय की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो शेष निधियां कब तक जारी कर दी जाएंगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) यह मंत्रालय, देश के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 70:30 के निधीयन पैटर्न के आधार पर प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

इस स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने मार्च, 2006 में भुवनेश्वर (ओडिशा) में 3.36 करोड़ रु. की लागत पर 'बिन्दु सागर झील का संरक्षण और प्रबंधन' नामक एक परियोजना को स्वीकृत किया। भारत सरकार के 2.35 करोड़ रु. के भाग में से, परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी, भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) को 2.21 करोड़ रु. की राशि जारी की गई, जोकि भारत सरकार के योगदान के 90% से अधिक है। बीएमसी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार अब तक जारी धनराशि पूरी तरह से उपयोग कर ली गई है। शेष धनराशि का जारी करना, परियोजना के पूरा होने पर निर्भर होगा।

तटीय विनियामक जोन क्षेत्र

5091. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तटीय विनियामक जोन (सीआरजेड) क्षेत्र के विनियमन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तटीय

विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 की समीक्षा करने और उन विशिष्ट क्षेत्रों जिनकी तट तथा वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु निराकरण किए जाने की आवश्यकता है, को सुझाने के लिए प्रोफेसर एम.एस. स्वामी नाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ग) और (घ) प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 'फाईनल फ्रंटयिअर' नामक एक रिपोर्ट विभिन्न सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तटीय पारिव्यवस्था की सुरक्षा और संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा, तटों के साथ पत्तनों की प्रचुरता का प्रबंधन करने के लिए विनियमन की शुरूआत, तटीय जल में बहिस्राव के निपटान के लिए अधिक कड़े मानकों की शुरूआत शामिल है।

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर समिति ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 के अधिक्रमण में जनवरी, 2011 में मुख्य भूमि के लिए तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 और जनवरी, 2011 में ही लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए द्वीपसमूह सुरक्षा जोन (आईपीजेड) अधिसूचना, 2011 जारी की थी।

[हिन्दी] 135-36

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आतिथ्य पाठ्यक्रम

5092. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आतिथ्य पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति देने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने का अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किये जाने एवं निधियाँ जारी किये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उससे राज्य के सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) में आतिथ्य पाठ्यक्रम चलाने हेतु संस्वीकृति देने और तदनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में सिविल कार्यों और उपकरणों का आवश्यक ब्यौरा/सूचना देने का अनुरोध किया है ताकि केन्द्रीय सहायता हेतु योजना दिशानिर्देशों के संबंध में प्रस्तावों की पड़ताल की जा सके।

[अनुवाद] 136-37

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर खेर्की धौला चौक पर अन्डरपास

5093. श्री खगेन दास :
श्री धमेन्द्र यादव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर खेर्की धौका चौक पर सड़क पार करते समय अनेक पैदल यात्रियों को अपना जीवन गंवाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेर्की धौला चौक पर वाहनों के लिये अन्डरपास का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो खेर्की धौला चौक पर उक्त अन्डरपास का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं। पैदल यात्रियों के सुकर आवागमन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर खेड़की दौला के निकट किमी 40.475 में एक पैदल यात्री अंडरपास पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के

दिल्ली-गुड़गांव खंड पर अनाज मंडी में एक ओवरपास तथा हीरो होन्डा चौक, नरसिहंपुर, खेड़की दौला चौक पर 3 अंडरपासों के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार को अपने विचार भेज दिए हैं तथा 314.02 करोड़ रुपए की धनराशि की उक्त सुविधाओं के लिए अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत भाग की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। हरियाणा सरकार की सहमति अभी प्राप्त होनी है।

पिछड़े क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र

5094. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सभी पिछड़े जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में देश भर में सभी पिछड़े हुए जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा एसईजेडों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त या स्वतंत्र रूप से वस्तुओं के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने अथवा दोनों के लिए या मुक्त व्यापार भण्डारण जोन के रूप में एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत ऐसे प्रस्तावों पर एसईजेडों हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे एसईजेड्स मुख्य रूप से निजी निवेश द्वारा संचालित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन आच्छादित भूमि

5095. **श्री हरि मांझी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वन आच्छादित क्षेत्रफल कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश में उपलब्ध कुल वन भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन आच्छादित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिये कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार क्या सफलता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वन कम नहीं हुए हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 के अनुसार देश के वन क्षेत्र में 728 वर्ग कि.मी. की वास्तविक बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2009 के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में वनावरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में अवक्रमित वनों और निकटवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के एक विकेन्द्रित कार्यतंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2002 में स्कीम की शुरूआत से 17.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने के लिए 31.03.2011 तक, देश के 28 राज्यों में 800 एफडीए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान वनीकरण के लिए अनुमोदित क्षेत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत में राज्यों/संघशासित प्रदेशों में वन क्षेत्र

(क्षेत्र वर्ग कि.मी.)

राज्य/संघशासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र	वन क्षेत्र				भौगोलिक क्षेत्र का %	वन क्षेत्र में परिवर्तन	झाड़ियां
		अति सघन वन	संतुलित सघन वन	खुला वन	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	275,069	820	24,757	19,525	45,102	16.40	-129	10,372
अरुणाचल प्रदेश	83,743	20,858	31,556	14,939	67,353	80.43	-119	111
असम	78,438	1,461	11,558	14,673	27,692	35.30	-66	179
बिहार	94,163	231	3,248	3,325	6,804	7.23	-3	134
छत्तीसगढ़	135,191	4,162	35,038	16,670	55,870	41.33	-59	107
दिल्ली	1,483	7	50	120	177	11.94	0	1
गोवा	3,702	511	624	1,016	2,151	58.10	-5	1
गुजरात	196,022	376	5,249	8,995	14,620	7.46	16	1,463
हरियाणा	44,212	27	463	1,104	1,594	3.61	-10	145
हिमाचल प्रदेश	55,673	3,224	6,383	5,061	14,668	26.35	2	327
जम्मू और कश्मीर	222,236	4,298	8,977	9,411	22,686	10.21	-3	2,036
झारखंड	79,714	2,590	9,899	10,405	22,894	28.72	172	683
कर्नाटक	191,791	1,777	20,181	14,232	36,190	18.87	-10	3,176
केरल	38,863	1,443	9,410	6,471	17,324	44.58	40	58
मध्य प्रदेश	308,245	6,647	35,007	36,046	77,700	25.21	-39	6,401
महाराष्ट्र	307,713	8,739	20,834	21,077	50,650	16.46	-11	4,157

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	22,327	701	5,474	11,105	17,280	77.40	328	1
मेघालय	22,429	410	9,501	7,410	17,321	77.23	116	211
मिजोरम	21,081	134	6,251	12,855	19,240	91.27	640	1
नागालैंड	16,579	1,274	4,897	7,293	13,464	81.21	-201	2
ओडिशा	155,707	7,073	21,394	20,388	48,855	31.38	100	4,852
पंजाब	50,362	0	733	931	1,664	3.30	4	20
राजस्थान	342,239	72	4,450	11,514	16,036	4.69	24	4,347
सिक्किम	7,096	500	2,161	696	3,357	47.31	0	356
तमिलनाडु	130,058	2,926	10,216	10,196	23,338	17.94	24	1,206
त्रिपुरा	10,486	111	4,770	3,192	8,073	76.99	-100	75
उत्तर प्रदेश	240,928	1,626	4,563	8,152	14,341	5.95	-5	745
उत्तराखंड	53,483	4,762	14,165	5,568	24,495	45.80	2	271
पश्चिम बंगाल	88,752	2,987	4,644	5,363	12,994	14.64	24	29
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,762	2,405	495	6,662	80.76	-1	53
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	14.91	0	1
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	42.97	-5	1
दमन और दीव	112	0	1	5	6	5.04	0	3
लक्षद्वीप	32	0	16	10	26	82.75	0	0
पुदुचेरी	480	0	13	31	44	9.14	2	0
कुल योग	3,287,263	83,510	319,012	288,377	690,899	21.02	728	41,525

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र (हेक्टेयर)		
		08-09	09-10	10-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8182	4182	2341
2.	बिहार	3675	3475	0
3.	छत्तीसगढ़	14706	8450	1177
4.	गोवा	0	0	0
5.	गुजरात	14620	4920	1760
6.	हरियाणा	8260	5526	1100
7.	हिमाचल प्रदेश	1222	1255	1648
8.	जम्मू और कश्मीर	6370	3550	0
9.	झारखंड	14680	9980	0
10.	कर्नाटक	3765	2200	0
11.	केरल	4118	1095	666
12.	मध्य प्रदेश	13367	6188	13000
13.	महाराष्ट्र	5182	7219	0
14.	ओडिशा	7400	1745	0
15.	पंजाब	1640	547	0
16.	राजस्थान	9500	6800	400
17.	तमिलनाडु	5670	4025	0
18.	उत्तर प्रदेश	18355	9664	3340
19.	उत्तराखंड	3510	4065	5167
20.	पश्चिम बंगाल	4793	615	2815
21.	अरुणाचल प्रदेश	1450	1750	3125
22.	असम	6365	3625	0
23.	मणिपुर	2950	1525	3599
24.	मेघालय	1970	800	4800
25.	मिजोरम	4500	2700	2370
26.	नागालैंड	3500	4050	2000
27.	सिक्किम	3350	2225	1549
28.	त्रिपुरा	335	1380	6271
	कुल	173435	103556	57126

दिल्ली-जयपुर नए एक्सप्रेसवे का निर्माण

5096. श्री राम सिंह कस्वां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-दिल्ली नये एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस एक्सप्रेसवे पर सड़क यातायात क्षमता और दैनिक यात्रियों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने भी इस मेगा परियोजना की दिशा में कोई रचनात्मक कदम उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कब तक विचार किये जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित एक्सप्रेसमार्ग के संरेखण के लिए अध्ययन और अपनी सिफारिशें देने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है। संरेखण का अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अंतिम संरेखण पर साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिनमें सड़क यातायात क्षमता और इस एक्सप्रेसमार्ग पर दैनिक यात्रियों के परिमाण के बारे में सर्वेक्षण शामिल होंगे, तैयार कराए जाएंगे।

(ङ) से (छ) संरेखण के निर्धारण के लिए नियुक्त परामर्शदाता की सेवा-व्याप्ति सहित विचारणीय विषयों को, योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। चूंकि इस परियोजना में अनेक चरण शामिल हैं जैसे कि संरेखण को अंतिम रूप दिया जाना, साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार किए जाने की सही-सही समय-सीमा के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

सड़कों को राजमार्ग घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द करना

5097. श्री रवनीत सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अनुसूचित सड़कों के उन खंडों को, जो कस्बों व शहरों से होकर गुजरते हैं, को राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय राजमार्ग के रूप में अनधिसूचित करने तथा बाई-पास सड़क के रूप में निर्मित नए खंडों को इस रूप में अधिसूचित करने संबंधी नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित/अनधिसूचित किया जाता है।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा हेतु विमान

5098. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमान यात्राओं में से कुछ विमान यात्राएं गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गैर-सरकारी यात्राओं के लिए उनके नाम बकाया धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा ये राशि कब से बकाया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, सितंबर, 2008 से जुलाई, 2011 तक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने 1315 अवसरों पर भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा यात्रा की हैं।

(ग) से (च) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रधानमंत्री गैर-सरकारी कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने के लिए पात्र हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान 01-10-2008 से 31-07-2011 तक प्रधानमंत्री द्वारा गैर-सरकारी उपयोग के लिए 84 अवसरों पर भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया है। 2010-11 तक के सभी बिलों का भुगतान किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के लिए 2,78,705/- रुपए की राशि के बिल प्रक्रियाधीन हैं।

लाखा बनजारा झील पर खर्च की गई धनराशि

5099. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सागर में स्थित लाखा बंजारा झील (तालाब) की सफाई/संरक्षण पर वर्ष-वार कितनी निधियां खर्च की गई हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि प्राप्त हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम झील संरक्षण योजना के अंतर्गत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 70:30 लागत सहभागिता के आधार पर मार्च, 2007 में 21.33 करोड़ रु. राशि की मध्य प्रदेश में सागर स्थित 'सागर झील का प्रदूषण उपशमन और पर्यावरणीय सुधार' परियोजना मंजूर की है। राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 1.59 करोड़ रु. का व्यय होने की सूचना दी है। मंजूर किए गए संघटकों में से, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, कम लागत की सफाई व्यवस्था और फ्लोटिंग फाउन्टेन संबंधी कार्य कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

वाहनों के भीड़-भाड़ और पार्किंग की समस्या

5100. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राजधानी शहर अत्यधिक यातायात और वाहनों की पार्किंग की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मोटर वाहनों के बड़े पैमाने पर निर्माण और आयात को एक सीमा तक नियत करके नियंत्रित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "एक परिवार एक वाहन" फार्मूले से सड़कों पर यातायात में कमी आएगी और पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का मोटर वाहन अधिनियम के बारे में कुछ संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) आमतौर पर यह अनुभव किया गया है कि राजधानी शहर, वाहन की पार्किंग समस्याओं सहित यातायात भीड़-भाड़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। तथापि, सरकार ने इस बारे मे कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) यातायात भीड़भाड़ के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। वाहनों की संख्या को सीमित किया जाना भी सड़कों पर होने वाले यातायात और पार्किंग से निपटने का एक विकल्प हो सकता है। इस संबंध में, मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रमिक न्यायालय

5101. श्री के. सुगुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में श्रमिक न्यायालयों के कार्यकरण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में रोजगार की स्थिति में परिवर्तन के बाद उक्त न्यायालय असंगत हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में श्रमिक न्यायालयों के सुदृढ़कीकरण हेतु क्या उपाय किए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अनुसार, समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय तथा इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौंपे जा सकने वाले कार्यों को पूरा करने हेतु एक अथवा एक से अधिक श्रम न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इस प्रकार, श्रम न्यायालयों का मुख्य कार्य औद्योगिक विवादों के संबंध में न्याय-निर्णयन करना है। क्योंकि औद्योगिक विवाद जारी रहते हैं अत: श्रम न्यायालय अप्रासंगिक नहीं हो सकते।

(घ) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-कम-एलसी) की स्थापना की है। इसके स्थान पर संपर्क अधिकारियों की प्रणाली लागू की गई है ताकि प्रशासनिक आकस्मिकता के कारण केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रह जाने पर न्यायिक कार्य प्रभावित न हो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के तेजी से निपटान के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में "वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र" के रूप में लोक अदालतों के आयोजन की योजना प्रारंभ की गई थी। यह मंत्रालय औद्योगिक विवादों के त्वरित और प्रभावी निपटान हेतु रणनीतियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करता है।

1149-50

केन्द्रीय सड़क निधि के तहत धनराशि

5102. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत आबंटित धनराशि को उपयोग में लाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सीआरएफ के तहत धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि राज्य सरकारों के सड़क परियोजनाएं आरंभ करने संबंधी अधिक अनुरोधों को समायोजित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सड़कों (ग्रामीण सड़कों से भिन्न) के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) निधि के अंतर्गत निधि का निर्धारण, योजना आयोग द्वारा, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है और तत्पश्चात् इस मंत्रालय द्वारा राज्यों में उसका संवितरण, संबंधित राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल के उपयोग पर 30% मान और संबंधित राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल पर 70% मान के आधार पर किया जाता है। राज्यों को सीआरएफ से निधि जारी किया जाना, जारी की गई राशि के उपयोग, उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अनुमोदित कार्यों की प्रगति तथा उनके द्वारा किए गए कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। सी.आर.एफ. के अंतर्गत कार्यों की प्रगति और जारी की गई निधि के उपयोग का अनुवीक्षण मंत्रालय द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर किया जाता है। राज्य सरकारों से सीआरएफ निर्माण कार्यों की गति में वृद्धि करने के लिए अनुरोध नियमित रूप से किया जाता है और सीआरएफ के अंतर्गत जारी की गई निधि के उपयोग का अनुवीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) सीआरएफ (राज्य सड़क) नियमावली, 2007 के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को जारी की गई कुल राशि, उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के कुल उपार्जन से और विगत वर्षों के उपार्जन से जारी न की गई राशि से अधिक नहीं होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर यह मंत्रालय, जब कभी आवश्यकता होने पर और धनराशि उपलब्ध होने पर सीआरएफ के खर्च न हुए शेष से निधि की पुन:प्राप्ति, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से करने का प्रस्ताव करता है और उसका आबंटन उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को करता है जिनके सीआरएफ खाते में राशि शेष रही होती है।

150-51

प्रदूषण नियंत्रण और व्यापार योजना

5103. श्री गजानन ध. बाबर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार द्वारा देश में शुरू की गई प्रदूषण नियंत्रण और व्यापार योजना हेतु अनुदान स्वीकृत किया है जैसा कि संचार माध्यमों ने सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किन राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) यह योजना कब तक पूरी तरह कार्यान्वित कर दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने अपनी संस्थागत विकास निधि के अंतर्गत एक पायलट मार्केट आधारित उत्सर्जन ट्रेडिंग स्कीम के डिजाइन हेतु 577,185 अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत की तुलना में 500,000 अमेरिकी डालर के अनुदान का अनुमोदन किया है। इस स्कीम को 'केप-एंड-ट्रेड' भी कहा जाता है, ताकि परिवेशी वायु में उच्चतम महीन कणों के मुद्दे का समाधान किया जा सके। सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पायलट तैयार करने का कार्य आरंभ किया है।

जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की बैठक

5104. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के बारे में अपनी भूमिका अदा करने के लिए टाटा एनर्जी और रिसर्च इंस्टीटयूट (टीईआरआई) में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो टीईआरआई के साथ सरकार के संयोजन और उसमें अधिकारियों की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टीईआरआई जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) बैंकों में भाग लेने हेतु यात्रा करने के लिए सरकारी अधिकारियों को धनराशि प्रदान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो निर्णय लेने वाली संस्था टीईआरआई और आईपीसीसी के बीच आर्गेनिक लिंक क्या हैं;

(ङ) सरकार द्वारा आईपीसीसी में भारत के स्टैंड हेतु जिम्मेदारी लेने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(च) आईपीसीसी में सरकारी प्रतिनिधि न होने के कारण हैं;

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति हेतु योगदान और अधिकारियों की तैनाती के संबंध में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के साथ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) टीईआरआई के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) की बैठकों में सरकारी अधिकारियों की कोई भागीदारी नहीं है।

(ङ) और (च) भारत आईपीसीसी की बैठकों में इसके आधिकारिक सदस्य के रूप में भाग लेता है।

श्रमशक्ति में कमी

5105. **श्री निलेश नारायण राणे** :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से श्रम शक्ति की भागीदारी कामगार जनसंख्या अनुपात और देश में सापेक्षिक रूप में बेरोजगारी दर नामक तीन क्षेत्रों के बारे में जारी अद्यतन आंकड़े प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट दर्शाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या रियल एस्टेट ओर कृषि क्षेत्र कुशल और अर्धकुशल श्रमशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों की कमी से इन क्षेत्रों में आऊटपुट लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ङ) क्या एमजीएनआरईजीएस से श्रमिकों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में पलायन रुक गया है; और

(च) इन क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल श्रम शक्ति की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। वर्ष 2004-05 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर देश में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) के अनुमान निम्नानुसार हैं:

(प्रतिशत)

खण्ड	2004-05	2009-10
एलएफपीआर	43.0	40.0
डब्ल्यूपीआर	42.0	39.2
यूआर	2.3	2.0

(ख) वर्ष 2004-05 से 2009-10 के दौरान विशेषकर महिलाओं में, श्रम बल भागीदारी दर में कमी, सहायक रोजगार में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण आय के स्तर में वृद्धि, शिक्षा में भागीदारी के उच्च स्तर इत्यादि रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट के कारण हो सकते है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें चक्र के अनुसार 15-29 वर्ष के आयु समूह में लगभग 2 प्रतिशत के औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य 8 प्रतिशत के गैर-औपचारिक अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के विषय में सूचित किया गया है।

(ङ) एमजीएनआईजीएस के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में विवशतापूर्ण प्रवसन को रोकने में सहायता मिली है।

(च) कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई योजना में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल व्यक्तियों का लक्ष्य है और सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को तदनुसार कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने का अधिदेश दिया गया है। समस्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रशिक्षण क्षमता में और अधिक वृद्धि करने के लिए नए सरकारी और निजी आईटीआईज तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आईटीसीज) की स्थापना की जा रही है। पांच वर्षों में एक मिलियन व्यक्तियों तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक मिलियन व्यक्तियों को अल्पकालिक मॉडयूलर रोजगारपरक कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास पहल नामक एक नई योजना आरंभ की गई है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को 1500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

पदोन्नति नीति में असंगति

5106. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री मकनसिंह सोलंकी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना में पदोन्नति नीति में असंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त नीति को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस समय प्रचलित पदोन्नति नीति समय पर खरी उतरी है। तथापि, इस नीति में आवश्यकतानुसार समय-समय पर फेरबदल किया जाता है।

[अनुवाद]

भौगोलिक संकेत

5107. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्नौरी शॉल, थांजावुर वीणा, डिंडिगुल ताले और तिरुपति के लड्डू भौगोलिक इंडीकेशन रजिस्टर के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप इन्हें क्या विशेष छूट प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) किन्नौरी शॉल और तिरुपति के लड्डू को माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।

(ख) पंजीकृत प्रोपराइटर पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शनों के उल्लंघन के विरुद्ध माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और नियमों के तहत सिविल और आपराधिक कार्रवाई कर सकता है।

155-58

आवश्यक वस्तुओं का आयात

5108. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का वस्तु-वार/देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि में आवश्यक वस्तुओं के आयात में वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) आवश्यक वस्तुओं के आयात का वस्तु-वार विवरण में दिया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष का देश-वार ब्यौरा सीडी के रूप में डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन अर्थात क्रमश: मार्च, 2009 मार्च, 2010, मार्च, 2011 और मई, 2011 के लिए "भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी" (प्रमुख वस्तुएं एवं देश) में उपलब्ध है जिसे डीजीसीआई एंड एस द्वारा नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय को प्रेषित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। आयात या तो तब किया जाता है जब देश में उस वस्तु की कमी हो जैसे दालों और खाद्य तेल आदि के मामले में अथवा जब घरेलू कीमतें अधिक हों।

विवरण

(मूल्य करोड़ रुपए)

वस्तु	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12 (अप्रैल-मई)* अद्यतन उपलब्ध)
1	2	3	4	5
गेहूं	0.01	231.90	236.37	0.00
चावल	0.54	0.37	1.12	0.37
अन्य खाद्यान्न	45.46	76.33	59.24	10.31
खाद्यान्न विनिर्मितियां	170.17	188.22	225.95	40.24
दालें	6246.40	9813.37	6979.95	1018.76
चाय	197.00	276.54	186.92	38.23
सूती यार्न एवं फैब्रिक्स	1209.93	1038.76	1095.01	210.04
दूध एवं क्रीम	38.21	77.56	491.65	68.20
काजू गिरी	2672.43	3047.50	2479.75	501.41
काजू गिरी को छोड़कर फल एवं मेवे	2372.89	2873.15	3684.23	569.26

1	2	3	4	5
मसाले	1076.07	1432.31	1360.73	330.01
चीनी	583.16	5965.80	2787.29	1.99
तिलहन	129.58	186.61	118.15	15.68
नियत वनस्पति तेल (खाद्य)	15837.46	26483.32	29442.16	5260.35
अपरिष्कृत जूट	71.21	149.49	273.04	78.77
अपरिष्कृत उर्वरक	4887.38	3326.20	3230.95	728.49
अपरिष्कृत कपास: कॉम्ब्ड/अन्कॉम्ब्ड/ अपशिष्ट	1690.22	1241.37	604.38	291.60
पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं उत्पाद	419967.60	411649.06	482714.25	116675.73
कार्बनिक रसायन	35090.04	40907.62	50962.35	9802.38
अकार्बनिक रसायन	21035.40	15565.09	16281.02	3180.19
औषधीय एवं भेषजीय उत्पाद	8674.80	9959.00	10830.40	1962.92
विनिर्मित उर्वरक	54790.54	28428.58	27543.25	2493.36
कुल	576786.50	562918.15	641588.16	143278.29

*अनन्तिम

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

157-58

चीन से आयात के सुरक्षा संबंधी प्रभाव

5109. **श्री शिवराम गौडा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन से कम मूल्य पर भारी आयात से पड़ने वाले सुरक्षा संबंधी प्रभावों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ग) सरकार ने विशेष रूप से कूटबद्ध उत्पादों के निर्माण के समय चीन से आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के सुरक्षा निहितार्थों पर संज्ञान लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम मैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो सामरिक रक्षा इलेक्ट्रानिक प्रणालियों का निर्माता है, को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कूटबद्ध उत्पादों के कलपुर्जों का आयात चीन से नहीं किया जाए।

53 (हस्तलिखित)

159 (हस्तलिखित)

प्रदूषक रसायनों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव

5110. **श्रीमती जे. शांता** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषक रसायनों से मुक्त पोतों का भंजन पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण में सुधार करने हेतु कोई प्रभावी योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पोत-भंजन इकाइयों को पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अधीन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है। पोत-भंजन कार्यकलाप हेतु संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा अधिसूचित नियमों और विनियमों का अनुपालन करना भी अपेक्षित है। इसके साथ-साथ, पोत-भंजन कार्यकलाप करते समय 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 657 के मामले में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी उच्चाधिकार प्रापत समिति की सिफारिशों पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी अनुपालन करना होता है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनके द्वारा जारी किए गए प्राधिकार की शर्तों और साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करते हैं तथा चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

159-60 (हस्तलिखित)

एन.जी.ओ. का पंजीकरण

5111. **श्री नारनभाई कछाड़िया** :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात से विशेषतौर पर पंचमहल, अमरेली, सूरत, राजकोट, भावनगर, कच्छ, मेहाना, साबरकंथ और वडोदरा जिलों से मंत्रालय में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन एन.जी.ओ. का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य संतोषजनक पाया गया है; और

(घ) उन एन.जी.ओज का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक काली सूची में डाला गया है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (ग) मंत्रालय अपनी किसी योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय संतोषजनक रिपोर्टों के अध्यधीन राज्य सरकार सहायता अनुदान समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर तथा योजनाओं के मानकों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार भी गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के 56 गैर-सरकारी संगठनों को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए गए थे।

(घ) अभी तक, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के निम्नलिखित 9 गैर-सरकारी संगठनों को उनके अकार्यशील होने के कारण काली सूची में डाला गया है:-

(i) ग्राम चेतना सेवा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

(ii) आदर्श शिवम सोशल डेवलपमेंट सोयायटी, भिण्ड।

(iii) गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति भिण्ड, मध्य प्रदेश।

(iv) श्री बल्लभ शिक्षा प्रसार समिति, टीकमगढ़।

(v) आराधना ग्रामीण सेवा समिति, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।

(vi) गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति, टीकमगढ, मध्य प्रदेश राज्य।

(vii) शिव समाज कल्याण समिति, टीकमगढ, मध्य प्रदेश।

(viii) साधना ग्रामीण सेवा समिति, टीकमगढ, मध्य प्रदेश।

(ix) आयुष फाउंडेशन, डी-4, पंचवटी अपार्टमेंटस, पंचवटी क्रॉस रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात।

161

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक दर्जा

5112. श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को गवाहों की बुलाने, समन जारी करने और उनकी जांच करने तथा आदेश देनेदहेतु सांविधिक दर्जा प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त आयोग को सांविधिक दर्जा देने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलिगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपना कार्य निष्पादित करते समय और विशेष रूप से निम्नांकित मामलों के बारे में नामत:-

"(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाने और न्यायालय में उसकी पेशी सुनिश्चित करने तथा शपथ लेकर उससे पूछताछ करने;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करके उसे पेश करने;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेने;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करने;

(ङ) साक्षी और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य मामला जो भी अपेक्षित हो, के बारे में।" उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत एक वाद के विचारण के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

161-62

रक्षा ढांचा करार

5113. श्री पी.के. बिजू :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों के साथ रक्षा ढांचा करार करने के प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों के साथ की गई सेना सहबद्धता रक्षा ढांचा करार, संयुक्त अभ्यास तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में कोलम्बिया, नाम्बिया, स्वीडन, वियतनाम, रुस, कोरिया गणराज्य, इक्वेडोर तथा मंगोलिया के साथ रक्षा सहयोग करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में अन्य देशों के साथ किए गए संयुक्त अभ्यासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान न्यूजीलैंड के साथ कोई प्रशिक्षण अभ्यास नहीं किया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों के साथ किए गए संयुक्त अभ्यास:

वर्ष	अभ्यासों की कुल संख्या
2008	24
2009	24
2010	24
2011 (जुलाई, 2011 तक)	8

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस मार्ग

161-63

5114. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और एक्सप्रेस मार्गों की वास्तविक संख्या कितनी है और उनकी कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य के संसाधन विहीन जिलों अर्थात पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा और अमरेली को कोई प्राथमिकता दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में कब तक अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) गुजरात राज्य में रारा सं. 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113, 228 नामक 12 राष्ट्रीय राजमार्ग और एनई-1 नामक राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग हैं। गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग की कुल लम्बाई क्रमशः 3152 और 93 कि.मी. है।

(ख) से (ङ) नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर विचार किया जा रहा है। इनमें पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा और अमरेली जिलों से होकर गुजरने वाली सड़कों के कुछ प्रस्ताव भी शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्यों में जिला आधार पर विचार नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वे सड़कें शामिल हैं जिनसे पिछड़े क्षेत्रों के विशाल भू-भाग तक आवाजाही प्रारंभ करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की समय-समय पर घोषणा, संसाधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

163-66

पथकर से छूट

5115. **श्रीमती श्रुति चौधरी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में व्यक्तियों/वाहनों की श्रेणियों को पथकर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पथकर से अधिक राजस्व का संग्रह करने और पथकर फाटकों पर आम जनता को परेशानियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्तियों/वाहनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पथकर से छूट प्राप्त वाहनों के राज्य-वार आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

(ग) सरकार अधिक राजस्व एकत्र करने और देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए रेडियो बारंबारता अवनिर्धारण (आरएफआईडी) टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण प्रणाली कार्यान्वित कर रही है। आरएफआईडी टैग के लिए विनिर्देशों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है।

विवरण

(क) "फीस के संदाय से छूट-ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं:-

(i) भारत के राष्ट्रपति;

(ii) भारत के उपराष्ट्रपति

(iii) भारत के प्रधान मंत्री;

(iv) राज्यपाल;

(v) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;

(vi) लोक सभा अध्यक्ष;

(vii) संघ के कैबिनेट मंत्री;

(viii) मुख्य मंत्री;

(ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति;

(x) संघ के राज्य मंत्री;

(xi) संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल;

(xii) चीफ ऑफ स्टाफ जिसका रैंक पूरे जनरल का हो अथवा समकक्ष रैंक;

(xiii) राज्य विधान परिषद के सभापति;

(xiv) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष;

(xv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;

(xvi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;

(xvii) संसद सदस्य;

(xviii) सेना कमांडर/उप-सेना प्रमुख अथवा अन्य सेवाओं के समकक्ष अधिकारी;

(xix) संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार के मुख्य सचिव;

(xx) भारत सरकार के सचिव;

(xxi) सचिव, राज्य सभा;

(xxii) सचिव, लोक सभा;

(xxiii) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(xxiv) अपने-अपने संबंधित राज्यों में राज्य विधान सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य, यदि वह संबंधित राज्य विधान सभा द्वारा जारी किया गया अपना कार्ड प्रस्तुत करता/प्रस्तुत करती है;

(xxv) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीति चक्र, वीर चक्र, और शौर्य चक्र, जैसे वीरता पुरस्कार पाने वालों से संबंधित यान, यदि ऐसा पुरस्कार विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है।

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है--

(i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे यान भी शामिल हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना पर भी लागू किए गए हैं, के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं;

(ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल;

(iii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट;

(iv) अग्नि शमन विभाग या संगठन और

(v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य सरकारी संगठन जो ऐसे यान का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है।

(ग) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त; और

(घ) शव वाहन के रूप में प्रयुक्त वाहन"।

166-67

आटोमोबाइल क्षेत्र से प्रदूषण

5116. श्री उदय सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए 'स्पोर्ट्स युटिलिटि व्हिकलों' (एसयूवी) पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आटोमोबाइल क्षेत्र से उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकीय उन्नयन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स सहित, यदि उनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक है, बड़ी कारों पर पहले से ही 22%+5,000 प्रति वाहन (1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के वाहनों के लिए) या 22% (1500 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए) के उच्चतर दर पर उत्पाद शुल्क लगता है। इस शुल्क में और अधिक वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वाहन उत्सर्जन प्रतिमानकों को 1991 से धीरे-धीरे कठोर बनाया जाता रहा है। वर्तमान में, ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा 2010 से 13 शहरों में भारत स्टेज-iv अनुपालनीय 4-पहिए वाले वाहन और पूरे देश में भारत स्टेज-III अनुपालनीय वाहन लाए जा रहें हैं। तदनुसार, वाहन निर्माताओं को निर्धारित उत्सर्जन प्रतिमानकों

की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

167-68

गुजरात में सड़कों का उन्नयन

5117. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिम्मतनगर-इदार-वीजापुर-विशागाउ-अबू रोड/हिम्मतनगर-विजापुर-विशागर-उंझा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। गुजरात सरकार से हिम्मतनगर-वीजापुर-विशागार-उंझा रोड और भाभर-सिरोही-पाटन- सिद्धपुर-वलसाना-इदार-हिम्मतनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है। नए राष्ट्रीय राजमार्ग, संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर घोषित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

168-69

स्लोवेनिया के साथ व्यापार

5118. **श्री प्रबोध पांडा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत और स्लोवेनिया के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने हेतु सरकार के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(घ) दोनों देशों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलि. अम. डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	पिछले वर्ष की सदृश अवधि की तुलना में वृद्धि (%)
2008-09	160.70	75.18	235.88	17.89
2009-10	192.58	118.14	310.72	(-)4.47
2010-11	184.35	88.71	173.06	22.78
2011-12	18.50	6.53	25.03	24.41

(ख) जी, हां। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री की सरकार के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) और (घ) भारत के प्रधानमंत्री और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्ष व्यापार मदों में वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने का प्रयास करेंगे तथा व्यवसायी समुदायों

विशेष रूप से लघु एवं मंझोले उद्यमों के बीच अधिक संवाद तथा सहयोग का संवर्धन करेंगे।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार पर हस्ताक्षर किए गए जिससे दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग में योगदान मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो तथा उसके स्लोवेनियाई समकक्ष के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे और इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मानकों एवं मानदण्डों की परस्पर बेहतर समझ को सुकर बनाते हुए द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की आशा है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत

5119. **श्री एस.आर. जेयदुरई** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के निरीक्षण और प्रमाणन से संबंधित समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या जल परिवहन विभाग (मर्केन्टाइल मेरीन विभाग) मछली पकड़ने वाले सभी पोतों हेतु दोहरे निरीक्षण की मांग करता है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रक्रियात्मक मामलों में विलंब और कठिनाइयों से बचने और पूरी प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2009 में नौवहन महानिदेशालय ने गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों के अनंतिम पंजीकरण की वैधता को निदेशालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की बारंबारता को कम करने की दृष्टि से 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है।

(ग) गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों को प्रत्येक वर्ष वार्षिक निरीक्षण से गुजरना पड़ता है जैसा कि किसी भी भारतीय मत्स्यन नौका पर लागू है। 20 मीटर से अधिक लंबे मत्स्यन जलयानों को वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मत्स्यन नौका निरीक्षण) नियम, 1988 को अनुपालन अपेक्षित होता है जिसमें वार्षिक निरीक्षण तथा ड्राई डॉकिंग निरीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किया जाना शामिल होता है।

(घ) गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों सहित भारतीय मत्स्यन नौकाओं का निरीक्षण वर्ष में एक बार कानूनन अनिवार्य होता है।

(ङ) वर्ष 2009 में नौवहन महानिदेशालय ने गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों के अनंतिम पंजीकरण की वैधता को निदेशालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की बारंबारता को कम करने की दृष्टि से 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है।

पोत भंजन में आतंकवादियों द्वारा निवेश

5120. **श्री प्रदीप माझी** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंजन हेतु अलंग बंदरगाह पर आने वाले अनधिकृत पोतों के बारे में सरकार को जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) उन पोतों को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 657/95 में सितंबर 2007 में जारी किए गए निदेशों और गुजरात समुद्री बोर्ड पोत पुनः चक्रियकरण विनियम - 2003 का अनुपालन करते हैं, गुजरात समुद्री बोर्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर पोत पुनःचक्रियकरण की अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग) सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6.9.2007 के आदेश के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय ने पोत भंजन पर एक संहिता तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रस्तावित संहिता का आशय भारतीय जलसीमा में अनाधिकृत पोतों की प्रवेश के मामले का हल निकालना है।

[हिन्दी]

एल.ओ.सी. पर स्थित गांवों को खाली करना

5121. श्री रमेश बैस :
श्री हरि मांझी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान द्वारा सीमापार से गोलीबारी किए जाने के कारण जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के निकट स्थित अनेक गांवों को खाली कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त गांवों को दूसरे स्थान पर अवस्थित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सेना ने सीमापार से गोलीबारी के कारण जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक के किसी भी गांव को पुनर्वासित नहीं किया है। तथापि, पाकिस्तान द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी के कारण सिविल प्रशासन द्वारा 2004 में पुंछ जिले में किर्नी गांव को अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया था। युद्धविराम के बाद सिविल प्रशासन ने इस गांव को वापस इसके मूल स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। यह प्रक्रिया अप्रैल, 2011 में प्रारंभ हुई और 26.08.2011 को पूरी हुई है।

एन.एच-26 की सी-8 परियोजना

5122. श्री लालचंद कटारिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रारा-26 की सी-8 परियोजना में खनिज अधिकारियों की सांठ-गांठ से ठेकेदारों द्वारा खनिज रायल्टी का गबन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की सी-8 परियोजना के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर खनिज अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनएचएआई की परियोजनाओं के संबंध में जांच

5123. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में एनएचएआई द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के संबंध में जांच कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में गुणवत्ता पारदर्शिता और समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन किए जाने और स्थानीय लोगों की मांगों को शामिल न करने के कारण कार्य में विलंब होता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार किसी उच्चस्तरीय तकनीकी आयोग द्वारा सभी मुद्दों की जांच कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एनएचडीपी की सभी परियोजनाएं मंत्रालय के विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुरूप

निर्मित की जाती हैं। उनकी गुणवत्ता, पर्यवेक्षकों/स्वतंत्र परामर्शदाताओं द्वारा परियोजनाओं के नियमित अनुवीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। उनकी पारदर्शिता, पूरी तरह से पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। तथापि, परियोजनाएं मुख्यत: ठेकेदारों के अल्प निष्पादन, वन/वन्य ज़ीवन अनुमति प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण/जन सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से विलंबित होती हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, डिजाइन परामर्शदाता द्वारा आईआरसी दिशानिर्देशों/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के विनिर्देशों के अनुरूप और स्थानीय लोगों की मांगों/विचारों को संज्ञान में लेकर तैयार की जाती हैं। परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों की समीक्षा समान स्तर के अन्य संवीक्षा विशेषज्ञों द्वारा भी की जाती है।

(छ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सी.आर.एफ/ई.आई एंड आई.एस.सी. के अंतर्गत लंबित परियोजनाएं/प्रस्ताव

5124. श्री रामसिंह राठवा :
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :
श्री हरिन पाठक :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सी.आर.एफ./ई.आई. एंड आई.एस.सी. के अंतर्गत गुजरात में सड़कों के विकास/सुधार हेतु सभी लंबित प्रस्तावों/परियोजनाओं और कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रस्तावों/परियोजनाओं को लंबित रखने के कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(ग) भचाउ-भुज-पंढरो, चितरोड-रायपुर-धोलविरा, भुज-खावाड़ा-धर्मशाला, झखाउ पोर्ट रोड और राजकोट-मोरबिद-नवलखी सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए स्वीकृत सीमा की गणना करने में अलग-अलग फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कुछ राज्यों हेतु स्वीकृत सीमा में वृद्धि की है यदि हां, तो गुजरात की स्वीकृत सीमा में कमी करने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि/अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। गत तीन वर्ष के दौरान मंत्रालय में केन्द्रीय सड़क निधि/अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा किए जाने के लिए प्रस्तावित भचाउ-भुज-पंढरो सड़क, चितरोड-रायपुर-धोलविरा सड़क, भुज-खावाड़ा-धर्मशाला सड़क, झखऊ पोर्ट रोड और राजकोट-मोरबिड-नवलखी सड़कों की जांच मंत्रालय में की जा रही है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान की जानी वाली संस्वीकृति की सीमा, कुल संस्वीकृति और कुल उपयोग के अंतर को घटाकर राज्य को किए जाने वाले वार्षिक आबंटन की तीन गुना तक सीमित है। वर्ष 2008-09 से पहले यह सीमा वार्षिक आबंटन की दो गुना होती थी।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

5125. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री नीरज शेखर :
श्री भक्त चरण दास :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री यशवीर सिंह :

श्री पी. करूणाकरन :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अन्य देशों को चावल का निर्यात करने हेतु चावल की खरीद करती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) सहित निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों दोनों द्वारा निर्यात/आयात किए गए कुल चावल का वर्ष-वार, मात्रा-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी कंपनियों अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के निर्यात/आयात में किसी खामी/अनियमितता का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) सरकार भारतीय खाद्य निगम के जरिए मुख्यत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल सहित खाद्यान्नों की खरीद करती है। तथापि अन्य देशों को निर्यात हेतु राजनयिक आधार पर केंद्रीय पूल से सीमित मात्रा की अनुमति है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को चावल के निर्यात/आयात से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्यात (टन में)	निर्यात हेतु शीर्ष 5 गंतव्य	आयात (टन में)
2008-09	24,88,291	सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, यमन	85.46
2009-10	21,56,408	सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत, यमन	65.56
2010-11 (दिसंबर 2010 तक)	16,68,132	सऊदी अरब, यूएई, ईरान, बांग्लादेश, कुवैत	94.79

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) और (घ) वर्ष 2009 में अफ्रीकी देशों को गैर बासमती चावल के निर्यात में अनियमितता का मुद्दा लोक सभा में दिनांक 22/07/2009 को श्री शरद यादव तथा अन्यों द्वारा नियम 377/शून्य काल के अंतर्गत तथा राज्य सभा में दिनांक 20/07/2009 को श्री डी. राजा तथा अन्यों द्वारा विशेष उल्लेख/शून्य काल के दौरान उठाया गया था। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लोक सभा में दिनांक 30/07/09 और तत्पश्चात पुन: दिनांक 19/11/2010 को एक वक्तव्य दिया था। दिनांक 30/07/2009 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार एक आंतरिक जांच कार्रवाई शुरू की गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित कंपनियां, जो प्रथम दृष्टया सांठ-गांठ कर रहीं थी, को वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ आगे कारोबार करने से वंचित कर दिया गया था। यह संपूर्ण मामला सीवीसी को सौंपा गया था जिन्होंने इस संबंध में अपनी सलाह दी है। इस बीच सीबीआई द्वारा भी इस मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद] 176-79

सेनगुप्ता समिति रिपोर्ट

5126. श्री संजय निरूपम : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनगुप्ता समिति रिपोर्ट का आकलन है कि भारत का 93 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों के विशेष संदर्भ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे विनियमित करने के उद्देश्य वाले विधान सहित इस क्षेत्र से संबंधित विधानों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) की रिपोर्ट का अनुमान है कि कार्यबल का लगभग 92 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) आयोग की सिफारिशों तथा अन्य पणधारियों की टिप्पणियों के आधार पर सरकार ने इन कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के निर्माण को शामिल करते हुए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है।

(घ) असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विधान हैं:

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946;
- चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976;
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981;
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1996;
- अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979;
- ठेका श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1970;
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; और
- बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

विवरण

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा पर असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

असंगठित कामगारों के लिए साभाजिक सुरक्षा पर असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (एनसीईयूएस) ने असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक विधान की सिफारिश की है। प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

सामाजिक सुरक्षा लाभ

केन्द्र सरकार असंगठित कामगारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना नामक योजना तैयार करेगी:

(i) पंजीकृत कामगार के लिए 15,000/- रुपये तक का अस्पताल भर्ती कवर और अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए अस्पताल भर्ती के दौरान 50 रुपये प्रतिदिन।

(ii) प्रति प्रसव 1,000/- रुपये (अधिकतम) का प्रसूति लाभ।

(iii) परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु की स्थिति में 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर।

(iv) वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए दो विकल्प: (क) सभी गरीब (बीपीएल) वृद्ध (60+) कामगारों के लिए 200/- रुपये प्रतिमाह की मासिक वृद्धावस्था पेंशन, और

(v) अन्य सभी कामगारों (जिन्हें राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करना अपेक्षित है) के लिए भविष्य निधि।

राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में योजना बना सकती है:

- भविष्य निधि
- रोजगार चोट लाभ
- आसास योजनाएं
- कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षणिक योजनाएं
- दक्षता उन्नयन; आदि
- अंत्येष्टि सहायता

- पुत्रियों का विवाह; और
- असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हेतु अन्य योजनाएं।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना:

(क) केन्द्रीय सरकार से अनुदान एवं ऋण।

(ख) विशिष्ट राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के लिए कामगारों, नियोजकों, सरकारों का अंशदान निम्न प्रकार है:

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा बीपीएल कामगारों के लिए 1/- रुपया प्रतिदिन

(ii) यदि नियोजक निर्धारित हो तो नियोजक द्वारा 1/- रुपया प्रतिदिन। यदि नियोजक निर्धारित न हो तो अंशदान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 3:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

(iii) 0.75 रुपये प्रति कामगार प्रतिदिन केन्द्र सरकार द्वारा और 0.25 रुपये प्रति कामगार प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा।

[हिन्दी] 179-80

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 एवं 75 पर सड़क दुर्घटनाएं

5127. **श्री गणेश सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सतना शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं 7 पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को सतना से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं 75 पर संकरी एकल सड़क को चौड़ा करने तथा इस पर सेतु बनाने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो उस पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी-जुलाई, 2011 के अवधि के दौरान सतना शहर से गुजरने वाले रारा-75 पर कुल 135 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें से 20 दुर्घटनाएं घातक थीं। सतना शहर से गुजरने वाले रारा-75 और रारा-7 के सुधार संबंधी प्रस्तावों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इनमें सतना शहर के निकट एक बाइपास भी शामिल है।

(ग) और (घ) देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों के संबंध में इस मंत्रालय को माननीय संसद सदस्यों, मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों तथा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के सदस्यों आदि सहित विभिन्न संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा आम लोगों से सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे सुझावों पर विचार, इस मंत्रालय में एक सतत् प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जहां आवश्यक होता है वहां, ऐसे सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पद्धति से रारा-75 के सतना-बेला खंड को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार चार लेन का बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति हेतु प्रस्ताव, मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव, सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 10.08.2011 को अनुमोदित किया गया है।

180-81

फ्लाईओवरों का निर्माण

5128. **श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं-1 पर दिल्ली बाइपास से अंबाला के बीच किन स्थानों पर फ्लाईओवर बनाये जा रहे हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) इस राजमार्ग पर उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पथकर लिया जा रहा है एवं यह किस तिथि से लिया जा रहा है;

(घ) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथकर लगाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड पर प्रयोक्ता शुल्क स्थायी आधार पर उद्गृहीत किया जाता है।

विवरण-I

फ्लाईओवर का स्थान (चैनेज किमी)	स्थिति	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
किमी 99.110, किमी 101.475, किमी 106.080, किमी 107.350, किमी 110.400, किमी 119.975, किमी 121.325, किमी 122.275, किमी 123.500, किमी 124.700, किमी 126.400, किमी 133.200, किमी 139.250, किमी 140.125, किमी 143.225, किमी 150.525, किमी 156.200, किमी 158.050, किमी 170.375, किमी 177.250, किमी 179.800, किमी 180.800, किमी 182.800, किमी 183.950, किमी 191.750, किमी 203.100, किमी 207.600 और किमी 208.150	निर्माणाधीन	नवंबर, 2011
किमी 48.560, किमी 61.960, किमी 73.040 और किमी 88.760 से किमी 91.819 (पानीपत उत्थापित राजमार्ग)	निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है	कार्य पूरा हो चुका है

विवरण-II

क्र. सं.	स्थान, जहां प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) एकत्र किया जा रहा है	तारीख जिससे प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) एकत्र किया जा रहा है
1.	पानीपत (रारा-1 के पानीपत उत्थापित खंड का किमी 96)	17-07-2008
2.	करनाल (रारा-1 के पानीपत-अंबाला खंड का किमी 146.40)	11-05-2009

181-83

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना

5129. योगी आदित्यनाथ : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से सड़क को भारत-नेपाल संपर्क वाले सनौली राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-29 के गोरखपुर-सोनौली खंड पर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन किए जाने के लिए विचार किया गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे फरवरी, 2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है। निर्माण कार्य तत्पश्चात् शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना

5130. **श्री वरुण गांधी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने के लिए गैर आईएसआई प्रमाणित सुरक्षात्मक हेल्मेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कड़े कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, सिवाय पगड़ी पहने किसी सिख के, जो किसी भी श्रेणी की मोटर साइकिल को चला रहा हो अथवा उस पर पीछे बैठ कर या फिर साइड कार में बैठकर यात्रा कर रहा हो, सार्वजनिक स्थल पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेल्मेट पहनेगा। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 में, मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों की है।

अंतर्राष्ट्रीय पत्तन

5131. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी कंपनी का गठन करने का है जो विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों में हिस्सेदारी खरीदेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस तरह के क्षेत्रों में इसके द्वारा निवेश किए जाने की संभवना है; और

(ग) उक्त कंपनी कब तक अपना कार्य प्रारंभ करेगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) से (ग) किसी कंपनी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर राष्ट्रीय पत्तनों में कुछ हिस्सों को खरीदा जा सकता है, भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पेटेंट की गई दवाइयां

5132. **श्री बलीराम जाधव :**
श्री पी.आर. नटराजन :
डॉ. ज्योति मिर्धा :
डॉ. निलेश नारायण राणे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियों द्वारा भारत से अन्य देशों को आवश्यक दवाओं का निर्यात किया जा रहा है यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार एवं देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आंकड़ों की अपवर्जिता तथा आंकड़ों को साझा करने सहित दवा क्षेत्र में यूरोपीय संघ देशों के साथ किसी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं स्थानीय भेषज उद्योग तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किए जा रहे तंत्रों का ब्यौरा क्या है कि इस समझौते से भारत में विनिर्मित पेटेंट की गयी दवाओं के निर्यात तथा भारतीय जेनरिक दवा उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ङ) पेटेंट की गयी औषधियों की सस्ती किस्म प्रारंभ करने से जेनरिक औषधि विनिर्माताओं को रोकने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत-विश्व के लगभग 230 देशों को औषधियों एवं भेषजों का निर्यात करता है, जिनमें कुछ अनिवार्य औषधियां भी शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान शीर्षस्थ 20 देशों को औषधियों और भेषजों के निर्यातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) भारत प्रस्तावित भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी एक अध्याय पर वार्ता कर रहा है। ईयू पक्ष आंकड़ा अपवर्जिता और व्यापार संबद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) के प्रावधानों के दायरे से बाहर कड़े प्रवर्तन तंत्र की मांग कर रहा है। भारतीय पक्ष ने ईयू को सूचित किया है कि आईपीआर अध्याय पर वार्ताएं भारत के वर्तमान घरेलू कानून एवं ट्रिप्स अधिदेश के अनुसार की जाएंगी।

विवरण-I

शीर्षस्थ बीस देश

(सभी आंकड़े मिलियन अम. डॉलर)

देश	2009-10
1	2
यूएसए	1954.22
यूके	348.62
जर्मनी	319.55
रूस	274.8
दक्षिण अफ्रीका	245.86
ब्राजील	209.94
नाइजीरिया	190.89
कनाडा	163.57
वियतनाम	149.62
नीदरलैंड	145.31
तुर्की	139.77
चीन	136.13
इटली	125.4
यूएई	122.5
यूक्रेन	120.1
स्पेन	119.98
केन्या	116.5
ईरान	112.86
बांग्लादेश	112.86
इज़रायल	110.95
20 देशों का कुल	5219.43
कुल योग	8955

शीर्षस्थ बीस देश

देश	2010-11
1	2
यूएसए	2382.27
रूस	418.5
यूके	378.28
जर्मनी	346.54
दक्षिण अफ्रीका	321.48

1	2
नाइजीरिया	227.97
ब्राजील	221.34
नीदरलैंड	192.23
कनाडा	188.92
केन्या	184.86
तुर्की	159.95
वियतनाम	144.99
इजरायल	139.1
स्पेन	134.06
घाना	133.14
चीन	132.61
फ्रांस	131.22
इटली	129.6
श्रीलंका	127.79
यूक्रेन	122.25
20 देशों का कुल	6217.1
कुल योग	10394

187-188

डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

5133. श्री नरहरि महतो :

श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य के बढ़ने के कारण देश में रोजगार के अवसरों की भारी कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारण से कम हो गए रोजगार के अवसरों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान रुपये के मूल्य में कमी होने के बाद भी रोजगार अवसरों की अभी भी भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ङ) भारत में रोजगार स्तर पर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में वृद्धि एवं ह्रास के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। जुलाई 2010 - जुलाई 2011 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत से हुए निर्यातों में डॉलर के रूप में 53.98% और रुपए के रूप में 49.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2 सितंबर, 2010 से 2 सितंबर, 2011 की अवधि के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 43.95 से 46.78 के बीच भिन्न रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध श्रम ब्यूरो द्वारा भारत में रोजगार पर वैश्विक आर्थिक मंदी से पड़ने वाले प्रभावों पर जल्दी-जल्दी 10 तिमाही सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, सर्वेक्षण के तहत सम्मिलित किए गए निर्यातकर्ता एवं गैर-निर्यातकर्ता एककों के समूचे रोजगार में अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान 18 लाख से ज्यादा की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

[हिन्दी]

188

पेंशन योजनाओं के लाभ

5134. श्रीमती मीना सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार पेंशन योजना, 1971 एवं 1995 गैर-सदस्य लोगों को उक्त योजना का सदस्य बनने पर प्रदान किए जाने वाले पेंशन लाभों के संबंध में क्या नीति है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के जो सदस्य कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य नहीं थे वे योजना के उपबंधों के अनुसार 38 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का सदस्य बनने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

[अनुवाद]

ओ.बी.सी. कोटा का विभाजन

5135. **चौधरी लाल सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के 27 प्रतिशत कोटा को विभिन्न पिछड़ी जाति समूहों में विभाजित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़ों पर निगरानी

5136. **श्री तकाम संजय : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ले जा रहे हेलीकाप्टर के दुर्घटना स्थल का सटीक मानचित्रण करने में सुखोई-30 तथा अन्य सहयोगी एजेंसियों के विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र बल दुर्घटना क्षेत्र को कवर करने में विफल रहे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में निगरानी में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 विमान द्वारा दुर्घटना स्थल का अनुमान लगाया गया था। इस तरह की खोज और मानचित्रण करने के प्रचालनों की प्रभावोत्पादकता, क्षेत्र, मौसम, उस क्षेत्र के कारकों (कोर्डिनेंट्स) की उपलब्धता और मलबे के आकार पर निर्भर होती है। सरकार उपलब्ध निगरानी प्रक्रिया की क्षमता की समय-समय पर समीक्षा करती है और उस पर कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाएं

5137. **श्री उमाशंकर सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल्को के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्थापित 1200 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्र में हुई दुर्घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्र से संबंधित एसएपीसीओ एवं डीजीसी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत मारे गए श्रमिकों से संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(घ) मृतकों के पारिवारिक सदस्यों/आश्रितों को अब तक प्रदत्त मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मृतक श्रमिक किस राज्य/जिले के थे और उनकी संख्या कितनी है; और

(च) उनके पारिवारिक सदस्यों/आश्रितों को कब तक नौकरी/मुआवजा प्रदान किया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ग) कारखाना निदेशालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार दिनांक 23.09.2009 को कोरबा, छत्तीसगढ़ के 1200 मेगावाट के विद्युत संयंत्र में जो कि निर्माणाधीन है, एक दुर्घटना हुई थी। निर्माणाधीन चिमनी के ध्वस्त हो जाने के परिणामस्वरूप 40 कामगार मारे गए तथा 7 जख्मी हो गए। उप निदेशक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर ने माननीय श्रम न्यायालय, कोरबा में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत तैयार किए गए राज्य कारखाना नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन शुरू किया है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यावरण संरक्षण

5138. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रद्दी कागज तथा नगरपालिका के कचरे के पुनर्चक्रण से बने कागज की खरीद को बढ़ावा देकर पर्यावरण-संरक्षण के लिए नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में रद्दी कागज तथा नगरपालिका के कचरे के पुनर्चक्रण से बने कागज की खरीद को बढ़ावा देकर पर्यावरण-संरक्षण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। तथापि, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है।

[हिन्दी] 191-92

सोन नदी पर पुल

5139. श्री कामेश्वर बैठा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी पर 300 किमी क्षेत्र में सड़क पुल के अभाव में यात्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का झारखंड में काडी खंड के श्रीनगर गांव में और बिहार में नौहारा खंड के पंडुका गांव में सोन नदी पर सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्य में अन्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। सोन नदी पर प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित नहीं है।

श्रमिक

ठेका श्रम अधिनियम, 1970

5140. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा (10)2 की उपधारा (क) से (घ) श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ठेका श्रमिकों के हितों के संरक्षण के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) सरकार उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय/आदेश से अनभिज्ञ है जिसमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (क) से (घ) के उपबंध का संदर्भ लिया गया है कि यह श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय परिधि के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण कराए जाते हैं और समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) द्वारा ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए अभियोजन दायर किया जाना शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] सरकारी सेवा 192-93

अग्निशमन सेवा

5141. श्री राकेश सचान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सशस्त्र सेनाओं की अग्निशमन सेवाओं में ढांचागत सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं के अग्निशमन कर्मचारियों के सेवा नियमों में कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) भारत सरकार के दिनांक 26.7.2010 के पत्र द्वारा रक्षा स्थापनाओं के अग्निशमन कर्मचारियों को बढ़ाया गया वेतनमान और संशोधित वेतन ढांचा पहले ही प्रदान कर दिया गया है।

सेवा की निबंधन और शर्तें प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं। निबंधन और शर्तों की सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण

5142. श्री अशोक अर्गल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में बनमोर और मलनपुर सहित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने हेतु कोई दौरे किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी इकाइयां, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2011 की अवधि के दौरान पर्यावरण निगरानी स्कवॉयड (ईएसएस) कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 854 उद्योगों का निरीक्षण किया है जिसमें मध्य प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मध्य प्रदेश में बनमोर तथा मलनपुर के उद्योगों का विशिष्ट निरीक्षण किया है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बनमोर के उद्योगों में कोई प्रदूषण नहीं पाया गया है। एमपीपीसीबी द्वारा मलनपुर के उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्रवाई निम्नवत् है:

1. **मैसर्स वी.आर.एस. फूड्स लिमिटेड**-दिनांक 30.10.2009 को इस उद्योग के निरीक्षण के दौरान यहां उपचारित अपशिष्ट जल के विसर्जन में निर्धारित मानदंड का उल्लंघन पाया गया। एमपीपीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अंतर्गत इस उद्योग को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

2. **मैसर्स एमिनेन्स इंडिया लिमिटेड**-दिनांक 19.02.2008 को इस उद्योग के निरीक्षण के दौरान यहां उपचारित अपशिष्ट जल के विसर्जन में निर्धारित मानदंड का उल्लंघन पाया गया। एमपीपीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 के अंतर्गत इस उद्योग को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

कुशल परिवहन सुविधाओं का सृजन

5143. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी बसों को बदलने और राज्य के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल परिवहन सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग

मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक 03.07.2010 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य के आदिवासी लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल सड़क परिवहन निगम के तीन आदिवासी डिपो के लिए बसों/टैक्सियों को बदलने और अतिरिक्त बसों/टैक्सियों की खरीद के लिए 45.88 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता मांगी गई है। इस समय, इस मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके।

इस मंत्रालय की "सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" नामक योजना के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सरकार को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 3.453 करोड़ रुपए (परियोजना लागत का 50%) तक की एक बारीय केन्द्रीय सहायता दिनांक 28.12.2010 को संस्वीकृत की गई थी जो हिमाचल सड़क परिवहन निगम में जीपीएस आधारित वाहन खोज प्रणाली, यात्री सूचना प्रणाली की स्थापना, टिकट बिक्री मशीनों के प्रापण तथा स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली के लिए थी।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

5144. श्री एम.बी. राजेश : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने सरकार को 15 वर्षों से कम की सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जी, हां।

(ख) सशस्त्र सेना अधिकरण ने भूतपूर्व सैनिक गैर-पेंशनभोगी एसोसिएशन के टी.ए. सं. 41/2010 पर 4.4.2001 को एक आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादियों अर्थात् भारत संघ तथा अन्य को निर्देश दिए गए कि पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए उक्त मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार करवाया जाए।

(ग) सशस्त्र सेना अधिकरण के आदेश पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पौधों का लुप्त होना

5145. श्री सतपाल महाराज :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई), ने लुप्तप्राय: पौधों, जूड़ी-बूटियों, झाड़ियों आदि के संबंध में कोई सर्वेक्षण/आंकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उत्तराखंड सहित चेऊरा (डिपलोक्नेमा बुटेरेका) सहित लुप्तप्राय: औषधीय पादपों, जड़ी-बूटियों की संख्या क्या है;

(ग) उनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनके दोहन में शामिल एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाई गई एजेंसियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण/मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 1236 पौधे, जड़ी-बूटियां, झाड़ियां संकटापन्न हैं और इनके विलुप्त होने की आशंका है। इनमें से उत्तराखंड सहित देश में 53 पौधों, जड़ी-बूटियों, झाड़ियों में औषधीय गुण मौजूद हैं।

(ग) और (घ) सामान्यत: पादप विविधता का संरक्षण करने और विशेषत: संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावास

में सुधार प्राथमिक उपाय है। इस उद्देश्य हेतु देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 76.9 मिलियन हेक्टेयर को वनों के रूप में अधिसूचित किया गया है और इन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और विभिन्न राज्य अधिनियमों के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है। इनमें से, लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर रिकार्डिड वन को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अन्तर्गत लाया गया है जिसमें 100 राष्ट्रीय उद्यान, 514 वन्यजीव अभयारण्य, 43 संरक्षण रिजर्व और 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। इन क्षेत्रों को वन्यजीव (संरक्षण अधिनियम, 1972 (डब्ल्यूएलपीए) के अंतर्गत अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त है। संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध पौधों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाता है। जहां राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में पौधों, जड़ी-बूटियों के उपयोग पर डब्ल्यूएलपीए, 1972 और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत पूरी तरह से रोक लगी है, वहीं इन क्षेत्रों के बाहर संकटापन्न पौधों, जड़ी-बूटियों के साथ-साथ विलुप्तप्राय पौधों और जड़ी-बूटियों को डब्ल्यूएलपीए, 1972 के अध्याय III के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है। इन अधिनियमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का अधिदेश है जो किसी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा पौधों के अवैध संग्रहण सहित इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं।

100 परियोजनाओं को सौंपा जाना

5146. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री अशोक अर्गल :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2011-12 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 100 परियोजनाओं को सौंपे जाने की रूप रेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निजी एजेंसियों को सौंपे गए राजमार्गों के रख-रखाव/मरम्मत कार्य और निर्धारित की गई निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्होंने एनएचएआई को लाभ प्रदान किया है; और

(च) क्या राजमार्ग परियोजना में भारी निजी निवेश के कारण लाभ हुआ है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2011-12 में 60 परियोजनाएं सौंपने का लक्ष्य रखा है; आंध्र प्रदेश सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष में और वर्तमान वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) 3634 किमी लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, 35 प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) ठेकों के माध्यम से और 538 किमी लंबाई का रखरखाव प्रचालन, अनुरक्षण एवं हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर तीन रियातग्राहियों के माध्यम से किया उजा रहा है। प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकों के अंतर्गत, ठेकेदार मद-दर आधार पर निवारक और/अथवा क्षति उपरांत मरम्मत कार्य करता है और इस कार्य का पर्यवेक्षण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ओएमटी रियातग्राही, रियायत करार के अनुसार पथकर के संग्रहण और न्यूनतम निष्पादन मापदंडों के अनुरूप राजमार्ग खंड का अनुरक्षण वांछित स्तर तक करने के लिए उत्तरदायी होता है। इन खंडों का पर्यवेक्षण, स्वतंत्र अभियंता के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अनुरक्षण के दोनों ही तरीकों में घटना प्रबंधन का घटक भी शामिल होता है।

(ङ) और (च) अभी तक सौंपी गई 53 परियोजनाओं में परियोजनाओं के अवधारित आकर्षण और बाजारगत शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव के कारण प्रीमियम/नकारात्मक अनुदान प्राप्त हुआ है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 2011-12 में सौंपी जाने वाली परियोजनाएं

क्र. सं.	रारा सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लंबाई (किमी.)	एनएचडीपी चरण
1	2	3	4	5	6
1.	8	अहमदाबाद-बदोदरा	गुजरात	102	V
2.	12	कोटा-तीनधार (झालवाड़)	राजस्थान	88	III
3.	14	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	राजस्थान	244	III
4.	6	नागपुर-वेनगंगा पुल	महाराष्ट्र	45	III
5.	47	वालयार-वडक्कनचेरी	केरल	54	II
6.	215	पानीकोइली-रिमूली	ओडिशा	163	III
7.	71	रोहतक-जींद	हरियाणा	46	III
8.	66	टिंडीवनम-कृष्णागिरी	तमिलनाडु	178	III
9.	2	बरवा अड्डा-पानागढ़	पश्चिम बंगाल	122	V
10.	7	जबलपुर-लखनादोन	मध्य प्रदेश	74	IV
11.	3	शिवपुरी-देवास	मध्य प्रदेश	330	IV
12.	3	ग्वालियर-शिवपुरी	मध्य प्रदेश	125	IV
13.	4	वालाझपेट-पूनामल्ली	तमिलनाडु	92	V
14.	एनई-II	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे	उत्तर प्रदेश/हरियाणा	135	अन्य
15.	44	जोवाई-मेघालय/असम सीमा	असम	102	III
16.	9	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	आंध्र प्रदेश	64.6	III
17.	30 और 84	पटना-बक्सर	बिहार	125	III
18.	6	औरंग-सरायपल्ली-ओडिशा	छत्तीसगढ़	150	IV

1	2	3	4	5	6
19.	235	मेरठ-बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	63	IV
20.	7	जबलपुर-कटनी-रीवा	मध्य प्रदेश	210	IV
21.	8, 79ए	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद	राजस्थान/गुजरात	556	V
22.	87	रामपुर-कोठगोदाम	उत्तराखंड	93	III
23.	93	मुरादाबाद-अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	145	IV
24.	23	बीरमित्रपुर-बारकोटे	ओडिशा	128	IV
25.	71	पंजाब/हरियाणा सीमा-जींद	हरियाणा	70	IV
26.	63	होसपेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	कर्नाटक	95	IV
27.	9	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	महाराष्ट्र	126	IV
28.	42	अंगुल-संबलपुर	ओडिशा	153	IV
29.	28	मुजफ्फरपुर-बरौनी	बिहार	107	IV
30.	21	बिलासपुर-नेड् चौक	हिमाचल प्रदेश	54	IV
31.	2	इटावा-चकेरी	उत्तर प्रदेश	157	V
32.	5	विजयवाड़ा-इलूरु-गुंडूगोलनू	आंध्र प्रदेश	103.59	V
33.	2	आगरा-इटावा बाइपास	उत्तर प्रदेश	125	V
34.	73	हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा-यमुनानगर-बरवाला-पंचकूला	हरियाणा	104	III
35.	13	होसपेट-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	120	IV
36.	9	महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा-सांगारेड्डी	कर्नाटक	145	IV
37.	42	कटक-अंगुल	ओडिशा	112	IV
38.	200	रायपुर-बिलासपुर	छत्तीसगढ़	127	IV
39.	56	लखनऊ-सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	124	IV

1	2	3	4	5	6
40.	5ए	चांदीखोल-दुबरी-तलचर	ओडिशा	77	V
41.	60	खड़गपुर-बालेश्वर	ओडिशा	119	V
42.	49	मदुरै-परमाकुडी-रामनाथपुरम	तमिलनाडु	116	III
43.	10	रोहतक-हिसार	हरियाणा	100	III
44.	31	खगडिया-बख्तियारपुर	बिहार	120	III
45.	13	शोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा-बीजापुर	महाराष्ट्र	100	III
46.	56	वाराणसी-सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	142	IV
47.	6	अमरावती-धुले-गुजरात सीमा	महाराष्ट्र	480	IV
48.	45सी	विक्रावंडी-कुंभकोणम-तंजावूर	तमिलनाडु	165	IV
49.	6 और 33	महुलिया-बहारगोडा	झारखंड	150	IV
50.	200	चांदीखोल-पारादीप	ओडिशा	133	III
51.	17	कुंदापुर-कर्नाटक/गोवा सीमा	कर्नाटक	192	IV
52.	207	हौसकोटे-दोबेसपेट	कर्नाटक	89	IV
53.	95	लुधियाना-चंडीगढ़	पंजाब	—	V
54.	5	राजामुंद्री-गुंडूगोलनु	आंध्र प्रदेश	128	V
55.	2	चकेरी-इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	150	V
56.	2	इलाहाबाद बाइपास-वाराणसी	उत्तर प्रदेश	160	V
57.	5	आनंदपुरम-विशाखापट्टनम-अंकापल्ली	आंध्र प्रदेश	59	V
58.	4	मुलबागल-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	कर्नाटक	22	III
59.	67	कोयंबटूर-मेट्टूपल्लायम	तमिलनाडु	54	III
60.	2	औरंगाबाद-बरवा अड्डा	बिहार	220	V

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान सौंपी गई पीपीपी परियोजनाएं-बीओटी और वार्षिकी

खंडों का ब्यौरा	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी)	पूर्ण की गई लंबाई (किमी)	वित्त पोषण	टीपीसी (करोड़ रु.)	अब तक व्यय (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2008-09				
कुडप्पा-मैदुकुर-कुरनूल	18	188.752	0	बीओटी	1585	180.82	कार्यान्वयन किया जा रहा है	आंध्र प्रदेश
बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	2	4.4	4.4	बीओटी	340	222.63	पूर्ण	दिल्ली [2.7]/ हरियाणा [1.7]
गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खंड	6	132.9	28.49	बीओटी	1509.1	813.81	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
वडक्कनचेरी-त्रिशूर खंड को 6 लेन का बनाना	47	30	0	बीओटी	617	154.52	कार्यान्वयन किया जा रहा है	केरल
पुणे शोलापुर पैकेज-I (अनुमोदित लंबाई पैकेज-I और II-170 किमी)	9	110.05	48	बीओटी	1110	1204.91	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
पिंपलगांव - नासिक - गोंडे	3	60	30	बीओटी	940	315.85	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	3	98	62	बीओटी	835	396.42	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चैन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक 4 लेन का नया उत्थापित मार्ग	4	19	0	बीओटी	1655	0.18	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
				2009-10				
हैदराबाद-विजयवाड़ा	9	181.63	70.71	बीओटी	1740	937.93	कार्यान्वयन किया जा रहा है	आंध्र प्रदेश
अरमूर-कडलूर-येल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) (अनुमोदित लंबाई 60.25 किमी)	7	59	41.98	बीओटी	390.56	375.06	कार्यान्वयन किया जा रहा है	आंध्र प्रदेश
हैदराबाद-यादगिरि (अनुमोदित लंबाई 30 किमी)	202	35.65	19.4	बीओटी	388	328.58	कार्यान्वयन किया जा रहा है	आंध्र प्रदेश
पटना-मुजफ्फरपुर	19 और 77	63	2	वार्षिकी	671.3	112.52	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	4ए	69	0	बीओटी	471	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गोवा
समखियाली - गांधीधाम	8ए	56.16	0	बीओटी	805.39	7.26	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
कांडला-मुंदडा पत्तन (अनुमोदित लंबाई 73 किमी)	8ए	71.4	0	बीओटी	953.88	17.7	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 210 किमी)	59	87.285	0	बीओटी	785.5	179.48	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अहमदाबाद-गोधरा को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 210 किमी)	59	117.6	0	बीओटी	1008.5	458.52	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
पानीपत-रोहतक (अनुमोदित लंबाई 73 किमी)	71ए	80.858	0	बीओटी	807	300.12	कार्यान्वयन किया जा रहा है	हरियाणा
रोहतक-बावल (अनुमोदित लंबाई 97 किमी)	71	82.553	0	बीओटी	650	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	हरियाणा
हजारीबाग-रांची	33	75	26	वार्षिकी	625.07	665.96	कार्यान्वयन किया जा रहा है	झारखंड
हुगुंड-होजपेट (अनुमोदित लंबाई 194 किमी)	13	97.89	7.25	बीओटी	946	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
हैदराबाद-बंगलौर खंड का उन्नयन	7	22.12	0	बीओटी	680	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
बीजापुर हुंगुड खंड (अनुमोदित लंबाई 194 किमी)	13	97.22	60.19	बीओटी	748	831.46	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
कुंडापुर - सूरतकल और मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	17	90	10.69	बीओटी	671	173.17	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरम को 4 लेन का बनाया जाना (पैकेज-I)	17	83.2	0	बीओटी	1366	29.65	कार्यान्वयन किया जा रहा है	केरल
कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरम को 4 लेन का बनाया जाना (पैकेज-II)	17	81.5	0	बीओटी	1312	1.14	कार्यान्वयन किया जा रहा है	केरल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चरथलई-ओचिरा (अनुमोदित लंबाई 55 किमी)	47	83.6	0	बीओटी	1535	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	केरल
इंदौर-देवास (अनुमोदित लंबाई 55 किमी)	3	45.05	0	बीओटी	325	138.67	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश
इंदौर-झाबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश (अनुमोदित लंबाई 168 किमी)	59	155.15	35.5	बीओटी	1175	138.67	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश
काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक 4 लेन का बनाया जाना	7	95	48	बीओटी	1170.52	4.41	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
पुणे शोलापुर पैकेज-II (अनुमोदित लंबाई पैकेज-I और II-170 किमी)	9	105	0	बीओटी	835	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
तालेगांव - अमरावती (अनुमोदित लंबाई 58 किमी)	6	67.8	0	बीओटी	567	10.04	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
पुणे-सतारा (अनुमोदित लंबाई 145 किमी)	4	140.35	0	बीओटी	1724.55	107.56	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
अमृतसर - पठानकोट (अनुमोदित लंबाई 101 किमी)	15	106	10.63	बीओटी	705	822.64	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पंजाब
जयपुर-टोंक-देवली (अनुमोदित लंबाई 148.77 किमी)	12	150	14	बीओटी	792.06	374.73	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जयपुर-रींगस (अनुमोदित लंबाई 52.65 किमी)	11	54	0	बीओटी	267.81	11.73	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान
किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	8	82	40.73	बीओटी	795	804.29	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान
कृष्णागिरि-वालजापेट खंड को छः लेन का बनाया जाना	46	148.3	0	बीओटी	1250	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
चेंगापल्ली से कोयम्बतूर बाइपास और कोयम्बतूर बाइपास के छोर से तमिलनाडु/केरल सीमा तक	47	54.83	14.27	बीओटी	852	267.77	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
मुरादाबाद - बरेली (अनुमोदित लंबाई 112 किमी)	24	121	18	बीओटी	1267	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
गाजियाबाद - अलीगढ़ (अनुमोदित लंबाई 106 किमी)	91	126	0	बीओटी	1141	182.46	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
मुजफ्फरनगर-हरिद्वार (अनुमोदित लंबाई 77 किमी)	58, 72	80	0	बीओटी	754	136.66	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश [21]/ उत्तरांचल [59]
हरिद्वार-देहरादून (अनुमोदित लंबाई 69 किमी)	72	39	0	वार्षिकी	478	44.74	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तरांचल
रायगंज-डलकोला को 4 लेन का बनाया जाना	34	50	0	बीओटी	580.43	7.14	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल
फरक्का-रायगंज को 4 लेन का बनाया जाना	34	103	0	बीओटी	1078.84	6.37	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बरहमपुर-फरक्का को 4 लेन का बनाया जाना	34	103	0	बीओटी	998.79	1.99	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल
				2010-11				
नैल्लूर-चिल्कालूरिपेट को 6 लेन का बनाया जाना	5	183.52	0	बीओटी	1535	6.63	कार्यान्वयन किया जा रहा है	आंध्र प्रदेश
छपरा-हाजीपुर को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 153 किमी)	19	65	0	वार्षिकी	575	192.57	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
पटना-बख्तियारपुर	30	50.6	0	बीओटी	574	9	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
खगड़िया-पूर्णिया	31	140	0	वार्षिकी	664	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
मोतिहारी-रक्सौल (अनुमोदित लंबाई 67 किमी)	28ए	68.79	0	बीओटी	375.09	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
फोरबिसगंज-जोगबनी को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 13 किमी)	57ए	9.258	0	वार्षिकी	73.55	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
गोपालगंज-छपरा	85	92	0	वार्षिकी	325	5.78	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
मुजफ्फरपुर-सोनबरसा को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 89 किमी)	77	86	0	वार्षिकी	511.54	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मोकामा - मुंगेर को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 70 किमी)	80	69.27	2.5	वार्षिकी	351.54	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार
वाराणसी-औरंगाबाद	2	192.4	0	बीओटी	2848	9.73	कार्यान्वयन किया जा रहा है	बिहार और उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/ कर्नाटक सीमा को 4/6 लेन का बनाया जाना	17	139	0	बीओटी	1872	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गोवा
रारा-8डी के जैतपुर-सोमनाथ खंड को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 180.3 किमी)	8D	123.45	0	बीओटी	828	2.36	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
दिल्ली - आगरा (अनुमोदित लंबाई 180.3 किमी)	2	179.5	0	बीओटी	1928.22	22.19	कार्यान्वयन किया जा रहा है	हरियाणा उत्तर प्रदेश
जम्मू-उधमपुर	1ए	65	0	वार्षिकी	1813.76	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	जम्मू और कश्मीर
चेनानी से नसरी	1ए	12	0	वार्षिकी	2159	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर से बनिहाल	1ए	67.76	0	वार्षिकी	1100.7	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	जम्मू और कश्मीर
काजीगुंड-बनिहाल	1ए	15.25	0	वार्षिकी	1987	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	जम्मू और कश्मीर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बरही-हजारीबाग को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 40 किमी)	33	41.314	0	बीओटी	398	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	झारखंड
रांची-रारगांव-जमशेदपुर	33	163.5	0	वार्षिकी	1479	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	झारखंड
चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास (अनुमोदित लंबाई 145 किमी)	4	114	0	बीओटी	839	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
देवीहल्ली-हासन (अनुमोदित लंबाई 73 किमी)	48	77.23	0	बीओटी	453	105.1	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
बेलगाम-खानंपुर खंड (किमी 0.00 से किमी 30.00) को 4 लेन का बनाया जाना और खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा (किमी 30.00 से 84.120) को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाया जाना	4ए	81.89	0	बीओटी	359	0.99	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
बेलगाम-धारवाड़ (अनुमोदित लंबाई 111 किमी)	4	80	0	बीओटी	480	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	कर्नाटक
कर्नाटक/केरल सीमा-कुन्नूर खंड (अनुमोदित लंबाई 286.3 किमी)	17	126.6	0	बीओटी	1157.16	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	केरल
भोपाल-सांची (अनुमोदित लंबाई 40 किमी)	86 वि.	53.78	0	वार्षिकी	209	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश
नागपुर बेतल को 4 लेन का बनाया जाना	69	176.3	0	वार्षिकी	2498.76	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश [120]/ महाराष्ट्र [56.3]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुलतई-छिंदवाड़ा-सिवनी खंड और नरसिंहपुर-अमरावारा-उमरनाला सावनेर खंड (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन)	69ए और 26बी	418		एनएचएआई	1565	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश [405]/ महाराष्ट्र [13]
पनवेल-इंद्रापुर	17	84	0	बीओटी	942.69	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
शिलांग-बाइपास	40 और 44	50	0	वार्षिकी	226	24.4	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मेघालय
जोरबाट-बारापानी	40	61.8	0	वार्षिकी	536	162.59	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मेघालय
सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/ ओडिशा सीमा	6	88	0	बीओटी	909	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	ओडिशा
चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर को छः लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 61 किमी)	5	67	0	बीओटी	1047	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	ओडिशा
भुवनेश्वर-पुरी (अनुमोदित लंबाई 59 किमी)	203	67	0	बीओटी	500.29	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	ओडिशा
रिमूली-रौक्सी-राजमुंडा (अनुमोदित लंबाई 163 किमी)	215	96	0	बीओटी	586	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	ओडिशा
लुधियाना-तलवंडी खंड को चार लेन का बनाया जाना	95	78	0	बीओटी	479	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पंजाब
रींगस-सीकर	11	43.887	0	वार्षिकी	333.51	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
देवली-कोटा	12	83	0	बीओटी	593	65.94	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान
चेन्नै-एन्नोर पत्तन पर्याप्त सड़क संपर्क का विकास	एस.आर	30.2	0	SPV	600	69.15	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
होसूर - कृष्णागिरि को 6 लेन का बनाया जाना	7	59.87	0	बीओटी	535	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
हिंडीगुल-पेरिगुलम-थेनी-कुमली खंड को 2 लेन का बनाया जाना	220	134	0	वार्षिकी	485	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
त्रिची-करईकुडी और त्रिची बाइपास (अनुमोदित लंबाई 100 किमी) को 2 लेन का बनाया जाना	210 और 67	110.372	0	वार्षिकी	374	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु
तिरुपति-तिरुथानी-चेन्नै को चार लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 125.5 किमी)	205	124.7	0	बीओटी	571	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु [61.47]/ मध्य प्रदेश [63.23]
कानपुर-कबरई	86	123	0	बीओटी	373.47	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
बरेली - सीतापुर (अनुमोदित लंबाई 134 किमी)	24	151.2	0	बीओटी	1046	22.53	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
आगरा - अलीगढ़	93	79	0	बीओटी	250.5	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
रायबरेली से इलाहाबाद	24 बी	119	0	बीओटी	291.36	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश
अलीगढ़-कानपुर	91	268	0	बीओटी	723.68	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृष्णानगर-बरहमपुर	34	78	0	वार्षिकी	702.16	4.7	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल
बारासात-कृष्णानगर	34	84	0	वार्षिकी	867	3.57	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल
दनकुनी-खड़गपुर खंड को छः लेन का बनाया जाना	6	111.4	0	बीओटी	1396.18	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	पश्चिम बंगाल
				2011-12				
अहमदाबाद-वदोदरा खंड	8	102.3	0	बीओटी	2125.24	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	गुजरात
बरवा अड्डा-पानागढ़ को छः लेन का बनाया जाना	2	122.88	0	बीओटी	1665	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	झारखंड [43]/ पश्चिम बंगाल [79.88]
जबलपुर से लखनादोन	7	80.82	0	बीओटी	776.76	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	मध्य प्रदेश
नागपुर-वेनगंगा पुल (अनुमोदित लंबाई-60 किमी)	6	45.43	0	बीओटी	484.19	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	महाराष्ट्र
कोटा-झालावाड़	12	88.9	0	बीओटी	530.01	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान
ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा (अनुमोदित लंबाई-246 किमी)	14	244.12	0	बीओटी	2388	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	राजस्थान
कृष्णागिरी-टिंडीवनम खंड को दो लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 170 किमी)	66	176.51	0	वार्षिकी	624	0	कार्यान्वयन किया जा रहा है	तमिलनाडु

227-28

[हिन्दी]

वनों के विनाश पर रोक

5147. **श्री हरिभाऊ जावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनों के लुप्त होने के क्या कारण हैं और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में लाए गए मामलों की संख्या क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के जलगांव में असामाजिक तत्वों द्वारा सतपुड़ा के वनों की कटाई का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी नहीं, बड़े पैमाने पर वनों के विलुप्त होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वास्तव में, नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट (एसएफआर), 2009 के अनुसार, देश में वनावरण में 728 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

(ग) महाराष्ट्र वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की सीमा से लगे महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अग्र फील्ड स्टाफ एवं अन्य स्रोतों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुल असामाजिक तत्व स्थानीय लोगों के साथ-साथ सीमावर्ती राज्य से लोगों को नए क्लियरिंग के पश्चात वन भूमि पर अतिक्रमण करने और इसे पुराना अतिक्रमण बताकर इसे ग्राम सभा स्तर पर जोर-जबरदस्ती करके और वन एवं अन्य पदाधिकारियों को आतंकित करके मंजूर करवाने के लिए उकसा रहे हैं।

(घ) वन कार्मिकों द्वारा विशेष शिविर लगाकर दिन-रात वनों का संरक्षण किया जा रहा है। स्थानीय राजस्व एवं पुलिस प्रशासन से भी सहायता ली जाती है। वनों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए हथियार और गोला बारूद भी असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य हेतु राज्य रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री ने भी वनों के संरक्षण हेतु 03.08.2011 को वन, पुलिस, राजस्व अधिकारियों और संबंधित लोगों की एक विशेष बैठक आयोजित की और उपायों की घोषणा की जैसे संरक्षण हेतु भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं लेना, रेंज वन अधिकारियों को स्वचालित चार पहिये वाले वाहन उपलब्ध करना, सहायक वन संरक्षक को दंडाधिकारी के अधिकार देना, असामाजिक तत्वों से आत्मरक्षा के मामले में एसआरपी को आदेश देना, और वनों के प्रभावी संरक्षण को बल देने के लिए ऐसे क्षेत्र को अतिरिक्त अनुदान देना।

[अनुवाद] 228-29

हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व का प्रभाव

5148. **श्री मनीष तिवारी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन द्वारा केन्द्रीय हिंद महासागर (इंटरनेशनल सीबैड अथारिटी द्वारा स्वीकृत) में गहरे-समुद्र खनन लाइसेंस हेतु आवेदन से चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको इस क्षेत्र में चीनी युद्धपोतों के चलाने और संवेदी जल-विज्ञान और समुद्री-विज्ञान आंकड़े एकत्र करने के बहाने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना आसूचना निदेशालय ने अपने टिप्पण में यह चेतावनी दी है कि भारत पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच इस संबंध में चिंताओं पर दृष्टिकोण में सहमति है तौर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके सैन्य प्रभावों की निगरानी नौसेना द्वारा किया जाना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसी पहुंच रखने वाले अन्य देश कौन हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) चीन के महासागर खनिज संसाधन अनुसंधान एवं विकास संघ ने दक्षिण-पश्चिमी भारतीय महासागर

रिज' में पॉलीमेटेलिक सल्फाईड की खोज हेतु कार्य योजना के अनुमोदन के लिए गहन समुद्र उत्खनन अन्वेषण के लाईसेंस हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण में अपना आवेदन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने जुलाई, 2011 में इस आवेदन को मंजूरी दे दी है।

(ख) से (च) सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक हितों से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और मौजूदा सुरक्षा स्थिति व रणनीतिक निहितार्थों के अनुसार इनकी रक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

229

वन भूमि की बिक्री पर रोक

5149. **श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि देश में वन भूमि की गैर-कानूनी रूप से बिक्री हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में चिन्हित ऐसे मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] सेना 229.30

एक रैंक - एक पेंशन

5150. **डॉ. ज्योति मिर्धा :**
श्री पी. लिंगम :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्री रवनीत सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन योजना को आंशिक रूप से लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो अर्हक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन प्रदान करने के लिए आबंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति अनुसार निधियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है और पेंशन के वितरण में विलंब, यदि कोई है, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक मांगों को नए सिरे से पूरा करने के लिए एक रैंक-एक पेंशन की मांग पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) पेंशन में सुधार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की पेंशन में व्यापक सुधार किए गए हैं।

(ख) 'समान रैंक-समान पेंशन तथा अन्य संबंधित मामलों' के मुद्दे पर विचार करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति ने समान रैंक समान पेंशन की सिफारिश करने को व्यवहार्य नहीं पाया। तथापि, मांग की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों तथा कमीशन-प्राप्त अफसरों के पेंशन संबंधी लाभों में व्यापक सुधार के लिए कई अन्य सिफारिशें की गई हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये www.pcdapension.nic.in पर उपलब्ध हैं। इन आदेशों से न केवल पिछले तथा मौजूदा पेंशन-भोगियों के बीच अंतर को काफी हद तक कम किया गया है अपितु निशक्त भूतपूर्व सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में काफी सुधार भी हुआ है।

(ग) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान रक्षा पेंशन व्यय की बुकिंग की वार्षिक सारणी के अनुसार रक्षा पेंशन व्यय के लिए आबंटित समग्र राशि पूर्ण रूप से बुक हो गई है और ऐसी कोई राशि नहीं है जो खर्च न की गई हो।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 231

पर्यावरण-रोधी कार्यकलापों पर रोकथाम

5151. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अरावली क्षेत्र विशेषकर फरीदाबाद, अलवर और गुड़गाव के विभिन्न क्षेत्रों को भूगर्भीय सर्वेक्षण में खतरनाक भूकंप क्षेत्र घोषित करने के बावजूद विभिन्न विकास कार्य जैसे निर्माण, बोरिंग और अवैध खनन के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर्यावरण-रोधी कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय/प्रस्तावित उपायों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] 231-32

लिंग संवेदनशील निःशक्तता विधान

5152. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निःशक्त जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है;

(ख) निःशक्त महिलाओं को वर्तमान में कौन-सा विशिष्ट दर्जा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनुसमर्थित निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन लिंग संवेदनशील निःशक्तता विधान को तैयार किये जाने तथा उसे लागू किये जाने को विहित करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की इससे जुड़ी लिंग चिंताओं को समेकित करने के मद्देनजर मौजूदा निःशक्तता नीतियों की समीक्षा करने की मंशा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 2.19 करोड़ की कुल विकलांग जनसंख्या का 42.46% महिलाएं थीं।

(ख) निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में विकलांग महिलाओं सहित निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, रोजगार, शिक्षा में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई तथा गैर-भेदभाव इत्यादि जैसे प्रावधान हैं।

(ग) "विकलांग महिला नामक संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित की व्यवस्था है—

"1. पक्षकार राज्य इस बात को मानते है कि विकलांग महिलाएं और बालिकाएं बहु-भेदभाव की शिकार हैं तथा इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के उपाय करेंगे कि उन्हें सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं और पूर्ण तथा समान रूप से प्राप्त हों।

2. राज्य पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे कि विद्यमान अभिसमय में प्रतिपादित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की उन्हें प्रयोग करने और उपभोग करने की गारंटी के प्रयोजनार्थ महिलाओं का पूर्ण विकास, उन्नति और सशक्तिकरण किया जाए"।

(घ) और (ङ) वर्तमान राष्ट्रीय निःशक्तजन नीति पहले ही विकलांग महिलाओं के लिए विशेष हस्तक्षेपों, शोषण और प्रताड़ना के विरुद्ध संरक्षण, शिक्षा, रोजगार, पुनर्वास सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की आवश्यकता के स्वीकार करती है।

232-33

लाइकोफिलिसेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग

5153. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बूचड़खानों और चर्म शोधन प्रौद्योगिकियों में नमक रहित परिरक्षण प्रौद्योगिकियों के एक विकल्प के रूप में लाइकोफिलिसेशन प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कच्चे पशु चर्म के नमक रहित परिरक्षण हेतु

लाइकोफिलिसेशन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पशु चर्म और उनकी खालों के नमक रहित परिरक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है जो लाइकोफिलिसेशन द्वारा पशु चर्म की वैक्यूम ड्राईंग पर केन्द्रित है। यह प्रणाली पशु चर्म और खालों को दो महीने से अधिक समय तक परिरक्षण करने में सक्षम रही है और यह बूचड़ खानों में पशु चर्म/खाल के नमक रहित परिरक्षण हेतु सृजित किए जा रहे वैकल्पिक प्रणालियों में से एक विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, जिनका पर्यावरण और वन मंत्रालय और सीपीसीबी का भी प्रतिनिधित्व है, द्वारा गठित एक कोर ग्रुप ने बूचड़खानों और चर्मशोधन इकाइयों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने का कार्य प्रारंभ किया है।

पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र में परियोजनाएं

5154. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री सी. शिवासामी :
श्री पी. कुमार :

क्या **पर्यावरण** और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्रों में परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन (ईआईए) आरंभ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वार इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सितंबर, 2006 में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना को जारी किया है जिसमें इस अधिसूचना की कार्यसूची में ब्यौरे के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं तथा गतिविधियों हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को अधिदेशित किया गया है। परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के मूल्य-निर्धारण हेतु विचारार्थ विषयों के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्टों की तैयारी प्रारंभ करना अपेक्षित है। इस अधिसूचना में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए अधिसूचित पारि-संवेदनशील क्षेत्रों और सुरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 कि.मी. के भीतर परियोजनाओं पर विचार करने के लिए सामान्य शर्त के अंतर्गत कार्यविधि निर्धारित की गई है।

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

सेना के आयु पूरी कर चुके उपस्कर

5155. **श्री धनंजय सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन सशस्त्र सेनाओं के अधिकांश हथियार और उपस्कर अपनी आयु पूरी कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) सेनाओं के हथियारों और उपस्करों के स्वदेशीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जी, नहीं। पुराने व अप्रचलित हथियारों व उपस्करों का प्रतिस्थापन सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है जो खतरे की संकल्पना, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकी परिवर्तनों व उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एल.टी.आई.पी.पी.) तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना (ए.ए.पी.) पर आधारित होती है। वांछनीय उपस्कर व हथियार प्रणालियों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक अधिग्रहण योजना के अनुपालन में की जाती है।

(घ) रक्षा उत्पादन में वृहत् रूप से आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जनवरी, 2011 में एक रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की है। 'बनाओ' प्रक्रिया को स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2006 में प्रख्यापित किया गया था।

इसके अलावा, सरकार ने नवंबर, 2009 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में देश के अंदर स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 'खरीदो एवं बनाओ (भारतीय)' नामक एक नई श्रेणी को शामिल किया है।

[हिन्दी]

सेना केन्द्रीय कल्याण निधि

5156. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नागरिकों द्वारा सेना केन्द्रीय कल्याण निधि को दिये गए दान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निधि से कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि के तहत भविष्य में शहीदों के आश्रितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) सेना केन्द्र कल्याण निधि में नागरिकों से 50/- रुपए और इससे अधिक की राशि में दान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग सेवानिवृत्त जे.सी.ओ. और अन्य रैंक के आश्रितों को मृत्यु अनुदान के तौर पर तत्काल सहायता के रूप में और उन भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को, जो निर्धनता की अवस्था में जी रहे हैं, वित्तीय सहायता के तौर पर विपदा सहायता देने के रूप में भी किया जाता है। इस निधि के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दारान प्राप्त किए गए दान की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	चन्दा प्राप्त (रुपए)
2008-09	10,84,818.00
2009-10	13,79,862.00
2010-11	18,24,387.58

(ख) कारगिल युद्ध के शहीदों को उपर्युक्त निधि से कोई बित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को राष्ट्रीय रक्षा निधि (कारगिल) से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) कोई अन्य योजना नहीं बनाई गई है।

[अनुवाद]

तोप दागने का अभ्यास अधिनियम

5157. **श्री सुरेश अंगड़ी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (पैरा 2 के उपबंधों के तहत) यह विहित किया गया है कि किसी अधिसूचना के तहत किसी विशिष्ट क्षेत्र में सेना युद्धाभ्यास तीन वर्षों में किसी भी अवधि के दौरान साधारणतया तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिनियम का कड़ाई से पालन करती है और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में युद्धाभ्यसास खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने के लिए बने स्थानों को समय-समय पर बदलती रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। 'युद्धाभयास, फील्ड फायरिंग एवं तोपखाना अभ्यास अधिनियम 1938' के अध्याय-I के पैरा-2 में सैन्य युद्धाभ्यासों से संबंधित प्रावधान है। तथापि, फील्ड फायरिंग एक बिल्कुल अलग तरह की प्रशिक्षण प्रक्रिया है जो उसी अधिनियम के अध्याय-II में दी गई है।

सेना इस अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का अनुपालन करती है। सैन्य युद्धाभ्यास प्रतिबंधित हैं और उन्हें आयोजित करने का स्थल/स्थान समय-समय पर बदलता रहता है। तथापि, फील्ड फायरिंग/तोप द्वारा फायरिंग युद्धाभ्यास अधिसूचना में निर्धारित अवधि के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में किए जाते हैं और उनकी अवधि अथवा आवधिकता को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) फील्ड फायरिंग रेंजों को सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फील्ड फायरिंग रेंजों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	रेंज का नाम	राज्य
1	2	3
1.	खोडाला	महाराष्ट्र
2.	मरिहाल और एक्सटेंशन	कर्नाटक
3.	रामदुर्ग	कर्नाटक
4.	चेंगलपट्टु	तमिलनाडु
5.	वीरामलई	तमिलनाडु
6.	बलवंता	राजस्थान
7.	भारजा (माउंट आबू)	राजस्थान
8.	कालाकोट	राजस्थान
9.	खावडा (भुज के पास)	गुजरात
10.	भुज	गुजरात
11.	बगदाद असमारा	कर्नाटक
12.	कम्बादुर मंडल	आंध्र प्रदेश
13.	देवलाली	महाराष्ट्र
14.	के.के. रेंज (अहमदनगर)	महाराष्ट्र
15.	बबीना	मध्य प्रदेश
16.	पोखरन	राजस्थान
17.	बलवंता (नसीराबाद)	राजस्थान
18.	बम्बोरी (सागर)	मध्य प्रदेश
19.	कारुंगा	गुजरात
20.	देओतामुरा	त्रिपुरा
21.	गुरुर बसरु	असम
22.	नारा तिडिंग	असम
23.	सिक्किम बी	सिक्किम
24.	गमराता	अरुणाचल प्रदेश
25.	तीस्ता बी'	पश्चिम बंगाल
26.	लेमाकोंग	मणिपुर
27.	दरांगा	असम
28.	चक्की खाद	पंजाब (99) और हिमाचल प्रदेश (97)
29.	सुमदो	हिमाचल प्रदेश
30.	हीरानगर	जम्मू और कश्मीर
31.	नारायणगढ़	हिमाचल प्रदेश (30 अगस्त 14) और हरियाणा (30 जून 12)
32.	होशियारपुर	पंजाब (17) और हिमाचल प्रदेश (12)
33.	नन्दनी	जम्मू और कश्मीर
34.	बीरगुगियाना	पंजाब
35.	टांडा (योल)	हिमाचल प्रदेश
36.	दाउकी	उत्तर प्रदेश
37.	रीवा	मध्य प्रदेश
38.	फराह	उत्तर प्रदेश

1	2	3
39.	चोरल	मध्य प्रदेश
40.	नंबर 9 महू का एक्सटेंशन एबीसी	मध्य प्रदेश
41.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश
42.	थालकेधर	उत्तरांचल
43.	मांझा	उत्तर प्रदेश
44.	आसन	उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
45.	होरप	बिहार
46.	नेतराहाट	झारखंड
47.	देव डुमरी	बिहार
48.	मनेर	बिहार
49.	छोटाजाम	मध्य प्रदेश
50.	सिरमुतरा	राजस्थान
51.	गोपालपुर	ओडिशा
52.	रायपुर (देहरादून)	उत्तरांचल
53.	हेमा (महू)	मध्य प्रदेश
54.	बिरछा	जम्मू और कश्मीर
55.	खारबुथांग	जम्मू और कश्मीर
56.	तोशा मैदान	जम्मू और कश्मीर
57.	खुलुम	जम्मू और कश्मीर
58.	तारतार	जम्मू और कश्मीर
59.	माहे	जम्मू और कश्मीर
60.	गरही	जम्मू और कश्मीर
61.	कालेथ	जम्मू और कश्मीर
62.	झल्लास	जम्मू और कश्मीर
63.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर
64.	चोरखुद	जम्मू और कश्मीर
65.	महाजन	राजस्थान
66.	कामरोटा	राजस्थान

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राजमार्ग कार्यक्रम का विस्तार

5158. श्री संजय सिंह चौहान :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री मोहम्मद असरारुल हक :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार कार्यक्रम को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग 24, 91 और 58 सहित विशेषरूप से बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) विस्तार योजना की मौजूदा स्थिति क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु लंबित परियोजनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक अनुमति प्रदान किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत् प्रक्रिया है और सड़क संपर्क की आवश्यकता,

पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की जाती है। सरकार को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से लगभग 61,524 किमी सड़कों/राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है। सड़कों/राज्यीय राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने के लिए अलग से किमी निधि का प्रावधान नहीं किया जाता है।

विवरण

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का अद्यतन ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लंबाई किमी में
1	2		3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		*3.	हैदाराबाद-श्रीसेलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		*7.	काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरावपेटा-खम्माम-सूर्यापेटा	310
		8.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटूरू-भूपालपटनम	400
		9.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240
		11.	बैल्लारी-अदोनी-रायचूट-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12.	कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		*13.	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरि-एरपेडु-रेनिगुंटा	725
		14.	अंकापल्ली-अनादपुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70

1	2	3	4
		16. कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल	290
		17. अनंतपुर-उर्वाकोंडा-बेल्लारी	78
		18. पुतलापट्ड-नायडुपेट सड़क	117
		19. कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
		20. ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क	146.17
		*21. गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
		*22. आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरूतला-वेमूलवाड़ा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेट-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू	630
		23. निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
		24. कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
		25. विशाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापली-सिलेरू-उप्पेरसिलेरू-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूर	238
		26. विशाखापटनम-पेंदुर्थी-श्रुगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-ओडिशा राज्य सीमा	126
		27. निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
		28. राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेंकटपुरम	293
		29. गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम-कोडाड	390
		30. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रायचूर-मंत्रालयम-अदोनी-अलूरू-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम	580
		31. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडप्पा	208
		32. गुडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356
		33. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133

1	2		3	4
		34.	संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367
		35.	पमारू-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36.	संगारेड्डी-नांदेड-अकोला	141
		37.	हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38.	तिरूपति-नायडूपेटा सड़क	59
		39.	हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40.	कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41.	मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42.	श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं.16) तक	31.60
		43.	विशाखापटनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं.16) तक	9.0
		44.	विशाखापटनम जिले में विशाखापटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं.16) तक	12.50
		45.	विशाखापटनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (रारा सं.16) तक	3.80
		46.	काकिंदा से राजनगरम (एडबी)	55.80
			नई राष्ट्रीय राजमार्ग (नई रारा सं.16) तक	
		47.	मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा सं.16) तक	60.14
		48.	नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क	94.09
		49.	वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं.16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50.	ओंगोले से कोठपटनम	17.17
		51.	कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं.16) तक	19.25
		52.	गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक	33.20
			उप-जोड़	11161.89

1	2		3	4
II	असम	1.	धोदर अली	250
		2.	श्रीरामपुर-धाबुरी सड़क	77
			उप जोड़	327
III	बिहार	1.	दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	—
		2.	रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3.	सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4.	सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5.	सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6.	मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर	56
		7.	मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8.	क्योतसा-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9.	झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशोसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया-बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछ्वाडा	75
		13.	मांझी-दरौली-गुथनी	55
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरौंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवान-पैगम्बरपुर	52

1	2	3	4
		19. चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20. मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115
		21. बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70
		22. सीतामढ़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया	31
		23. अमौर-बायसी-बहादुरगंज	56
		24. आरा-सासाराम रोड	97
		25. भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26. बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27. बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर	175
		28. शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29. सुलतानगंज-देवघर	110
		30. भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31. घोघा-बाराहट	84
		32. जमुई-लक्षमीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर	59
		33. अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34. गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35. बाराहट-पंजवाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36. मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37. बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान	35
		38. सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39. पहाडी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40. मगध मेडिकल कॉलिज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद	70

1	2		3	4
		41.	वजीरगंज (रारा-82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा	60
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड़ (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खड़कबसंत-जाले	35
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	2949
IV	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर	190
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क	50
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से तलसारी तक सड़क खंड, वाया महाराष्ट्र में सुत्राकर	33
			उप-जोड़	273
V	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रासिंग से प्रारंभ होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भेंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात में) तक	29
VI	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वारका	340
		2.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वडोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150

1	2	3		4
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा-8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	05.50
		13.	जामनगर-बेडी पोट रोड	04.20
		14.	त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड	08.00
		15.	ज्खाऊ पोर्ट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170
		17.	हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-उंजा सड़क	120
		18.	अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रापड़-धोलावीरा सडक	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धारा-अमरेली सड़क	180
		28.	वदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00

1	2	3		4
		30.	हिम्मतनगर-इदैर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क	130
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क	440
		32.	गणदेवी-वंसदा-बाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरमगांव से मालिया के निकट रारा-सं.8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं.5	506
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	200
			तटवर्ती सड़कें:	
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नालिया-द्वारका	340
		48.	रारा 8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन	200
			उप-जोड	6857.50
VII	हरियाणा	1.	अम्बाला कैंट (रारा-I) से साहा (रारा 73)	15

1	2		3	4
		2.	साहा (रारा 73) से शाहबाद (रारा-I)	16
		3.	उकलाना (रारा 65)-सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा 71)	29.40
		4.	रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच	2.60
		5.	गुडगांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)	—
		6.	रोहतक-भिवानी-लोहानी-पिलानी-राजागढ़ (रारा-10 और रारा-65 के बीच)	—
		7.	सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)	—
		8.	कैथल-जींद-मुंडल (रारा 65 और रारा 10 के बीच)	—
		9.	बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली (रारा-10 और रारा-8 के बीच)	—
		10.	कैथल (तितरम मोड)-जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)	—
		11.	कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए	—
			उप-जोड़	63.00
VIII.	हिमाचल प्रदेश	1.	होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड	180.00
		2.	यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क	352.00
		3.	कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड	207.50
		4.	स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क	120.00
		5.	चंडीगढ़ (पीजीआई)-बद्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क	127.20
		6.	सैंज-लूरी-बंजारा-औट (बागीतार) सड़क	97.00
	*क्र.सं. 10 पर बोल्ड खंड पुनर्सरीखित भाग है	7.	तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच सं.6) (हि.प्र. सीमा) सड़क	106.400
		8.	भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क	133.00
		9.	हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क	60.00

1	2		3	4
		10.	ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर	111.80
		11.	स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क	300.00
		12.	किश्तवाड़ (जे एंड के)-तंडी (हि.प्र.)	–
		13.	सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-टाटापानी-धल्ली	–
		14.	भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर	142
		15.	किरतपुर-नांगल-भाक्डा-थनकलान-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझियार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड	250
		16.	धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली	180
		17.	नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड	115
			उप-जोड़	2481.90
IX.	जम्मू और कश्मीर	1.	मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड	164
		2.	दुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाह-डोडा से जुड़ने वालारारा-1बी	212
		3.	सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड	38
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड	138
		5.	बारामुला-रफियाबाद-कुपवाडा-तंगधार रोड	126
		6.	कारगील-जंशेकर रोड	234
			उप-जोड़	912
X.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क	310
		2.	चक्रधरपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क	140.55
		3.	दुमरी-गिरिदिह-माधुपुर-सरत-देवघर (एसएच-14)	153
		4.	देवघर-चौपा मोड-जरमुंडी-जामा-लाकडापहाड़ी (एसएच-15)	62

1	2		3	4
		5.	एसएच 16 पर हंसदिहा-नोनीहाट-लाकड़ापहाड़ी-दुमका-शिकारीपाड़ा-सुरीचुहा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा (एसएच-17 का भाग)	95
		6.	एसएच-3 [रारा 23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा 75 विस्तार)-अरकी-रारा 33 पर तामर]	125
		7.	एसएच-16 [देवघर (मोहनपुर)-चौपा मोड-हंसदिहा-गोड्डा-महागामा-महरमा-रारा 80 पर साहेबगंज]	139
			उप-जोड़	1024.55
XI.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप	187
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर	612
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क	249
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी.पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	487
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा	194
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	385
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना	679
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर-मालावल्ली सड़क	140
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद	144
		10.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश	336
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगाड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)	250
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद	665
		13.	मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क	45

1	2	3	4
		14. गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क	167
		15. कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क	140
		16. आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक	115
		17. जेवारगी-बेल्लारी-हत्तीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा	248
		18. डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल	82
		19. कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा	245
		20. औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र	480
		21. हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क	95
		22. बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर	130
		23. बंगलौर-रारा-7 (सोमनदेनापल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक	80
		24. कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं.64	190
		25. बेलगांव-बागलकोट-हुन्गुन्ड सड़क	165
		26. कोप्पाला-जेवारगी सड़क	216
		27. नवलकुंड-कुश्तागी सड़क	97
		28. मानदवाडी-एच.डी. कोटे-जयुपरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क	197
		29. वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105	109
		30. टाडस-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा	186
		31. कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी	240
		32. नंजनगुडु-कामराजनगर	38
		33. रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी	151

1	2		3	4
		34.	कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क	180
		35.	देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.क्रास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क	96
			उप-जोड़	8020
XII.	केरल	1.	तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क	164
		2.	तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकूनम-पलई-थोडुपुझा-मुवत्तुपुझा	246
		3.	चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची	70
		4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुड़ा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोरनुर-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73).	181
		5.	कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी)-गुडलूर-ऊटी (60 किमी)	97.7
		6.	वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरूवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-काट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर.	90.95
		7.	केरल में तलसेरी (रारा-17)-कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरूट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा 212)	54
		8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी	124
			उप-जोड़	1027.65
XIII.	मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया	462.00
		2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा	222.00
		3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक)	344.00
		4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्	430.00
			उप-जोड़	1458.00

1	2		3	4
XIV.	महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क	733.87
		2.	अकोला-नांदेड़-दुगुलूर-रायचूर	
		3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड़-नांदेड़-यंतोडल-वर्धा-नागपुर	457.00
		4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1	190
		5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जितूर औंध वासमथ नांदेड़ बिलोली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2	620
		6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3	77
		7.	इंदौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरूर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5	610
		8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6	870
		9.	अकोला हिंगोली नांदेड़ नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7	258
		10.	गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथराई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8	644
		11.	नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9	359
		12.	नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10	419
		13.	राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11	240
		14.	घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12	522
		15.	मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13	223
		16.	बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14	429
		17.	बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुटे पंदरपुर एमएसएच-15	317
		18.	जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6.400 से किमी 14.550) का गावन फाटा खंड	8
		19.	आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)	6
		20.	अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4	243

1	2		3	4
		21.	मिसिंग लिंक (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्यक्रम के अंतर्गत*)	43
		22.	अहमदनगर-बीड-परभानी सड़क से विद्यमान एमएसएच-2 तक सड़क	287
		23.	एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क	30
			उप-जोड़	7585.870
XV.	मेघालय	1.	फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क	334
		2.	अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवाबरी-बारेंगापाड़ा सड़क	224
			उप-जोड़	558
XVI.	मणिपुर	1.	चुड़ाचांदपुर से तुइवई वाया सिंघाट-गिंजावल सड़क	163
		2.	कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेई	120
		3.	बिसनपुर से हॉफलोंग वाया रेंगपांग खोंगशांग, तमेंगलांग और तौसेम	—
		4.	तदुबी-उखरूल वाया पौमाता ब्लॉक मुख्यालय तुंहजोय, फैबुंग ब्लॉक मुख्यालय तोल्लोई	115
			उप-जोड़	398
XVII.	मिजोरम	1.	कीमत से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क	179
		2.	लांगतलाई-म्यांमार सड़क	—
			उप-जोड़	179
XVIII.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे	278
		2.	हाफलौंग-माहुर-लायके-नागालैंड में कोहिमा	182
		3.	नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नांगिनी मोरा-शिवसागर (सिमुलगुड़ी)	265
		4.	मोकोकचुंग और चाड़े के बीच सड़क जो कि रारा-61 और रारा-155 को जोड़ती है	18
			उप-जोड़	743

1	2	3	4
XIX.	ओडिशा	1. कटक-पारादीप	82.00
		2. सम्बलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3. जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क	152.18
		4. फुलबनखरा-चारीछक-गोप-कोणार्क-पुरी	104.00
		5. बरहमपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6. काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क	92.50
		7. जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क	40.49
		8. करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा	37.00
		9. राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10. कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क	31.00
		11. जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क	35.60
		12. ढेंकनाल-नारनपुर सड़क	100.00
		13. जयपोर-मल्कानगिरी-मोतु सड़क	323.00
		14. माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागडा	292.6
		उप-जोड़	1877.47
XX.	पुदुचेरी	1. करईकल-नेंदुनगदु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क	
		2. करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क	
		3. करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क	
		4. सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक	
		5. चेन्नै से पुदुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क	
XXI.	पंजाब	1. एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर	

1	2	3	4
	2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर	—
	3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुज़ूर साहिब (नांदेड) तक गुरू गोबिंद सिंह मार्ग	2480
		उप-जोड़	2480
XXII. राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12)-बिजोलिया	50
	2.	पाली-देसुरी-वाया नाडोल	93
	3.	लंबिया-रास-ब्यावर-बडनोर-असिंद-मंडल (रारा-76)	148
	4.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाईमाधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)	332
	5.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)	130
	6.	रतलाम-बांसवाडा-सगवाडा-डूंगरपुर-खैरवाडा-कोटरा-स्वरूपगंज (रारा-14) सड़क	310
	7.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)	366
	8.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर-डूंगरपुर-बिचिवाड़ा (रारा-8)	226
	9.	श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)	474
	10.	फतेहपुर (रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा)-नारनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)	164
	11.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)	301
	12.	कोशी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर	139
	13.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा (रारा-112)-फलोदी	343
	14.	मथुरा-भरतपुर सड़क	40

1	2		3	4
		15.	नसीराबाद-देवली सड़क	95
		16.	कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		17.	स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़ रोड	147
		18.	फलोदी-नागौर रोड	140
		19.	श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर	115
		20.	सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)	44
		21.	गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाडमेर	306
		22.	नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर	176
		23.	किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर	146
		24.	होडल-पुन्हाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर	202
		25.	रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु	171
		26.	सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)	68
		27.	गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवईमाधोपुर	248
		28.	बाड़मेर (रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़	446
		29.	जयपुर (रारा-12)-दिग्गी-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)	123
		30.	पाली-उदयपुर रोड	—
		31.	गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67	45
		32.	भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, नया संख्यांकन एसएच-1)	15
			उप-जोड़	5728
XXIII.	सिक्किम	1.	नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	—
		2.	सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी	—

1	2		3	4
		3.	रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली	–
		4.	रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग	–
		5.	रानीपुल से बुरतुक तक प्रस्तावित वैकल्पिक राजमार्ग	23
		6.	ताशी व्यू प्वाइंट से हनुमान टोक और नथुला से आगे तब इंदिरा बाइपास-वेस्ट	64
			उप-जोड़	87
XXIV.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं.82)	52.80
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क	99.60
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		4.	करूईकुडी-डिंडीगुल सड़क	86
		5.	तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्डमन्नागडी-चिदंबरम	140.00
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई-पुडुकोट्टई	60.00
		7.	डिंडीगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क	120.40
		8.	कुडलोर-चित्तूर सड़क	203
			उप-जोड़	839.20
XXV.	त्रिपुरा**	1.	कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्वर-रुपईचारी	310
XXVI.	उत्तर प्रदेश**	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क	262.39
		4.	जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5.	फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद सड़क	181.960

1	2		3	4
		6.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7.	लखनऊ-बांदा	148.52
		8.	पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		9.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क	128
		10.	दिल्ली-यमनोत्री सड़क	206
		11.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क	20.725
		12.	सीतापुर-बहराईच-बलरामपुर-महाराजगंज-पंडरोना सड़क	449.50
			उप-जोड़	2094.813
XXVII.	उत्तराखंड	1.	हिमाचल राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)	706
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबरतपुर-बाडकोट बैंड)	18
		3.	बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग	49
			उप-जोड़	773
XXVIII.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक	102
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक	390.90
		3.	राधामोनी (रारा 41 पर)-पांसकुरा-घातल-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरेग्राम (रारा 34 पर)	.275
		4.	नंदकुमार-दीघा-चांदनेश्वर (एसएच-4)	91
		5.	गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली	100
		6.	नयाग्राम (ओडिशा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुड़ा-दुर्गपुर (एसएच-9)-पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)	327
			उप-जोड़	1285.90
			जोड़	61523.743

पशुओं को मारे जाने पर रोक

5159. **श्री सज्जन वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में वनों आखेट के कारण पशुओं के मारे जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और साथ ही कितने और कौन-कौन से जानवर मारे गए;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शिकारियों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) समय-समय पर मंत्रालय में शिकार के कारण वन्य पशुओं के मारे जाने की सूचनाएं मिलती रही हैं तथापि, मंत्रालय में ऐसे मामलों के राज्य-वार ब्यौरे का संकलन नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित मध्य प्रदेश में 2010 और 2011 के दौरान पशुओं के शिकार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वन्य पशुओं के शिकार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल हैं:

(i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध वन्य पशुओं और पादपों को विधिक सुरक्षा दी गई है।

(ii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामलों में सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iii) संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके वास-स्थल सहित वन्यजीव को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण वास-स्थलों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वों को सृजित किया गया है।

(iv) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः 'वन्यजीवों वास-स्थलों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

(v) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनपर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

(vi) राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय निर्माण को सुदृढ़ बनाने और गहन रूप से गश्त लगाने के लिए निवेदन किया गया है।

(vii) वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को स्थापित किया गया है।

(viii) प्रभावी संचार तंत्र के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 2010 और 2011 के दौरान शिकार के कारण मारे गये वन्य पशुओं का ब्यौरा:

क्र. सं.	मंडल	वर्ष	शिकार के कारण मारे गये वन्य पशुओं की प्रजाति	मारे गये वन्य पशु
1	2	3	4	5
1.	सिवनी (दक्षिण)	2010	चीतल	3
		2010	ब्लैक बक	2

1	2	3	4	5
2.	सिवनी (उत्तर)	2010	ब्लैक बक	7
3.	प्रभाग बुरहानपुर	2010	पैन्थर	1
4.	शहडोल (उत्तर)	2010	वाईल्ड पिग	1
		2010	चीतल	1
5.	उमरिया	2010	वाईल्ड पिग	2
		2010	ब्लैक हैड लैंगूर	1
		2010	पैन्थर	1
6.	पन्ना बाघ रिजर्व	2010	वाईल्ड बोर	1
		2010	चीतल	1
7.	उज्जैन	2011	मोरनी	1

[अनुवाद]

283-85

रक्षा खरीद

5160. **डॉ. रत्ना डे :**
श्री एम.के. राघवन :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हथियारों/उपस्करों और अन्य रक्षा उपयोग की मदों की खरीद के लिए पहचाने गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू/विदेशी कंपनियों को क्रयादेश दिये गये और तत्संबंधी लागत और उनकी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक मदों की खरीद में विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) मदों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में कतिपय संदिग्ध खरीद के मामले भी आये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव मौजूदा ख़रीद प्रणाली में बदलाव करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशी कंपनियों के साथ सभी खरीद सौदों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अनिवार्य बनाने का है ताकि रक्षा उत्पादन के चालू स्वदेशीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा मदों की अधिप्राप्ति विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से वार्षिक अर्जन योजना के अनुसार की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो कि सशस्त्र सेनाओं को किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए उन्हें तैयार स्थिति में रखने के लिए उनके आधुनिकीकरण हेतु की जाती है।

(ख) और (ग) कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलंब हो जाता है। संविदाओं के निष्पादन में विलंब के लिए दण्ड लगाने के लिए संविदागत प्रावधान मौजूद हैं जिसमें परिनिर्धारित नुकसानी लगाया जानपा शामिल है। प्रणालीगत तथा संस्थात्मक विलंब को रोकने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर प्रक्रियाओं में लगातार परिशोधन किया जाता है।

(घ) और (ङ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, लोक जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़े प्रावधान रखे गए हैं। इस प्रक्रिया में, 100 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित मूल्य के अधिप्राप्ति मामलों में संविदापूर्व सत्यनिष्ठा समझौते प हस्ताक्षर करने के प्रावधान के साथ-साथ एजेंट लगाने अथवा अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना हेतु अनुरोध (आर. एफ.आई) को अनिवार्य बनाया गया है ताकि अग्रिम जानकारी मिल जाए और एक वृहत् विक्रेता आकार को प्रोत्साहन मिले। जब कभी कोई अनियमितता जानकारी में आती है तो नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(च) रक्षा उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने जनवरी, 2011 में रक्षा उत्पादन नीति की

घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने नवंबर, 2009 में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में एक नया श्रेणीकरण खरीदो और बनाओ (भारतीय)' शामिल किया है जिससे कि देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिले। विदेशी अधिप्राप्ति मामलों में जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग की जाती है।

285-86

[हिन्दी]

संवेदनशील क्षेत्रों का घोषित किया जाना

5161. **श्री घनश्याम अनुरागी :**
श्री प्रेमदास :
श्री गणेश सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के कतिपय क्षेत्रों की पर्यावरण दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचान की है अथवा पहचान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राज्य-वार, निम्नलिखित क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारि-संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया है:

- माथेरान (महाराष्ट्र)
- महाबलेश्वर-पंचगनी (महाराष्ट्र)
- दून वैली (उत्तराखंड)
- नुमालीगढ़ (असम)
- अरावली (हरियाणा और राजस्थान)
- मुरुड-जंजीरा (महाराष्ट्र)
- धानू ताल्लुक (महाराष्ट्र)
- माउन्ट आबू और इसके आस-पास के क्षेत्र (राजस्थान)
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के इर्द-गिर्द के क्षेत्र (हरियाणा)
- दांडी (गुजरात)

निम्नलिखित राज्य-वार क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों और अन्य क्षेत्रों के इर्द-गिर्द पारि-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा हेतु प्रारूप अधिसूचनाएं जारी की गई हैं:

- कलेसर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा)
- कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- खोल ही रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य (हरियाणा)
- गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य (गुजरात)
- नारायण सरोवर अभ्यारण्य (गुजरात)
- पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य (गुजरात)
- बलराम-अम्बाजी वन्यजीव अभ्यारण्य (गुजरात)
- भागीरथी नदी का गौमुख से उत्तरकाशी तक 135 किमी. का फैलाव (उत्तराखंड)

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के इर्द-गिर्द पारि-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा हेतु क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए राज्यों/संघ शासित सरकारों को सुकर बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

287-88

जैव विविधता अधिनियम, 2002

5162. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को देश में 'बायो-पायरेसी' के मामलों के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार, बायो-पायरेसी सहित जैवीय विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों के कथित उल्लंघन पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(i) बीटी बैंगन के विकास हेतु स्थानीय बैंगन की किस्मों का आकलन और उनका उपयोग करने के लिए मैसर्स माहिको/मैसर्स मॉनसेन्टो और उनके सहयोगियों (नामशः कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वाराणसी) द्वारा कथत उल्लंघन पर एक गैर सरकारी संगठन, मैसर्स एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप से एक शिकायत।

(ii) 'पीपल फॉर एनीमल्स' नामक एक संगठन से शिकायत के भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित एक बायोटेक कंपनी, मैसर्स इमजेनेक्स इंडिया (खरगोश और चूहे का फार्म), खरगोश और चूहे के शरीरों से रक्त निकाल रहे हैं और दवाइयां बनाने के लिए एन्टीजन और एन्टीबॉडीज विदेशों में भेजे गये हैं।

(iii) आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले से 'सिवा' नामक ऑनगोल नस्ल के सांड को ब्राजील भेजे जाने की बिक्री पर समाचार।

(iv) भावनगर गुजरात में एक प्रयोगशाला द्वारा ब्राजील को गिर नस्ल के मवेशी के भ्रूण का निर्यात।

(ङ) एनबीए ने सक्षम प्राधिकरण के बिना पूर्व अनुमोदन के स्थानीय बैंगन किस्मों का आकलन और उपयोग करने के लिए; गिर नस्ल के मवेशियों के भ्रूण के निर्यात; और ऑनगोल नस्ल के सांड और उसके सीमेन को ब्राजील भेजने के लिए संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्डों की रिपोर्टों के आधार पर कथित उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने का निश्चय किया है।

288-89

निःशक्त व्यक्तियों को नौकरियां

5163. **श्री सोमेन मित्रा :**
डॉ. रतन सिंह अजनाला :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निःशक्त व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने तथा उनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार करने के लिए देश में निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियां सृजित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और देश में विशेषरूप से गुजरात के साबरकांठा, सूरत, अमरेली तथा बडोदरा में कितने निःशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को भी निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियां सृजित करने संबंधी कोई निदेश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को निजी क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में (i) दृष्टिहीन अथवा निम्न दृष्टि; (ii) श्रवणबाधित और (iii) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों के प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत सहित सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण के लिए प्रावधान है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी बकाया रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 28.7.2011 को एक विशेष भर्ती अभियान पुनः आरंभ किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने के संबंध में निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना 1.4.2008 से आरंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 1.4.2008 को या इसके पश्चात् निजी क्षेत्र में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के लिए जिनका मासिक वेतन 25 हजार रुपए तक है, के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान तथा 3 वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, 317 (30.6.2011 तक) और 652 (31.5.2011 तक) विकलांग व्यक्तियों को क्रमशः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर कर लिया गया है।

289-90

तटरक्षक बल का बल स्तर

5164. श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयप्रदा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज़, पोत, विमान आदि के संदर्भ में तटरक्षक बल के बल स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार तटरक्षक बल अपनी अपेक्षित संख्या से आधी संख्या में कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश-भर में फैली विभिन्न यूनिटों में स्थित भारतीय तटरक्षक बल के पास 73 सतह प्लेटफार्म और हेलिकॉप्टरों सहित 52 विमान हैं। इसके अलावा, पोत और विमान सहित आवश्यक उपस्करों की अधिप्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। तटरक्षक बल को सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने हेतु पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है।

290-91

ब्रह्मपुत्र नदी पर आरसीसी का पुल

5165. श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुवाहाटी शहर को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी रोड पर ब्रह्मपुत्र नदी पर दोहरे लेन वाले आरसीसी पुल का निर्माण करने पर विचार कर रही है जिससे सड़क संपर्क हेतु गतिरोध दूर होगा और जुड़वां शहर की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त स्थान पर जलमार्ग की लंबाई कितनी है;

(ग) क्या उक्त पुल के निर्माण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, केन्द्रीय सड़क निधि, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यीय सड़कों की सड़क/पुल परियोजनाएं भी संस्वीकृत करता है। गुवाहाटी शहर को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी रोड पर ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल न तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर पड़ता है और न

ही इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्र-प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

29-92

भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण

5166. **श्री अनंत कुमार :**
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नौकरियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की विभाग-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके लिए सृजित/आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) पदों के खाली रहने के क्या कारण हैं तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को उनके घरों के नजदीक रोजगार प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों हेतु पदों के निर्धारण हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं है इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते निर्धारित रिक्त एवं आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या पर आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता। तथापि, सरकारी नौकरियों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'ग' व 'घ' के पदों में कुल उपलब्ध रिक्तियों का 10 से 24.5% तक का प्रतिशत वार आरक्षण इच्छुक एवं पात्र भूतपूर्व सैनिकों हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

(ग) रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी संबंधित संगठन की होती है। तथापि, सरकार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम रसे भूतपूर्व सैनिकों हेतु रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभावित अवसर का पता लगाने का प्रयत्न करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को भी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की सलाह दी गई है। चूंकि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पास भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित रोजगारों पर नजर रखने के लिए कोई अधिदेश नहीं है इसलिए मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ चिार-विमर्श कर भूतपूर्व-सैनिक कल्याण विभाग को संबंधित नियमों में उचित बदलावों के माध्यम से इस पर नजर रनखने के लिए सशक्त बनाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ उठाया गया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

292

राष्ट्रीय राजमार्ग-49

5167. **श्री चार्ल्स डिएस** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोच्चि से मदुरई तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग-49 को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुन्डान्नूर से पुथेनक्रुज तक उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए जा रहे बाई-पास की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। मदुरै (किमी 5/2) से बोदीमेट्टू (किमी 119/0) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 का खंड पहले से ही विकसित है। बोदीमेट्टू (किमी 119/0) से कुन्डान्नूर (किमी 286/6) तक शेष खंड का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IVख के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी-भागीदारी आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। कुन्डान्नूर से पुथेनक्रुज तक के खंड के बाइपास सहित प्रस्तावित विकास का अध्ययन कार्य प्रगति पर है। बाइपास सहित प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन, साध्यता अध्ययन पूरा होने के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

292-95

छात्रावासों का निर्माण

5168. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री बदरूद्दीन अजमल :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री कमल किशोर "कमांडो" :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान करने के पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी लंबित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है तथा लंबितता के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जाति के लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों, निधियों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। वर्ष 2011-12 के लिए, योजना के अंतर्गत 145.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राज्य-वार केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) योजना के अंतर्गत ग्राह्य वित्तपोषण पैटर्न निम्नानुसार है:-

जिन छात्रावासों के लिए	केन्द्रीय सहायता की प्रमात्रा की अधिकतम अनुदेय सीमा			
	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ संस्थान	राज्य विश्वविद्यालय/ संस्थान	गैर-सरकारी संगठन (केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के प्रसार हेतु)
अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कों के लिए	राज्य सरकारों के लिए 50% संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 100%	90%	45%	45%
अनुसूचित जाति से संबंधित लड़कियों के लिए	100%	100%	100%	90%

(घ) राज्यों के हर तरह से पूर्ण प्रस्तावों पर, निधियों के उपलब्धता के अध्यधीन उसी वित्त वर्ष में कार्रवाई करके उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालिका छात्रावास	बाल छात्रावास
1.	आंध्र प्रदेश	600.00	—
2.	बिहार	—	631.40
3.	हरियाणा	365.00	90.00
4.	हिमाचल प्रदेश	496.40	108.10
5.	झारखंड	45.00	—
6.	कर्नाटक	340.00	—
7.	केरल	—	60.00
8.	मध्य प्रदेश	342.00	168.00
9.	महाराष्ट्र	717.10	567.00
10.	राजस्थान	584.00	384.00
11.	उत्तर प्रदेश	688.10	294.00
12.	पश्चिम बंगाल	204.40	950.00
13.	असम	—	75.00
14.	दिल्ली	9.00	—
15.	पुदुचेरी	—	100.00
	कुल	4391.00	3428.10

[अनुवाद]

295-96

धामरा पत्तन

5169. **श्री वैजयंत पांडा :**

श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्वी तट पर बड़े पारादीप पत्तन के बगल में रणनीति धामरा पत्तन का तेंजी से विकास हो रहा है;

(ख) क्या बड़े पेट्रोलियम रसायन तथा पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र को भी पारादीप में विकसित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन दो रणनीतिक पत्तनों के बीच दो लेन वाली चौड़ी सीधी सड़क के निर्माण द्वारा इन पत्तनों को जोड़ने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक परियोजना के पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सभी पत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड से जुड़े हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय, सीधा संपर्क प्रस्तावित नहीं है, हांलाकि दोनो पत्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड से जुड़े हैं।

[हिन्दी]

296-99

वन्य जीव प्रजातियों की तस्करी

5170. **डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी एयरलाइनों के माध्यम से वन्यजीव प्रजातियों की तस्करी के मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रजातियों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। निजी एयरलाइनों के माध्यम

से वन्यजीव प्रजातियों की तस्करी के मामले मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, निजी एयरलाइनों के गोदाम/कार्यालयों से निषिद्ध वन्यजीव की जब्ती का ब्यौरा, जो इस मंत्रालय के संज्ञान में आया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एयरलाइनों द्वारा वन्यजीव प्रजातियों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में शामिल है:

1. देश में हवाई अड्डों पर प्रवर्तन अभिकरणों को वन्यजीव के अंगों/उनसे बनी वस्तुओं की खोज करने, जब्ती और अभिज्ञात करने पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मंत्रालय का वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), वन्यजीव उत्पादों के डिजीटाईज्ड हस्ताक्षर विकसित करने का भी कार्य कर रहा है जिससे हवाई अड्डों पर निषिद्ध वन्यजीव का पता लगाने में बैगेज/कार्गो स्क्रीनर्स को सुविधा मिलेगी।

2. दिनांक 29-4-2009 को कोलकाता हवाई अड्डे पर जेट एयरवेज कार्गो गोदाम में डियर एन्टलर्स की जब्ती से संबंधित मामलों की जांच वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई थी और वन्यजीव के शरीर के अंगो/उनसे बनी हुई वस्तुओं की जांच में जेट एयरवेज के अधिकारियों सहित अपराधी के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई थी।

3. वन्यजीव के अंगों से बनी वस्तुओं/अंगों की पहचान करने में एयरपोर्ट प्रवर्तन अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

4. वन्यजीव अपराधों का शमन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के बीच सहक्रिया स्थापित करने के लिए निकास बिन्दु अभिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा कर रहे संगठनों सहित शीर्ष आसूचना, प्रवर्तन अभिकरणों के अध्यक्षों सहित विशेष समन्वय समिति (एससीसी) गठित की गई है।

5. प्रवर्तन प्रयासों के समन्वय और सूचना की साझेदारी के संबंध में अंतर-अभिकरण के मुद्दों का निराकरण करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से अंतर-अभिकरण समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

6. डाक पार्सलों के माध्यम से वन्यजीव के अंगों से बनी वस्तुओं की तस्करी डाक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाई गई है और उन्हें इसकी रोकथाम हेतु उपयुक्त नियंत्रण करने के लिए निवेदन किया गया है।

7. निषिद्ध वन्यजीवों की ढुलाई हेतु तस्करों द्वारा एयरलाइनों के उपयोग के संबंध में एयरलाइनों को सुग्राही बनाया जा रहा है तथा निवारक कदमों को उठाने के लिए सलाह दी गई है।

8. मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी, जेट एयरवेज को कार्गो सुरक्षा संस्तुत प्रक्रिया-1963 के कड़े कार्यान्वियन हेतु निवेदन किया गया है।

9. 30 लाख रुपये अथवा उससे अधिक के कुल मूल्य वाले वन्यजीव अपराधों को प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।

10. वन्यजीव और वन्यजीव के अंगों/उत्पादों की पहचान करने में संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोग करने के लिए 'ए मैन्यूअल स्पीसीज इन ट्रेड' प्रकाशित की गई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान निजी एयरलाइनों के गोदामों/कार्यालयों से जब्त किए गए निषिद्ध वन्यजीव का ब्यौरा

क्र. सं.	जब्ती का स्थान और तिथि	जब्त की गई वस्तुएं और मात्रा	संबंधित प्रवर्तन अभिकरण	संबंधित निजी एयर लाईन
1	2	3	4	5
1.	29-04-2009 को जेट एयरवेज कार्गो गोदाम, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता	डियर एन्टलर्स	वायु आसूचना इकाई, सीमा शुल्क, कोलकाता	जेट एयरवेज

1	2	3	4	5
2.	26-06-2010 को तुलिहाल एयरपोर्ट, इम्फाल	पैंगोलिन स्केल्स (116.320 कि.ग्राम)	सीमा शुल्क, इम्फाल	जेट एयरवेज.
3.	22-11-2010 को जेट एयरवेज, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता	पैंगोलिन स्केल्स (138.6 कि.ग्राम)	राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता	जेट एयरवेज
4.	26-11-2010 को जेट एयरवेज कार्गो गोदाम, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता	पैंगोलिन स्केल्स (511.850 कि.ग्राम)	डीआरआई, कोलकाता	जेट एयरवेज

[अनुवाद]

ईएसआईसी के अंतर्गत नकद लाभ

5171. श्री पी.आर. नटराजन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु में प्राप्त नकद लाभ किए गए भुगतान के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नकद लाभ की जांच और निगरानी करने के लिए कोई विभागीय तंत्र उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रत्येक शाखा कार्यालय में जहां नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं वहां एक चिकित्सा निर्देशी लगाया जाता है। चिकित्सा निर्देशी बीमा चिकित्सा अधिकारियों तथा संबंधित शाखा प्रबंधकों को गलत प्रमाणन के मामले में परामर्श देता है।

संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में नकद लाभों का अनुवीक्षण सभी निरीक्षण अधिकारियों तथा लेखा परीक्षा दलों द्वारा किया जाता है। संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का शिकायत निपटान प्रकोष्ठ प्रभावित व्यक्ति से किसी शिकायत के प्राप्त होने की स्थिति में मामले की जांच भी करता है ताकि कोई भी सही दावेदार नकद लाभ से वंचित न रह जाए।

विवरण

प्राप्त तथा भुगतान किए गए नकद लाभों के मामलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
	(i) हैदराबाद	160451	156699	161844

1	2	3	4	5
	(ii) विजयवाड़ा + विशाखापत्तनम	126238	138332	130826
2.	असम	11910	14677	15636
3.	बिहार	40495	41259	41679
4.	चंडीगढ़	10733	34548	11461
5.	छत्तीसगढ़	14524	28275	7002
6.	दिल्ली	94214	125126	135061
7.	गोवा	15224	16780	18254
8.	गुजरात			
	(i) अहमदाबाद	132863	129692	125325
	(ii) बडोदरा	33185	11201	32405
	(iii) सूरत	15741	16373	17280
9.	हरियाणा	113871	127762	131580
10.	हिमाचल प्रदेश	8638	18115	24274
11.	जम्मू और कश्मीर	2883	4072	6057
12.	झारखंड	68411	39261	38672
13.	कर्नाटक			
	(i) बंगलौर + पीन्या + बोमासांद्रा	184792	196590	200709
	(ii) हुबली + गुलबर्ग	76464	77693	75315
14.	(i) केरल और माहे + एर्णाकुलम	167742	172551	171245
	(ii) कोल्लम	107207	114997	120364
15.	मध्य प्रदेश	99202	175034	111466
16.	महाराष्ट्र			
	(i) लोअर परेल (मुंबई)	797902	74457	76441

1	2	3	4	5
	(ii) मरोल	60198	56536	60214
	(iii) नागपुर	83976	46298	48102
	(iv) पुणे	154619	144898	130942
	(v) थाणे	68182	101437	69777
	(vi) औरंगाबाद	14865	24929	26358
17.	ओडिशा	16065	17607	44766
18.	पुदुचेरी	44290	35221	32318
19.	पंजाब	99048	251723	124865
20.	राजस्थान			
	(i) जयपुर + उदयपुर	91603	90173	96905
21.	तमिलनाडु			
	(i) चेन्नई	137053	224085	125472
	(ii) कोयम्बटूर	58414	57944	42580
	(iii) मदुरै	48784	502574	50704
	(iv) सेलम	25278	26025	22435
	(v) तिरुनेलवल्ली	24045	22720	22100
22.	उत्तर प्रदेश			
	(i) कानपुर	93036	93617	97405
	(ii) नोएडा	42591	45962	37964
	(iii) वाराणसी	5713	1644	23512
23.	उत्तराखंड	5972	8317	10928
24.	पश्चिम बंगाल			
	(i) कोलकाता	297644	278971	309344

1	2	3	4	5
(ii)	बेरकपुर	139076	133994	137576
	कुल	3074942	3425869	3169193 (अनंतिम)

[हिन्दी] 305

विमान में संचार प्रणाली

5172. **श्री रामकिशुन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वायु सेना के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदे विमान में कुछ महत्वपूर्ण संचार प्रणालियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका से अधिप्राप्त किए जा रहे विमानों में वे सभी महत्वपूर्ण संचार उपस्कर लगे होते हैं जिनकी मांग भारतीय वायुसेना द्वारा होती है। भारतीय वायुसेना को सुपुर्द किए गए विमान में विमान वाहित संचार उपस्कर के संरूपण में एकमात्र अंतर कुछ मानकीकृत बीजांकों के सदर्भ में है। अधिप्राप्ति को अंतिम रूप देते समय इस पर ध्यान दिया गया था।

(ग) विमान की सुरक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

[अनुवाद] 305-06

आंदोलनकारियों द्वारा सड़क अवरुद्ध करना

5173. **डॉ. संजीव गणेश नाईक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंदोलनकारी अपने आंदोलन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करते हैं जिस के कारण यात्रियों को अत्याधिक परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात अवरुद्ध किए जाने की घटनाएं नागरिक एवं जन आंदोलनों के कारण हुई हैं। तथापि, इस संबंध में ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) कानून-व्यवस्था, राज्यीय विषय है और इस मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी] 306-07

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पैकेज

5174. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से देश में अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास अनुसूचित जातियों के विकास हेतु राज्य सरकार की कुल कितनी परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लंबित हैं; और

(घ) कब तक लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाल और बालिका विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

सभी दृष्टि से पूर्ण, राज्यों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, उसी वित्तीय वर्ष में अनुमोदित किए जाते हैं।

एमटीएनएल यूनियन के लिए चुनाव

5175. **डॉ. बलीराम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड' दिल्ली और मुम्बई में समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारी संघ का चुनाव मई 2011 में हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त संघ के चुनाव न होने के कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त चुनाव के कब तक होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संघ के चुनाव खुद उनके संविधान के अनुसार उनके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं और सरकार की चुनाव कराने में कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए पर दोहरी सुरंगें

5176. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए पर एशिया की सबसे बड़ी सभी मौसमों में उपयुक्त दोहरी सुरंग का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुरंगों से यात्रा समय पांच घंटे कम हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई अन्य सुरंगें का निर्माण देश में और कहीं पर भी हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए पर जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली दो सुरंगें हैं-(i) 8.45 किमी लंबाई वाली काजीगुंड-बनिहाल सुरंग और (ii) 9 किमी लंबाई वाली चेनानी-नशरी सुरंग।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	खंड	अवस्थिति	सुरंग की लंबाई (किमी)	काम की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	असम में रारा-54 का हरंगजो से मैबंग (एएस-23)	किमी 164.728	0.350 (लेन)	निर्माण चल रहा है
2.	कर्नाटक में रारा-13 का हुंगुंड-होसपेट	होसपेट कस्बा	1.1 (लेन)	काम अभी शुरू होना है

1	2	3	4	5
3.	केरल में रारा-47 का वाडक्कनचेरी-त्रिशूर खंड	कुथीरन पहाड़ी	1.6 (लेन)	काम अभी शुरू होना है
4.	राजस्थान में रारा-12 का देवली-कोटा	बूंदी	0.573 (लेन)	काम अभी शुरू होना है
5.	राजस्थान में रारा-14 का ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	सिरोही बाइपास	1.12 (लेन)	काम अभी शुरू होना है

[हिन्दी]

इस्पात के उपभोक्ताओं की श्रेणी

5177. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे श्रेणीकरण के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने श्रेणीकरण के लिए उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी आधार क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों की मांग को पूरा नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) स्टील उपभोक्ताओं का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, देश में स्टील खपत के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं:-

1. अवसंरचना
2. निर्माण
3. पूंजीगत सामान
4. ऑटोमोबाइल्स
5. उपभोक्ता सामान
6. स्टील के कम लागत वाले आवास
7. स्टील के कृषिया अनुप्रयोग
8. सामुदायिक सुविधाएं यथा हॉल, शौंचालय, बस स्टॉफ इत्यादि
9. प्रि-फैब्रिकेटेड स्टील ढांचा

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2010-11 के लिए संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार फिनिश्ड स्टील का घरेलू उत्पादन 66 मिलियन टन था, जबकि इसकी तुलना में फिनिश्ड स्टील की घरेलू मांग 65.6 मिलियन टन थी। तथापि, कुछ प्रकार के मूल्यवर्धित फिनिश्ड स्टील का छोटी-छोटी मात्रा में आयात किया जाता है, क्योंकि देश के भीतर इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है।

[अनुवाद]

खनन कार्य के लिए अनुमति

5178. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण सहित कुछ कंपनियों ने झारखंड स्थिति चिरैया भंडार में खनन कार्य की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) चिरैया में 10 खनन पट्टे हैं। छह पट्टे नामत: बुद्धबुरु, अजिताबुरु, धोबिल, सुकरी लचरबुरु, अंकवा और तातीबुरु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटे के हैं और शेष चार खनन पट्टे सेसा गोवा लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, एस्सार प्राइवेट लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड के हैं।

केन्द्र सरकार ने अब तक मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में पहले से ही 194.312 हे. खंडित वन भूमि के वनेतर उपयोग और 400.763 हे. अतिरिक्त वन भूमि के वनेतर उपयोग के नवीनीकरण को चरण - I के के तहत मंजूरी दे दी गई हैं। राज्य सरकार ने भी मैसर्स एस्सार प्राइवेट लिमिटेड की खनन पट्टों की पूर्वेक्षण मंजूरी दे दी है। इन खनन पट्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंदा वन प्रभाग के अकुवा आरक्षित वन (चिरिया) में खनन पट्टों का विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3
1.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में बुधबुरु (मेलेलन) खनन पट्टे के लिए 379.228 हे. (73.251 है के नवीनीकरण और 305.977 हे. अतिरिक्त वनेतर उपयोग) का वनेतर उपयोग का नवीनीकरण और विस्तार।	चिरिया में मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की छह खनन पट्टे हैं। जिसमें 2376.122 हे. वनभूमि शामिल हैं। पहले 4 पट्टों में खनन कार्य चल रहा है। चूंकि प्रस्तावित स्थल पारिस्थितिकीय रूप से अत्यंत संवेदनशील, जीवजात और वनस्पतिजात से परिपूर्ण है तथा सघन मिश्रित वनों वाला एकमात्र अखण्डित वन भूमि है; खनन के लिए सभी खानें खुल जाने से इस क्षेत्र में नदियों में प्रदूषण और फ्रैगमेंटेशन तथा वन संसाधन समाप्त होने की समस्या हो सकती है। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखकर मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अगले 20 वर्षों में खनन के लिए लगभग 25% वन भूमि की आवश्यकता के लिए अपने प्रस्ताव में संशोधन किया है। तदनुसार केन्द्र सरकार ने 07.03.2011 को मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में 194.312 हे., ऊबड़खाबड़ वनभूमि के वनेतर उपयोग और 400.763 हे. अतिरिक्त वनभूमि (कुल पट्टा क्षेत्र 2376.122 हे.) के वनेतर उपयोग के नवीनीकरण की सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है।
2.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में अजिताबुरु लौह अयस्क पट्टे के लिए 153.036 हे. (58.250 है ऊबड़खाबड़ और 94.788 हे. अतिरिक्त वनेतर उपयोग) वनभूमि के वनेतर उपयोग के नवीनीकरण और विस्तार।	
3.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सुक्रीलमबुरु लौह अयस्क पट्टे के लिए 33.40 हे. (कुल पट्टा क्षेत्र 609.554 हे.) ऊबड़खाबड़ वन क्षेत्र के वनेतर उपयोग का नवीनीकरण।	
4.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में धोबिल लौह अयस्क पट्टे के लिए 29.411 हे. (कुल पट्टा क्षेत्र 513.036 हे.) ऊबड़खाबड़ वनभूमि के वनेतर उपयोग का नवीनीकरण।	
5.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में तातीबुरु लौह अयस्क पट्टे के लिए 38.866 हे. के वनेतर उपयोग का नवीनीकरण।	

1	2	3
6.	मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में अंकुवा मनोहरपुर लौह अयस्क पट्टे के लिए 67.178 हे. के वनेतर उपयोग का नवीनीकरण।	
7.	मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड द्वारा सारंदा वन प्रभाग के धोबिल अंकुवा आरक्षित वन में 700.00 हे. से अधिक वनभूमि में लौह अयस्क को पूर्वेक्षण।	केन्द्र सरकार के दिनांक 05.10.2008 पत्र द्वारा पूर्वेक्षण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।
8.	मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के पक्ष में सारदां वन प्रभाग में लौह और मैंगनीज अयस्कों के खनन के लिए अंकुवा आरक्षित वन में 998.70 हे. वनभूमि का वनेतर उपयोग।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर से प्रस्ताव की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
9.	झारखंड के सारंदा वन प्रभाग में मैसर्स एस्सार प्राइवेट लिमिटेड की 568.7 हे. से अधिक वनभूमि में लौह अयस्क पूर्वेक्षण।	राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुमति दे दी गई है।
10.	झारखंड के सारंदा वन प्रभाग में मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के पक्ष में अंकुवा आरक्षित वन में 1808 हे. से अधिक में लौह अयस्क पूर्वेक्षण।	प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है।

313

सड़क परियोजनाओं हेतु पूंजी राजसहायता

5179. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सड़क परियोजनाओं में अग्रिम पूंजीगत राजसहायता को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इसमें निजी भागीदारी को संभाव्य बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के क्या विचार हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

314-15

राष्ट्रीय राजमार्ग-75 ई

5180. श्री मधु कोड़ा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सकल बजटीय सहायता के माध्यम से सड़कों का निर्माण करने का है;

(ख) क्या झारखंड के गढ़वा, डाल्टनगंज, रांची, चक्रधरपुर, चाईबासा, जयंतगढ़ तथा ओडिशा के चंपुवा, भद्रासाई को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित रांची से विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 75ई आतंकवाद से प्रभावित है तथा इसका निर्माण स्वीकृत सकल बजटीय सहायता के अंतर्गत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़कों हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस सड़क के निर्माण को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, उत्तर प्रदेश की सीमा से झारखंड के गढ़वा, डाल्टनगंज, रांची, चक्रधरपुर, चाईबासा और जयंतगढ़ को जोड़ने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के कुछ खंडों में विकास कार्य को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना तथा सकल बजटीय सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के रूप में शुरू किया गया है।

(ग) झारखंड में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 की 367 किमी. लंबाई में विकास कार्य 509 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से संस्वीकृत किया गया है।

(घ) ये कार्य, कार्यान्वयन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं तथा इन्हें मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से निःशक्त लोगों हेतु संस्थान

5181. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से निःशक्त, ऑटिस्टीक, मानसिक रूप से विकलांग लोगों और बच्चों सहित स्पेस्टिक्स लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में मानसिक रूप से निःशक्त और अन्य लोगों के लिए विशिष्ट रूप से शिक्षण उऔर कल्याण संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे निःशक्त लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में 22 लाख मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं। ऑटिस्टिक एवं स्पास्टिक जैसे रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिए वर्तमान में कोई जनगणना आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राष्ट्रीय न्यास, जिसे आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित किया गया है, मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसके पास मानसिक विकलांग एवं अन्य व्यक्तियों के कल्याणार्थ देश में कार्य करने वाले 980 पंजीकृत संगठन हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीन सिकन्दराबाद में स्थापित राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जन संस्थान (एनआईएमएच), मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास का कार्य करता हैं। बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नै, मानसिक विकलांगता एवं अन्य विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पूर्ण पुनर्वास और जनशक्ति विकास का कार्य करता है।

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत् मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एवं शीघ्र हस्तक्षेप, हाफ-वे होम आदि जैसी परियोजनाओं को सहायता अनुदान के प्रावधान के माध्यम से सहायता दी जाती है। वर्ष 2010-11 में योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 249 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।

(ग) और (घ) सरकार ने अभी तक ऐसा कोई अध्ययन आयोजित नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्राधिकरणों का गठन

5182. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के अंतर्गत देश में राज्यस्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की संस्तुतियां अनिवार्य होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत 26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों (एसईआईएए/यूटीआईएए) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां (एसईएसी/यूटीईएसी) गठित की हैं।

(ग) और (घ) ईआईए अधिसूचना 2006 में यह प्रावधान है कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए एसईआईएए का निर्णय ईआईए अधिसूचना 2006 के उपबंधों द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों पर आधारित होगा।

[अनुवाद]

एलओसी के आर-पार घुसपैठ

5183. श्री ताराचंद भगोरा :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय के आकलन के अनुसार जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना ने नियंत्रण रेखा पर ऐसे कई प्रयासों को विफल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आतंकवादियों ने सीमा की चौकियों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीमा पर इन गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) बहु एजेंसी केन्द्र (एमएसी) के आकलन के अनुसार वर्ष 2010 के 489 की तुलना में, जुलाई, 2011 तक जम्मू और कश्मीर में 93 आतंकवादियों ने घुसपैठ के प्रयास किए।

नियंत्रण रेखा के इस पार घुसपैठ करने/उस पार जाने के प्रयास के दौरान सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में मारे गए और पकड़े गए आतंकवादियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	मारे गए आतंकवादी	पकड़े गए आतंकवादी
2010	38	01
2011 (29.08.11 तक)	11	—

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निष्पादन निरीक्षण

5184. श्री महेश जोशी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम आयुक्त के क्षेत्रीय प्रमुख प्रवर्तन अधिकारियों के निरीक्षण तथा उनके मासिक निष्पादन के आकलन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) जैसे क्षेत्रीय प्रमुख प्रवर्तन अधिकारियों के लिए निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। तथापि, प्रवर्तन अधिकारियों के लिए निरीक्षण के लक्ष्य/मानक मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(ख) प्रत्येक श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) [एलईओ (कें.)]:

(1). एक महीने में नीचे दर्शाए अनुसार प्रतिष्ठानों की न्यूनतम संख्या में निरीक्षण करेगा:-

I कोयला खानों को छोड़कर एलईओ (कें.) का अधिकारक्षेत्र-25 प्रतिष्ठान।

II कोयला खानों सहित एलईओ (कें.) का अधिकारक्षेत्र-20 प्रतिष्ठान।

III केवल कोयला खानों पर एलईओ (कें.) का अधिकारक्षेत्र-15 प्रतिष्ठान।

सिक्किम में भूमि अधिग्रहण

5185. **श्री प्रेमदास राय :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने सिक्किम के लामेन और लाचुंग घाटी में रक्षा उद्देश्य से कोई भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिगृहीत भूमि इस क्षेत्र के जनजातीय आबादी की थी तथा क्या इस हेतु पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय ने सिक्किम के लाचेन और लाचुंग घाटी में 214.28 एकड़ निजी भूमि और 148.26 एकड़ वन भूमि की अधिप्राप्ति की है।

(ग) अधिगृहित की गई भूमि का कुछ जनजातीय आबादी का है। इच्छुक व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तय की गई मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) निजी भूमि के अधिग्रहण और वन भूमि के हस्तांतरण के लिए मुआवजे के रूप में 60,54,856.53 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस राजमार्ग

5186. **श्री अवतार सिंह भडाना : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस राजमार्ग और गुड़गांव-अलवर-जयपुर राजमार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सड़कों के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या निर्माण कार्य राजमार्ग क्षेत्रों में पूरा नहीं किया जा रहा है जहां निर्माण लागत काफी अधिक है तथा जहां उपरि/अधोगामी पुल का निर्माण कार्य लंबित है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु किए गए उपाय का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (छ) यह मंत्रालय मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कें, संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। मंत्रालय ने कतिपय खंडों को राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों के रूप में विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस राजमार्ग का अभिनिर्धारण राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग के रूप में नहीं किया गया है जबकि गुड़गांव- अलवर-जयपुर राजमार्ग एक राज्यीय सड़क है और इसका विकास राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

महिला अधिकारियों को सीसीएल

5187. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के नियमों की तर्ज पर सशस्त्र बलों में कार्यरत महिला अधिकारियों को दो साल का चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम का बेहतर उपयोग

5188. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य को बेहतर ढंग से करने, श्रम दिवसों की हानि को कम करने तथा श्रम का बेहतर उपयोग करने हेतु क्या श्रम सुधार किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) श्रम क्षेत्र में खराब स्थिति के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) श्रम सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अनिवार्य रूप से श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण शामिल है, तथा सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ देश में कार्य को बेहतर ढंग से करना सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर श्रम कानूनों में संशोधन किए जाते हैं ताकि श्रम दिवसों की हानि को कम किया जा सके तथा श्रम का बेहतर उपयोग किया जा सके। औद्योगिक अधिनियम, 1947 में हाल ही में संशोधन किए गए हैं ताकि इससे औद्योगिक संबंधों को और सौहार्द्रपूर्ण बनाया जा सके। संशाधित अधिनियम में कामगार के लिए शिकायत निपटान तंत्र की व्यवस्था है ताकि वह कतिपय स्वरूप के विवादों के संबंध में सीधे श्रम न्यायालय जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने श्रम कानूनों (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने तथा रजिस्टरों के रख-रखाव से छूट) संशोधन विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित किया है जिससे कार्य की अनुपालना लागत कम की जा सके।

श्रम कानूनों के अतिरिक्त श्रम क्षेत्र का परिदृश्य घरेलू तथा वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों तथा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के चयन का आधार व्यापारिक निर्णय द्वारा संचालित होता है। पूंजी आधारिक प्रौद्योगिकी सामान्यतया कामगारों के हितों के विरुद्ध कार्य करती है।

[हिन्दी]

शहरों का सर्वेक्षण

5189. श्री आर.के. सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आज की तिथि अनुसार नदियों के किनारे स्थित शहरों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो शहरों का राज्यवार नाम क्या है तथा उन नदियों के नाम क्या हैं जिनके किनारे ये शहर अवस्थित हैं;

(ग) क्या इन शहरों के अपशिष्ट जल तथा मल-मूत्र को इन नदियों में छोड़ा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अपशिष्ट जलों तथा मल-मूत्र को नदी में जाने से रोकने से पूर्व शोधन हेतु कोई योजना तैयार की है/तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में प्रमुख नदियों में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। बहाया गया अनुपचारित अपशिष्ट जल नदियों में प्रदूषण भार का मुख्य स्रोत है। अतः राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत सीवेज का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन तथा सीवेज उपचार संयत्रों की स्थापना प्रदूषण उपशमन स्कीमों के मुख्य घटक रहे हैं।

श्रेणी-। के शहरों और श्रेणी-।। के कस्बों में जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उत्पन्न होने और उसके उपचार की स्थिति पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश के श्रेणी-। के 498 शहरों और श्रेणी-।। के 410 कस्बों से लगभग 38254 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अनुमानित सीवेज उत्पन्न होने की तुलना में 11787 एमएलडी (31%) के लिए उपचार क्षमता उपलब्ध है। सीवेज उत्पन्न होने से संबंधित रिपोर्ट का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास है। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के नदी संरक्षण प्रयासों को पूरा कर रही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में इस समय 20 राज्यों के 185 शहरों की 39 नदियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4417 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता विकसित की गई है।

अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत

सीवेज प्रबंधन तथा निपटान हेतु अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

विवरण

श्रेणी-I और श्रेणी-II श्रेणी में उत्पन्न सीवेज का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणी-I शहरों में उत्पन्न सीवेज (एमएलडी में)	श्रेणी-II शहरों में उत्पन्न सीवेज (एमएलडी में)	कुल (एमएलडी में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	—	12.0064
2.	आंध्र प्रदेश	1760.60	217.59	1978.1996
3.	असम	380.14	6.46	386.6
4.	बिहार	1009.7	107.42	1117.12
5.	चंडीगढ़	429.76	—	58.2936
6.	छत्तीसगढ़	350.47	40.82	391.29
7.	दिल्ली	3800	—	3800
8.	गोवा	9.79	13.89	23.62
9.	गुजरात	1680.92	227.55	1908.47
10.	हरियाणा	626.69	43.52	670.212
11.	हिमाचल प्रदेश	28.94	—	28.94
12.	जम्मू और कश्मीर	213.93	27.86	27.86
13.	झारखंड	830.47	78.21	908.68
14.	कर्नाटक	1790.40	233.37	2023.778
15.	केरल	575.17	231.32	806.49
16.	मध्य प्रदेश	1248.72	130.9	1379.626
17.	महाराष्ट्र	9986.29	213.73	10200.02
18.	मणिपुर	26.74	—	26.74
19.	मेघालय	20.84	11.25	32.09
20.	मिजोरम	5.712	—	5.712
21.	नागालैंड	13.62	1.36	14.984
22.	ओडिशा	660.73	78.42	739.15
23.	पुदुचेरी	56.46	7.984	64.444
24.	पंजाब	1528.26	157.40	1685.664
25.	राजस्थान	1382.37	147.79	1530.16
26.	तमिलनाडु	1077.21	184.67	1261.88
27.	त्रिपुरा	24	—	24
28.	उत्तर प्रदेश	3506.01	345.70	3851.71
29.	उत्तराखंड	176.97	9.07	188.31
30.	पश्चिम बंगाल	2345.21	180.42	2525.63
	कुल	35558.12	2696.70	38254.82

[अनुवाद] 324-26

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

5190. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि, वर्षा और बाढ़ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि, वर्षा और बाढ़ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है;

(घ) क्या कृषि अपने आप में देश में जलवायु परिवर्तन का मुख्य योगदानकर्ता है; और

(ङ) यदि हां, तो अध्ययन यदि कोई हो तो उस का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) वर्ष 2004 में कृषि फसलों, बागवानी, वन, पशुधन, मत्स्य आदि पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने "जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि का प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता" शीर्षक से एक परियोजना शुरू की थी।

(ग) सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया है। इस मिशन में सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख आयामों की पहचान की गई है। कार्यक्रम कार्यान्वयन जिसमें चार कार्यात्मक क्षेत्रों नामतः अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी उत्पाद और प्रणालियां, अवसंरचना और क्षमता निर्माण तथा प्रायोजित अनुसंधान के माध्यम से अनुकूलन और न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं, द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारतीय कृषि की सहनशीलता बढ़ाने के लिए वर्ष 2011 में "नेशनल इनीशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए)" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन के लिए भारतीय नेटवर्क (आईएनसीसीए) के तत्वावधान में प्रकाशित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इन्वेंटरी 2007 के अनुसार कृषि क्षेत्र ने वर्ष 2007 में भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में 17% का योगदान किया है।

आईसीएआर और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय खाद्यान्न उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन कम करने के लिए प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों में आशोधित सिंचाई प्रबंधन तकनीकें, एरोबिकधान, की खेती, राइस इंटेसिफिकेशन प्रणाली (एसआरआई) और नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करना शामिल है।

[हिन्दी] नदी, 55000 326.28

नदियों का संदूषण

5191. राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदी जल के नमूने लिए हैं और इसकी गुणवत्ता और संदूषण के स्तर की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उन नदियों के नाम क्या हैं जिनके जल में तीन वर्षों के दौरान संदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान नदियों में अपशिष्ट को छोड़ने वाली कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण (एसपीसीबी) के साथ 383 नदियों के 1085 स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन जैव-रसायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलिफार्मस इत्यादि के रूप में जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। बीओडी स्तरों के आधार पर सीपीसीबी द्वारा देश की 121 नदियों के 150 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रदूषित क्षेत्रों और नदियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने 1162 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है जो अपना बहि:स्राव नदियों और झीलों में बहाते हैं। सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 792 इकाइयों ने अपेक्षित 'प्रदूषण नियंत्रण' सुविधाएं प्रदान की हैं और विहित मानकों का अनुपालन कर रही हैं। 170 उद्योग

बंद हैं। शेष 200 इकाइयों में अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। संबंधित एसपीसीबी द्वारा इन इकाइयों को जल अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का अनुपालन करने की हिदायत दी गई है।

विवरण

सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी क्षेत्र

क्र.सं.	बीओडी मानदंड	क्षेत्रों की संख्या	नदियों के नाम
1	2	3	4
1.	-30 एमजी/एल से अधिक -6 एमजी/एल से अधिक सभी अवसरों पर	35	अट्टावा, चोए, अडयार, अमलाखादी, भीमा, भरालु, भोगावो, कूवम, कावेरी, चंद्रभागा, चम्बल, दमन गंगा, गंगा, गोमती, गोदावरी, घग्गर, हिंडन, इंद्रायणी, कलोंग, कुंदालिका, खान, कोयना, काली नदी पूर्वी, मूसी, मूला और मूथा, मीठी, मरकंदा, नक्कावगु, नीरा, पटियाला की राव, पवाना, रामगंगा सुखना चोए, सतलुज, साबरमती, वीणा नदी, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी काली (आंशिक रूप से शामिल) और यमुना।
2.	-20-30 एमजी/एल के बीच -6 एमजी/एल से अधिक सभी अवसरों पर	15	बगद, भद्रा, वहाला, बांदी, बेरेच, ढेला और किच्छा, गिरबा, जोजरी, खेत्री, कोसी, खारी, कोलक, मिनघोला, नीरा, नोय्यल, नम्बुल और तापी।
3.	-10-20 एमजी/एल के बीच -6 एमजी/एल से अधिक सभी अवसरों पर	26	अगरतला, नहर, भीमा, दीपार बिल, गंगा, गुड़गांव नहर, क्षिप्रा, कृष्णा, करामाना, लक्ष्मणतीर्था, मंजीरा, नर्मदा, पूर्णा, शेदी, सुबर्णरेखा, तुंगा, तुंगभद्रा, वेनगंगा और वर्धा।
4.	-6-10 एमजी/एल के बीच	38	अरासलर, अर्पा, बेतवा, ब्यास, भवानी, बुरहिदिहिंग, चम्बल, कावेरी, दामोदर, गंगा, गोदावरी, काली, किम, कालीसोत, कालू, कन्हन, कोलार, कृष्णा, कठजोडी, खरखाला, माही, मरकंदा, नर्मदा, पचगंगा, पातालगंगा, रंगावली, संख, सिकराना, शेओनाथ, तम्बीरापरनी, उमतिरयू, अल्हास, वैगई, तापी, और टोंस।
5.	-3-6 एमजी/एल के बीच	36	अनस, अम्बिका, अर्कावती, बालेश्वर खादी, बाराकर, ब्रह्माणी, भतसा, दिकचु, धनश्री, हावड़ा, हुन्दरी, कुन्दु, कदम्बायर, कुआखाई, कावेरी, कृष्णा, मानेर, मलप्रभा, माने खोला, माही, महानदी, महानदी तीस्ता, मंदाकिनी, नर्मदा, पालर, पेन्नार, पनम, पुझाक्कल, रिहन्द, रानीछू, साबरमती, सरयू, तुंगभद्रा, उल्हास और यमुना।
		150	

स्नानयोग्य जल गुणवत्ता का मानदंड : 3.0 मिलिग्राम/लीटर (एमजी/एल) के बराबर या उससे कम बीओडी

[अनुवाद]

लोकतक झील

5192. **श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में लोकतक झील की सफाई परियोजना हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या झील को नष्ट करने वाले 'फूमडिस' को लोकतक झील के लोकतक तल से साफ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोकतक परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) लोकतक झील राष्ट्रीय आर्द्रभूति संरक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विभिन्न संरक्षण कार्य कलापों के लिए 100% वित्तीय सहायता दी जाती है, के अंतर्गत पहचान की गई 115 आर्द्रभूमियों में से एक है। मणिपुर सरकार को अब तक 7.54 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है जिसमें फूमडिस हटाने के लिए व्यय की गई 1.78 करोड़ रु. की धनराशि भी शामिल है।

इसके अलावा योजना आयोग द्वारा 373.99 करोड़ रु. की कुल लागत से मार्च, 2009 में "लोकतक और उससे सम्बद्ध मणिपुर नदी बेसिन एकीकरण नमभूमियों का संरक्षण और प्रबंधन" शीर्षक से राज्य सरकार की एक परियोजना को मंजूरी दी गई हैं। अगस्त, 2011 तक किया गया कुल व्यय 210.69 करोड़ रु. है जिसमें से 107.22 करोड़ रु. फूमडिस प्रबंधन पर व्यय हुआ है।

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

5193. **श्री रमाशंकर राजभर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई बिलियन रुपये व्यय करने के बावजूद भी नदियों का प्रदूषण स्तर कम नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पिछले कई वर्षों में प्रमुख नदियों में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, बिजली आदि के लिए जल के दोहन से यह चुनौती और भी जटिल हो गई है। नदियों के किनारे बसे शहरों से बहाया गया अनुपचारित अपशिष्ट जल नदियों में प्रदूषण भार का मुख्य स्रोत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश के I श्रेणी के शहरों और II श्रेणी के कस्बों से लगभग 38254 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अनुमानित सीवेज उत्पन्न होने की तुलना में 11787 एमएलडी के लिए उपचार क्षमता उपलब्ध है।

नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास है और केन्द्र सरकार, केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के नदी संरक्षण प्रयासों को पूरा कर रही है। अन्य केन्द्रीय स्कीमों के साथ-साथ राज्य क्षेत्र की स्कीमों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन तथा निपटान हेतु अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में इस समय 20 राज्यों के 185 शहरों की 39 नदियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 4417 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता विकसित की गई है। मार्च, 2011 तक नदियों की सफाई के लिए एनआरसीपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा की गई स्वतंत्र मॉनीटरिंग के आधार पर, अब तक पूरे किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों से शहरीकरण, औद्योगीकरण और नदियों के किनारे बसे शहरों में जनसंख्या वृद्धि के बावजूद एनआरसीपी के अंतर्गत शुरू किए प्रदूषण उपशमन कार्यों के आरंभ होने से पूर्व जल गुणवत्ता की तुलना में प्रमुख नदियों के बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) की दृष्टि से जल गुणवत्ता में सुधार की सूचना प्राप्त हुई है।

केन्द्र सरकार ने गंगा-नदी के संरक्षण के लिए समग्र प्रणाली अपनाकर एक सशक्त प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है। विश्व बैंक की सहायता से अप्रैल, 2011 में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 7000 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत (मार्च, 2011 तक) राज्यवार जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	259.80
2.	बिहार	92.07
3.	झारखंड	4.45
4.	गुजरात	90.05
5.	गोवा	9.26
6.	कर्नाटक	47.83
7.	महाराष्ट्र	123.72
8.	मध्य प्रदेश	79.00
9.	ओडिशा	56.41
10.	पंजाब	228.80
11.	राजस्थान	21.12
12.	तमिलनाडु	623.65
13.	दिल्ली	417.07
14.	हरियाणा	231.61
15.	उत्तर प्रदेश	1107.82
16.	उत्तराखंड	81.20
17.	पश्चिम बंगाल	656.22
18.	केरल	2.78
19.	सिक्किम	59.46
20.	नागालैंड	4.50
	कुल	4196.82

[अनुवाद]

352-B

श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाना

5194. श्री अजय कुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखंड राज्य की मसोबनी, बाड़िया, पथोरगोरा, केन्दादही, सूडा खानों और मसोबनी कंसनट्रेटर प्लान के वीआरएस श्रमिकों को भुगतान न किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 नवंबर, 1997 से 31 जुलाई, 2004 की अवधि के श्रमिकों को भुगतान हेतु कोई समझौता हस्ताक्षरित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से प्राप्त सूचना के अनुसार, झारखण्ड राज्य की मसोबनी खानों के कुछ श्रमिकों को वीआरएस देयों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की उपस्थिति में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के कामगारों और प्रबंधन के बीच 19.04.2006 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) यह सूचित किया गया है कि मसोबनी खानों के प्रबंधन ने वीआरएस देयों का भुगतान रोक दिया है क्योंकि संबंधित कामगार सरकारी क्वार्टरों में कब्जा किए हुए थे। प्राप्त शिकायतें क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रांची को जांच-पड़ताल करने तथा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजी गई थीं। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा समुचित कार्रवाई करने हेतु इसकी जांच की जा रही है।

वाहन रख-रखाव की निगरानी

5195. **श्री ए. सम्पत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगरानी तंत्र के अभाव में रक्षा/मानवरहित हवाई वाहनों के रख-रखाव के अंतर्गत कार्यों हेतु कथित अधिक भुगतान के मामलों को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अतिदाय राशि को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) मानवरहित हवाई वाहनों के रख-रखाव की संविदा के संबंध में 195,940 अमरीकी डॉलर के अधिक भुगतान का एक मामला हुआ है जिसमें कंपनी द्वारा उस राशि को वापस लौटा दिया गया था। ऐसी सभी संविदाओं में रख-रखाव के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए परिसम्पत्ति पुनरीक्षा बैठक के प्रावधान सहित संविदाओं की रप्रभावी मानीटरी के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

सीमा पर सेना अवसंरचना

5196. **श्रीमती ऊषा वर्मा** :

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

श्री एस.आर. जेयदुरई :

श्री इन्दर सिंह नामधारी :

योगी आदित्यनाथ :

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

श्री सुदर्शन भगत :

श्रीमती सीमा उपाध्याय :

श्री रमेन डेका :

श्रीमती सुशीला सरोज :

श्री कीर्ति आजाद :

श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल :

श्री महेश्वर हजारी :

श्री सी. शिवासामी :

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा पर तवांग क्षेत्र में चीनी बलों द्वारा हाल ही में हुई घुसपैठ को संज्ञान में लिया है जिसने देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया है, जैसा कि हाल ही में रिपोर्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान चीनी बलों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ/घुसने का कितनी बार प्रयास किया है और भड़काऊ कार्यकलापों का आश्रय लिया है;

(ग) क्या सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में चीनी उपस्थिति और अरुणाचल के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा जारी सड़क/रेल संपर्क कार्य सहित व्यापक अवसंरचना निर्माण कार्य की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सियाचिन हिमनद के समीप में चीनी उपस्थिति की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सीमा क्षेत्रों पर व्यापक अवसंरचना निर्माण हेतु और पड़ोसी देशों द्वारा उत्पन्न की जा रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की विस्तृत कार्य योजना क्या है?

रक्षा मंत्री **(श्री ए.के. एंटनी)** : (क) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर चीन सहमत नहीं है। दोनों देशों के बीच सामान्य ढंग से निरुपित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अपनी-अपनी अवधारणाओं के अनुसार गश्त लगाते हैं। समय-समय पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के अवधारणा के संबंध में मतभेदों के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें यदि हमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में साझी अवधारणा होती तो, उनसे बचा जा सकता था। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस तरह की घुसपैठों की संख्या सामान्यतः स्थापित पैटर्न के अनुसार रहीं हैं।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन पाक अधिकृत कश्मीर में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं चला रहा है। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की गतिविधियों के बारे में उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया है और उनसे ऐसी गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा है। चीन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) तथा भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी त्वरित अवसंरचनात्मक विकास कार्यों को चला रहा है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सामरिक सड़कों, रेलवे लाइनों और वायु क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है जिससे उसकी सैन्य क्षमता में सुधार हुआ है।

सरकार देश की सुरक्षा आवश्यकताओं तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता से अवगत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का अवसंरचना के विकास के माध्यम रसे समुचित समाधान किया जाए, जिसमें आवश्यकतानुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसमें रेल, सड़क, वायु क्षेत्र तथा सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक क्षमताओं का विकास शामिल है ताकि वांछित राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को प्रापत किया जा सके।

[अनुवाद]

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे

5197. **श्री सी.आर. पाटिल :**
श्री हरिन पाठक :
डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री प्रभातसिंह पी. चौहाण :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का व्यवहार्यता अध्ययन और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को प्रारंभ करने में हुए अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना को अभिकल्प, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरे होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का साध्यता अध्ययन अक्तूबर, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। तथापि, साध्यता अध्ययन पूरा करने में विलंब मुख्यतः महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के सड़क संपर्क के लिए वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग में एक स्कंध (स्पर) के रूप में लगभग 94 किमी अतिरिक्त लंबाई शामिल किए जाने के कारण हुआ है। स्कंध के संरेखण को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित अंतर्विभागीय समिति ने अंतिम रूप प्रदान किया था तथा स्कंध सहित संपूर्ण परियोजना का कार्यान्वयन, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर किए जाने हेतु विस्तृत5 परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। स्कंध संरेखण सहित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का साध्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण और वित्त आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है। चूंकि डीपीआर का कार्य प्रगति पर है इसलिए इसके पूरा होने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांगों को रोजगार

5198. श्रीमती भावना पाटील गवली : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे कितने लोगों को अब तक इस योजना के अंतर्गत रोजगार मिला है;

(घ) क्या निजी संस्थानों में नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण देने हेतु प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) जी, हां।

(ख) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के रोजगार हेतु निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना 1.4.2008 से आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 25,000 रु. तक के मासिक वेतन वाले, 1.4.2008 को अथवा इसके उपरांत निजी क्षेत्र में नियोजित शारीरिक रूप से नि:शक्त कर्मचारियों हेतु, तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लिए नियोजक का अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) उपलब्ध करवाती है।

(ग) मई, 2011 तथा जून, 2011 तक कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के अंतर्गत क्रमश: 652 तथा 317 शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति शामिल किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) भारत सरकार देश में व्याप्त शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों सहित विशेषकर युवाओं में बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता से पूर्णतया अवगत है तथा इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने कौशल विकास को बड़े पैमाने पर आरंभ किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई योजना में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल व्यक्तियों का लक्ष्य है और सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को तदनुसार कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने का अधिदेश दिया गया है। समस्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आईज) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करने के लिए नए सरकारी और निजी आईटीआईज की स्थापना की जाती है। पांच वर्षों में एक मिलियन व्यक्तियों तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक मिलियन व्यक्तियों को अल्पकालिक मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास पहल नामक एक नई योजना आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है तथा उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं: स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	ईएसआई (मई, 2011 तक)	ईपीएफ (जून, 2011 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	18

1	2	3	4
2.	दिल्ली	64	—
3.	गुजरात	170	126
4.	हरियाणा	2	—
5.	कर्नाटक	7	114
6.	महाराष्ट्र	32	4
7.	मध्य प्रदेश	—	1
8.	पंजाब	3	—
9.	तमिलनाडु	196	53
10.	उत्तर प्रदेश	163	—
11.	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल	652	317

[अनुवाद]

अमोनियम नाइट्रेट

5199. **श्री रघुवीर सिंह मीणा :**
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट को खुले रूप में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पत्तनों से चोरी किए जाने के मामलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सुरक्षा और संरक्षा कारणों हेतु सीलबंद थैलों में अमोनियम नाइट्रेट के आयात हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। यह सच है कि उर्वरक ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत खुले रूप में आयात किया जाता है।

(ख) इस मंत्रालय को विशाखापत्तनम पत्तन से चोरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का IV) की धारा 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की एक अधिसूचना के जरिए, जिसे भारत के राजपत्र में सां.आ.सं. 1678 (अ), दिनांक 21 जुलाई, 2011 को प्रकाशित किया गया है, अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक अधिनियम, 1884 के दायरे में ले आया गया है।

सद्भावपूर्ण उद्देश्यों से किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग को विनियमित करने के लिए, इसके सुरक्षित परिवहन, भंडारण, बिक्री, उपयोग, आयात/निर्यात, रआदि से रसंबंधित प्रावधानों को शामिल करते हुए मसौदा अमोनियम नाइट्रेट नियमावली तैयार की जा रही है।

घरेलू नौकर के संबंध में आईएलओ सम्मेलन

5200. **श्री पी. कुमार :**
श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने घेरलू नौकरों हेतु कार्य और सेवा शर्तों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 100वें सम्मेलन द्वारा अंगीकृत किसी संबंधित की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं कि इन कर्मियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए गए कानूनों को इसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कानूनों में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान किए प्रावधानों के समान प्रावधान प्रदान किए जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसे चर्चा हेतु ईजीओएम के समक्ष रखा गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) सरकार ने जनेवा में जून, 2011 में आयोजित अपने 100वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में घरेलू कामगार सिफारिश (आर-201) द्वारा अनुपूरित घरेलू कामगार अभिसमय (सी-189) को अंगीकार किए जाने का समर्थन किया था।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो सदस्य देशों के अनुसमर्थन के लिए खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। विद्यमान नीति के अनुसार, सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किसी अभिसमय का तभी अनुसमर्थन करती है जब इसके कानून और प्रक्रियाएं उस अभिसमय के उपबंधों के पूर्णतः अनुरूप हों।

(ग) और (घ) संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में कानून अधिनियमित करने का अधिदेश दिया गया है। घरेलू कार्य राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है और राज्य सरकारों को घरेलू कामगारों के संबंध में विधान अधिनियमित करने की शक्तियां प्रदन की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार

5201. **श्री पोन्नम प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आर-पार व्यापार अधिकतर बंद रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उव्यापारियों द्वारा भारत और पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार को बढ़ाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आर-पार व्यापार अप्रैल एवं मई, 2011 के महीनों के दौरान बंद रहा था।

(ख) यह व्यापार, व्यापारियों की कुछेक मांगों के कारण बंद रहा था जिनमें अवसंरचना एवं कराधान संबंधी मुद्दें शामिल थे। कर सबंधी मुद्दे का समाधान व्यापारियों के पक्ष में रहा है। अवसंरचना संबंधी मुद्दों को सुलझाने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 27/07/2011 को आयोजित भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:-

(i) दोनों पक्ष, प्रत्येक पक्ष में अवस्थित व्यापार सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

(ii) व्यापार दिवसों की संख्या को प्रति सप्ताह 2 दिन से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 4 दिन किया गया है।

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमित बातचीत के जरिए नियंत्रण रेखा के पार व्यापार से संबंधित प्रचालनात्मक मुद्दों का निपटान करेंगे।

(iv) दोनों पक्षों के वाणिज्य मण्डलों एवं व्यापारियों के बीच नियमित बैठकों को सुकर बनाया जाएगा।

(v) मौजूदा दूरभाष संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(vi) मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और नियंत्रण रेखा पार यात्रा एवं व्यापार हेतु अतिरिक्त उपायों का सुझाव देने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूह अब से द्विवार्षिक आधार पर बैठक करेंगे।

[हिन्दी]

वन्यजीव अभ्यारण्य

5202. **श्री वीरेन्द्र कुमार** :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

श्री शिवराज भैया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित करने हेतु निजी भूमि अधिग्रहित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामवासियों को निजी भूमि की बिक्री और खरीद में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभ्यारण्य को अनधिसूचित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ग्रामवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए इस अभ्यारण्य को अनधिसूचित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक इसको कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए कोई निजी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई।

(ख) और (ग) शिवपुरी जिले के करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य में सरकारी राजस्व भूमि और निजी भूमि दोनों शामिल है वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में जो कि एक अभ्यारण्य के लिए लागू है, ग्रामवासियों को भूमि की खरीद और बिक्री में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अत: राज्य सरकार ने ग्रामवासियों की समस्या का समाधान करने के लिए अभ्यारण्य को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया।

(घ) और (ङ) किसी अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के अनधिसूचना के प्रस्ताव के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें अपेक्षित हैं और तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमोदन भी। करेरा अभ्यारण्य की अनधिसूचना के प्रस्ताव की राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने अभ्यारण्य की अनधिसूचना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमोदन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा सूचित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद] प्रेमा 343

महिला अधिकारियों के साथ भेद-भाव

5203. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री जोसेफ टोप्पो :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों मे प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सेवा-वार सशस्त्र सेनाओं में महिला अधिकारियों से प्राप्त कथित प्रताड़ना और भेद-भाव की शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों में जांच के उपरांत दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

344 45

बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी

5204. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में बुलेट प्रूफ जैकेटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) बुलेट प्रूफ जैकेटों की अधिप्राप्ति सेना की आवश्यकता के आधार पर की जाती

है और यह एक सतत प्रक्रिया है। बुलेट प्रूफ जैकेटों की मौजूदा संख्या सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। मोड्यूलर बुलेट प्रूफ जैकेटों, जो वजन में हल्की हैं, की अधिप्राप्ति को कार्य रक्षा अधिप्राप्ति के अनुसार चल रहा है।

[हिन्दी]

पशुओं का विलुप्त होना

5205. **श्री लक्ष्मण टुडु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आरक्षित वनों से बहुत से प्रमुख जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की आंकड़ों वाली लाल पुस्तक (रेड डेटा बुक) के अनुसार भारत में पक्षियों की अत्यधिक रूप से संकटापन्न 13 प्रजातियां हैं, भारत में अत्यधिक रूप से संकटापन्न प्रजातियों के रूप में पहचान की गईं पशुओं की 34 प्रजातियां स्तनपाई, सरीसृप, मत्स्य और उभयचर श्रेणी की हैं। इनका ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन प्रजातियों के संरक्षण हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' में एक नया संघटक नामत: 'संकटापन्न प्रजातियों की रिकवरी' शामिल करते हुए 2008-09 में आशोधन किया गया है और रिकवरी हेतु 16 प्रजातियों की पहचान की गई है अर्थात् हिम तेंदुआ, बस्टर्ड (फ्लोरिकन्स सहित), डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि ताहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडीबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो-एंटलेरेड हिरण, गिद्ध, मालाबार सिवेट, भारतीय गैंडे, एशियाई शेर, स्वेम्प हिरण और जेर्डन्स कोर्सर।

(ii) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' के संघटक 'संकटापन्न प्रजातियों की रिकवरी' के अंतर्गत 2008-09 के दौरान संकटापन्न प्रजातियों अर्थात् जम्मू और कश्मीर में हंगुल, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में हिम तेंदुआ, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में गिद्ध की रिकवरी हेतु 377.7 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी। 2009-10 के दौरान संकटापन्न प्रजातियों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्विफ्टलेट, तमिलनाडु में नीलगिरि ताहर, मणिपुर में संघाई हिरण और अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुए की रिकवरी हेतु 72.95 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी। 2010-11 के दौरान, संकटापन्न प्रजातियों अर्थात् पंजाब में गिद्ध, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्विफ्टलेट, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हिम तेंदुए तथा जम्मू और कश्मीर में हंगुल की रिकवरी हेतु 184.052 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी।

(iii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध जीव-जंतुओं और पादपों को विधिक सुरक्षा दी गई है।

(iv) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है तथा इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया हो, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(v) संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावास सहित वन्यजीव को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों को सृजित किया गया है।

(vi) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों, नामश: 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

(vii) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनपर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्तिसम्पन्न बनाया गया है।

(viii) राज्य सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ix) वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को स्थापित किया गया है।

(x) प्रभावी संचार तंत्र के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाती है।

विवरण

भारत में पक्षियों की अत्यधिक रूप से संकटापन्न प्रजातियों की सूची

1. अर्डिया इनसिग्निस (वॉइट-बेलीड हेरॉन)
2. इयुरनॉरीचस पिग्मिस (स्पून-बेलीड सैंडपाईपर)
3. ग्रूसल्यूकोग्रेनस (साईबेरियन क्रेन)
4. जिप्स बेंगॉलेंसिस (वॉइट-रम्पड् वल्चर)
5. जिप्स इंडीकस (इंडियन वल्चर)
6. जिप्स टेनुइरोस्ट्रीस (स्लेंडर-बिल्ड वल्चर)
7. हीट्रोग्रलॉक्स ब्लेविटी (फॉरिस्ट आऊलेट)
8. होबेरोप्सिस बेंगालेंसिस (बेंगाल फ्लोरिकन)
9. ऑपरीसिया सुपरसिलिओ (हिमालयन क्वैल)
10. रिनॉपटीलस बीट्रोक्वाटस (जेरड्न्स कोर्सर)
11. रोडोनैसा कैरीफिलैसिया (पिंक-हेडिड डक)
12. सर्कोजिप्स कैल्वस (रेड-हेडिड वल्चर)
13. वैनीलस ग्रेगेरिस (सोशेब्ल लॉपविंग)

भारत में पशुओं की अत्यधिक रूप से संकटापन्न प्रजातियों (स्तनपाई, सरीसृप, अभयचर और मत्स्य) की सूची

1. एनॉक्सीप्रीटिस कुसपिडाटा (नॉइफटूथ सॉफिश)
2. बाटागुर बस्का (फोर-टॉयड टैरॉपिन)
3. बाटागुर काचुगा (रेड क्राउंड रूफड टर्टल)
4. बिसमॉयोपिटेरस बिस्वासी (नमडेफा फ्लाइंग स्क्यरल)
5. कारकेरहिनुस हेमइयोडॉन (पुदुचेरी शार्क)
6. क्रेमनोमिस एलवीरा (लार्ज रॉक-रेट)
7. क्रोसीडुरा एंडामनेन्सिस (एंडामन वॉइट-टूथ्ड श्रयू)
8. क्रोसीडुरा जेनकिंसी (जेन्किन्स श्रयू)
9. क्रोसीडुरा निकोबॉरिका (निकोबार श्रयू)
10. डर्मोचेलिस कोरीएसिया (लेदरबेक)
11. डॉइसरोहाइनस सुमेट्रीइंस्सि (सुमात्रन राइनोसोर्स)
12. इरेटमोचेलिस इंबींकाटा (हॉक्सबिल टर्टल)
13. फेजरवार्या मुर्थिल (सोशेब्ल लॉपविंग)
14. गेवीऐलिस गेंगीटीकस (फिश ईटिंग क्रोकोडाइल)
15. ग्लायफिस गेंगीटीकस (गेंजिस शार्क)
16. इंडीराना गुंडिया
17. इंडीराना फिर्नोडर्मा
18. इंजेराना चार्लेसडर्वनी
19. लेबियो पोटेल (डेक्कन लेबियो)
20. मिक्रिस्ऑलस कोटीजिहेरन्सिस
21. मिलार्डिया कोंडाना (कोंडाना रेट)
22. फिलॉटस चेलाजोडस
23. फिलॉटस ग्रीट

24. फिलॉटस पोनमुडी

25. फिलॉटस सेंक्टिससिलवटिक्स

26. फिलॉटस शिलांजेंसिस

27. फिलॉटस एसपी. नोव. 'एम्बोली फॉरेस्ट'

28. फिलॉटस एसपी. नोव. 'मुन्नार'

29. पोर्कुला स्लॉवानिया (पिग्मी हॉग)

30. प्रिस्टिस माईक्रोडॉन (लिचहरडर्टस् सॉफिश)

31. प्रिस्टिस जिजस्रॉन (नैरोजनाउट सॉफिश)

32. रॉकोफोरस ज्यूडोमॉलाबेरिकस

33. रिनॉसोरम सोंडाईकस (जवन राइनोसोर्स)

34. विवेरा सिवेट्टीना (मालाबार सिवेट)

[अनुवाद]

व्यापार पर समुद्री डकैती का प्रभाव

5206. **श्री ध्रुव नारायण :**
श्री राधे मोहन सिंह :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री डकैत एक सुगठित दल है जो बार-बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण को जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या समुद्री डकैती के कारण भारत की पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोपियन देशों के साथ व्यापार लागत में वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष और अधिक व्यापक कदम उठाने तथा विश्व व्यापार पर इसके नकारात्मक प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) और (ख) जी, हां। समुद्री डाकू की रणनीति में बदलाव के जो कारण हैं वह अन्तरराष्ट्रीय शिपिंग समुदाय द्वारा निरंतर समीक्षा का विषय हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि समुद्री डाकू हमेशा "आसान लक्ष्य" और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को देखते हैं। पहले समुद्री डाकूओं की गतिविधियां मुख्यत: अदन की खाड़ी में ही केंद्रित थी। तथापि, इस क्षेत्र में सेना (नौसेना) की उपस्थिति में वृद्धि के कारण, समुद्री डकैती की घटनाएं अब अरब सागर में पूर्व की ओर अधिक होने की सूचना है। सोमालिया तट से दूर आक्रमण करने के लिए समुद्री डाकूओं ने 'मदर शिप' जैसे वाणिज्य पोतों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। पहले 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक (भारत की जल प्रादेशिक जल की बाहरी सीमा तक) 'उच्च जोखिम क्षेत्र' के विस्तार के कारण, अरब सागर में व्यापार के लिए बीमा की लागत सामान्यत: बढ़ गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। समुद्री डकैती की समस्या और सोमालिया के तट से बंधक दूर ले जाने के लिए भारत सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) और सोमालिया के तट से समुद्री डकैती को दूर करने के लिए सम्पर्क समूह (सीजीपीसीएस) की बैठक में तत्काल और सहयोगी अंतरराष्ट्रीय काउंटर-समुद्री डकैती उपाय किए हैं।

वस्तुओं का आयात

5207. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित सामग्रियों का सामग्री-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत कृषि उत्पादों के उदारीकृत आयात का भारतीय कृषि पर प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) वस्तुवार एवं देशवार ब्यौरा सीडी के

रूप में डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी" खण्ड-III में उपलब्ध है, जिसे डीजीसीआई एंड एस द्वारा संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भिजवाया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने ऐसा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है। तथापि सरकार मासिक आधार पर कतिपय संवेदनशील मदों (कृषि एवं गैर-कृषि दोनों सहित) के आयात की निगरानी करती है। सरकार के पास उपलब्ध अनंतिम आयात आंकड़ों के अनुसार इन संवेदनशील मदों के आयात में वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान 7.8% की वृद्धि हुई है।

351-53

वनों का विस्तार

5208. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वनों के पुनर्स्थापन तथा उनके विस्तार में स्थानीय जनजातियों की मदद के लिए स्थानीय पंचायतों की मुख्य भूमिका के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जनजातियों सहित स्थानीय लोगों की सहायता से वन संरक्षण एवं विस्तार कार्यों में प्रजातांत्रिक बुनियादी स्तर की संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं का संपूर्ण समर्थन तथा सहभागिता चाहता है।

(ख) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरोद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमएनआरईजीएस) और राज्य स्कीमों में वनीकरण/वृक्षारोपण के घटक मौजूद हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.54	11.03	10.48
2.	छत्तीसगढ़	25.66	25.12	33.25
3.	गुजरात	25.75	24.44	29.43
4.	हरियाणा	20.14	20.57	24.20
5.	हिमाचल प्रदेश	6.72	3.59	3.45
6.	जम्मू और कश्मीर	8.47	9.81	3.99
7.	कर्नाटक	15.46	11.95	8.12
8.	मध्य प्रदेश	22.55	22.53	30.39
9.	महाराष्ट्र	21.87	20.53	16.17
10.	ओडिशा	21.63	8.82	11.19
11.	पंजाब	3.30	3.01	0.00
12.	राजस्थान	7.32	10.67	4.94
13.	तमिलनाडु	8.86	7.98	7.21

1.	2	3	4	5
14.	उत्तर प्रदेश	30.80	30.20	21.33
15.	उत्तराखंड	9.24	7.00	4.47
16.	गोवा	0.00	0.00	0.00
17.	झारखंड	26.32	21.06	8.73
18.	बिहार	6.48	7.74	5.48
19.	केरल	9.45	4.02	7.54
20.	पश्चिम बंगाल	9.06	3.11	4.12
21.	अरुणाचल प्रदेश	3.25	2.37	5.52
22.	असम	9.78	14.48	6.08
23.	मणिपुर	9.51	5.93	10.37
24.	नागालैंड	6.64	10.67	10.11
25.	सिक्किम	6.63	8.86	11.99
26.	त्रिपुरा	0.89	3.20	10.43
27.	मिजोरम	13.61	17.27	12.21
28.	मेघालय	4.69	2.21	8.78
	कुल	345.62	318.17	309.98

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश

5209. **श्री महाबल मिश्रा :**
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्रीमती दीपा दासमुंशी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान अंतिम रूप से दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रत्येक प्रस्तावों में निवेश की गई राशि क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में विदेशी तथा घरेलू निवेश प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान धातुकर्मीय क्षेत्र में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवक नीचे दी जाती है जिससे पता चलता है कि 2010-11 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निवल वृद्धि हुई है:-

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आमद	
	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
2008-09	4,152.56	959.94
2009-10	1,999.30	419.88
2010-11	5,023.34	1098.14

स्रोतः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी इस्पात उत्पादकों द्वारा भारतीय इस्पात उद्योग में प्रस्तावित बड़े निवेश निम्नलिखित हैं:-

भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव

उत्पादक	प्रस्तावित राज्य	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
पोस्को	ओडिशा	12 एमटीपीए	52,000

1	2	3	4
पोस्को	कर्नाटक	6 एमटीपीए	32,000
अर्सलर-मित्तल	ओडिशा	12 एमटीपीए	40,000
अर्सलर-मित्तल	झारखंड	12 एमटीपीए	50,000
अर्सलर-मित्तल	कर्नाटक	6 एमटीपीए	30,000
एनएमडीसी-सेवेंस्टल	कर्नाटक	5 एमटीपीए	दोनों संयुक्त रूप से 9,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे
टाटा स्टील-निप्पोन स्टील	झारखंड	60,000 टन	2300

इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय इस्पात उद्योग में किए गए कुछ अन्य निवेश निम्नलिखित हैं:

- जापान की जे.एफ.ई. होल्डिंग द्वारा जे.एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड में 14.99 प्रतिशत स्टेक का अधिग्रहण।
- अर्सलर-मित्तल द्वारा उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड में 29 प्रतिशत स्टेक का अधिग्रहण।

(घ) देश में स्टील के प्रमुख निवेशों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की निगरानी और समन्वय करने के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयीन समूह (आईएमजी) जुलाई, 2007 में गठित किया गया था। इसमें अन्य मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों यथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, रेलवे, शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा साथ ही संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। इस्पात क्षेत्र से संबंधित अंतरमंत्रालयीन समूह (आईएमजी) इस्पात क्षेत्र के निवेशों को प्रभावित करने वाले मामलों का समन्वय, निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक फोरम है। अंतरमंत्रालयीन समूह की बैठकों में उठाए गए प्रत्येक मामलों पर आगे की कार्रवाई संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों और नीतियों के प्रावधान के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

व्यापार समझौता

5210. श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, हंगरी, उरुग्वे, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार ने इन देशों के साथ कोई करार किया है या समझौता कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन देशों के साथ व्यापार का देश-वार, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात/निर्यात के नार्म्स के उदारीकरण सहित कोई अन्य कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत इन देशों के साथ व्यापार के संवर्धन हेतु अनेक व्यापार व्यवस्थाओं पर वार्ताएं कर रहा है/व्यापार व्यवस्थाएं निष्पादित की हैं। कुछेक करारों/व्यवस्थाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. भारत और मर्कोसुर (दक्षिण अमरीका में अर्जेन्टीना, ब्राजील पैराग्वे और उरुग्वे का एक आर्थिक समूह) के साथ हस्ताक्षरित अधिमानी व्यापार करार (पीटीए)

2. यूरोपीय संघ (जिसमें फ्रांस शामिल है) के साथ वार्ताधीन व्यापार आधारित द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए)

3. भारत और अमरीका की सरकारों के बीच व्यापार आदि पर विचार-विमर्श हेतु भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ)

4. आसियान देशों के साथ वस्तु व्यापार करार

5. भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईपीए) आदि

(ग) कुछेक देशों के साथ किए व्यापार का बयौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन देशों के साथ हस्ताक्षरित करारों/व्यवस्थाओं की परिणति व्यापार संवर्धन में हुई है। व्यापार व्यवस्थाओं का उदारीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछेक देशों के साथ निर्यात/आयात को दर्शाने वाला विवरण

(मूल्य मिलि. अम. डॉलर)

वर्ष	यूएसए		कनाडा		फ्रांस		उरुग्वे		आसियान देश (सिंगापुर सहित)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2008-09	21149.53	18561.42	1364.41	2458.65	3020.86	4632.48	65.55	14.73	19140.63	26202.96
2009-10	19535.49	16973.68	1122.77	2097.35	3819.83	4192.17	48.33	16.04	18113.71	25797.96
2010-11	25672.85	18529.96	1365.09	1931.88	5077.24	3534.11	89.62	16.86	27869.33	29343.51

टिप्पणी: दन देशों के साथ निर्यात/आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं/क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

I. अमरीका

(i) निर्यात : रत्न एवं आभूषण, औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन, सहायक सामग्री सहित आरएमजी, काटन धातु विनिर्मितियां, मशीनरी एवं उपस्कर इत्यादि।

(ii) आयात : परिवहन उपकरण (वायुयान, अंतरिक्षयान और उनके पुर्जे सहित) मशीनरी (विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक छोड़कर) इलैक्ट्रानिक सामान, उर्वरक, विनिर्मित वस्तुएं, मोती, बेश कीमती एवं कीमती नगीने इत्यादि।

II. कनाडा

(i) निर्यात : औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन, सहायक सामग्री सहित आरएमजी काटन, धातु विनिर्मितियां, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी एवं उपस्कर आदि।

(ii) आयात : दालें, उर्वरक विनिर्मिति, अखबारी कागज, परिवहन उपकरण, विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक को छोड़कर मशीनरी इत्यादि।

III. फ्रांस

(i) निर्यात : पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद), सहायक सामग्री सहित आरएमजी काटन, परिवहन उपकरण, मशीनरी एवं उपस्कर, चमड़े के फुटवेयर इत्यादि।

(ii) आयात : परिवहन उपकरण, विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक को छोड़कर मशीनरी, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं लौह एवं इस्पात, धातु की विनिर्मितियां इत्यादि।

IV. उरुग्वे

(i) निर्यात ; परिवहन उपकरण, औषध, भेषज एवं उपस्कर, प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन, मशीनरी एवं उपस्कर इत्यादि।

(ii) आयात : ऊन, अपरिष्कृत, लौह एवं इस्पात, ऊनी यार्न एवं फैब्रिक, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद, लुग्दी एवं रद्दी कागज इत्यादि।

V. आसियान देश

(i) निर्यात : पेट्रोलियम, तेल खाद्य, रतन एवं आभूषण, मशीनरी एवं उपस्कर, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं इत्यादि।

(ii) आयात : पेट्रोलियम, अपरिष्कृत, एवं उत्पाद, वनस्पति तेल जा हुआ (खाद्य), कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स आदि, विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक छोड़कर इलैक्ट्रानिक वस्तुएं आदि।

[हिन्दी]

359-60

राजमार्गों को सुदृढ़ बनाना

5211. **श्री सुदर्शन भगत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल 33 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा मात्र दो प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में राज्य राजमार्गों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2007-08 की "भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल सड़क लंबाई लगभग 41,09,592 किमी है। इस समय, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 71,772 किमी है जो कि देश में कुल सड़क लंबाई की लगभग 1.75% है।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय, देश में मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सड़क संपर्क की आवश्यकता, निधियों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। राज्यीय राजमार्गों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों का है। देश में राज्यीय राजमार्गों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए इस मंत्रालय के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं हैं।

360-62

श्रमिक के लिए विद्यालय

5212. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ओडिसा और झारखंड सहित श्रमिक विद्यालयों की स्थापना से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों के आलोक में वर्तमान में स्थापित उन विद्यालयों की संख्या क्या है जिन्हें अनुमोदन प्राप्त है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के पास देश में श्रमिकों के लिए विद्यालयों की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 8710 विशेष विद्यालयों, जहां कार्य से हटाये गये/बचाये गये बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किए जाने से पूर्व दाखिला दिलाया जाता है, त्वरित ब्रिजं शिक्षा, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं, की व्याप्ति के साथ ओडिशा और झारखंड सहित 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम की व्याप्ति का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	असम	3
3.	बिहार	24
4.	छत्तीसगढ़	7
5.	गुजरात	9
6.	हरियाणा	3
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	झारखंड	8
9.	कर्नाटक	15
10.	मध्य प्रदेश	21
11.	महाराष्ट्र	15
12.	नागालैंड	1
13.	ओडिशा	24
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	27
16.	तमिलनाडु	17
17.	उत्तर प्रदेश	47
18.	उत्तराखंड	1
19.	पश्चिम बंगाल	18
20.	दिल्ली	1
	कुल	266

कैंटोनमेंट बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

5213. डॉ. निर्मल खत्री : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले सिविलियन की समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए सरकार का कैंटोनमेंट बोर्ड को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बहुत से स्थानों, फैजाबाद कैंटोनमेंट (उत्तर प्रदेश) सहित, में कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों को सिविलियन के लिए बंद किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का उक्त सड़कों को आम लोगों के लिए खोलने पर विचार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सरकार ने वर्ष 2006 में छावनी अधिनियम 1924 को समाप्त करके तथा उसके स्थान पर छावनी अधिनियम 2006 लाकर एक बड़ा प्रयास किया है। नए अधिनियम से छावनी बोर्डों का वृहत्तर लोकतंत्रीकरण हुआ है।

छावनी क्षेत्रों में वास करने वाली सिविल आबादी की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत छावनी बोर्ड को अधिकारसंपन्न बनाया गया है। छावनी क्षेत्रों में रहने वाली सिविल आबादी को प्रभावी एवं कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने में घाटे वाले छावनी बोर्डों को समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

363-64

खनन परियोजनाओं को अनुमति

5214. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनिवार्य वन अनुमति के बिना चल रही खनन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनुमति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे वनों की रक्षा करने तथा लोगों को विस्थापन से बचाने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए परियोजनाओं पर विचार करना'' के संबंध में दिनांक 31.3.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें वनभूमि की जाने वाली कार्यविधि'' शामिल है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुबद्ध है कि वे खनन परियोजनाएं जिनमें वनभूमि शामिल है, के संदर्भ में पर्यावरणीय स्वीकृति, परियोजना में शामिल वनभूमि हेतु अवस्था - I वानिकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन से छोड़े गए निवेश को टाले जाने, सम्पन्न कार्य की स्थितियों को होने के रोकने और वनों की बेहतर सुरक्षा होने की आशा है।

364-68

कार्गो 04.2012 **मल्टी पर्पस बर्थ**

5215. **श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्रीमती जे. शांता :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बहुत से प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो की स्वच्छ संचालन के लिए मल्टी पर्पस बर्थ विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मल्टी पर्पस बर्थ कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा इससे मिलने वाले संभावित लाभ क्या है;

(ग) क्या वर्तमान भंडारण अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बंदरगाहों पर अतिरिक्त भंडारण क्षमता निर्माण के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में विभिन्न बंदरगाहों में आगामी पांच वर्षों के लिए संभावित कार्गो की संभावना क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, हां। स्वच्छ कार्गो इत्यादि संभालने के लिए कई बहुउद्देशीय घाट महापत्तनों में विकसित किए जाने प्रस्तावित है।

(ख) महापत्तन-वार विकसित किए जाने प्रस्तावित ऐसे बहुउद्देशीय घाटों की एक सूची उनके पूरा किए जाने की संभावित तिथि सहित विवरण के रूप में दी जा रही है।

(ग) मांगों के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए महापत्तनों के पास पर्याप्त भंडारण अवसंरचना है।

(घ) सरकार अतिरिक्त भंडारण और वेयर हाउसिंग सुविधाओं के निर्माण के लिए महापत्तनों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है। दस वर्ष तक की अवधि के लिए सिलोस और टैंक्स इत्यादि जैसी अवसंरचना स्थापित करने के लिए महापत्तनों की भूमि-नीति, 2010 में उपयुक्त संशोधन कर दिए गए हैं।

(ङ) देश के महापत्तनों में आगमी पांच वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2015-16 तक के लिए कार्गो का अनुमान नीचे दिया गया है:

वर्ष, 2011-12 से 2015-16 तक महापत्तनों में आगामी पांच वर्ष के लिए कार्गो (यातायात) का अनुमान

(मिलियिन टन)

महापत्तन	अवधि (वर्ष)	कुल
1	2	3
सभी महापत्तन	2011-12	629.64
	2012-13	682.43
	2013-14	735.57
	2014-15	816.37
	2015-16	927.53

विवरण

क्र. सं.	पत्तन का नाम	प्रस्तावित बहुउद्देशीय घाट का नाम	कार्य समाप्त होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	पारादीप पत्तन न्यास	कंटेनरों सहित स्वच्छ कार्गो की संभलाई हेतु बहुउद्देशीय घाट का विकास	सितंबर, 2015
2.	नवमंगूलर पत्तन न्यास	पश्चिमी डॉक आर्म में स्वच्छ कार्गो की संभलाई के लिए बहुउद्देशीय घाट का विकास	2015-2016
3.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	(i) अंदरूनी बंदरगाह में बहुकार्गो की संभलाई हेतु डब्ल्यू क्यू-6 घाट का विकास	दिसंबर, 2012
		(ii) शुष्क बल्क के अलावा आयात की संभलाई के लिए अंदरूनी बंदरगाह में यांत्रिकृत सुविधाओं से युक्त डब्ल्यू क्यू 7 घाट का विकास	दिसंबर, 2012
		(iii) शुष्क बल्क के अलावा आयात की संभलाई और ब्रेक बल्क कार्गो के निर्यात/आयात के लिए अंदरूनी बंदरगाह में यांत्रिकृत सुविधाओं से युक्त डब्ल्यू क्यू 8 घाट का विकास	तिथि अभी तय की जानी है।
4.	चेन्नई पत्तन न्यास	स्वच्छ कार्गो की संभलाई हेतु आर ओ-आर ओ सह बहुउद्देशीय घाट का विकास	दिसंबर, 2015
5.	मुंबई पत्तन न्यास	लौह और इस्पात, कारें/मोटरगाड़ियां और परियोजना कार्गो की संभलाई के लिए अपतटीय बहुउद्देशीय घाट का निर्माण	सितंबर, 2016

1	2	3	4
6.	कांडला पत्तन न्यास	(i) 13वें 16वें कार्गो घाटों का विकास	2014-15
		(ii) तूना के नज़दीक टेकरा तट पर शुष्क बल्क कार्गो टर्मिनल का विकास	2015-16
7.	मुरगांव पत्तन न्यास	वास्को क्षेत्र में दो बहुद्देशीय सामान्य कार्गो घाटों का विकास	दिसंबर, 2012

367-68

फैशन आभूषण और उप साधन प्रदर्शनी

5216. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों से उद्योग क्षेत्र के विकास में मदद मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में योजनाएं/नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त औद्योगिक सामग्री के साथ-साथ भारतीय फैशन आभूषण तथा उपसाधन प्रदर्शनी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ-साथ तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) आईटीपीओ सहित विभिन्न प्रतिष्ठित व्यापार संवर्धन निकायों द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वाणिज्य विभाग दो स्कीमें अर्थात् बाजार पहुंच पहल (एमएआई) और विपणन विकास सहायता (एमडीए) चलाता है।

(ग) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय फैशन आभूषण तथा उपसाधन प्रदर्शनी का आयोजन एक अनन्य शो के रूप में किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

368-69

आइएनएस विध्यागिरी की दुर्घटना

5217. **श्री जगदम्बिका पाल : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आइएनएस विध्यागिरी की दुर्घटना के बारे में कोई जांच शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है;

(ग) क्या उपर्युक्त दुर्घटना की जांच का कोई निष्कर्ष निकला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) और (ख) जी, हां। पोत परिवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से यथासंशोधित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग के XII प्रावधानों के अंतर्गत विश्व में कहीं भी किसी भी भारतीय पोत पर हुई नौवहन से संबंधित मृत्यु की घटना की और भारतीय तट पर होने वाली नौवहन से संबंधित मृत्यु की घटनाओं की प्राथमिक जांच करने के लिए प्राधिकृत है। अतः विनिर्दिष्ट रूप से संदर्भ निबंधनों की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। विवरण निम्नानुसार है:

(i) एम.वी. नॉर्ड लेक और आई.एन.एस विद्यागिरी (एफ 42) की बीच टक्कर का कारण मुंबई पत्तन न्यास/जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास/नेवी जलयानों यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) के डयूटी पर तैनात कार्मिकों, नॉर्डलेक/सी ईगल पर जे.एन.पी.टी. के पॉयलेटों और एम.वी. नॉर्डलेक तथा आई.एन.एस. विद्यागिरी के मास्टरों को ढीला रवैया/लापरवाही थे। उपरोक्त संस्थानों द्वारा उस समय मौजूदा परिस्थितियों में समय से प्रत्युत्तर और सक्रिय कार्रवाई से इस टक्कर से बचा जा सकता था।

(ii) पोत एफ 42 की अंततः हुई क्षति टकराहट के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई। नौसेना प्राधिकारियों द्वारा की गई बाद की कार्रवाई के कारण जलमार्ग में डूबने के कारण युद्ध पोत अथवा पत्तन के बंद छोर में विस्फोट जैसी और अधिक विनाशक घटना से बचा जा सका।

(iii) नौसेना पोतों के नौचालन के लिए उत्तरदायी नौसेना अधिकारियों को मुंबई नौवहन यातायात अथवा दोनों पत्तनों की कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में कर्मचारियों की उत्पादकता

5218. श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री गोविंद प्रसाद मिश्र :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित और असंगठित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियोजित कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ख) देश के सकल घरेलू उत्पाद में इन कर्मचारियां का क्या योगदान है;

(ग) क्या आर्थिक विकास दर बढ़ने के बावजूद भी संगठित क्षेत्र में कुल नौकरियों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश सहित देश में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) वर्ष 1999-2000, 2004-05 तथा 2009-10 के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1999-2000	2004-05	2009-10
संगठित	2.81	2.65	2.81
असंगठित	36.90	43.30	43.70
योग	39.71	45.95	46.51

वर्ष 2004-05 के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में संगठित क्षेत्र के भाग तथा 2009-10 के दौरान संगठित कामगारों तथा असंगठित कामगारों के भाग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	सकल घरेलू उत्पाद में हिस्से की प्रतिशतता	रोजगार में हिस्से की प्रतिशतता
संगठित	45.00	6.02
असंगठित	55.00	93.98
योग	100.00	100.00

(ग) जी, नहीं। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रोजगार समीक्षा, 2009 के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार 2006-07

में 272.76 लाख से बढ़कर 2008-09 में 280.98 लाख हो गया।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार आंध्र प्रदेश सहित देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित मुस्लिमों की प्रतिशतता क्रमशः 33.1 प्रतिशत तथा 33.9 प्रतिशत थी।

विवरण

2004-05 के दौरान संगठित एवं असंगठित कामगारों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.20	3.84	4.04
2.	असम	0.11	1.00	1.11
3.	बिहार	0.05	2.76	2.81
4.	गुजरात	0.16	2.35	2.51
5.	हरियाणा	0.05	0.87	0.92
6.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.30	0.33
7.	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.43	0.45
8.	कर्नाटक	0.19	2.54	2.73
9.	केरल	0.11	1.37	1.48
10.	मध्य प्रदेश	0.10	2.72	2.82
11.	महाराष्ट्र	0.34	4.47	4.81
12.	ओडिशा	0.08	1.71	1.76
13.	पंजाब	0.08	1.03	1.11
14.	राजस्थान	0.12	2.57	2.69
15.	तमिलनाडु	0.23	2.90	3.13
16.	उत्तर प्रदेश	0.21	6.42	6.63
17.	पश्चिम बंगाल	0.20	3.15	3.35
18.	झारखंड	0.10	0.11	0.21
19.	छत्तीसगढ़	0.03	1.05	1.08
20.	उत्तराखंड	0.03	0.38	0.41
21.	अन्य राज्य	0.16	1.33	1.49
	कुल	2.60	43.30	45.90

राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण

5219. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों, राजमार्गों के निर्माण के उपरांत इसके दोनों तरफ हुए अतिक्रमण, जिससे वाहन यातायात में बाधा और सड़कों पर अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अतिक्रमण को रोकने और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कोई स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसको कब तक गठित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में अतिक्रमण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों में अंतर्निहित भूमि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गाधिकार और गतिशील यातायात पर नियंत्रण का तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में अंतर्निहित भूमि से अनधिकृत कब्जे हटाने का प्रावधान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया है। अधिनियम के उपबंधों में राजमार्ग भूमि के अनधिकृत कब्जे को रोकने तथा उक्त अधिनियम में निर्धारित पद्धति के अनुसार, अनधिकृत कब्जे को हटाने का भी प्रावधान है।

संविदा हेतु अपनाए गए मॉडल

5220. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अर्जुन राय :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़कों के निर्माण के ठेके देने हेतु कई मॉडल अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और प्रत्येक मॉडल में सरकार, निजी क्षेत्र और आम आदमी की भूमिका के संबंध में अनेक अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण क्या है;

(ग) योजना आयोग ने इन मॉडलों के बारे में क्या आपत्तियां उठाई हैं तथा इनकी कमियां कौन-कौन सी हैं; और

(घ) एकल मॉडल प्रणाली के स्थान पर बहु-मॉडल प्रणाली अपनाने का कारण क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए ठेके सौंपने हेतु विभिन्न मॉडल अपनाता है। दो प्रकार के मॉडल हैं अर्थात् सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र के अंतर्गत बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) जिनमें राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए निजी निवेश का उपयोग किया जाता है। अन्य मॉडल है- इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) जिसमें संपूर्ण वित्त-पोषण सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। विद्यमान नीति के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण की डिफॉल्ट विधि बीओटी (पथकर) है तथा जब कोई परियोजना इस विधि से कार्यान्वित किए जाने हेतु व्यवहार्य नहीं पाई जाती तो उस पर पीपीपी तंत्र के अंतर्गत बीओटी (वार्षिकी) विधि से कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाता है। किसी परियोजना को ईपीसी आधार पर कार्यान्वित किए जाने से पूर्व उसकी बीओटी (वार्षिकी) के लिए जांच किया जाना अनिवार्य है तथा अस्वीकार्य निविदाएं प्राप्त होने पर ही उस परियोजना को ईसीपी आधार पर सौंपा जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत आने वाली ऐसी परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जिनमें 5000 यात्री कार यूनिट से कम यातायात हो। इन परियोजनाओं को सीधे ही ईपीसी आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रत्येक मॉडल में सरकार, निजी क्षेत्र और आम आदमी की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं के संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

सुपुर्दगी की विधि	सरकार के अधिकार और कर्तव्य	निजी क्षेत्र के अधिकार और कर्तव्य	आम आदमी के अधिकार और कर्तव्य
1	2	3	4
पीपीपी बीओटी (पथकर)	निर्माण-पूर्व कार्यकलाप, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करना, सार्वजविक सुविधाओं के स्थानांतरण, रियायत	निजी उद्यमियों/रियायतग्राही के कर्तव्य हैं- डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अनुरक्षण तथा रियायतग्राही द्वारा निवेश की वसूली, सरकार द्वारा सौंपी गई	आम आदमी, राजमार्ग के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करता है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाने के लिए गुणतापूर्ण सर्विस प्राप्त करता है।

1	2	3	4
	सौंपना सरकार के क़र्तव्य हैं। रियायत अवधि के दौरान, सरकार, निजी रियायतग्राही को उसके निवेश पर लाभ की भरपाई के लिए सौंपी गई रियायत के बदले रियायतग्राही द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सड़क के लिए गुणता मानक लागू करने के लिए अधिकृत है।	रियायत अवधि के दौरान प्रयोक्ताओं से प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण और विनियोजन द्वारा की जाती है। इसमें निविदा संबंधी मापदंड, यथास्थिति, रियायतग्राही द्वारा मांगा गया न्यूनतम अर्थक्षमता अंतर वित्त-पोषण अथवा उच्चतम प्रीमियम होता है।	
बीओटी (वार्षिकी)	निर्माण-पूर्व कार्यकलाप, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करना, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, रियायत सौंपना अनुमति देना, स्वीकृति, लाइसेंस आदि प्रदान करना सरकार के कर्तव्य हैं। रियायत अवधि के दौरान, सरकार, निजी रियायतग्राही को उसके निवेश पर लाभ की भरपाई के लिए सौंपी गई रियायत के बदले रियायतग्राही द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सड़क के लिए गुणता मानक लागू करने के लिए अधिकृत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक प्राधिकरण के पास, प्रयोक्ता से पथकर/प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत करने का अधिकार है।	निजी उद्यमियों/रियायतग्राही के कर्तव्य हैं- डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अनुरक्षण तथा वे रियायत अवधि के दौरान सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से वार्षिकियों का छमाही रूप से भुगतान (जो निविदा संबंधी मापदंड है) प्राप्त करते हैं। चूंकि रियायतग्राही अपने निवेश पर लाभ की वसूली छमाही तौर से प्राप्य वार्षिकी के माध्यम से करता है इसलिए उसे प्रयोक्ता से पथकर/प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत करने का कोई अधिकार नहीं है।	आम आदमी, राजमार्ग के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करता है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चलाने के लिए गुणतापूर्ण सर्विस प्राप्त करता है।
ईपीसी विधि	बजटीय सहायता/सरकारी निधि से परियोजनाओं का निर्माण	परियोजनाओं का निर्माण, चरणों में लक्ष्यों की उपलब्धि पर किए जाने वाले भुगतान से किया जाता है।	आम आदमी, राजमार्ग का उपयोग करता है तथा यदि सरकार प्रयोक्ता शुल्क और पथकर उद्गृहीत करने का निर्णय लेती है तो आम आदमी, उपयोग की गई राजमार्ग सेवाओं के लिए पथकर/प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करता है।

(ग) योजना आयोग ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए ठेके सौंपने हेतु प्रयुक्त इन मॉडलों में कोई आपत्ति/कमी नहीं जताई है।

(घ) एकल मॉडल प्रणाली के स्थान पर बहु-मॉडल प्रणाली मुख्यत: सीमित बजटीय संसाधन होने के कारण वित्तीय सीमाओं की दृष्टि से अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त, निजी उद्यमी सीमित जोखिमों का सामना ही कर पाते हैं तथा वे अपने निवेशों पर लंबी अवधि तक लाभ की अवधारणा से अधिक संचलित होते हैं। इसलिए भिन्न-भिन्न मॉडलों के गुण-दोषों और उनकी लागत विविक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजमार्गों के तेजी से अधिकतम विकास का उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से बजटीय संसाधनों पर न्यूनतम दबाव रखने की नीति सरकार ने अपनाई है।

टी-72 टैंक

5221. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में टी-72 टैंकों का बेड़ा पूरी तरह कार्यरत है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये टैंक रात्रि में युद्ध करने की सक्षमता और आधुनिक तापीय इमेजिंग प्रणाली से सुसज्जित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) टी-72 टैंकों का बेड़ा भारतीय सेना में पूरी तरह से कार्यरत है। इन टैंकों की कुल संख्या में से कुछ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के रात्रि दृश्य यंत्र पहले ही लगे हुए हैं। इसके अलावा, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग लगाकर रात्रि में युद्ध करने की क्षमता का उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है।

रक्षा सौदों की निगरानी

5222. श्री हरीश चौधरी :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सौदों की निगरानी/जांच करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) रक्षा सौदों में हुई अनियमितताओं के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा उपस्करों/हथियार प्रणालियों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। उक्त प्रक्रिया में सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी, लोक जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कठोर प्रावधान निहित हैं। जब कभी कोई भी अनियमितता संज्ञान में आती है, नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा सुरक्षा जांच

5223. श्री नवीन जिन्दल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विभिन्न दुर्घटना प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों की सुरक्षा जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा चिन्हित ऐसे राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा सड़क सुरक्षा उपलब्धि में सुधार लाने के लिए रेट्रो फीटिंग्स हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) इस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस प्रकार के किसी अध्ययन संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। तथापि, विश्व बैंक के साथ परियोजना विशिष्ट सड़क सुरक्षा मुद्दों का अध्ययन और उन पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित संबंधित परियोजनाओं के अंतर्गत इनका निवारण किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण के अंतर्गत 'नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन और दुर्घटना संबंधी सूचना के विकास तथा प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाओं' पर अध्ययन

का एक घटक है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग खंड शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण

5224. **श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कई निजी भूमियों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निजी भूमि मालिकों को दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए अधिगृहीत निजी भूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा गत तीन वर्ष के दौरान इस संबंध में किया गया व्यय 7834.63 करोड़ रुपए है।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत निजी भूमि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	गत तीन वर्ष के दौरान कब्जे में ली गई भूमि (हेक्टेयर)		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	372.907	325	664
2.	असम	292.48	260	294
3.	बिहार	72.36	376	332
4.	छत्तीसगढ़	36.54	10	302
5.	दिल्ली	0.18	0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	164.088	0	98
8.	हरियाणा	80.073	13	111
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	71
11.	जम्मू और कश्मीर	1.3	488	221
12.	कर्नाटक	148.226	122	586
13.	केरल	88.127	169	32
14.	महाराष्ट्र	180.05	396	597
15.	मध्य प्रदेश	537.326	545	568
16.	मेघालय	219.06	0	182
17.	ओडिशा	0.193	1013	920
18.	पंजाब	131.445	64	345
19.	राजस्थान	29.375	402	1011
20.	तमिलनाडु	418.079	1168	849
21.	उत्तर प्रदेश	345.401	810	1328
22.	उत्तराखंड	0	0	40
23.	पश्चिम बंगाल	2.96	83	26

ईपीएफ अंशदान

5225. **श्री मानिक टैगोर** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदानों की गणना करते समय कर्मचारियों के लाभों को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दायरा बढ़ाने और इस निधि योजना में शामिल संगठनों के लिए वर्तमान में लागू बीस कर्मचारियों की सीमा को घटाकर आधा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ग) वर्तमान में, नियोजक द्वारा कर्मचारियों के अंश हेतु कर्मचारी भविष्य निधि में 12% की दर से अदा किए गए अंशदान में मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है।

(घ) और (ङ) प्रतिष्ठनों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाये जाने के प्रयोजनार्थ कर्मचारियों की संख्या की प्रारंभिक सीमा को 20 से घटाकर 10 किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

तटरक्षक बल का स्तरोन्नयन

5226. **श्री सुवेन्द्र अधिकारी** :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटरक्षक बल के आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण दें;

(ख) तटरक्षक बल के लिए किए जा रहे अधिग्रहणों और उद्देश्य हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित/उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हिन्द महासागर के कुछ विदेशी राष्ट्रों ने सरकार से निगरानी सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तटरक्षक बल यूनिटों का आधुनिकीकरण, जिसमें परिसम्पत्तियां और उपस्कर शामिल हैं, आवश्यकता के आधार पर की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आबंटन क्रमश: 516.82 करोड़ रु. 834.31 करोड़ रु. तथा 1101.00 करोड़ रु. थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल 15 पोत/नौकाएं तथा हेलिकॉप्टरों सहित 7 विमान सेवा में शामिल किए गए हैं।

नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

5227. **श्री अंजन कुमार एम. यादव** :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद, गुजरात के भरूच और नर्मदा तथा बिहार के शिवहर जिलों को जोड़ने वाली सड़कों/राज्य मार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद (सिकंदराबाद), गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों तथा बिहार के

शिवहर जिले को जोड़ने वाली सड़कों/राज्यीय राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, एक सतत प्रक्रिया है और सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण	लंबाई किमी
1	2		3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1.	नेल्लौर-अत्माकुर-बडवेल-मेदुकुर-गूटी	314
		2.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		3.*	हैदराबाद-श्रीसैलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल	353.18
		4.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क	83
		5.	कृष्णापटनम पत्तन-नेल्लौर-चित्रदुर्ग के निकट चेल्लाकारा	470
		6.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट	395
		7.*	काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरावपेटा-खम्माम-सूर्यपेटा	310
		8.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटुरु-भूपालपटनम	400
		9.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर	300
		10.	कोडेड-मिरयालागुडा-देवारकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240
		11.	बैल्लारी-अदोनी-रायचूट-महबूबनगर-जदचेरला	200
		12.	कलिंगापटनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रारा 201 तक	120
		13.*	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरि-एरपेड्डु-रेनिगुंटा	725
		14.	अंकापल्ली-अनादपुरम	50
		15.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा 219 तक	70
		16.	कोडेड-खम्माम-थोरुर-वारंगल-जगतयाल	290

1	2	3	4
	17.	अनंतपुर-उर्वाकोंडा-बेल्लारी	78
	18.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क	117
	19.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क	126
	20.	ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क	146.17
	21.*	गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़पत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क	530
	22.	आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरुतला-वेमूलवाडा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेट-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू	630
	23.	निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम-काडूर	625
	24.	कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी	353
	25.	विशाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापल्ली-सिलेरु-उप्पेरसिलेरु-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूरु	238
	26.	विशाखापट्टनम-पेंदुर्थी-श्रृगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-ओडिशा-राज्य सीमा	126
	27.	निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा 222 का विस्तार)	108
	28.	राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेंकटपुरम	293
	29.	गोलांव-आसिफाबाद-मांचरेल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम-कोडाड	390
	30.	कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-महबूबनगर-रायचूर-मंत्रालयम-अदोनी-अलूरु-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम	580
	31.	टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडप्पा	208
	32.	गुडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा	356
	33.	पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर	133
	34.	संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी	367

1	2		3	4
		35.	पमारु-चल्ला पल्ली सड़क	27
		36.	संगारेड्डी-नांदेड-अकोला	141
		37.	हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान	156
		38.	तिरुपति-नायडूपेटा सड़क	59
		39.	हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल	132.26
		40.	कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क	187
		41.	मंगलौर (कर्नाटक) से तिरुवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि	24
		42.	श्रीकाकुलम जिले में कलिंगपटनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	31.60
		43.	विशाखापट्टनम जिले में भिमिली पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	9.0
		44.	विशाखापट्टनम जिले में विशाखापट्टनम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	12.50
		45.	विशाखापट्टनम जिले में गंगावरम पोर्ट से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	3.80
		46.	काकिंदा से राजनगरम (एडबी)	55.80
		47.	मछलीपट्टनम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा सं. 16) तक	60.14
		48.	नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क	94.09
		49.	वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक सड़क का उन्नयन	44.73
		50.	ओंगोल से कोठपटनम	17.17
		51.	कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक	19.25
		52.	गुडुरु से कृष्णापटनम पत्तन तक	33.20
			उप-जोड़	11161.89

1	2		3	4
II.	बिहार	1.	दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क	—
		2.	रारा-107 (जिला सहरसा) पर बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से सुपौल के रास्ते भपतियाही के निकट रारा-57 तक	58
		3.	सोनबरसा-बैजनाथपुर	20
		4.	सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज	11
		5.	सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक	120
		6.	मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरुराज-मोतीपुर	56
		7.	मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर	47
		8.	क्योतसा-कटरा-रुनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी	61
		9.	झापा-मीनापुर-श्योहर	47
		10.	दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशोसवर अस्थान	65
		11.	दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया बरिरपुर-बेगुसराय	110
		12.	हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बडवाडा	75
		13.	मांझी-दरौली-गुथनी	55
		14.	गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा	90
		15.	मिरवा-कुचईकोट	70
		16.	दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज	47
		17.	मिरगंज-भगीपट्टी	39
		18.	सिवान-पैगम्बरपुर	52
		19.	चपरा-खैडा-सलेमपुर	70
		20.	मांझी-बरौली-सरपाड़ा	115

1	2		3	4
		21.	बेतिया-चंपतिया-नरकतियागंज-थोरी	70
		22.	सीतामढ़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया	31
		23.	अमौर-बायसी-बहादुरगंज	56
		24.	आरा-सासाराम रोड	97
		25.	भौजपुर-दुमराओ-विक्रमगंज-नसरीगंज-देहरी-ओन-सोन	83
		26.	बक्सर-चौसा-महनिया-भभुआ-अधैरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)	155
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर	175
		28.	शेखपुरा-लखीसराय-जमुई	63
		29.	सुल्तानगंज-देवघर	110
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक	63
		31.	घोघा-बाराहट	84
		32.	जमुई-लक्ष्मीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर	59
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका	30
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर	70
		35.	बाराहट-पंजवाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड	55
		36.	मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरुखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद	49
		37.	बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान	35
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस	65
		39.	पहाड़ी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)	38
		40.	मगध मेडिकल कॉलिज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद	70
		41.	वजीरगंज (रारा-82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा	60

1	2		3	4
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया नदी के किनारे द्वारा	50
		43.	विश्वनाथपुर चौक-कोईली-नानपुर-खड़कबसंत-जाले	35
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला	53
		45.	रुनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर	26
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत	59
			उप-जोड़	2949
III.	गुजरात	1.	मलिया-जामनगर-ओखा द्वारका	340
		2.	भुज-खवादा-इंदिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक	170
		3.	वदोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क	245
		4.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क	165
		5.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क	109
		6.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क	150
		7.	राजपिपला-वापी सड़क	339
		8.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क	40
		9.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा 8 को जोड़ते हुए	135
		10.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन	80
		11.	भावनगर-कर्जन सड़क	210
		12.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क	05.50
		13.	जामनगर-बेडी पोट रोड	04.20
		14.	त्राप्ज-अलंग पोट रोड	08.00
		15.	ज्खाऊ पोट रोड	13.00
		16.	गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड	170

1	2		3	4
		17.	हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-उंजा सड़क	120
		18.	अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क	151
		19.	पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क	65
		20.	भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क	200
		21.	भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क	130
		22.	भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क	130
		23.	चितरोड-रोपड़-धोलावीरा सड़क	120
		24.	सुईगम-सिधादा सड़क	40
		25.	जामनगर-जूनागढ़ सड़क	130
		26.	राजकोट-अमरेली सड़क	72
		27.	बागोदरा-धनधुका-वल्लीभीपुर-धारा-अमरेली सड़क	180
		28.	वंदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क	125
		29.	भरुच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क	90.00
		30.	हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क	130
		31.	जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क	440
		32.	गणदेवी-वंसदा-वाघई-अहवा-चिंचली से गुजरात सीमा तक	120
		33.	वलसाड-परदी-कपरादा सड़क	60
		34.	गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क	200
		35.	ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क	11.00
		36.	वापी-मोतापोंधा सड़क	09.00
		37.	वापी-सिलवासा सड़क	11.80
		38.	बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क	130

1	2	3		4
		39.	वाणकबारा-कोटड़ा सड़क - रारा-8ई तक	30.00
		40.	सरखेज-साणंद-वीरमगांव से मालिया के निकट रारा सं.8ए तक	186
		41.	हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर	165
		42.	शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	506
		43.	वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक	125
		44.	गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक	220
		45.	बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद	200
		तटवर्ती सड़कें:		
		46.	नारायण सरोवर-लखपर	37.00
		47.	नालिया-द्वारका	340
		48.	रारा 8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन	200
			उप-जोड़	6857.50

राष्ट्रीय राजमार्गों का संपरिवर्तन

5228. **श्री रमेन डेका** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के 52 राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण ने चालू वर्ष में 4 लेन बनाने/6 लेन बनाने/ पेव्ड शोल्ड के साथ दो लेन बनाने की 60 परियोजनाएं सौंपने की कार्य-योजना तैयार की है। अगस्त, 2011 तक सात परियोजनाएं पहले ही सौंप दी गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, सौंपे जाने के लिए प्रस्तावित 53 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू वर्ष 2011-12 के दौरान सौंपे जाने के लिए प्रस्तावित 53 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	रारा सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लंबाई (किमी.)	चरण
1	2	3	4	5	6
1.	9	विजयवाड़ा-मछलीपटनम	आंध्र प्रदेश	64.6	III

1	2	3	4	5	6
2.	5	विजयवाड़ा-इल्लूरु-गुंडुगोलानु	आंध्र प्रदेश	103.59	V
3.	5	राजामुंदरी-गुंडगोलानु	आंध्र प्रदेश	128	V
4.	5	आनंदपुरम-विशाखापटनम-अंकापल्ली	आंध्र प्रदेश	59	V
5.	44	जोवई-मेघालय/असम सीमा	असम	102	III
6.	30 और 84	पटना-बक्सर	बिहार	125	III
7.	28	मुजफ्फरपुर-बरौनी	बिहार	107	IV
8.	31	खगड़िया-बख्तियारपुर	बिहार	120	III
9.	2	औरंगाबाद-बरवा अड्डा	बिहार	220	V
10.	6	औरंग-सरायपल्ली-ओडिशा	छत्तीसगढ़	150	IV
11.	200	रायपुर-बिलासपुर	छत्तीसगढ़	127	IV
12.	71	रोहतक-जींद	हरियाणा	46	III
13.	71	पंजाब/हरियाणा सीमा-जींद	हरियाणा	70	IV
14.	73	हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा-यमुनानगर-बरवाला-पंचकुला	हरियाणा	104	III
15.	10	रोहतक-हिसार	हरियाणा	100	III
16.	21	बिलासपुर-नेड़ चौक	हिमाचल प्रदेश	54	IV
17.	6 और 33	महुलिया-बहरगोरा	झारखंड	150	IV
18.	63	होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	कर्नाटक	95	IV
19.	13	होस्पेट-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	120	IV
20.	9	महा./कर्नाटक सीमा-संगारेड्डी	कर्नाटक	145	IV
21.	17	कुंदापुर-कर्नाटक/गोवा सीमा	कर्नाटक	192	IV
22.	207	होस्कोटे-दोबेसपेट	कर्नाटक	89	IV
23.	4	मुलबगल-कर्नाटक/आं.प्र. सीमा	कर्नाटक	22	III

1	2	3	4	5	6
24.	47	वालयार-वडक्कनचेरी	केरल	54	II
25.	3	शिवपुरी-देवास	मध्य प्रदेश	330	IV
26.	3	ग्वालियर-शिवपुरी	मध्य प्रदेश	125	IV
27.	7	जबलपुर-कटनी-रीवा	मध्य प्रदेश	210	IV
28.	9	शोलापुर-महा./कर्नाटक सीमा	महाराष्ट्र	126	IV
29.	13	शोलापुर-महा./कर्नाटक सीमा-बीजापुर	महाराष्ट्र	100	III
30.	6	अमरावती-धुले-गुजरात सीमा	महाराष्ट्र	480	IV
31.	215	पानीकोईर्ली-रिमूली	ओडिशा	163	III
32.	23	बीरमित्रपुर-बरकोटे	ओडिशा	128	IV
33.	42	अंगुल-संबलपुर	ओडिशा	153	IV
34.	42	कटक-अंगुल	ओडिशा	112	IV
35.	5ए	चंडीखोल-दुबरी-तलचर	ओडिशा	77	V
36.	60	खड़गपुर-बालेश्वर	ओडिशा	119	V
37.	200	चंडीखोल-पारादीप	ओडिशा	133	III
38.	95	लुधियाना-चंडीगढ़	पंजाब	—	V
39.	8, 79ए	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद	राजस्थान/गुजरात	556	V
40.	4	वालाजपेट-पूनामल्ली	तमिलनाडु	92	V
41.	49	मदुरै-पर्माकुडि-रामनाथपुरम	तमिलनाडु	116	III
42.	45सी	विक्रवंडी-कुम्बकोणम-तंजाबूर	तमिलनाडु	165	IV
43.	67	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	तमिलनाडु	54	III
44.	एनई-II	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग	उत्तर प्रदेश/हरियाणा	135	अन्य
45.	235	मेरठ-बुलंद्रशहर	उत्तर प्रदेश	63	IV

1	2	3	4	5	6
46.	93	मुरादाबाद-अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	145	IV
47.	2	इटावा-चकेरी	उत्तर प्रदेश	157	V
48.	2	आगरा-इटावा बाइपास	उत्तर प्रदेश	125	V
49.	56	लखनऊ-सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	124	IV
50.	56	वाराणसी-सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	142	IV
51.	2	चकेरी-इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	150	V
52.	2	इलाहाबाद बाइपास-वाराणसी	उत्तर प्रदेश	160	V
53.	87	रामपुर-काठगोदाम	उत्तराखंड	93	III

विदेशी मत्स्यन पोतों को अनुमति पत्र

5229. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मत्स्यन पोतों को अनुमति-पत्र (बल.ओ.पी) जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी पोतों को अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करते समय उनको क्या निर्देश दिये गए हैं;

(ग) क्या विदेशी पोत इन अनुमति-पत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा वे अपने पोतों की स्थिति, मत्स्यन की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं और बीच समुद्र में ही मत्स्यन भार का स्थानांतरण करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लघंन कर रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि हो रही हैं;

(घ) क्या मत्स्यन संघों ने निशानिर्देशों का उल्लघंन करने वाले तथा मत्स्य भंडार को खाली करने वाले विदेशी मत्स्यन पोतों को जारी अनुमति पत्र रद्द करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, नहीं। विशिष्ट जलयानों के संसाधन खरीदने और उन्हें भारतीय ई ई जेड में संचालित करने के लिए अनुमति-पत्र (एल.ओ.पी.एस.) केवल भारतीय उद्यमियों को जारी किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) विभिन्न मुद्दों, जिसमें विदेशी मत्स्य जलयानों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, के बारे में भारतीय मत्स्य उद्योग संघ से अभ्यावेदन मिल गए हैं। संघ ने सूचित किया है कि केवल भारतीय उद्यमियों को एल.ओ.पी.एस. जारी की गई है।

तिरुपुर टेक्सटाइल इकाइयों का बंद होना

5230. श्री पी. लिंगम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपुर, तमिलनाडु में वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण में लगी कई वस्त्र इकाइयां मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें नोयल नदी को प्रदूषित करने वाला पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कामगार

बेरोजगार हुए और इसके परिणामस्वरूप वस्त्र निर्यात को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा तिरुपुर वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार तथा जिन कामगारों की नौकरी छूट गई है उनके पुनर्वास के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 754 रंजन और ब्लिचिंग इकाइयों वाले 18 सीईटीपी और 68 आईटीईपी की जल एवं विद्युत आपूर्ति को काट दिया गया था क्योंकि वे बहि:स्राव उपचार के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज शर्तों को पूरा नहीं करती थी।

(ख) तिरुपुर निर्यातक संघ ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि तिरुपुर में रंजन इकाईयों के बंद होने के कारण 1100 करोड़ रु. के निर्यात राजस्व और लगभग 100,000 कामगारों के रोजगार की क्षति हुई है।

(ग) सरकार ने तिरुपुर वस्त्र उद्योग के वित्तीय, पर्यावरणीय एवं वस्त्र संबंधित मसलों को हल करने के लिए तमिलनाडु सरकार के परामर्श से सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालयीय समिति गठित की है।

सड़क किनारे सुविधाएं

5231. **श्री जोसेफ टोप्पो : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेस्टोरेन्टों सहित सड़क किनारे सुविधाओं के विकास की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों को भी इस योजना में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं तथा ऐसे डेवलपरों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वालों के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ङ) ऐसे उपायों के माध्यम से सृजित होने वाले प्रस्तावित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितने स्थानों की पहचान की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपलब्ध 11 स्थानों को पट्टे पर दिया है जिनमें से 4 को पहले ही विकसित कर लिया गया है।

(ग) लखनऊ से सिल्चर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को परामर्शदाता के माध्यम से सड़क किनारे की सुविधाओं के अभिनिर्धारण के द्वितीय चरण में कवर किया जाएगा।

(घ) प्रचालित मानदंडों के अनुसार, डेवलपरों को पांच होटलों/रेस्टोरेंटों अथवा पेट्रोल पंपों की श्रृंखला को अथवा मनोरंजन पार्कों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्थलों के चयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सड़क किनारे की इन सुविधाओं में कार, बस और ट्रक पार्किंग, भोजनालय, अल्प अवधि ठहराव हेतु विश्राम कक्ष, स्वच्छ शौचालय, पेट्रोल पंप/सर्विस सेंटर आदि शामिल होंगे।

(ङ) पहले ही पट्टे पर दे दिए गए 11 स्थलों से प्रस्तापित रूप से अर्जित होने वाला राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) सड़क किनारे की सुविधाओं को चरणबद्ध रूप में स्थापित करने के लिए उक्त (ख) में उल्लिखित 11 स्थलों के अलावा 60 नए स्थानों का भी अभिनिर्धारण किया गया है। अभी, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी स्थान अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। सड़क किनारे की सुविधाओं के विकास के लिए अभिनिर्धारित स्थानों का राष्ट्रीय राजमार्गवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

स्थलों के चयन के लिए विस्तृत के दिशा निर्देश

सड़क किनारे की सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्थलों के

चयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:-

1. सड़क किनारे की सुविधाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों के उच्च यातायात घनत्व वाले उन महामार्गों पर उपलब्ध कराई जाएंगीं जहां इस समय ये सुविधाएं मौजूद न हों अथवा जहां उनकी कमी हो।

2. अवसंरचना विकास के लिए अपेक्षित भूमि की सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। आसपास लगभग 15,000 में 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र होना अपेक्षित है।

3. स्थल शहरी इलाके और इसी प्रकार के अन्य किसी सड़क किनारे के परिसरों से दूर होना चाहिए।

4. इन सुविधाओं को ऐतिहासिक/प्राकृतिक सौन्दर्य/पर्यटक स्थलों के समीप अवस्थित करने की साध्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

5. नियत किए जाने वाले स्थान का प्रयोग सड़क यात्रियों/पर्यटकों द्वारा किए जाने की अच्छी संभावनाएं होनी चाहिए।

6. स्थल का रोड जंक्शन से 200 से 250 मी. दूर होना वांछनीय है।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी पहुंच वाले अथवा कम घुमाव वाले ऐसे स्थान को वरीयता दी जाएगी जो पर्याप्त दूरी से और आसानी से दिख सके। यह सुविधा, किसी भी स्थिति में तीक्ष्ण मोड़ पर स्थित नहीं होनी चाहिए।

8. सड़क संरेखण और परिसर के पास ढलान वरीयत: सुगम होना चाहिए।

9. स्थल के समीप पीने के पानी, बिजली और जल-मल-निकासी जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर विधिवत रूप से विचार किया जाए।

10. पर्यावरण की दृष्टि से इन सुविधाओं से आसपास के क्षेत्र में असुविधा न्यूनतम होनी चाहिए।

11. प्रस्तावित स्थल के समीप किसी मौजूदा पेट्रोल पम्प/मरम्मत/ अतिरिक्त कल-पुर्जा सुविधाओं की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

12. सुविधाओं का प्रकार, प्रत्याशित यात्री श्रेणी के अनुरूप होना चाहिए जैसे कि सामान्य श्रेणी के यात्रियों के बारंबार आवागमन वाले स्थानों पर स्वयं सेवा स्नेक्स बार/फास्ट फूड सामग्री बेहतर रहेगी जबकि अपनी कारों/डीलक्स बसों आदि से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए वरीयत: रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होनी चाहिए।

13. सड़क किनारे की सुविधाओं की योजना इस प्रकार से बनानी चाहिए कि वहां चरणबद्ध विकास हो सके और वहां प्रथम चरण में ही न्यूनतम विनिर्दिष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

इसके अलावा, स्थल का चयन करने के लिए निम्नलिखित कुछ अतिरिक्त पहलुओं पर विचार किया जाना भी उपयुक्त होगा:-

(क) सड़क किनारे का सुविधा स्थल उचित प्रकाश वाला और आस-पास के परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए।

(ख) जहां कहीं संभव हो वहां पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण के रूप में मनोरंजन पार्क के प्रावधान पर भी विचार किया जाए।

(ग) स्थानीय/क्षेत्रीय वास्तु कला और सांस्कृतिक विरासत झलकाने के लिए सड़क किनारे की सुविधाओं के विकास के जिस सीमा तक भी व्यवहार्य हो सके, भू-दृश्य विकसित करने के लिए स्थानीय/पुन:प्रयुक्त सामग्री, क्षेत्रीय विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(घ) सड़क किनारे की सुविधाओं तक आसानी से पहुंचने, बेहतर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए वरीयत: उचित प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाने चाहिए।

विवरण-II

अर्जित किए जाने वाले प्रस्तावित राजस्व का ब्यौरा

क्र. सं.	अवस्थिति			क्षेत्रफल	स्वीकृत लीज राशि प्रति वर्ष (लाख रु.)	सौंपने का वर्ष	लीज अवधि (वर्ष में)	कुल राजस्थ्व (लाख रु.)
	चैनेज	रारा सं.	राज्य					
1.	किमी 61.30 से किमी 61.330 (बाईं ओर)	7	तमिलनाडु	4.06 हैक्टेयर	20.16	2006	15	302.40
2.	किमी 46.700 से किमी 46.900 (बाईं ओर)	4	कर्नाटक	2.22 हैक्टेयर	28.80	2006	15	432.00
3.	किमी 20.432 से किमी 20.732 (बाईं ओर)	8	राजस्थान	4.50 हैक्टेयर	18.00	2006	15	270.00
4.	किमी 20.057 से किमी 20.357 (दाहिनी ओर)	8	राजस्थान	4.50 हैक्टेयर	33.60	2006	15	504.00
5.	किमी 531.662 (दाहिनी ओर)	2	पश्चिम बंगाल	2.0 हैक्टेयर	51.00	2008	15	765.00
6.	किमी 621.00 (दाहिनी ओर)	2	पश्चिम बंगाल	2.20 हैक्टेयर	63.00	2008	15	945.00
7.	किमी 285.396 से किमी 285.656 (दाहिनी ओर)	5	आंध्र प्रदेश	4.524 हैक्टेयर	33.00	2009	15	495.00
8.	किमी 213.420 से किमी 213.735 (बाईं ओर)	5	आंध्र प्रदेश	4.652 हैक्टेयर	15.00	2009	15	225.00
9.	किमी 366 (बाईं ओर)	1	पंजाब	1.89 हैक्टेयर	5.50	2010	30	165.00
10.	किमी 202 (बाईं ओर) (नया चैनेज किमी) 672.870)	2	उत्तर प्रदेश	1.21 हैक्टेयर	13.65	2010	30	409.50
11.	किमी 741.600 से किमी 741.900 (दाहिनी ओर)	4	महाराष्ट्र	5.09 हैक्टेयर	2.08	2010	30	62.40
							जोड़	4575.30

विवरण-III

उन स्थानों का ब्यौरा जहां मार्गस्थ सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों को कार्य पहले ही आबंटित कर दिया गया हैं:

क्र.सं.	रारा संख्या	राज्य	स्थानों की संख्या
1.	1	पंजाब	1
2.	2	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	3
3.	4	महाराष्ट्र, कर्नाटक	2
4.	5	आंध्र प्रदेश	2
5.	7	तमिलनाडु	1
6.	8	राजस्थान	2
	जोड़		11

सड़क किनारे सुविधाओं के लिए अभिनिर्धारित नए स्थानों का ब्यौरा

क्र.सं.	रारा संख्या	राज्य	स्थानों की संख्या
1	2	3	4
1.	2	उत्तर प्रदेश	2
2.	7	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	18
3.	8ए	गुजरात	1
4.	8बी	गुजरात	3
5.	11	राजस्थान	4
6.	14	राजस्थान, गुजरात	3
7.	15	गुजरात	4
8.	25	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	9
9.	58	उत्तर प्रदेश	2
10.	76	राजस्थान, मध्य प्रदेश	13
11.	203	ओडिशा	1
	जोड़		60

412

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

5232. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक रूप से उच्च जाति के निर्धनों को आरक्षण प्रदान करने के लिए विधान लाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (घ) आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। 412-22

हीरों का खनन

5233. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन भूमि के क्षेत्राधिकार में आने वाले हीरों, स्वर्ण तथा अन्य मदों के खनन की विधिक स्थिति क्या है;

(ख) क्या बहुत सारी कंपनियों ने देश में वन भूमि के अंतर्गत हीरों, स्वर्ण तथा अन्य मदों के खनन के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने मामलों में अनुमति प्रदान की गई तथा सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन तथा शर्तें क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) हीरा, सोना आदि के खनन/उत्खनन सहित गैर-वन कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(ख) और (ग) वन क्षेत्रों में हीरो और सोने का खनन/पूर्वेक्षण शुरू करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। वन भूमि से हीरों, और सोने के खनन/पूर्वेक्षण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेने के लिए इन प्रस्तावों की स्थिति सहित केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खनन परियोजनाओं के लिए लगभग 1,42,135 है. वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अब तक 1,719 अनुमोदन (वन भूमि में हीरों और सोना खनन/पूर्वेक्षण के लिए दिए गए अनुमोदन सहित) दिए हैं। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन सामान्यतः निम्नलिखित सामान्य और मानक शर्तें पूरी करने के अधीन होते हैं;

(क) अपरिवर्तित रहने के लिए वन भूमि की वैधानिक स्थिति।

(ख) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (सीए)।

(ग) यदि लागू हो तो सीए के लिए वन विभाग के पक्ष में गैर-वन भूमिका हस्तांतरण और परिवर्तन।

(घ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा स्थानीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में ऐसी सीए भूमि की अधिसूचना।

(ङ) लागू दरों पर निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान।

(च) यदि निर्धारित हो तो एनपीवी की अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना।

(छ) कार्यस्थल पर श्रमिकों और कार्यरत कर्मचारियों को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्रों में किसी क्षति अथवा दबाव से बचा जा सके।

(ज) खनित क्षेत्र का चरणबद्ध सुधार।

(झ) सेफ्टी जोन क्षेत्र उसका वनीकरण और चहारदीवारी बनाना।

(ञ) सेफ्टी जोन के लिए उपयोग किए गए क्षेत्रों के बदले में डेढ़ गुने अवक्रमित वन का वनीकरण।

(ट) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दी गई अनुमति खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दिए गए खनन पट्टे की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगी।

(ठ) भूमिगत खानों के मामले में सतह के क्षेत्रों की चहारदीवारी बनाई जाएगी और नवीकरण किया जाएगा।

(ड) प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट के अलावा वन भूमिका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(ढ) परियोजना लागत से पट्टा क्षेत्र की भूमिका सीमांकन किया जाएगा जिसमें क्रम संख्या रसहित चार फीट ऊंचे रेन फोर्स्ड सीमेंट, कंक्रीट वाले खंभों, आगे की ओर तथा बैक बीयरिंग, खंभे से खंभे की दूरी और डीजीपीएस को आर्डीनेट्स का प्रयोग किया जाएगा।

(ण) अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार वन भूमि पर अधिकारों की व्यवस्था।

(त) परियोजना प्रभावित परिवारों, यदि कोई हों, का पुनर्वास।

(थ) पर्यावरणीय मंजूरी, यदि अपेक्षित हो।

(द) वार्षिक - स्व-मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

इसी प्रकार वन भूमि में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन सामान्यतः निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन होते हैं:-

(क) पूर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए नमूनों का उपयोग केवल जांच कार्यों के लिए किया जाएगा व्यवसाय अथवा वाणिज्य के लिए नहीं।

(ख) वन्यजीवों के प्रति शोर व अशांति कम करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समुचित उपाय करना।

(ग) राज्य वन विभाग द्वारा वनस्पतिजात (विशेष रूप से नए पुनर्जनन) और प्राणिजात की क्षति रोकने के लिए पूर्वेक्षण कार्यकलापों का निरीक्षण करना।

(घ) खनन कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार की ओर से प्रतिबद्धता के रूप में पूर्वेक्षण की अनुमति को संकुचित न करना।

(ङ) पूर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात बोर होल/गड्ढों को भरना।

(च) अनुमोदन में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर होल भरने सहित पूर्वेक्षण पूरा किया जाना।

उपर्युक्त सामान्य और मानक शर्तों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा वनस्पतिजात, प्राणिजात आदि पर खनन परियोजनाओं के विशेष प्रभावों, यदि कोई हों, के न्यूनीकरण हेतु मामला दर मामला आधार पर परियोजना विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं।

विवरण

क. हीरों और सोने के खनन/पूर्वेक्षण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	प्रस्ताव का नाम	प्रस्ताव प्राप्त होने का वर्ष	अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर प्रभाग के कल्याणदुर्ग (दक्षिण) और उत्तर, पिलालापल्ली, इदुकल्लू और बुडीकोंडा आरक्षित वनों में स्थित 2300 वर्ग किमी. क्षेत्र में मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) लिमिटेड द्वारा हीरा उत्खनन के लिए अनुमति हेतु 3 प्रस्ताव	2009	अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण लौटाया गया।
		मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स के पक्ष में चित्तूर जिले की 10.00 हे. वनभूमि को शामिल करते हुए सोना और चांदी के लिए खनन पट्टा	1991	अनुमोदित
2.	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम जिले में मैसर्स एम.एम. इंडस्ट्रीज की 19.50 हे. वनभूमि वाली कुंदरकोछा गोल्ड माइन परियोजना	1997	अनुमोदित
3.	कर्नाटक	तुमकूर जिले में अज्जनाहल्ली गुंगारापेट ग्राम में मैसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा 19.94 हे. वन क्षेत्र में सोने का उत्खनन	2001	अनुमोदित

1	2	3	4	5
		तुमकूर जिले में अज्जनाहल्ली ग्राम में मैसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा 18.00 हे. वनभूमि में सोने का उत्खनन	1996	अनुमोदित
4.	केरल	मल्लापुरम जिले के मारुथा निलांबर नॉर्थ डिवीज़न में 1.00 हे. वनभूमि में सोने का उत्खनन	2005	अस्वीकृत
5.	मध्य प्रदेश	पन्ना जिले में हीरा खनन के लिए राज्य सरकार को 235.625 हे. वनभूमि वाला खनन पट्टा	1994	अनुमति नहीं दी गई/ रोकी गई
		पन्ना जिले में मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) की हीरा खनन परियोजना के लिए 74.018 हे. वनभूमि वाला खनन पट्टा	1998	
		मैसर्स एनएमडीसी की हीरा खनन परियोजना के लिए 74.018 हे.। भूमि वाले खनन पट्टे का नवीनीकरण	2010	सिद्धांत रूप में अनुमोदन
		काफी मात्रा में नमूनों के एकत्रण हेतु पिटिंग के अतिरिक्त मैसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा छतरपुर जिले में अवस्थित 2329.75 हे. वनभूमि में 66 छोटे छिद्रों और 7 बड़े व्यास के छिद्रों की ड्रिलिंग द्वारा हीरे का पूर्वेक्षण	2006	अनुमोदित
		मैसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा छतरपुर जिले में अवस्थित 2329.79 हे. वनभूमि में हीरे के पूर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त 13 छिद्रों का ड्रिल करने और 40 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र से 500 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र तक एक गड्ढे का विस्तार करने की अनुमति सहित काफी मात्रा में नमूनों के एकत्रण हेतु पिटिंग के अतिरिक्त 66 छोटे छिद्रों और 7 बड़े व्यास के छिद्रों की ड्रिलिंग हेतु वैधता अवधि का विस्तार	2009	अनुमोदित
		अतिरिक्त 143 बोर छिद्रों की ड्रिलिंग द्वारा मैसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा छतरपुर जिले में अवस्थित 2329.75 हे. वनभूमि में हीरे का पूर्वेक्षण	2011	अनुमोदित

1	2	3	4	5
		मैसर्स रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा छतरपुर जिले में अवस्थित 2329.79 हे. वनभूमि में हीरे के पूर्वेक्षण हेतु अतिरिक्त 143 बोर छिद्रों की ड्रिलिंग हेतु दी गई अनुमति की वैधता अवधि का विस्तार	2011	भारत सरकार के पास लंबित
6.	राजस्थान	बांसवाड़ा जिले में मैसर्स मेटल माइनिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भाखरी ग्राम, तहसील घाटोल में अवस्थित 500 हे. वनभूमि में सोना तथा संबद्ध खनिजों का पूर्वेक्षण	2006	सैद्धांतिक अनुमोदन
7.	उत्तराखंड	पिथौरागढ़ जिले में मैसर्स आदि गोल्ड द्वारा दीदीहाट में सोना, तांबा, शीशा, और जिंक के खनन हेतु 26.8608 हे. वनभूमि के वनेतर उपयोग वाला खनन पट्टा	2010	भारत सरकार के पास लंबित

(ख) खनन परियोजनाओं के लिए वनभूमि के वनेतर उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (29.08.2011 की स्थितिनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित*	अंतिम अनुमोदन		सिद्धांत रूप में		कुल	
		मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	क्षेत्रफल (हे.)	क्षेत्रफल (हे.)	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	19.59	0	0.00	8	19.59
2.	आंध्र प्रदेश	173	16203.02	40	4973.62	213	21176.64
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	99.28	3	4.20	16	103.47
4.	असम	78	155.78	6	13.10	84	168.88
5.	बिहार	9	417.57	1	0.61	10	418.17
6.	छत्तीसगढ़	99	15694.61	34	14240.15	133	29934.76
7.	गोवा	48	1797.65	5	147.01	53	1944.65
8.	गुजरात	53	9792.28	2	134.83	55	9927.11

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	56	1203.75	5	460.66	61	1664.40
10.	झारखंड	100	10413.59	29	4087.25	129	14500.84
11.	कर्नाटक	141	11225.21	27	830.44	168	12055.65
12.	केरल	1	29.20	0	0.00	1	29.20
13.	मध्य प्रदेश	156	12097.30	22	3503.29	178	15600.59
14.	महाराष्ट्र	104	3275.29	15	455.37	119	3730.66
15.	मेघालय	0	0.00	1	116.59	1	116.59
16.	ओडिशा	150	16374.33	29	4532.41	179	20906.74
17.	पंजाब	1	0.0016	0	0.00	1	0.0016
18.	राजस्थान	143	5494.94	82	1347.56	225	6842.47
19.	सिक्किम	1	0.05	0	0.00	1	0.05
20.	तमिलनाडु	28	363.30	3	17.03	31	380.34
21.	त्रिपुरा	12	19.02	6	12.86	18	31.88
22.	उत्तर प्रदेश	5	2006.44	0	0.00	5	2006.44
23.	उत्तराखंड	16	249.65	8	44.61	24	294.27
24.	पश्चिम बंगाल	5	276.91	1	4.89	6	281.80
	कुल	1400	107208.70	319	34926.48	1719	1,42,135.19

*शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खनन हेतु वनभूमि का वनेतर उपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-गुड़गांव राजमार्ग की निर्माण लागत

5234. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव राजमार्ग की वास्तविक निर्माण लागत मूल अनुमानित लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी तथा इसके निर्माण की वास्तविक लागत कितनी थी; और

(ग) वास्तविक निर्माण लागत तथा मूल निर्माण लागत किन

वर्षों में निर्धारित की गई तथा इसमें संलग्न मूल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के 8/6 लेन के पहुंच नियंत्रित दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस मार्ग का विकास बीओटी (पथकर) आधार पर किया गया है। कुल परियोजना लागत 710.25 करोड़ रुपए (रियायत करार के अनुसार, 555 करोड़ रुपए और कार्य व्याप्ति में परिवर्तन के अनुसार 155.25 करोड़ रुपए) है जबकि रियायतग्राही की (31.03.2009 तक) कार्य पूरा करने की लागत, उनके तुलन-पत्र के अनुसार 1205.46 करोड़ रुपए है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड (किमी 14.300 से किमी 42.000) की परियोजना लागत सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मैसर्स राइट्स द्वारा अक्तूबर, 2001 में तैयार की गई थी। परियोजना की निविदा प्रक्रिया से पूर्व मैसर्स एसबीआई कैप्स (भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी) द्वारा वित्तीय प्रतिरूपण तैयार किया गया था। कार्य, मैसर्स जेपी डीएससी वेंचर्स लि. को सौंपा गया था।

[अनुवाद]

423-24

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

5235. **श्री अब्दुल रहमान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर स्थिति मे रखने के लिए उन्हें सौंपने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को उन्हें सौंपे जाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण राज्य सरकारों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को उनके विकास और अनुरक्षण के लिए संबंधित राज्य सरकारों सहित इन एजेंसियों को सौंपा जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

परिवहन 424

यातायात में वृद्धि

5236. **श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ते यातायात से निपटने के लिए पर्याप्त सड़कें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में यातायात में वृद्धि और सड़क निर्माण का अनुपात क्या है;

(ग) क्या इस अनुपात में कोई असंतुलन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न राज्यीय सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण/ उन्नयन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य, यातायात और इसके घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप से किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार, राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सड़क संपर्क की आवश्यकता, निधि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

424-26

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

5237. **श्री के सुधाकरण : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कन्नूर, कोझीकोड तथा कासरगोड जिलों सहित देश में सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्गों या बाई पास सड़कों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में एनएच-17 तथा एनएच-47, जो कि भारी वर्षा के कारण हर बार नष्ट हो जाते हैं, के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थायी समाधान हेतु कोई कार्यनीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का समय-समय पर विस्तार, सड़क सम्पर्क की आवश्यकता, निधि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करता है। निर्धारित दिशानिर्देशक सिद्धांतों के अनुसार यह वांछनीय है कि यातायात जोखिम और भीड़-भाड़ को कम रखने के लिए निर्मित क्षेत्र को उस सीमा तक बाईपास किया जाए जिस सीमा तक भविष्य में नगर अथवा ग्राम विकसित होना प्रत्याशित हो। आमतौर पर इस पहलू पर विधिवत् विचार राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय अथवा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान किया जाता है। केरल में बाईपास किए जा रहे शहरों/कस्बों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल में रारा 47 और रारा-17 के खंडों को एनएचडीपी चरण-II चरण-III के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। रारा-47 के दो खंड अर्थात अंगमाली से त्रिशूर और वड़क्कनचेरी से त्रिशूल कार्यान्वयनाधीन हैं। रारा-17 और रारा-47 के उन खंडों का सुदृढ़ीकरण/नवीकरण/अनुरक्षण रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है जहां कि 4/6 लेन की परियोजनाएं एनएचएआई के माध्यम से एनएचडी के अंतर्गत कार्यान्वयनाधीन हैं और शेष खंडों का, यातायात-योग्य स्थिति में रखरखाव, बजट निधि के अंतर्गत राज्य पी डब्ल्यू डी के माध्यम से किया जा रहा है।

विवरण

केरल में बाईपास किए जा रहे शहरों/कस्बों का ब्यौरा

क्र. सं.	शहर/कस्बा जिसे बाईपास किया जा रहा है	रारा सं.
1	2	3
1.	पय्यानूर	17
2.	तालीपरांबा	17
3.	कन्नूर	17
4.	थलसेरी, माहे	17
5.	कोइलैंडी	17
6.	कोझीकोड	17
7.	कोट्टाकल-इदरीकोड	17
8.	वालानचेरी	17
9.	पोन्नानी	17
10.	चावक्कड	17
11.	वदनापल्ली	17
12.	त्रिपेयर-वलप्पड़	17
13.	चंद्रापिन्नी	17
14.	मूनूपीदिका	17
15.	मथिलाकम खंड I	17
16.	मथिलाकम खंड II	17
17.	परवूर	17
18.	इडापल्ली मंजूमेल्कावला	17
19.	कोंदुगालूर बाइपास	17
20.	कोल्लम बाइपास	47
21.	अलपुझा बाइपास	47
22.	अटिंगल	47
23.	तिरुवनंतपुरम-नेय्याटिंकारा कंबाइंड बाइपास	47

427

राष्ट्रीय राजमार्गों का सरेखण

5238. श्री मोहम्मद असरारुल हक : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सरेखण के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों, जिनके लिए बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में भूमि अधिगृहीत की गई थी, के सरेखण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उपजाऊ भूमि तथा वृक्षों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सरेखण को परिवर्तित करने के लिए कोई नियम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का सरेखण जनता के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन हितों से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के सड़क संपर्क को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। बाइपासों के नए सरेखण का चयन, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित ज्यामितीय मानकों को ध्यान मे रखते हुए सरेखण की तकनीकी आर्थिक साध्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों के सरेखण के संबंध में प्राप्त शिकायतें प्रभावित हित समूह के आधार पर भिन्न-भिन्न स्वरूप की होती हैं। इन शिकायतों की जांच मामला दर मामला आधार पर विस्तृत रूप से की जाती है तथा शिकायत के गुण-दोष के आधार पर और जनता के हित में निर्णय लिया जाता है।

427-28

पर्यावरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम

5239. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के संकट के मद्देनजर आम आदमी में पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता लाने के लिए वर्तमान में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी हां, ग्लोबल वार्मिंग के संकट के मद्देनज़र लोगों में पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण (ईईएटी) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में से मुख्यत: निम्नलिखित दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:-

(i) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी), जिसके अंतर्गत दो वर्ष पूर्व जलवायु परिवर्तन, इस कार्यक्रम की विषयवस्तु थी।

(ii) संगोष्ठी/सम्मेलन/परिसंवाद/कार्यशाला आदि, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, अभिज्ञात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था।

(ख) वर्तमान में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निकट भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम शुरू करने की योजना नहीं बना रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

428-29

पर्यावरणीय स्वीकृति पर प्रतिबंध

5240. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और निर्माण संबंधी पर्यावरणीय स्वीकृति पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 जारी की थी। यह अधिसूचना, अन्य बातों के साथ-साथ तटीय विस्तारों के श्रेणीकरण, निषेधित और अनुज्ञेय गतिविधियों तथा महाराष्ट्र, गोवा और केरल राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था हेतु उपबंध करती है। यह अधिसूचना उन परियोजनाओं, जिन्हें रणनीतिक और रक्षा संबंधी रूप में वर्गीकृत किया गया है, के अलावा तट के अत्यधिक अपक्षय हो रहे विस्तारों में पत्तन और बंदरगाह परियोजनाओं के विकास को भी निषेक्षित करती है।

[हिन्दी]

छुड़ाए गए बाल श्रमिकों को प्रशिक्षण

5241. **श्री इज्यराज सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा तथा उत्पादकता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) सरकार काम से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत काम से हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक विद्यालय को एक व्यावसायिक अनुदेशक उपलब्ध कराया जाता है तथा शैक्षिणिक एवं व्यावसायिक सामग्री की खरीद हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रति वर्ष 10,000/- की राशि निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक एनसीएलपी सोसायटी को मास्टर प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) 2007-08 से 2009-10 के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	असम	शून्य	शून्य	3685
2.	आंध्र प्रदेश	11,501	10779	13689
3.	बिहार	657	1126	7998
4.	छत्तीसगढ़	3015	1674	1063
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	620	845	1437
7.	हरियाणा	शून्य	1164	1354
8.	जम्मू और कश्मीर	6	शून्य	शून्य
9.	झारखंड	617	4785	1816
10.	कर्नाटक	4343	4549	3217
11.	महाराष्ट्र	3430	3495	5150
12.	मध्य प्रदेश	9692	9582	9692
13.	ओडिशा	9661	10283	10585
14.	पंजाब	460	428	1023
15.	राजस्थान	4155	11630	12326
16.	तमिलनाडु	9215	7950	6321

1	2	3	4	5
17.	उत्तर प्रदेश	9500	26390	40297
18.	पश्चिम बंगाल	1092	3127	13187

[अनुवाद]

431-37

नए ई.एस.आई. अस्पताल

5242. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा बारहवीं योजना अवधि के दौरान मंजूर किए जाने वाले नए ई.एस.आई. अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत कार्यान्वित होने वाली ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केरल के कोल्लम जिले सहित देश में ई.एस.आई. दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आम जनता के इलाज के लिए कुछ ई.एस.आई. अस्पतालों की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) योजना अवधि के दौरान अस्पताल अथवा चिकित्सा महाविद्यालय की संस्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये सरकारी बजट अथवा योजना-वित्तपोषित योजनाएं नहीं हैं।

प्रस्तावित नए अस्पतालों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में किसी भी परियोजना को पीपीपी मोड में कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस परियोजना की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल परिसर, ईझुकोन, कोल्लम जिले में की जाएगी और चालू परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने के पश्चात शुरू किया जाएगा।

(ङ) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यह निर्णय लिया है कि 60% से कम बिस्तर अधिभोगितावाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में सुविधाओं को उपयोगकर्ता प्रभारों की अदायगी पर गैर-बीमित व्यक्तियों (आई.पी.) के लिए खोला जा सकता है।

(च) आम जनता के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में सरकार द्वारा यथाअनुमोदित सुविधाओं को खोले जाने संबंधी योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित नए अस्पतालों की सूची

क. निर्माणाधीन नए अस्पताल

1. पीन्या, कर्नाटक
2. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

ख. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित और भविष्य में खोले जाने वाले अस्पताल

1. हरिद्वार, उत्तराखंड
2. उधम सिंह नगर, उत्तराखंड
3. अंकलेश्वर, गुजरात
4. उदयपुर, राजस्थान
5. तिरुपुर, तमिलनाडु
6. लालडू, एसएएस नगर, पंजाब
7. अंगुल, ओडिशा

8. डुबुरी, जाजपुर जिला, ओडिशा

9. भिलाई, छत्तीसगढ़

10. कोरबा, छत्तीसगढ़

11. हलदिया, पश्चिम बंगाल

12. डोडाबल्लापुर, बेंगलौर, कर्नाटक

13. देहरादून, उत्तराखंड

14. टुटीकोरीन, तमिलनाडु

15. काशीपुर, उत्तराखंड

16. सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल

विवरण-II

स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सा महाविद्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	सनत नगर, हैदराबाद
2.	बिहार	बिहटा, पटना
3.	गुजरात	नरोदा अहमदाबाद
4.	हरियाणा	फरीदाबाद
5.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
6.	कर्नाटक	राजाजी नगर, बंगलौर
		गुलबर्गा
7.	केरल	पारीपल्लि कोल्लम
8.	महाराष्ट्र	मुलुंड, थाणे
9.	मध्य प्रदेश	नन्दा नगर, इंदौर
10.	नई दिल्ली	बसईदारापुर, नई दिल्ली
11.	ओडिशा	भुवनेश्वर
12.	राजस्थान	अलवर
13.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई
		कोयम्बटूर
14.	उत्तराखंड	हरिद्वार (भूमि का आवंटन प्रतिक्षित है)
15.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता
		बालटीकोरी, कोलकाता

विवरण-III

"अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कम उपयोग किए जा रहे ईएसआई अस्पतालों को खोलने संबंधी योजना

"अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" नामक स्कीम तैयार कराने संबंधी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 04.08.10 की अधिसूचना के अनुसरण में कराबी निगम कराबी अस्पतालों में अप्रयुक्त क्षमता को खोलने का प्रस्ताव करता है ताकि ऐसे लाभार्थियों को प्रयोक्ता प्रभार अदा करने पर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। तदनुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

1. यह योजना "अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010" के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए अप्रयुक्त कराबी अस्पतालों को खोलने की योजना नाम से जाना जाएगा।

2. यह योजना किसी भी अन्य योजना के लाभार्थियों के लिए खुली होगी जैसा कि कराबी निगम द्वारा विहित प्रयोक्ता

प्रभार की अदायगी विषयक उपर्युक्त उल्लेख में कहा गया है।

3. योजना के अंतर्गत अबीमित व्यक्ति भी कराबी निगम से पंजीकरण के पश्चात प्रयोक्ता प्रभार की अदायगी पर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

4. सिर्फ वे कराबी अस्पताल जिनमें 60% से कम विस्तरों का उपयोग हो रहा हो, इस उद्देश्य के लिए खोले जाएंगे।

5. कराबी निगम केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिजनों को चिकित्सा देख-रेख सुविधा प्रदान करने के लिए पहचान योजना पर भी विचार कर सकती है।

6. चिकित्सकीय उपचार तथा उपस्थिति अन्य लाभार्थियों को कराबी निगम द्वारा जारी अथवा दिनांक 04.08.10 की अधिसूचना के अंतर्गत तैयार की गई अन्य किसी योजना में पंजीकरण/पहचान पत्रों के आधार पर कराबी निगम की चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7. इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदत्त सेवा के संबंध में प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण के लिए एक अलग खाता रखा जाएगा। इस प्रकार एकत्र किया गया प्रयोक्ता प्रभार कराबी निधि का एक भाग होगा।

8. निगम द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण तथा इस प्रकार के अंतरणों के लिए एक अलग से प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जाएगी।

9. प्रारंभ में, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं आदि के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रयोक्ता प्रभार लगाया जाएगा। प्रक्रियाओं तथा सुविधाओं जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दरें विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, शहरों (यदि उपलब्ध न हो तो पड़ोस के शहर अथवा राज्य के लिए) के लिए सीजीएचएस की दरें लगाई जाएंगी।

10. महानिदेशक प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रयोक्ता प्रभार और योजना के अन्य प्रारूपों और योजना के प्रभावी तथा सुचारू क्रियान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए तथा योजना के प्रभावी और कुशलता पूर्वक कार्यान्वयन की दृष्टि से प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत न हों।

11. प्रत्येक अस्पताल में अन्य लाभार्थियों के पंजीकरण तथा उनके प्रयोक्ता प्रभारों के एक अलग से काउंटर होगा। जब कभी अपेक्षित हो, अन्य लाभार्थियों के लिए कराबी निगम के द्वारा अलग से ओपीडी समय-सारणी विनिर्दिष्ट की जाएगी ताकि कराबी निगम के लाभार्थियों की सेवाएं प्रभावित न हों।

12. कराबी अस्पतालों में अन्य लाभार्थियों को सुविधाओं की शुरूआत करने हेतु स्टाफ/अतिरिक्त स्टाफ के लिए, जहां अपेक्षित हों, अतिरिक्त कार्य घंटे अपेक्षित होंगे। स्टाफ तथा उनके मानदेय एवं अन्य विविध मदों पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को महानिदेशक द्वारा समय-समय पर प्रत्येक अस्पताल में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता प्रभार लगाने से संग्रहित निधियों के उपयोग को निम्नवत विनियमित किया जाएगा:-

(क) संबंधित कराबी अस्पताल विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार राशि का संग्रहण करेगा और इस प्रकार जमा की गई राशि कराबी निगम निधि खाते में जमा की जाएगी।

(ख) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर जमा की गई राशि का 50% अस्पताल विकास समिति को दिया जाएगा ताकि संबंधित अस्पताल के सुधार के लिए निधि का उपयोग किया जा सके यह राशि संबंधित अस्पताल विकास समिति को आबंटित किए गए बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त होगी।

(ग) संग्रहित राशि का 25% संबंधित राज्य सरकार को दिया जाएगा जो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों को चिकित्सा देख-रेख सुविधा मुहैया कराने तथा कराबी औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा में सुधार पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त होगा।

(घ) राशि का 25% कराबी निगम द्वारा रखा जाएगा। कराबी निगम अस्पतालों के मामले में उपर्युक्त 'ग' लागू नहीं है और कुल 50% कराबी निगम द्वारा रखा जाएगा।

(ङ) अधिसूचित योजना के अनुसार स्टाफ, वित्तीय सहायता ओर मानदेय तथा अन्य लाभार्थियों के लिए सेवाओं की अन्य विविध मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को अस्पताल विकास समिति के लिए आबंटित निधियों रसे पूरा किया जाएगा।

(ङ) अधिसूचित योजना के अनुसार स्टाफ, वित्तीय सहायता और मानदेय तथा अन्य लाभार्थियों के लिए सेवाओं की अन्य विविध मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को अस्पताल विकास समिति के लिए आबंटित निधियों से पूरा किया जाएगा।

(च) इस योजना की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात की जाएगी।

(छ) सेवा पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय/भुगतान को "चिकित्सा लाभ" शीर्षक के तहत वर्गीकृत एवं नामांकित किया जाएगा।

(ज) महानिदेशक अन्य लाभार्थियों के लिए योजना से संबंधित प्राप्तियों/व्यय के लेखा विस्तृत प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए प्राधिकृत हैं।

14. बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिजनों द्वारा यदि पिछले दो वर्षों के दौरान 60% से अधिक बिस्तर उपयोग किए गए हों तो यह योजना उस अस्पताल से हटा ली जाएगी।

15. सेवा कर, यदि लागू हों तो इसे संबंधित योजना अथवा अन्य लाभार्थियों से सीधे प्राप्त किया जाएगा।

437—38

मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को कंक्रीट सड़कों में बदलना

5243. श्री पी.सी. चाको : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसून ऋतु में भारी वर्षा से काफी समय तक बचाने हेतु मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को विशेषकर शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को कंक्रीट सड़कों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर प्रति किलोमीटर कितना खर्चा होने की संभावना है;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

438 39

काली सूची में डाली गई फर्मों के साथ सौदे

5244. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री मकनसिंह सोलंकी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों में काली सूची में डाली गई रक्षा फर्मों के साथ विभिन्न चरणों में रक्षा संविदाओं का मूल्य कितना है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त फर्मों के साथ पुनः सौदे करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ लेन-देन के संबंध में कुछ फर्मों के विरुद्ध 17 मई, 2009 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। उपर्युक्त को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित फर्मों के साथ सभी संविदाएं स्थगित रखने का निर्णय लिया। स्थगित रखने के इस निर्णय को कुछ कंपनियों के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी तथा उच्च

न्यायालय ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 2010 के निर्णय के तहत उक्त निर्णय को दरकिनार कर दिया एवं निदेश दिया कि दंडात्मक कार्रवाई न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसरण के पश्चात ही की जा सकती है। तदनुसार, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। फर्मों से प्राप्त उत्तर रक्षा उत्पादन विभाग के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन

5245. **श्रीमती दर्शना जरदोश :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री पी.पी. चौहान :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री हरिन पाठक :
डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना के आर एंड और और कार्यों संबंधी रिपोर्ट मांगने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीए के आर एंड आर सब-ग्रुप की अगली बैठक कब तक बुलाए जाने की योजना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के उप-समूह पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन के अध्यक्ष की हैसियत से सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास के कार्य को शीर्ष (i) बांध की मौजूदा ऊंचाई ई.एल 121.92 मीटर पर परियोजना प्रभावित परिवारों के ज्येष्ठ पुत्रों को एक हेक्टर अतिरिक्त भूमि का आबंटन करके तथा (ii) मौजूदा बांध की ऊंचाई तथा पूर्ण जलाशय स्तर के बीच पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन हेतु शेष घोषित परियोजना प्रभावित परिवारों के संबंध में 25.2.2011, 20.6.2011 तथा 14.7.2011 को महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा है।

(ग) पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन उप-समूह की अगली बैठक अभी नियत नहीं हुई है।

[हिन्दी]

आरक्षित श्रेणियों को सुविधाएं

5246. **श्रीमती रमादेवी :**
श्री मनसुखभाई डी. बसावा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य कर्मियों के बच्चों को मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार उनकी श्रेणियों में प्रवेश और रोजगार में आरक्षण सुविधाएं नहीं मिल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं के बच्चे प्रवेश तथा रोजगार में उनकी हकदारी तथा इस विषय पर मौजूदा नियमों के तहत आरक्षण सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

बियार जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में सम्मिलित करना

5247. **डॉ. एम. तम्बिदुरई :**
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री के.सी. सिंह "बाबा" :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री जे. रमेश :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने बियार, नामसुद्रा, पोड/पुंड्रा, मांझी, तेली, कोटे, क्षत्रिय, कोटेगारा, कोटेया, रामाक्षत्रिया, कोटेयारा, सेकुरेज, सुर्वेयगारा और मेत्री जैसी अत्यंत पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जातियों की स्थिति में सुधार करने और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को शामिल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति, निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:

क्र. सं.	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	जाति
1.	छत्तीसगढ़	नामसुद्र
2.	झारखंड	नामसुद्र
3.	ओडिशा	पोड, पौंड्रा
4.	उत्तर प्रदेश	'माझी' ('मांझी' नहीं)
5.	उत्तराखंड	नामसुद्र, पोड, पौंड्रा, मांझी
6.	कर्नाटक	'कोटे क्षत्रीय' ('कोटे, क्षत्रीय' नहीं), 'कोटेगर' ('कोटेगारा' नहीं), 'कोटेयावा' ('कोटेया' नहीं), 'रामाक्षत्रीय, कोटेयारा ('कोटेयारा' नहीं), 'सेरुगारा' ('सेकुरागे' नहीं), 'सर्वेगारा' ('सर्वेयागारा' नहीं)
7.	दिल्ली	माझी (मांझी नहीं)

कर्नाटक के संबंध में 'मेत्री' जाति को अनुसूचित जाति के रूप में पहले ही निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, अनुसूचित जातियों की सूची में 'बियार' और 'तेली' जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार का कोई-प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों पर अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की गई है। यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है।

जलवायु की स्थिति पर नियंत्रण

5248. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरनाथ में बर्फ से बने शिवलिंग के पिघलने के पर्यावरणीय कारणों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र की उचित जलवायु संबंधी स्थितियां बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) अमरनाथ में शिवलिंग स्टैलैग्माइट के रूप में एक प्राकृतिक हिम है जो कि पिघली बर्फ/हिम के पुन: जमने से निर्मित होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक ग्रीष्म के दौरान होती है। तत्पश्चात, यह शिवलिंग ग्रीष्म के अंत तक पिघलता है।

उष्ण तापमान की दीर्घ अवधियों के साथ-साथ तीर्थ यात्रियों की प्रगामी वृद्धि, हिम शिवलिंग के समय पूर्व पिघलने के कुछ कारणों में से हो सकते हैं। तथापि, इस संबंध में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किये गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) लाई गई थी, जो कि दिनांक 30 जून, 2008 को प्रारंभ की गई थी। एनएपीसीसी में हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शामिल है जो कि पारितंत्र परिवर्तन को समझने में वृद्धि करने और हिमालयी पारितंत्र, विशेषकर इसके हिमनदों की स्थिति के मॉनीटरन की ओर लक्षित है। इसके अतिरिक्त, हिमालयी वाडिया भूविज्ञान संस्थान, देहरादून में हिमालयी हिमानिकी पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इस मिशन और इस केंद्र का उद्देश्य हिमालयी हिमनदों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करना है।

सरकार ने हिमालयी पारितंत्र (जी-शी) को बनाए रखने के

लिए दिशा-निर्देश और उत्तम प्रक्रियाएं विकसित की हैं जिन्हें हिमालयी क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों के साथ बांटा गया है।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन

5249. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
डॉ. ज्योति मिर्धा :
श्री एम.आई. शानवास :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री राकेश सिंह :
श्री रवनीत सिंह :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री मंगनीलाल मंडल :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान देश में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का कितना हिस्सा है;

(ख) विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत उपस्कर/संघटकों/पुर्जों के उत्पादन हेतु घरेलू/निजी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ग) इस संबंध में घरेलू उद्योग की क्षमता क्या है और घरेलू स्त्रोतों से कुल खरीद में उनका अंशदान कितना है;

(घ) क्या नई रक्षा खरीद नीति-2011 में निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर दिया गया है ताकि सरकारी रक्षा उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निजी कंपनी द्वारा प्रतिभागी बनने की अर्हता हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इससे कितना विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है और विदेशी आयात पर किस प्रकार से निर्भरता कम किए जाने की संभावना है ताकि रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण और आत्म-निर्भरता प्राप्त करके देश में रक्षा औद्योगिक आधार तैयार किया जा सके?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) भारतीय रक्षा उद्योग क्षेत्र 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए 100% तक खुला है तथा ये दोनों काम लाइसेंस के तहत होंगे।

(ख) सरकार रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत 'खरीदो और बनाओ' तथा 'खरीदा और बनाओ' (भारतीय) के रूप में दो अधिग्रहण श्रेणियों के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत उपस्करों/घटकों पुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा देती है।

(ग) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मार्ग के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के समावेशन के जरिए अपनी क्षमताओं का विकास किया है तथा इस प्रकार वे सेनाओं की अधिप्राप्ति मुख्य रूप से घरेलू स्रोतों से कर रही हैं। निजी क्षेत्र अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। तथापि, रक्षा क्षेत्र में 'प्रौद्योगिकियों' में परिवर्तन की दर की वजह से घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति सीमित हो रही है।

(घ) रक्षा उत्पादन नीति - 2011 में रक्षा उपस्कर के डिज़ाइन, विकास और निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की वृहद भागीदारी को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करके एक दमदार स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार निर्मित करने का प्रयास किया गया है।

(ङ) रक्षा उद्योग क्षेत्र पूंजी गहन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में निवेश वाणिज्यिक हितों द्वारा संचालित है। 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करके, जो लाइसेंसीकरण के अधीन होगा, रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी समावेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अनुसंधान एवं विकास में संसाधनों के अधिक से अधिक आबंटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना प्रशिक्षक बेड़ा

5250. श्री भूदेव चौधरी :
डॉ. ज्योति मिर्धा :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री गोविंद प्रसाद मिश्र :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एचपीटी - 32 प्रशिक्षक वायुयान का पूरा बेड़ा हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और बेड़े को पुनः सेवा में लाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना के 75 बेसिक प्रशिक्षक वायुयानों की खरीद हेतु निविदा जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों/कंपनियों ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की हैं तथा खरीद हेतु किस वायुयान को अंतिम रूप दिया गया है;

(ङ) क्या अंतिम रूप से अनुमोदित वायुयान की दुर्घटना दर अधिक होती है जैसा कि हाल में बताया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सौदे की अनुमानित लागत कितनी है और खरीद कब तक होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) 28 जुलाई, 2009 को इंजन फेल हो जाने के कारण एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद एचपीटी-32 विमानों के बेड़े को अगस्त 2009 से सेवा से हटा दिया गया है। इंजन की विश्वसनीयता में सुधार लाने की दृष्टि से, मै. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान पैराशूट रिकवरी प्रणाली के एकीकरण सहित इंजन और एयरफ्रेम में कुछ आशोधन कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय वायु सेना के लिए आधारभूत प्रशिक्षण विमान (बी.टी.ए) की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध 16 दिसंबर, 2009 को जारी किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में मै. कोरियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रज, साउथ कोरिया; मै. जी.आर.ओ.बी. एयरक्राफ्ट, जर्मनी; मै. ई.ए.डी.एस.पी. जैड एल., पोलैंड; मै. हॉकर बीचक्राफ्ट अमेरिका; मै. एलीनिया एरामाची, इटली. मै. एरोस्टार ऑफ रोमानिया. और मै. पिलाटुस स्विटजरलैंड से तकनीकी - वाणिज्यिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रशिक्षक विमान की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) विमान के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान उड़ान सुरक्षा के लिए चिंताजनक समझे जाने वाले कोई मुद्दे सामने नहीं आए थे।

(च) इस अधिप्राप्ति की अनुमानित लागत 2900 करोड़ रु. है। इस प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

तटीय सुरक्षा प्रणाली

5251. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन :**
श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री उदय सिंह :
डॉ. रत्ना डे :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री मानिक टैगोर :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पनामा फलैग्ड एमटी पैविट और ईरान के पोत सहित कुछ पोतों का चोरी से भारतीय जलक्षेत्र में तैरते पता न लगा पाने की घटना का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पोतों/जलयानों के पता लगाने में असफलता के क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले के संबंध में क्या जांच कराई गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) समुद्री सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना में अब तक असफलता के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अधिकांश तट रेखाओं पर गश्त नहीं होती है और यदि हां, तो विभिन्न समुद्री क्षेत्रों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में गश्त के उद्देश्यों हेतु पोत चलाने संबंधी किसी प्रस्ताव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने हेतु बनाई जा रही विस्तृत कार्य योजना क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) 31 जुलाई 2011 को मालवाहक जहाज एम.टी. पविट को कुलाबा प्वाइंट, मुंबई के 14 समुद्री मील दूर उत्तर में 1-2 मीटर की गहराई में भू-ग्रस्त पाया गया। एम.टी पविट 30 जून 2011 को ओमान समुद्र तट पर छोड़ दिया गया था और सभी 13 भारतीय चालक कर्मियों को रॉयल नेवी शिप द्वारा सुरक्षित निकाल दिया गया था और सिक्का, गुजरात में उतारने के लिए एम.टी. जग पुष्प में स्थानांतरित कर दिया गया। समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र, मुंबई जहाज को छोड़े जाने तक की इस कठिन घड़ी में जहाज से बराबर संपर्क में रहा और जहाज के स्वामी से जहाज की निगरानी करने के लिए कहा। तथापि, जहाज के स्वामी ने समुद्री बचाव समन्वय, मुंबई को सूचित किया कि जहाज पहले ही डूब चुका है।

भारतीय नौसेना द्वारा किए गए विश्लेषण से ज्ञात हुआ है एम. वी. पविट का पता नहीं लगा पाने के पीछे संभवत: कारण जहाज

के डूब जाने की रिपोर्ट, जिस क्षेत्र से होकर जहाज गुजरात उसे रेडार द्वारा कवर नहीं किया जाना, क्षेत्र में मानसूनी मौसम (नीचे और घने बादल, बहुत कम दिखाई देना, भारी वर्षा, खराब समुद्र) जिसकी वजह से रेडार द्वारा संतोषजनक पहचान नहीं हो सकना अथवा देखकर पहचान न हो सकना और जहाज पर विद्युत आपूर्ति नहीं होने अथवा बैटरियों के नहीं होने के कारण एम.वी. पविट पर संक्रियात्मक स्वचालित पहचान प्रणाली का काम नहीं कर पाना, थे।

भारतीय नौसेना यूनिट द्वारा एक गुजर रहे ईरानी जहाज नफीस-1, को 11 अगस्त, 2011 को मुंबई तट से लगभग 250 समुद्री मील दूर देखा गया था। उसके पश्चात जहाज की निगरानी की गई और इसे पोरबन्दर ले जाया गया तथा आगे की जांच-पड़ताल के लिए स्थानीय अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया।

(घ) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष संस्था अर्थात समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है जो संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें निगरानी तंत्र में सुधार लाना और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए गश्त में वृद्धि करना शामिल हैं। नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्यों के बीच नियमित आधार पर संयुक्त संक्रियात्मक युद्धाभ्यास किए जाते हैं ताकि द्वीप क्षेत्रों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समेत विभिन्न अभिकरणों को शामिल करते हुए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तंत्रों की सतत समीक्षा और निगरानी की गई है। संयुक्त संक्रियात्मक केन्द्रों और बहु-एजेंसी समन्वय तंत्र के माध्यम से आसूचना तंत्र को कारगर बनाया गया है। देश के समूचे समुद्री तट और द्वीपसमूहों को शामिल करते हुए रेडारों की स्थापना भी इसी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है।

[हिन्दी]

447-48

सेना के कब्जे में भूमि

5252. श्री शरीफुद्दीन शारिक :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में सेना के कब्जे में भूमि तथा कारगिल युद्ध के बाद भीमवत गांव में कब्जे में ली गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने व्यक्ति/परिवार प्रभावित हुए और अब तक सेना के कब्जे में भूमि क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कोई मुआवजा दिया है अथवा उनके लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किसानों को देय धनराशि को दर्शाते हुए सरकार के पास मुआवजे/भूमि के लगान के अब तक लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सभी मामलों में बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार का विचार राज्य में क्षति पूरक उपाय के रूप में इस संबंध में विशेष भर्ती अभियान चलाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

448-62

स्वर्णिम चतुर्भुज

5253. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक वर्ष 2000-2004 की अवधि सहित राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत निर्माण हेतु शामिल नए खंडों और वर्तमान निर्माणाधीन खंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्ण की गई परियोजना पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजना पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत निर्मित लंबाई का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत शुरू किए गए खंडों का व्यय के साथ ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत पूर्ण कर ली गई लंबाई का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कुल लंबाई (किमी में)	*2002-03 से पूर्व	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	जुलाई, 2011 तक
1.	आंध्र प्रदेश	1015.77	114.97	83.66	305.41	438.74	58.99	13.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.77
2.	बिहार	206.00	0.00	0.00	12.00	90.00	73.46	19.11	7.58	2.57	1.28	0.00	0.00	206.00
3.	दिल्ली	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
4.	गुजरात	485.20	167.00	43.40	139.80	105.79	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.20
5.	हरियाणा	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
6.	झारखंड	191.75	43.00	0.00	0.00	66.30	67.45	7.94	0.00	3.59	3.11	0.36	0.00	191.75
7.	कर्नाटक	623.90	92.30	5.50	96.92	227.52	109.09	43.45	11.56	11.03	18.40	8.13	0.00	623.90
8.	महाराष्ट्र	489.15	153.30	10.00	155.65	137.53	24.42	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.15
9.	ओडिशा	443	27.62	27.80	92.16	87.09	54.45	35.78	13.93	17.07	28.27	37.02	4.18	425.37
10.	राजस्थान	721.76	172.00	0.00	314.10	235.46	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.76
11.	तमिलनाडु	340.80	0.29	16.00	120.40	185.26	14.20	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.80
12.	उत्तर प्रदेश	754.49	113.16	0.00	15.35	255.00	131.99	142.16	69.28	22.31	4.62	0.55	0.00	754.42
13.	पश्चिम बंगाल	397.90	79.40	0.00	35.00	254.71	20.20	1.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.65
	कुल जोड़	5846.72	1140.04	186.36	1286.79	2083.40	583.66	276.48	108.55	56.57	55.68	46.06	4.18	5827.77

*2002-03 से पूर्व उपलब्ध आंकड़ों का समेकन राज्य-वार किया जाता है।

विवरण-II

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	टीपीसी (करोड़ रु.)	अब तक व्यय (करोड़ रु.)
1.	हावेरी - हरिहर (ठेका पुनः सौंपा गया)	4	196.65	147.83
2.	हरिहर - चित्रदुर्ग (ठेका पुनः सौंपा गया)	4	207.56	157.7
3.	गंजम - इच्छापुरम (ओआर-VIII) (ठेका पुनः सौंपा गया)	5	263.27	247.9
4.	बालासोर - भद्रक (ओआर-III) (ठेका पुनः सौंपा गया)	5	228.7	165.14
5.	भुबनेश्वर - खुर्दा (ओआर-I)	5	140.85	153.08
6.	सुनाखला - गंजम (ओआर-VII) (ठेका पुनः सौंपा गया)	5	241.53	75.7
7.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-ए)	2	367.49	453.68
8.	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III) (परियोजना बंद कर दी गई)	6	81	80.2

पूर्ण की गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	टीपीसी (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	इच्छापुरमं - कोरलम (आंध्र प्रदेश-4बी)	5	143.05	95.53
2.	पुल खंड (आंध्र प्रदेश-20)	5	131.33	96.28
3.	नेल्लौर - टाडा (आंध्र प्रदेश-7)	5	621.35	628.83
4.	कोरलम - पालसा (आंध्र प्रदेश-4ए)	5	135.11	96.56
5.	ओंगोल - कावली (आंध्र प्रदेश-12)	5	321.41	304.9
6.	चिल्कालूरीपेट - ओंगोल (आंध्र प्रदेश-13)	5	319.21	255.38
7.	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज I	5	60	77.65
8.	इलूरु - विजयवाड़ा पैकेज V	5	134	347.19

1	2	3	4	5
9.	विजयवाड़ा - राजामुंद्री खंड (इलूरु के निकट)	5	19	15.37
10.	दीवानचूरु (राजामुंद्री के निकट) - गोवथामी (आंध्र प्रदेश-17)	5	130.8	95.57
11.	पुल खंड (आंध्र प्रदेश-19)	5	136.45	100.56
12.	पालसा - श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश-2)	5	324	266.75
13.	नेल्लौर बाइपास	5	143.2	147.6
14.	धर्मावरम - राजामुंद्री (आंध्र प्रदेश-15)	5	206	300.33
15.	तुनी - धर्मावरम (आंध्र प्रदेश-16)	5	231.9	268.2
16.	अंकापल्ली - तुनी	5	283.2	249.87
17.	विशाखापट्टनम - अंकापल्ली	5		
18.	पुल खंड (आंध्र प्रदेश-5)	5	71	55.1
19.	पुल खंड (आंध्र प्रदेश-6)	5	79.14	67.47
20.	चंपावती-विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश-3)	5	200	181.97
21.	श्रीकाकुलम - चांपवती (आंध्र प्रदेश-1)	5	171.97	154.54
22.	गोवथामी - गुंडूगोलनू (आंध्र प्रदेश-18)	5	323.35	340.8
23.	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज IV	5	58	69.45
24.	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज II	5	80	70.61
25.	कावली - नेल्लौर (आंध्र प्रदेश-11)	5	181	186.74
26.	विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट पैकेज III	5	68	67.37
27.	औरंगाबाद - बाराचट्टी (टीएनएचपी/V-ए)	2	320.421	316.33
28.	डेहरी-आन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-D)	2	242.61	263.12
29.	सासाराम - डेहरी-आन-सोन (जीटीआरआईपी/IV-D)	2	221.87	264.44
30.	मोहनिया - सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	2	230.55	256.01

1	2	3	4	5
31.	बाराचट्टी-गोरहर (जीटीआरआईपी/IV-बी)	2	452.71	504.38
32.	दिल्ली-मथुरा	2	*	
33.	दिल्ली-गुड़गांव	8	*	
34.	हिम्मतनगर - चिलोदा (अहमदाबाद के निकट) (यूजी-IV)	8	175	146.03
35.	अहमदाबाद बाइपास	8		
36.	अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रेसवे चरण-I	8	165	226.19
37.	अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रेसवे चरण-II	NE1	365	342.33
38.	बदोदरा - सूरत	8	*	
39.	सूरत (चलथान) - अतुल	8	504.6	410.4
40.	अतुल - कजली	8	174.59	274.8
41.	रतनपुर - हिम्मतनगर (यूजी-III)	8	182.29	175.4
42.	गुड़गांव - कोटपुतली	8	251	370.48
43.	गोरहर - बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	2	399.745	424.96
44.	बरवा अड्डा - बराकर	2	120	208.54
45.	बंगलौर - हाथीपल्ली	7	*	
46.	हुबली - हावेरी	4	260.93	283.64
47.	नीलमंगला - बंगलौर	4	*	
48.	धारवाड़ - हुबली	4	*	
49.	तुमकुर - नीलमंगला	4	155	255.41
50.	तुमकुर बाइपास	4	83	3.84
51.	चित्रदुर्ग बाइपास	4	104	166.2
52.	चित्रदुर्ग - सीरा	4	304	371.4

1	2	3	4	5
53.	सीरा बाइपास	4	19.32	21.08
54.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	4	332	592.21
55.	बेलगाम - धारवाड़	4	279	322.03
56.	सीरा - तुमकुर	4	184	225.3
57.	बेलगाम बाइपास	4	115.9	154.88
58.	मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे	4	*	
59.	मनोर - बीसम - क्रीक खंड	8	*	
60.	बीसम-क्रीक पुल - दहिसर	8	*	
61.	दहिसर - मुंबई	8	*	
62.	वाथर - सतारा (पीएस-1)	4	139	136.53
63.	सरोले - वाथर (पीएस-2)	4	118.93	91.18
64.	कटराज - सरोले (पीएस-3)	4	97.9	85.9
65.	मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे	4	*	
66.	वेस्टर्ली डायवर्जन	4	109.38	153.99
67.	खमबक्ती घाट	4	*	
68.	सतारा - कागल	4	600	603.45
69.	कटराज पुनर्सरेखण (पीएस-4)	4	146.25	177.56
70.	कजली - मनोर	8	192.71	290.66
71.	लक्ष्मणनाथ - बालेश्वर (ओआर-4)	60	272	301.8
72.	पुल खंड (ओआर/डब्ल्यूबी-I)	60	80	74.74
73.	भद्रक - चांदीखोल (ओआर-II)	5	305.3	325.91
74.	पुल खंड (ओआर-V)	5	155	144.01
75.	चांदीखोल - जगतपुर	5	103.35	141.47

1	2	3	4	5
76.	जगतपुर - भुबनेश्वर	5		*
77.	खुर्दा - सुनाखला (ओआर-VI)	5	189.58	158.97
78.	मंगलवाड़ - उदयपुर (केयू-VI)	76	170	211.1
79.	किशनगढ़ - नसीराबाद (केयू-I)	79ए	113.5	134.4
80.	किशनगढ़ पर आरओबी	8		*
81.	गुलाबपुरा - भीलवाड़ा बाइपास (केयू-III)	79	164.25	165.19
82.	चित्तौड़गढ़ - मंगलवाड़ (केयू-V)	76	161.2	139.05
83.	नसीराबाद - गुलाबपुरा (केयू-II)	79	182.09	165.68
84.	उदयपुर - केसरियाजी (यूजी-I)	8	245.905	262.73
85.	केसरियाजी - रतनपुर (यूजी-II)	8	226.05	147.04
86.	कोटपुतली - आमेर	8		*
87.	जयपुर बाइपास चरण II	8	210	199.58
88.	जयपुर बाइपास चरण I	8	75	102.58
89.	महापुरा (जयपुर के निकट) - किशनगढ़ (6 लेन)	8	644	671.73
90.	भीलवाड़ा बाइपास - चित्तौड़गढ़ (केयू-IV)	79	202.88	195.5
91.	कांचीपुरम - पूनामल्ली	4	211	244.1
92.	वलेलापेट - कांचीपुरम	4	130	135.03
93.	पल्लीकोंडा - रानीपेट और वालाझपेट बाइपास (केआर-3)	46	211	233.93
94.	वनियांबदी - पल्लीकोंडा (केआर-2)	46	223	247.59
95.	कृष्णागिरी - वनियांबाड़ी (केआर-1)	46	195	233.01
96.	होसूर - कृष्णागिरी	7	213	174.09
97.	हाथीपल्ली - होसूर	7	47	39.13
98.	टाडा - चेन्नै (टीएन-I)	5	233	280.55

1	2	3	4	5
99.	खागा - कोखराज (टीएनएचपी/III-ए)	2	151.7	193.46
100.	सिकंदराबाद-भौंती (टीएनएचपी/II-ए)	2	323.62	311.09
101.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी/I-बी)	2	261.22	321.42
102.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल)	2	91.36	139.23
103.	फतेहपुर - खागा (टीएनएचपी/II-सी)	2	372.4	406.05
104.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III	2	534.39	648.3
105.	इटावा बाइपास	2	132.18	180.04
106.	मथुरा - आगरा	2	*	
107.	कानपुर - फतेहपुर (जीटीआरआईपी/I-बी)	2	495.35	636.69
108.	इटावा - राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	2	348.444	395.66
109.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II	2	440.93	598.86
110.	हंडिया - वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी)	2	286	312.68
111.	वाराणसी - मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	467.93	452.27
112.	दानकुनी - रारा-2/रारा-6 जंक्शन कोलकाता के निकट	2	*	
113.	रानीगंज - पानागढ़	2	137	228.58
114.	बराकर - रानीगंज	2	*	
115.	पलसित - दानकुनी	2	432.4	442.1
116.	विवेकानंद पुल और पहुंच	2	641	533.86
117.	दानकुनी - कोलाघाट (डब्ल्यूबी-I)	6	393	530.17
118.	कोलाघाट - खड़गपुर (डब्ल्यूबी-II)	6	375	443.09
119.	खड़गपुर - लक्ष्मणनाथ (डब्ल्यूबी-IV)	60	332	419.98
120.	पानागढ़ - पलसित	2	350	612.01

*व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। ये परियोजनाएं राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से मंत्रालय से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थीं और पुरानी हैं।

4163-64

कच्ची कपास का मूल्य और निर्यात

5254. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री सी. शिवासामी :
श्री हर्षवर्धन :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री अर्जुन राय :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री सी.आर. पाटिल :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में उत्पादित कच्ची कपास और इसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कपास के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कपास के निर्यात संबंधी कोई नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश का कपास उत्पादन इस प्रकार है:-

कपास मौसम (अक्टू.-सित.)	कपास उत्पादन (लाख गांठों में)
2007-08	307.00
2008-09	290.00
2009-10	295.00
2010-11	325.00

पिछले 3 कपास मौसमों के लिए बीज कपास किस्मों का मासिक औसत मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि में कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) कपास तुलन-पत्र तैयार करता है जिसमें निर्यात योग्य बेशी कपास कपास दर्शायी जाती है।

(ग) वर्तमान में कपास निर्यात किसी मात्रात्मक सीमा के बिना खुले सामान्य लाइसैंस (ओजीएल) के तहत हैं। कपास मौसम 2010-11 में सितंबर 2010 में कपास निर्यात के संबंध में 55 लाख गांठ की मात्रात्मक सीमा लगाई गई थी जिसे जून 2011 में 65 लाख गांठों तक बढ़ा दिया गया था और बाद में मांग में पर्याप्त कमी हो जाने के कारण अगस्त 2011 में इस मात्रात्मक सीमा को हटा दिया गया था।

(घ) कपास मौसम 2010-11 में कपास निर्यात मात्रात्मक सीमा के बिना ओजीएल पर हैं, जो सितंबर 2011 तक ज़ारी रहेगा।

(ङ) कपास मौसम 2011-12 का तुलन-पत्र तैयार करने के लिए 30 अगस्त 2011-12 को कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) की बैठक हुई। सीएबी ने कपास मौसम 2011-12 के लिए 355 लाख गांठों के उत्पादन, 264 लाख गांठों की खपत, 70 लाख गांठों के निर्यात और 56.5 लाख गांठों के अंतिम भंडार का अनुमान लगाया है। सीएबी के इनपुट्स को 2011-12 के लिए कपास निर्यात नीति तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विवरण

2007-08 से कपास का साप्ताहिक औसत मूल्य

तारीख	जे-34 (पंजाब)				एस.जे. (गुजरात)				बी.बी. (आंध्र प्रदेश)			
	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2800	**2800**	**2800**	**1950**	**2850**	**2850**	**2850**	**2055**	**3000**	**3000**	**3000**	**2070**
01/10/2010	4000				3740	2850						
08/10/2010	4350		2800	2100	4450	2875		2275	3700			
15/10/2010	4425		2800	2150	4450	2860		2350	3900			
22/10/2010	4250	2800	2800	2145	4450	2860		2400	4100			
29/10/2010	4284	2820	2800	2210	4612	2975		2470	4150	3000		2150
09/11/2010	4650	2955	2800	2325	4550	3000	2850	2375	4220	3000	3000	2110
13/11/2010	4680	2980	2800	2360	4545	3000	2850	2385	4100	3000	3000	2125
20/11/2010	4736	3112	2800	2390	4625	3100	2850	2400	4100	3000	3000	2130
27/11/2010	4675	3150	2800	2430	4550	3360	2850	2430	3950	3000	3000	2130
04/12/2010	4713	3235	2800	2425	4575	3270	2850	2420	3950	3000	3000	2120
11/12/2010	4860	3253	2800	2420	4510	3260	2850	2400	4100	3200	3000	2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18/12/2010	4890	3145	2800	2420	4575	3250	2850	2435	4000	3085	3000	2120
24/12/2010	4990	3080	2800	2450	4500	3285	2850	2470	4200	3200	3000	2120
31/12/2010	5130	3200	2800	2510	4640	3310	2850	2550	4400	3175	3000	2180
07/1/2011	5000	3175	2800	2560	4630	3225	2850	2600	4500	3190	3000	2300
14/01/2011	5140	3225	2800	2600	4850	3250	2850	2675	5000	3175	3000	2355
21/01/2011	5250	3225	2800	2630	5150	3280	2850	2650	5200	3150	3000	2340
29/01/2011	5675	3225	2800	2625	5690	3255	2850	2660	5700	3050	3000	2350
04/02/2011	6130	3225	2800	2640	6025	3240	2850	2675	5700	3090	3000	2380
11/02/2011	6810	3225	2800	2640	6750	3365	2850	2685	6200	3110	3000	2380
18/02/2011	6995	3225	2800	2660	6700	3405	2850	2700	6300	3110	3000	2400
25/02/2011	6580	3225	2800	2740	6550	3440	2850	2755	6100	3125	3000	2480
04/03/2011	7125	3225	2800	2750	7225	3290	2850	2800	6200	3080	3000	2500
11/03/2011	6880	3225	2800	2750	6900	3270	2850	2800	6200	3100	3000	2500
18/03/2011	6800	3225	2800	2720	7000	3280	2850	2800	6250	3100	3000	2480
25/03/2011	6990	3225	2800	2730	7050	3325	2850	2770	6350	3100	3000	2470
01/04/2011	6700		2800	2710	6850	3300	2850	2750	6400	3100	3000	2460
07/04/2011	6700		2800		6875	3300	2850	2760	6350	3100	3000	2470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13/04/2011	6150		2800		6825	3260	2850	2790	6300	3100	3000	2480
20/04/2011	6230		2800		5900	3225	2850	2790	5500	3100	3000	2480
26/04/2011			2800		6175	3210	2850	2800	5150	3100	3000	2480
03/05/2011					5000	3190		2800	4100	3100		2480
10/05/2011					4625	3190		2800	3900			2480
17/05/2011					4750	3250			3950			
24/05/2011					5150	3275			4100			
31/05/2011					5150	3300			4000			
07/06/2011					4500	3420			3400			
14/06/2011					4450	3360			3200			
21/06/2011					4250	3340			3100			
28/06/2011					4375	3300			3100			
05/07/2011					4275				3100			
12/07/2011					4200				3300			
19/07/2011					3850				3200			
26/07/2011					3700				3200			
02/08/2011									3200			

रक्षा बलों में समय-पूर्व सेवानिवृत्ति

5255. श्री जयंत चौधरी :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री एम.आई शानवास :
श्री हरीश चौधरी :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री कमलेश पासवान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा बलों में उन अधिकारियों का रैंक-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत आवेदनों की रैंक-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रक्षा बलों में सभी रैंक के कार्मिकों को आकर्षक वेतन पैकेज और सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंगूर निर्यातकों को राहत

5256. श्री राजू शेट्टी :
श्री समीर भुजबल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर महाराष्ट्र के अंगूर कृषकों एवं निर्यातकों को यूरोप में अंगूरों के निर्यात के कारण हुए भारी नुकसान के लिए किसी राहत उपाय पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के साथ परामर्श करके कोई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय निर्यात ऋण गांरटी निगम लि. (ईसीजीसी) द्वारा अंगूर और अनार निर्यातकों के दावों का भुगतान न करने के उदाहरण मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) आईटीसी एचएस कोड 0806 के अंतर्गत आने वाले अंगूर के निर्यातक 23 दिसम्बर, 2010 को या उसके बाद प्रभावित होने वाले निर्यातकों के लिए विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य दर के अतिरिक्त 2% अतिरिक्त शुल्क ऋण स्क्रिप के पात्र हैं।

(ख) और (ग) अपनी बाजार विकास स्कीम के अंतर्गत एपीडा अन्य के साथ-साथ निर्यात संवर्धन और बाजार विकास कार्यकलाप करता है जिसमें प्रचार एवं संवर्धन, ब्रांड प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठकें, उत्पाद संवर्धन, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों/कार्यक्रमों आदि में भागीदारी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। अंगूर और अनार के जिन निर्यातकों ने भारतीय निर्यात ऋण गांरटी (ईसीजीसी) की पॉलिसी का लाभ लिया था, उनके दो मामले पॉलिसी धारकों द्वारा पॉलिसी की आधारभूत कवर अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने के कारण वर्ष 2008 में अस्वीकार कर दिए गए थे। ईसीजीसी द्वारा अंगूर तथा अनार के निर्यातकों के दावे अस्वीकार किए जाने के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) मेसर्स वेज फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स एण्ड वाइनरीज (आई) प्रा. लि. पुणे: इस निर्यातक ने दिनांक 01.05.2005 को किए गए कुल 17.15 लाख रुपए मूल्य के 2 यानांतरणों के संबंध में दावा प्रस्तुत किया था।

(ii) मेसर्स इण्डो वेज फ्रूट एक्सपोर्ट्स, पुणे: इस निर्यातक ने दिनांक 10.04.2005 से 21.05.2005 के बीच किए गए कुल 24.58 लाख रुपए मूल्य के 3 यानांतरणों के संबंध में दावा प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी]

राज्यों की सूची में अ.जा. की केन्द्रीय सूची में जातियां

5257. **श्री इन्दर सिंह नामधारी :**
श्री दारा सिंह चौहान :
श्रीमती सुशीला सरोज :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री जयंत चक्रवर्ती :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्रीमती उषा वर्मा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की श्रेणी की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित जातियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी तत्संबंधी इस प्रकार की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त केन्द्रीय सूची में सम्मिलित सभी अनुसूचित जातियों को देश की सभी राज्य सरकारों की संबंधित सूची में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) अनुसूचित जातियों की केन्द्रीय सूची रखने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार, जातियों इत्यादि को अनुसूचित जातियों के रूप केवल किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ही विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जी2बी पोर्टल की स्थापना

5258. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री संजय भोई :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को सुविधाजनक और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए गवर्मेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) पोर्टल स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त स्कीम में ओड़ीसा को शामिल करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार विदेशी और घरेलू निवेशकों को विभिन्न निवेश और कारोबार संबंधी सेवाएं जैसे कि लाइसेंस और अनुमोदन, पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना आदि प्रदान करने के लिए गवर्मेंट-टू-बिजनेस (जी2बी) पोर्टल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-बिज परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं- सूचना और सेवाओं तक सुविधाजनक और आसान पहुंच, निवेशकों और करोबारियों को केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समेकन के लिए एक एकल मंच की स्थापना और कारोबार की आवश्यकताओं के लिए उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान सेवा प्रदान करना।

(ग) और (घ) परियोजना का क्रियान्वयन 10 वर्षों की अवधि में चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम 3 वर्ष प्रायोगिक चरण के रूप में होंगे और अगले 7 वर्ष विस्तार चरण के रूप में होंगे। इस परियोजना को इस समय आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना में शामिल करने के लिए ओडीसा सहित अन्य राज्यों के अनुरोधों पर प्रायेगिक चरण के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कार्य कर रहे ईएसआईसी अस्पताल

5259. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री जगदीश सिंह राणा :

श्री के.पी. धनपालन :
श्री सुदर्शन सिंह नागर :
श्री प्रेमचंद गुड्डू :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल/औषधालय किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों में हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों के लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है तथा उनके द्वारा कौन-सी सुपर स्पेशियल्टी सुविधाओं का लाभ लिया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) देश में किराए के भवनों से कामकाज चला रहे औषधालयों की संख्या 848 है। महाराष्ट्र में तीन अस्पतालों को छोड़कर जो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में कामकाज चला रहे हैं, देश में सभी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपने भवनों में कामकाज कर रहे हैं। कांदीवैल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल ढहाने के उपरांत पुन:निर्मित किया जा रहा है तथा यह अस्थाई तौर पर नगर निगम, मुम्बई के स्वामित्व वाले भवन से कामकाज चला रहा है।

(ख) जहां तक अस्पतालों का संबंध है किराए पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है चूंकि सभी अस्पताल या तो निगम के अपने भवन से अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले भवन से कामकाज चला रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

शिल्पकारों हेतु योजना

5260. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क :
डॉ. संजय सिंह :
श्री बार. कुमार पटेल :
श्री हरीश चौधरी :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित और निर्यात किये गए जूट से बनी वस्तुओं सहित शिल्प उत्पादों तथा परम्परागत उत्पादों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना में किसी प्रकार की कमी की बात सरकार की जानकारी में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के जरिए शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) शिल्पकारों के पंजीकरण की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और दिल्ली हाट सहित विविध शिल्प मेलों में दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित देश में अब तक स्थापित तथा स्थापित किये जाने वाले शिल्प संग्रहालयों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) हस्तशिल्पों पर राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जूट से निर्मित वस्तुओं सहित हस्तशिल्प उत्पादों और परम्परागत उत्पादों तथा हाथ से निर्मित कालीनों के देश से हुए निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये)
1.	2008-09	10891.85
2.	2009-10	11224.27
3.	2010-11	13526.66
4.	2011-12 (जुलाई, 2011 तक)	4143.72

(ख) और (ग) चुनिंदा हस्तशिल्पों के एकीकृत विकास की बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के मैसर्स सेंटर फॉर रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली द्वारा किये गए मध्यावधिक मूल्यांकन में यह बात सामने आई है कि उक्त स्कीम के एक घटक अर्थात् सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने के घटक के अंतर्गत आवर्ती लागत को पूरा करने का भी प्रावधान होना चाहिए जिसका इस स्कीम में उल्लेख नहीं है।

एएचवीवाई के अंतर्गत कलस्टर विकास कार्यक्रम में 24 घटक हैं जिनका कार्यान्वयन आवश्यकता पर आधारित हस्तशिल्पों के सतत् विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

(घ) हस्तशिल्प कारीगरों का सरकार के साथ पंजीकरण विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के विभिन्न फील्ड कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने के माध्यम से किया जाता है। उक्त कार्यालय कारीगरों का कौशल परीक्षण करते हैं और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के पश्चात उनके नामों की अनुशंसा मुख्यालय कार्यालय को पहचान पत्र जारी करने के लिए करते हैं। संबंधित फील्ड कार्यालयों के छपे हुए पहचान पत्र संबंधित कारीगरों को वितरित करने के लिए भेजे जाते हैं।

कारीगरों को विभिन्न शिल्प क्षेत्रों में स्टालों का आवंटन प्रत्येक क्षेत्र के लिए तय कोटा के आधार पर और पहले से घोषित सूची के आधार पर किया जाता है। जिस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में मेला आयोजित किया जाता है वह आमंत्रण पत्र और पहचान पत्र की जांच करने के बाद स्टाल आवंटित होता है।

दिल्ली हाट में स्टॉल आवंटन के लिए एक वार्षिक केलेंडर को अग्रिम रूप से अंतिम रूप दे दिया जाता है और कारीगरों से देश के सभी मुख्य समाचार पत्रों में जारी विज्ञापनों के माध्यम से वर्ष में दो बार (अप्रैल से सितम्बर और अक्तूबर से मार्च) आवेदन मांगे जाते हैं। शिल्पियों का चयन पहले से निर्धारित तिथि पर लाटरी की प्रक्रिया से किया जाता है और दिल्ली हाट में विभिन्न स्लाट में कारीगरों की भागीदारी के लिए चुने गए कारीगरों को नामित किया जाता है। दिल्ली हाट में स्टालों का आवेदन इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा किया जाता है।

(ङ) अभी तक डिजाइन और प्रौद्योगिकीय उन्नयन स्कीम के अंतर्गत 15 हस्तशिल्प संग्रहालयों की स्थापना की गई है जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित दो संगहालय शामिल हैं। व्यवहार्य प्रस्ताव मिलने पर और निधियों की उपलब्धता के आधार पर और संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी।

बी आर ओ की संरचना

5261. श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मौजूदा संरचना क्या है;

(ख) क्या मौजूदा समझौते के अनुसार महानिदेशक के पद पर केवल सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सैन्य अधिकारियों तथा सामान्य आरक्षित इंजीनियर बल के अधिकारियों के अनुपात का निर्धारण करने के लिए किसी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2006 में बीआरओ के पुनर्गठन का अनुमोदन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विभिन्न संवर्गों के इंजीनियरों के वेतन और भत्तों में अंतर है और क्या संगठन से विसंगति को समाप्त करने के लिए संवर्ग समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सीमा सड़क संगठन में सैन्य व सिविलियन नामक दो क्षेत्रों के कार्मिक होते हैं। सिविलियन क्षेत्र के कार्मिकों को सामान्य आरक्षित अभियंता बल (जीआरईएफ) कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन की मौजूदा कार्मिक संख्या 36,761 है।

(ख) मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार, सैन्य बलों की संक्रियाओं की सुविधा हेतु सीमा सड़क संगठन के निदेशक के पद पर सदैव एक सैन्य अफसर आसीन होता है।

(ग) जी, हां। सैन्य अफसरों व सामान्य आरक्षित अभियंता बल के बीच मौजूदा जनशक्ति के अनुपात की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन 1 जून 2011 को किया गया था और उसने जनशक्ति अनुपात पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(घ) सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने सितम्बर 2006 में सीमा सड़क संगठन की पुनर्संरचना की अनुमति दी थी और इसकी जनशक्ति को 36945 से बढ़ाकर 42646 कर दिया गया था।

(ङ) सैन्य व सिविलियन अभियंताओं के वेतन तथा भत्ते छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए नियत किये गए हैं। सिविल/सैन्य सेवा के भत्तों में कार्यों की तात्कालिकता के आधार पर भिन्नता है। सरकार ने संवर्ग संरचना तथा कार्मिक संख्या के बारे में सिफारिश करने हेतु सामान्य आरक्षित अभियंता बल/कर्मचारियों की संवर्ग पुनरीक्षा के आदेश दे दिये हैं।

[अनुवाद]

उदार श्रम कानून

5262. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री पी.सी. गद्दीगौदार :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए उदार श्रम कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) देश में मजदूरों का शोषण रोकने के लिए तथा श्रम अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ग) सरकार द्वारा श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण सतत रूप से की जाती है और विनिर्माण क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि मजदूरों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। कामगारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हाल ही में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन किए गए हैं। सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों के संवर्धन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना करने तथा कामगारों के कतिपय स्वरूप के विवादों के लिए श्रम न्यायालय में सीधी पहुंच मुहैय्या कराने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में भी संशोधन किया गया था।

भारतीय नौसेना के बेड़े का सुदृढ़ीकरण

5263. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री यशवीर सिंह :
डॉ. ज्योति मिर्धा :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री धनंजय सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान कैरियरों, युद्धक जहाजों तथा परमाणु प्रकार सहित पनडुब्बियों, गश्ती पोतों, फिग्रेट आदि के संदर्भ में भारतीय नौसेना के बेड़े की संख्या का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भावी योजना क्या है;

(ख) क्या स्वदेशी युद्धक परियोजना निर्धारित समय-सीमा के पीछे चल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्रोजेक्ट-17 के अंतर्गत शिवालिक वर्ग के फ्रिगेट तथा प्रोजेक्ट-15 ए के अंतर्गत कोलकता वर्ग के विध्वंसक के निर्माण में कीमतों में हुई वृद्धि के कारणों सहित इन परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) तलवार वर्ग के फ्रिगेट की खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है और इसके प्रदाय करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) स्कोर्पियन पनडुब्बी के निर्माण/इसे शामिल करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं एवं इसके पूरा करने संबंधी समय-सीमा क्या है;

(ङ) पी-75 (भारत) परियोजना के अंतर्गत पनडुब्बी निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में विदेशी विनिर्माताओं को ठेके देने के क्या कारण हैं तथा समग्र पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(च) गत पांच वर्षों के दौरान माझगांव डॉक लिमिटेड में शुरू की गई वारशिप परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में कितने पोतों का प्रदाय किया गया एवं विलम्ब के कारण यदि कोई हैं तथा मंगलौर, कर्नाटक में एम डी एल सुविधाओं का सृजन करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार सुरक्षा परिवेश की सतत रूप से समीक्षा करती है और नौसेना के लिए विभिन्न प्रकार के पोत/पनडुब्बियों सहित उपयुक्त रक्षा उपस्कर/प्लेटफार्मों को शामिल किए जाने का निर्णय लेती है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि सशस्त्र सेनाओं को किसी आँकस्मिकता से निपटने के लिए उन्हें तैयार स्थिति में रखने हेतु उनके आधुनिकीकरण के लिए स्वदेशी तथा विदेशी स्त्रोतों से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। नौसेना पोतों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव समुद्री क्षमता संदर्शी योजना/वार्षिक योजना पर आधारित होते हैं जिनमें अपेक्षित जलयानों की संख्या और उनका प्रकार और ऐसे प्रवेशों की समय-सीमा दी होती है। इस संबंध में और विवरण दिया जाना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

नौसेना के निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही मुख्य स्वदेशी युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं में परियोजना-15ए (पी-15ए) और परियोजना-17 शामिल हैं। इन परियोजनाओं में लागत वृद्धि लगभग 225% तथा 260% है। लागत में बढ़ी वृद्धि जटिल युद्धपोत निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण हुई है। पी-15 ए तथा पी-17 में विलंब तथा लागत में वृद्धि के परियोजना-वार कारण इस प्रकार हैं:-

- पी-15 ए : लागत में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं - रूस द्वारा युद्धपोत निर्माण योग्य गुणता वाले इस्पात की आपूर्ति में विलंब, निर्माण अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के कारण रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं पर व्यय में वृद्धि, अक्तूबर, 2003 से देय वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव और शस्त्रास्त्रों तथा सेंसरों की लागत को अंतिम रूप दिया जाना।

पी-17 : लागत में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं - रूस द्वारा युद्धपोत निर्माण योग्य गुणता वाले इस्पात की आपूर्ति में विलंब, रूस से शस्त्रास्त्र उपस्करों के अधिग्रहण में विलंब और भारतीय नौसेना फ्रिगेट में पहली बार शुरू की गई डीजल तथा गैस की जटिल संयुक्त व्यवस्था हेतु प्रणोदक उपस्कर को अंतिम रूप देने में देरी।

तीन तलवार श्रेणी के अनुवर्ती पोतों के अर्जन के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस के साथ 2006 में एक संविदा की गई थी और इन तीन पोतों के लिए सुपुर्दगी कार्यक्रम अप्रैल, 2011 अक्तूबर, 2011 तथा अप्रैल, 2012 था। रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने सूचना दी है कि पोतों की सुपुर्दगी में इस प्रकार देरी होगी : पहला पोत - 12 महीने, दूसरा पोत - 11 महीने और तीसरा पोत - 14 महीने। इन तीन पोतों के अर्जन के लिए यह संविदा एक निर्धारित मूल्य वाली संविदा है।

मैसर्स माझगांव डॉक लिमिटेड में परियोजना-75 के अंतर्गत छह स्कोर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। संविदा के अनुसार, पहली पनडुब्बी दिसंबर 2012 में सुपुर्द की जानी निर्धारित की गई थी और उसके बाद दिसंबर 2017 तक हर वर्ष एक पनडुब्बी दी जानी थी। इस परियोजना में शुरूआती समस्याओं, जटिल प्रौद्योगिकी के आमेलन, मैसर्स माझगांव डॉक लिमिटेड अवसंरचना के संवर्धन और माझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा खरीदे गए माल की अधिप्राप्ति के कारण विलंब हुआ है। अब पहली पनडुब्बी 2015 के उत्तरार्द्ध में सुपुर्द की जानी निर्धारित है।

परियोजना-75 (भारत) के अंतर्गत छह पनडुब्बियों के अर्जन के लिए आवश्यकता की स्वीकार्यता रक्षा अर्जन परिषद द्वारा दी गई है। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा पनडुब्बी बेड़े के लिए एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है और बड़ी संख्या में प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। यह कार्यक्रम/प्रणाली/उपकरणों के पुरानेपन/अनुपयुक्ता का सामना कर रही नौसेना द्वारा समकालिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पी-17 के अंतर्गत तीन पोत, पी-15 ए के अंतर्गत तीन पोत और पी-15 बी के अंतर्गत चार पोतों के निर्माण का कार्य माझगांव डॉक लिमिटेड को सौंपा गया है।

पी 17 के अंतर्गत पहले पोत तथा दूसरे पोत का जलावतरण क्रमशः अप्रैल, 2010 और अगस्त, 2011 में किया गया है और तीसरे पोत के 2012 के आरंभ तक जलावतरण किए जाने की संभावना है। पी-15 ए के अंतर्गत तीन पोतों की सुपुर्दगी क्रमशः मार्च 2012, मार्च 2013 तथा मार्च 2014 तक किए जाने का कार्यक्रम है। चार पी-15 बी पोतों के लिए संविदा पर जनवरी, 2011 में हस्ताक्षर किए गए हैं जिनकी सुपुर्दगी का कार्यक्रम क्रमशः जुलाई 2018, जुलाई 2020, जुलाई, 2022 तथा जुलाई 2024 निर्धारित किया गया है।

मंगलौर में माझगांव डॉक लिमिटेड सुविधाओं के सृजन के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। 483-84

राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान परिषद की स्थापना

5264. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए वस्त्र उद्योग को पर्यावरण अनुकूल परिवेश मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) नीति में मुख्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) का औद्योगिक के साथ-साथ व्यापक अनुसंधान परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अनुसंधान के लिए फोकस क्षेत्रों में उत्पाद विकास, उपयोगिता संरक्षण सहित समूची विनिर्माण शृंखला में लागत कम करना, पारिमित्र प्रौद्योगिकीयां, परीक्षण पद्धतियों एवं परीक्षण प्रयोग, बायोटेक्नोलोजी का प्रयोग, निटिंग एवं गारमेंट प्रौद्योगिकी में आरएंडडी, नैनो टेक्नोलोजी एवं प्लाजमा विज्ञान आदि का प्रयोग शामिल है। इन टीआरए को योजना एवं गैर-योजना आबंटन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने तिरुपुर वस्त्र उद्योग के पर्यावरणीय मसलों से संबंधित प्रौद्यो-आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की है।

484-85

पत्तन विस्तार संबंधी नीति

5265. **श्री प्रभातसिंह पी. चौहान :**
डॉ. कृपारानी किल्ली :
श्री एल. राजगोपाल :
डॉ. निलेश नारायण राणे :
श्री हरिन पाठक :
श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी :
श्रीमती दर्शना जरदोश :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित कुछ राज्य सरकारों ने पत्तन और पोताश्रयों हेतु नीति बनाने का अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या मौजूदा पत्तनों के विस्तार करने की नई नीति तथा तटीय रेखा के साथ-साथ नए पत्तन की शुरूआत करने में देरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) आंध्र प्रदेश सहित देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित पत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) रतनगिरी-सिंधु दुर्ग में पत्तनों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि पर सरकार की प्रतिक्रया क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) जी, नहीं। फिर भी, पत्तन प्राधिकरण नियामक विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप के उनकी टिप्पणियों और रूकावट के संबंध में गुजरात सहित कुछ समुद्रीय राज्यों से अभ्यावेदन मिल गए हैं।

(ख) समुद्रीय राज्यों द्वारा दी गई टिप्पणियों की सरकार जांच और उन पर विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं मौजूदा पत्तनों के विस्तार और नए पत्तनों के आरंभ के संबंध में किसी नीति की घोषणा नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आंध्र प्रदेश सहित समुद्रीय राज्यों की सरकारों को उनके राज्यों में महापत्तनों की स्थापना की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी गई है।

(च) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों से इतर किसी भी अन्य पत्तन को विकसित किए जाने का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य सरकारों का होता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग क्षेत्र में गैर महापत्तन महाराष्ट्र की राज्य सरकार और महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

वनभूमि का विपथन

5266. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना के लिए वन भूमि के विपथन का उदारीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) वाम दल उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना के शीघ्र सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने ऐसे एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा स्कूलों, डिस्पेंसरी/अस्पतालों, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेयजल, जल/वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों, दक्षता उन्नयन/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विद्युत उप-स्टेशनों, ग्रामीण मार्गों, संचार पोस्टों, संवेदनशील क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात) में पुलिस स्टेशनों/आउटपोस्टों/सीमा आउटपोस्टों/वाच टावरों जैसी पुलिस स्थापनाओं और भूमिगत ऑप्टिल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइनें तथा पेयजल आपूर्ति लाइनें बिछाने जैसी 13 विनिर्दिष्ट श्रेणियों की सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना के निष्पादन के लिए प्रत्येक मामले में 2.00 हेक्टेयर तक वन भूमि के विपथन हेतु दिनांक 03 नवंबर, 2010 को पांच वर्षों की अवधि अर्थात् दिनांक 31.12.2015 तक के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत एक सामान्य अनुमोदन प्रदान किया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने योजना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा चयनित 60 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में सरकारी विभागों द्वारा उपर्युक्त 13 श्रेणियों की सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना के निष्पादन के लिए प्रत्येक मामले में वन भूमि के अधिकतम 5.00 हेक्टेयर तक के विपथन को उक्त सामान्य अनुमोदन में और अधिक छूट दी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2011 को यह भी स्पष्ट किया कि दिनांक 13 मई, 2011 के उपर्युक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसरण में विपथित वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण पर बल न दिया जाए।

मसालों का निर्यात

5267. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नारियल, हल्दी, काली मिर्च, काजू तथा अन्य मसालों के उत्पादन, उपभोग तथा आयात/निर्यात का वर्ष-वार, वस्तु-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन वस्तुओं की गुणवत्ता, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा घरेलू बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) उत्पादन और निर्यात/आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण "I" में दिया गया है। खपत संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अन्य मसालों के निर्यात के प्रमुख गंतव्य स्थल हैं- अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यू.के., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईरान आदि। देश-वार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण-II, III और IV में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नारियल बोर्ड द्वारा नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, नारियल कृषि के क्षेत्रों का विस्तार, उत्पादकता में सुधार हेतु समेकित कृषि, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, बाजार संवर्धन एवं सांख्यिकी, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता और भारत के परम्परागत राज्यों में नारियल बागानों का पुनर्रोपण एवं नवीकरण।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत मसालों के उतपादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे-रोपण सामग्री का उत्पादन, आदर्श नर्सरी, पुनर्रोपण एवं नवीकरण कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार, जैविक कृषि अंगीकार करना, प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम आदि। सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी) द्वारा न्यूक्लियस रोपण सामग्री के उत्पादन, बीज प्रसंस्करण एवं अवसंरचना, खेतों में जैविक मसालों के प्रदर्शन के जरिए प्रौद्योगिकी प्रसार और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय केन्द्रों एवं आईसीएआर संस्थानों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन/संगोष्ठी संबंधी एनएचएम कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है। काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल के इडुक्की और वायनाड़ जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में काली मिर्च विकास हेतु स्कीमें भी प्रचालनरत हैं।

मसाला बोर्ड निर्यात सुधार उपाय के रूप में इलायची के लिए विभिन्न उत्पादन विकास कार्यक्रमों तथा अन्य मसालों के लिए फसलोत्तर गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रहा है। इलायची नीलमीकर्त्ताओं तथा डीलरों को लाइसेंस प्रदान करके इलायची के घरेलू विपणन की निगरानी की जाती है। पारदर्शिता और इलायची उपजकर्ताओं के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा इलायची के लिए ई-नीलामी प्रणाली शुरू की गई है।

मसाला बोर्ड ने उक्त अवधि के दौरान कई निर्यात विकास/संवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं जिनमें मसाला प्रसंस्करण में उन्नत प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना, निर्यातकों द्वारा गुणवत्ता आकलन प्रयोगशालाओं की स्थापना, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग विकास एवं बारकोडिंग, उत्पाद विकास और उच्चस्तरीय मूल्यवर्धन हेतु अनुसंधन, व्यावसायिक नमूने विदेश भेजना, साझा विसंक्रमण इकाइयों की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/बैठकों/सम्मेलनों में भागीदारी शामिल हैं। मुख्य रूप से मसालों के मूल्यवर्धन और गुणवत्ता सुधार के संवर्धन के लिए सफाई, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, पैकिंग, भण्डारण हेतु व्यापारोन्मुख संबंधों के साथ साझा अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मसालों पार्कों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल, हल्दी, काली मिर्च, काजू एवं अन्य मसालों का उत्पादन

फसल	2008-09 उत्पादन (मी. टन)	2009-10 उत्पादन (मी. टन)	2010-11 (अग्रिम अनुमान) उत्पादन (मी. टन)
नारियल	15729.75	NA	NA
हल्दी	825.95	783.14	992.94
काली मिर्च	48.10	55.70	52.04
काजू	695	613	653
अन्य मसाले	4204.94	4398.79	4320.39

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात एवं आयात

फसल	2008-09		2009-10		2010-11	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
नारियल	18781.89	30.60	27451.52	3.70	26667.49	6.21
हल्दी	52500	2525	50780	4450	49250	3900
काली मिर्च	25250	3136.2	19750	7827.7	18850	8976.2
काजू	126151.28	614457.41	117992.94	755962.87	69424.15	424543.59
अन्य मसाले	392770	78005.8	432250	94422.3	457650	68822.2

विवरण-II

नारियल और काजू के लिए निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश

(मूल्य मिलि. अम. डॉलर में)

मद	देश	2008-09	2009-10	2010-11
नारियल	नेपाल	0.88	1.07	1.49
	संयुक्त अरब अमीरात	5.62	3.99	5.35
	बांग्लादेश	0.04	2.20	5.28
	पाकिस्तान	0.39	0.65	3.78
काजू	संयुक्त राज्य अमेरिका	220.90	170.08	159.14
	संयुक्त अरब अमीरात	89.44	94.29	95.99
	नीदरलैंड	78.63	53.16	58.63
	जापान	32.61	30.99	33.08
	फ्रांस	22.61	17.55	17.04

विवरण-III

भारत से हल्दी का देश-वार निर्यात

प्रमुख मद-देश	2008-09 मूल्य (लाख रु.)	2009-10 मूल्य (लाख रु.)	2010-11 मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4
यूएई	2568.68	4638.58	11184.49
मलेशिया	2269.48	2677.98	6700.41
जापान	2068.97	3237.62	5799.29
यूएसए	1551.09	1880.83	3916.33
ईरान	2135.90	3008.73	3724.07
बांग्लादेश	1523.76	2535.32	3281.59
यूके	1420.54	2180.40	3060.82
दक्षिण अफ्रीका	1093.02	1849.75	2907.78
जर्मनी	849.68	1432.27	2828.47
नीदरलैंड	844.94	1292.17	2500.64
ट्यूनिशिया	38.66	143.20	2062.13
मोरक्को	671.97	862.33	1981.54
सऊदी अरब	1004.81	1119.77	1952.05
श्रीलंका	1038.86	2363.06	1933.38
मिस्र (एआरई)	1229.14	1217.82	1805.24
फ्रांस	386.12	428.73	1192.84
इजरायल	228.02	427.28	951.69
स्पेन	238.18	436.86	898.34
सिंगापुर	343.81	472.33	772.53
रूस	201.62	439.97	752.89
ओमान	190.08	390.30	724.66
कुवैत	198.49	386.38	680.90
बहरीन	190.54	297.88	602.43
कनाडा	225.81	319.44	524.33
ऑस्ट्रेलिया	219.04	288.82	522.75
तुर्की	82.65	314.82	522.39
मद योग (अन्य सहित)	24857.78	38122.98	70285.14

विवरण-IV

भारत से काली मिर्च का देश-वार निर्यात

प्रमुख मद-देश	2008-09 मूल्य (लाख रु.)	2009-10 मूल्य (लाख रु.)	2010-11 मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4
संयुक्त अरब अमेरिका	16325.32	13149.92	13883.41
यूके	2869.12	2907.98	3273.56
कनाडा	1944.45	1379.36	2111.25
इटली	1927.95	1249.06	1807.05
ऑस्ट्रेलिया	1400.93	966.97	1369.12
वियतनाम	1531.35	881.05	1354.21
ज़र्मनी	2031.83	1945.62	1333.37
जापान	880.50	943.45	1318.51

1	2	3	4
स्वीडन	817.04	781.94	1173.20
बेल्जियम	1113.17	743.53	833.71
नीदरलैंड	716.22	594.36	804.15
दक्षिण अफ्रीका	491.96	401.73	734.45
पोलैंड	347.94	112.53	666.71
यूएई	823.09	419.09	650.52
स्पेन	548.35	360.92	649.46
फ्रांस	941.21	501.29	596.87
सऊदी अरब	338.99	267.63	385.22
सिंगापुर	300.37	474.98	379.81
फिलिपींस	260.08	128.08	297.71
ईरान	105.98	131.04	288.16
रूस	147.25	172.43	281.21
नॉर्वे	266.33	128.88	275.43
डेनमार्क	335.91	226.70	268.67
मलेशिया	219.19	241.17	265.82
एस्टोनिया	517.32	260.30	244.11
मद योग (अन्य सहित)	41373.50	31392.47	38318.50

[हिन्दी] 493-94

संयुक्त सैन्य अभ्यास

5268. श्री जगदीश शर्मा :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के जैसलमेर-बीकानेर सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने सरकार की सहमति मांगी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अपनाये जाने वाले समझौते/अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद] 1:945-97

वन भूमि का आवंटन

5269. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यक्तियों को वन भूमि आवंटित करने के राज्य-वार मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी भूमि पर सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) विकासात्मक परियोजनाओं के लिए व्यक्तियों को

वन भूमि के आवंटन सहित गैर-वन प्रयोजन हेतु वन भूमि के विपथन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अतंर्गत केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन, विपथन के लिए प्रस्तावित वन भूमि की वनस्पति-जात और प्राणी-जात संबंधी महत्ता, साध्य विकल्पों, लाभभोगियों की संख्या और प्रकृति तथा प्रस्तावित विपथन से अर्जित होने वाले लाभों की प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदान किये जाते हैं।

(ख) और (ग) गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के विपथन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन, संबंधित प्रयोक्ता अभिकरणों/व्यक्तियों से संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के सृजन और खररखाव की लागत, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), सुरक्षा ज़ोन (खनन परियोजना के मामले में) में वनीकरण की लागत, वन्यजीव संरक्षण योजना (जहां भी अनुबंधित हो) के क्रियान्वयन की लागत आदि की उगाही के अध्यधीन हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उगाही गई ये धनराशि, तदर्थ काम्पा को अंतरित की जाती है। दिनांक 30.06.2011 तक तदर्थ काम्पा को अंतरित की गई धनराशि के राज्य/संघ शासित प्रदेश - वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(दिनांक 30 जून, 2011 तक) तदर्थ काम्पा को अंतरित की गई निधियों के राज्य/संघ शासित प्रदेश - वार ब्यौरे

(धनराशि : करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	तदर्थ काम्पा को अंतरित की गई धनराशि
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.20
2.	आंध्र प्रदेश	1,908.89
3.	अरुणाचल प्रदेश	623.29
4.	असम	298.99
5.	बिहार	131.61
6.	चंडीगढ़	1.74
7.	छत्तीसगढ़	1,685.54
8.	दादरा और नगर हवेली	3.68
9.	दमन और दीव	0.71
10.	दिल्ली	18.26
11.	गोवा	122.13
12.	गुजरात	431.07
13.	हरियाणा	273.96
14.	हिमाचल प्रदेश	896.77
15.	जम्मू और कश्मीर	74.05
16.	झारखंड	1,468.00
17.	कर्नाटक	706.22
18.	केरल	21.03
19.	लक्षद्वीप	—
20.	मध्य प्रदेश	871.25
21.	महाराष्ट्र	1,359.83
22.	मणिपुर	29.45
23.	मेघालय	83.31
24.	मिजोरम	9.83
25.	नागालैंड	0.00
26.	ओडिशा	3,758.89
27.	पुदुचेरी	—
28.	पंजाब	347.16

1	2	3
29.	राजस्थान	531.89
30.	सिक्किम	47.87
31.	तमिलनाडु	23.53
32.	त्रिपुरा	68.22
33.	उत्तर प्रदेश	484.93
34.	उत्तराखंड	1,101.57
35.	पश्चिम बंगाल	81.03
	कुल	17,574.90

कर-मुक्त बांड

5270. श्री नित्यानन्द प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पत्तनों को अवसंरचना विकास हेतु कर-मुक्त बांडों के जरिए निधियां जुटाने की अनुमति दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे निजी पत्तनों की वित्तीय समस्याओं पर काबू पाने में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ग) भारतीय पत्तन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, किसी निजी पत्तन (गैर महापत्तन) का विकास किया जाना, संबंधित राज्य सरकार/राज्य समुद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। तद्नुसार, इन पत्तनों को राज्य समुद्रीय बोर्डों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में विकसित किया जाता है।

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे देश में पत्तनों की क्षमता विस्तार प्राप्त करने के अलावा गैर सरकारी निवेश को सुर/बढ़ाने, सेवा गुणवत्ता को बेहतर और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना शामिल है। ऐसे उपायों में महापत्तनों का मशीनीकरण, विभिन्न संचालनात्मक नीतियों की समीक्षा, महापत्तनों के लिए भावी योजनाएं, पत्तन अवसंरचना के विस्तार में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश, पत्तनों तथा बंदरगाहों के निर्माण और रख-रखाव हेतु 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, कागज मुक्त व्यवस्था इत्यादि बनाने के लिए पत्तनों में पत्तन समुदाय प्रणाली (पीसीएस) आरंभ किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य पूर्व देशों के साथ व्यापार

5271. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्र, लीबिया, सीरिया और अन्य अरब राष्ट्रों में विद्रोहों और प्रदर्शनों से भारतीय निर्यात किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या क्षेत्र में इन समस्याओं के कारण भारतीय व्यापारियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों को उनके वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कोई सहायता प्रदान करने का है; विशेषतः तब, जब सरकार निर्यात क्षेत्र के निर्धारित उपायों को वापस लेने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत के वैश्विक निर्यातों में अप्रैल से जून, 2011 तक की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 45.7% की वृद्धि देखी गई है। जनवरी से जून, 2011 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (जास्मीन क्रांति के बाद) अरब देशों को हुए निर्यातों में भी 54.7% की वृद्धि देखी गई है।

(ख) से (ङ) इस क्षेत्र में समस्याओं के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारियों को हुए किसी वित्तीय घाटे का अनुमान नहीं लगाया गया है। इस स्थिति में जरूरत पड़ने पर समुचित उपाय करने हेतु सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

[अनुवाद]

499-506

समेकित शिक्षा योजना

5272. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी;

(ग) समेकित निःशक्त बालक शिक्षा योजना के लिए गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान आबंटित/जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निधियों का उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत विकलांगों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) के लिए प्राप्त ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) प्रस्तावों का अनुमोदन एक सतत प्रक्रिया है तथा प्रस्तावों की पूर्णता, संबंधित योजना के मानकों, सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार उनकी अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ग) से (च) एकीकृत विकलांग बाल/बालिका शिक्षा योजना को 1.4.2009 से माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की एक नई योजना से प्रस्थापित कर दी गई है। तत्कालीन आईईडीसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान निर्मुक्त निधियों (राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार) के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं तथा आईईडीएसएस की नई योजना के अंतर्गत 2009 - 2010 से 2011-12 (31.8.2011 तक) निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना और सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 (31.8.2011 तक) के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान संबंधी प्रस्तावों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों (सतत्) की संख्या	सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों (सतत्) की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	18	0
2.	छत्तीसगढ़	6	11
3.	गुजरात	10	3
4.	कर्नाटक	57	24
5.	केरल	60	0
6.	मध्य प्रदेश	19	22
7.	महाराष्ट्र	5	22
8.	मिजोरम	2	0
9.	पंजाब	16	0
10.	उत्तराखंड	0	2
	कुल	193	84

विवरण-II

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की तत्कालीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के अंतर्गत जारी एवं उपयोग की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09	
		जारी राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	403.17	351.85
2.	असम	71.64	71.64
3.	गुजरात	1700.62	1700.62
4.	गोवा	0.54	**
5.	हरियाणा	472.69	472.69
6.	कर्नाटक	188.67	188.67
7.	केरल	1446.12	1446.12
8.	मध्य प्रदेश	710.74	710.74
9.	महाराष्ट्र	169.25	169.25
10.	मणिपुर	144.43	106.10
11.	मिजोरम	133.44	133.44
12.	ओडिशा	95.00	95.00
13.	पंजाब	9.72	राशि वापिस की गई
14.	राजस्थान	116.65	116.65
15.	तमिलनाडु	294.15	294.15
16.	त्रिपुरा	4.53	4.52
17.	उत्तर प्रदेश	25.79	25.79
18.	पश्चिम बंगाल	515.74	515.74
19	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.68	9.68
	कुल	6512.57	6408.13

** राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-III

माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्यवार जारी एवं उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12 (31.8.2011 के अनुसार)	
		जारी राशि	उपयोग की गई राशि	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	जारी राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7.06	7.06	146.76	146.76	227.5***	227.5

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	104.43	104.43	—	—	—	—
3.	बिहार	360.00	360.00	353.80	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
4.	गुजरात	713.66	713.66	3444.00	2299.00	—	—
5.	हरियाणा	218.24	218.24	320.63	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
6.	कर्नाटक	702.11	702.11	21.52	21.52	—	—
7.	केरल	733.32	733.32	617.45	617.45	1420.92***	1420.92
8.	मध्य प्रदेश	4.85	4.85	428.72	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	27.16***	27.16
9.	महाराष्ट्र	1083.44	834.49	—	—	—	—
10.	मेघालय	—	—	33.74	**	—	—
11.	मिजोरम	—	—	51.42	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
12.	नागालैंड	—	—	548.46	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
13.	ओडिशा	491.84	491.84	70.80	70.80	478.94***	478.94
14.	पंजाब	433.67	433.67	1399.78	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
15.	राजस्थान	43.41	43.41	113.56	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
16.	सिक्किम	—	—	100.99	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
17.	तमिलनाडु	400.48	214.25	—	—	—	—
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—	26.24	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तराखंड	—	—	139.92	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	—	—	199.57	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
21.	पश्चिम बंगाल	—	—	—		390.31***	390.31
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.85	2.72*	2.00	2.00	—	—
23.	दमन और दीव	—	—	0.36	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं	—	—
24.	दिल्ली	167.47	167.47	140.00	136.82	80.15***	80.15
25.	पुदुचेरी	46.30	12.88	—	—	—	—
	कुल	5513.13	5044.40	8034.48	3294.35	2651.21	2624.97

नोट : * अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 0.13 लाख रुपए की शेष राशि वापस की गई है।

** राज्य सरकार से राशि के पुन: वैधीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।

*** पूर्व वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में जारी राशि।

505-06

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारहमासी सड़कें

5273. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर बारहमासी सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए राजमार्गों का अनुमानित व्यय सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा सड़कों को बारहमासी प्रयोग-अनुकूल बनाए रखने हेतु परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन और दिशा-निर्देशों के आधार पर शुरू की जाती हैं। डिजाइन संबंधी सिद्धांत और दिशा-निर्देश इस प्रकार तैयार किए जाते हैं ताकि (i) सड़क खंड, उच्चतम बाढ़ स्तर/वॉटर टेबल से न्यूनतम एक मीटर ऊपर हो, (ii) पेवमेंट की ऊपरी सतह पर उभार सहित पर्याप्त धरातलीय और अधस्तलीय जल-निकासी उपाय किए जाएं तथा (iii) ऊपरी सतह के रूप में बिटुमिनस या कंकरीट पेवमेंट बनाई जाएं।

506-b

रेल उपरि पुल

5274. श्री जोस के. मणि :
श्री जगदीश ठकोर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) को केरल और गुजरात राज्यों में रेल उपरि पुलों का निर्माण कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त रेल उपरि पुलों के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात और केरल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत गत तीन वर्ष के दौरान बनाए गए आरओबी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय द्वारा आरओबी के डिजाइन/ड्राइंग, संरक्षा स्वीकृतियों तथा यातायात रोक के लिए अनुमोदन देने में हुए विलंब के कारण कुछ आरओबी के निर्माण कार्यों में विलंब हुआ है। आरओबी के कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे के क्षेत्रीय मुख्य पुल अभियंताओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रेलवे से शीघ्र अनुमोदन प्रापत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय के मानदंडों के अनुरूप व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश भी अनुपालन के लिए जारी किए हैं।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान गुजरात और केरल में बनाए गए आरओबी

2008-09 में बनाए गए आरओबी

क्र.सं.	आरओबी/आरयूबी का विवरण	राज्य	रारा सं.	रारा किमी
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद-दिल्ली ब्रॉड गेज खंड पर जेठी और चित्रसानी स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	14	330.436
2.	अहमदाबाद-दिल्ली ब्रॉड गेज खंड पर स्वरूपगंज और किरवाली स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	14	282.978
3.	गांधीधाम-पालनपुर खंड पर भिलाड़ी-लरवाडा स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	14	394/700
4.	गांधीधाम-पालनपुर खंड पर वाघपुर-वरही स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	15	161/200
5.	गांधीधाम-राधनपुर खंड पर आडेसर-लखपत स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	15	217/400
6.	आरओबी - ओपन फाउंडेशन सब एंड सुपरस्ट्रक्चर आरसीसी टी-बीम और स्लैब के साथ वृत्ताकार स्तंभ	गुजरात	8	76/690

1	2	3	4	5
7.	अंगामाली और चोवारा (अंगामाली-अलुवा को चार लेन का बनाया जाना) के बीच विद्यमान आरओबी सं. 165/ए में अतिरिक्त दो लेन के आरओबी का निर्माण	केरल	47	320.09
	2009-10 में बनाए गए आरओबी			
8.	गांधीधाम-वीरमन खंड पर समखियाली-कटारिया स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	15	281/100
9.	वीरामगांव-गांधीधाम खंड पर वधर्वा-मलिया स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	8ए	267/100
10.	वीरामगांव-गांधीधाम खंड पर मलिया-इंदरनगर स्टेशनों के बीच आरओबी	गुजरात	8ए	271/400
11.	सिंगल सैल बॉक्स टाइप्ड स्ट्रक्चर	गुजरात	8ए	208/228
12.	आरओबी - ओपन फाउंडेशन सब एंड सुपरस्ट्रक्चर आरसीसी टी-बीम और स्लैब के साथ वृत्ताकार स्तंभ	गुजरात	8ए	210/942
13.	वदोदरा जिले के करजन के निकट आरओबी का निर्माण	गुजरात	8	152/640
14.	वदोदरा जिले के करजन के निकट बीओटी परियोजना के अंतर्गत आरओबी का निर्माण	गुजरात	8	154/800
15.	वदोदरा जिले के कपुरई के निकट विद्यमान चार लेन के आरओबी का छः लेन में चौड़ीकरण	गुजरात	8	123/100
16.	भरुच जिले के निकट अंकलेश्वर बीओटी परियोजना के अंतर्गत आरओबी का निर्माण	गुजरात	8	205/900
17.	सूरत जिले के कोसाम्बा के निकट आरओबी का निर्माण	गुजरात	8	225/700
	2010-11 में बनाए गए आरओबी			
18.	शून्य			

[हिन्दी]

509-12

नालंदा आयुद्ध निर्माणी

5275. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

श्री रामकिशुन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालंदा में आयुद्ध निर्माणी स्थापित करने का काम रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू किया गया था और यह कब तक पूरा होना था;

(ग) क्या अनेक सहायक कंपनियों ने अपना कार्य समय पर पूरा नहीं किया है और वे दुर्विनियोजन के मामलों में फंसी हुई हैं और यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सभी इकाइयों के पूरा होने तक इस निर्माणी में उत्पादन आरंभ नहीं हो सकता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां तो दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या कथित रूप से कुछ बाहरी तत्व इस निर्माणी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रणाली में अनावश्यक विलंब हो रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जी, नहीं। आयुध निर्माणी नालंदा, बिहार में बीएमसीएम के विनिर्माण के लिए नाइट्रो सेल्युलोज (एनसी), नाइट्रो ग्लिसरीन (एनजी), सल्फ्यूरिक एसिड कंसन्ट्रेशन (एसएसी)/नाइट्रिक एसिड कंसन्ट्रेशन (एनएसी) तथा बाइमॉड्यूलर चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) नामक चार प्रमुख संयंत्रों की स्थापना किए जाने की योजना है। यद्यपि एनसी, एनजी, एसएसी/एनएसी संयंत्रों को स्थापित किए जाने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथापि बीएमसीएस संयंत्र को स्थापित किए जाने का कार्य अब तक शुरू नहीं किया जा सका है।

(ख) नवंबर 2001 में परियोजना की स्वीकृति के बाद कार्य शुरू किया गया था। जून, 2005 से जून, 2006 तक यह परियोजना स्थगित रखी गई थी। इस बीच आयुध निर्माणी बोर्ड ने मूल्य वृद्धि तथा लागत में वृद्धि हो जाने की वजह से परियोजना लागत में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनुरूप फरवरी, 2009 में परियोजना लागत में संशोधन की स्वीकृति दी गई जिसमें कार्य के समापन की अवधि 30 महीने अर्थात् 05 अगस्त, 2011 तक रखी गई।

(ग) कोई सहायक कंपनी शामिल नहीं है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने मुख्य कंपनियों से संविदाएं की हैं जो एनसी, एनजी, एसएसी/एनएसी संयंत्रों की आपूर्ति का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर रही हैं। तथापि, बीएमसीएस संयंत्र का काम शुरू नहीं हुआ है जिसकी संविदा आईएमआई, इजराइल से की गई थी। जैसाकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है मैसर्स आईएमआई, इजराइल पर आयुध निर्माणी बोर्ड के पूर्व महानिदेशक तथा अध्यक्ष श्री सुदीप्त घोष को गैर-कानूनी रूप से रिश्वत देने का आरोप है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है।

(घ) एनसी, एनजी, एसएसी/एनएसी तथा बीएमसीएस संयंत्र श्रृंखलाबद्ध हैं तथा पहले तीन संयंत्रों के उत्पाद को बीएमसीएस संयंत्र के इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बीएमसीएस का उत्पादन हो सके। इसलिए अंतिम उत्पाद बीएमसीएस की आपूर्ति सभी संयंत्रों के कमीशन किए जाने तथा उत्पादन शुरू करने पर ही की जा सकती है।

(ङ) आयुध निर्माणी बोर्ड ने केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके मैसर्स आईएमआई, इजराइल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मैसर्स आईएमआई के उत्तर की जांच की गई है और विधि तथा अन्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार/आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(च) आयुध निर्माणी बोर्ड के पास ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

52^13

आयुद्ध निर्माणियों के अस्पतालों में उपचार सुविधाएं

5276. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित आयुद्ध निर्माणियों के अस्पतालों में घायल हुए, जले अथवा नि:शक्त हुए व्यक्तियों को कोई विशेष उपचार उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी दुर्घटनाओं की अक्सर पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) जबलपुर समेत सभी आयुध निर्माणी अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था है।

(ख) किसी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त/घायल होने/जलने की स्थिति में उसे शीघ्र ही निर्माणी अस्पताल में भेजा जाता है और उपचार किया जाता है। शुरूआती जांच, देखभाल व उसकी स्थिति स्थिर बनाने के उपरान्त रोगी की तब तक निगरानी की जाती है जब तक कि वह खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाता (प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की देखभाल)। तथापि, यदि रोगी को विशिष्ट (टरशियरी) देखभाल केन्द्र में भेजने की नौबत आती है तो उसे वांछनीय चिकित्सा एवं नर्सिंग सहायता सहित रोगी वाहन (एम्बुलेंस) से भेजा जाता है।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि निर्माणी अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं अपेक्षित मानकों की हों।

(घ) आयुध निर्माणी के सभी 25 अस्पतालों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो उनका स्तरोन्नयन भी किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी वांछनीय अवसंरचना, उपस्कर व मानव संसाधन उपलब्ध हों और कार्यात्मक स्थिति में हों।

513.14

आत्महत्या के मामले

5277. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान थल सेना के जवानों द्वारा आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या इनके कारण जानने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(ग) क्या गत पांच वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे मामले भी आए हैं, जिनमें जवान के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनके बच्चे की हत्या की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना के जवानों के द्वारा आत्महत्या के 302 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। आत्महत्या के प्रत्येक मामले की जांच एक जांच अदालत के द्वारा की जाती है। छह मामलों में, जवानों के परिवार के सदस्यों ने हत्या के आरोप लगाए थे। जांच अदालत में, स्थानीय सिविल पुलिस और चिकित्सा प्राधिकारियों को भी संबद्ध किया गया था। सभी छह जांच पूरी कर ली गई हैं और यह पाया गया है कि वास्तव में जवानों ने आत्महत्या की थी।

[अनुवाद]

514-15

चेंगापल्ली और वालयार के बीच छह लेन वाली सड़क

5278. श्री सी. शिवासामी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के चेंगापल्ली और केरल के वालयार के बीच छह लेन वाली सड़क का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भू-मालिकों को दी गई मुआवजा राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु के तिरुपुर में रेलवे फाटकों के निकट उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रारा-47 के चेंगापल्ली (किमी 103/735) से कोयम्बतूर बाइपास के प्रारंभिक स्थल (किमी 144/680) तक सड़क को छः लेन का बनाए जाने और कोयम्बतूर बाइपास के अंतिम छोर (किमी 170/880) से वालयार (किमी 183/060) तक चार लेन का बनाए जाने का कार्य प्रारंभ किया है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 17 गांवों के लिए निर्धारित मुआवजा राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष 4 गांवों के

516

लिए मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए अवार्ड पारित होने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तमिलनाडु में तिरुपुर में रेलवे गेट, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ता है।

विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	मुआवजे की राशि (रुपए)
1.	रक्कीपलयम	35205308
2.	पलनगरई	147283813
3.	वलयुद्धमपलयम	210815148
4.	तेक्कलूर	59449560
5.	पुदुपलयम	33627334
6.	कणियुर	116496368
7.	अरसूर	98580224
8.	पेरुमणल्लूर	59921503
9.	तिरुमलयमपलयम	80914618
10.	एट्टीमडई	40485040
11.	मोतमपति	56050903
12.	इत्तेईवीरमपलयम	174967289
13.	वीरुमंडलमपलयम	37887330
14.	पितचनूर	11414766
15.	मदुक्करई	42594717
16.	निलम्बूर	66235711
17.	करुमतपट्टी	173977198
	जोड़	144,59,06,830

सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

5279. श्री पी. विश्वनाथन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के निजी विद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने और सेवानिवृत्ति पेंशन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित कर दिए जाएंगे?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

516-A

लावारिस बच्चे

5280. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में हजारों बच्चे सड़कों पर रात गुजारते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ा कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये बच्चे समाज के वंचित वर्गों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये बच्चे नशेड़ी बन जाते हैं और समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (घ) इस संबंध में कोई प्रामाणिक

आंकड़े नहीं हैं, फिर भी, गरीबी बच्चों के गलियों में रात गुजारने का एक कारण हो सकता है तथा जिसकी वजह से वे नशे के शिकार हो जाते हैं।

(ङ) महिला और बाल विकास मंत्रालय "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य उन आवारा बच्चों तथा कानून तोड़ने वाले बच्चों सहित उन बच्चों जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाया जाना है। इस योजना के अंतर्गत, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आवारा बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए "मुक्त आश्रय" खोलने के लिए प्रावधान है।

नशामुक्ति केन्द्र

5281. **श्री आनंदराव अडसुल :**

श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्कोहल और नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या का सामना करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में नशामुक्ति केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक खोल दिए जाएंगे; और

(ङ) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) जी, हां। नशामुक्ति और पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर मद्यपान और मादक द्रव्य (औषधि) दुरूपयोग निवारण और पुनर्वास के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनएच-24 रेल उपरिपुल

5282. **श्री तूफानी सरोज :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर रामपुर के समीप रेल उपरि पुल बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त पुल के जारी निर्माण कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त उपरि पुल का निर्माण कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर रामपुर के निकट आरओबी के निर्माण में विलंब, उत्तरी रेलवे से अपेक्षित अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुआ है।

(ग) जी, नहीं। लेवल क्रासिंग पर रेलवे गेट के बार-बार बन्द होने के कारण यातायात का आवागमन प्रभावित होता है।

(घ) और (ङ) आरओबी के तीव्र निर्माण के लिए अपेक्षित अनुमति हेतु इस मामले पर उत्तरी रेलवे के साथ कार्रवाई की गई है तथा अनुमति प्राप्त होने की तिथि से निर्माण कार्य में और छह माह का समय लग सकता है।

[अनुवाद]

खनन के लिए वर्जित क्षेत्र

5283. **श्री के.पी. धनपालन :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल के चक्रवात प्रभावित तटीय क्षेत्रों को 'खनन के लिए वर्जित क्षेत्र' घोषित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास केरल के चक्रवात प्रभावित तटीय क्षेत्रों को खनन के लिए "वर्जित" क्षेत्र के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ कलाकारों का कल्याण

5284. **श्री रुद्रमाधव राय** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कनिष्ठ कलाकारों, विशेषकर मनोरंजन उद्योग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उनके कल्याण हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार सिने कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में कनिष्ठ कलाकारों के कल्याण हेतु विशेष रूप से मनोरंजन उद्योग से उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ग) असंगठित कामगारों पर लागू विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कनिष्ठ कलाकारों पर भी लागू हैं।

विवरण-I

सिने कामगारों हेतु कल्याण योजनाएं

स्वास्थ्य

सिने कामगारों के चिकित्सा उपचार हेतु तीन औषधालय हैं।

कामगारों हेतु विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सहायता

प्रयोजन	सहायता का स्वरूप
1	2
नेत्र संबंधी समस्याएं	चश्मों की खरीद के लिए 300/- रुपये की वित्तीय सहायता।
तपेदिक	कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण तथा घर पर रहकर इलाज कराने की सुविधा। कामगारों को 750/- रुपये से 1000/- रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।
हृदय रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
कैंसर	कामगारों अथवा उनके आश्रितों द्वारा इलाज, औषधियों तथा खुराक प्रभारों पर किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।

1	2
हर्निया, अपेन्डेक्टोमी अल्सर, प्रसूति रोगों तथा प्रोस्टेट रोगों जैसी लघु शल्य क्रिया	कामगारों और उनके आश्रितों के लिए 30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति
मानसिक रोग	कामगारों को मानसिक बीमारी के इलाज, खुराक, रेलवे भाड़ा और निर्वाह भत्ता हेतु वित्तीय सहायता।
कुष्ठ रोग	कामगारों को अंतरंग इलाज के लिए 30/- रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन और बहिरंग इलाज के लिए 6/- रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन की वित्तीय सहायता। कामगारों को आश्रितों के साथ 300/- रुपये प्रतिमाह का और आश्रितों के बिना 200/- रुपये प्रतिमाह का निर्वाह भत्ता।
प्रसूति लाभ	महिला कामगार को प्रति प्रसव (प्रथम दो प्रसवों के लिए) 1000/- रुपये का अनुदान।
परिवार कल्याण	नसबन्दी कराने वाले कामगारों को 500/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक प्रोत्साहन।
विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह	विधवा/विधुर कामगारों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए 5000/- रुपये प्रत्येक के हिसाब से वित्तीय सहायता।
अंत्येष्टि संबंधी व्यय	मृत कामगारों के अंत्येष्टि संबंधी व्यय के लिए 1500/- रुपये।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सिने कामगारों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है जिसमें स्वाभाविक मृत्यु के लिए 10,000/- रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु के लिए 25,000/- रुपये का जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जाता है।

शिक्षा

(i) कामगारों के कक्षा - 1 से व्यावसायिक डिग्री पाठयक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को निम्नानुसार 250/- रुपये से 8000/- रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

समूह	कक्षा	दरें	
		बालिकाएं	बालक
1	2	3	4
समूह-I	कक्षा I से IV	250	250
समूह-II	कक्षा I से VIII	940	500

1	2	3	4
समूह-III	कक्षा IX	1140	700
समूह-IV	कक्षा X	1840	1400
समूह-V	कक्षा XI से XII	2440	2000
समूह-VI	अव्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, अव्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 2/3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यमक्रम, बी.सी.ए., बी.बी.ए. और पीजीडीसीए।	3000	3000
समूह-VII	अव्यावसायिक डिग्री पाठयक्रम (बी.ई/बी.टैक/एमबीबीएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) तथा एमसीए/एमबीए)	8000	8000

[हिन्दी]

523

राष्ट्रीय विकलांग आयोग

5285. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री रामकिशुन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

523-27

पारि-पर्यटन नीति

5286. **श्री विष्णु पद राय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आठवीं से ग्यारहवीं योजना तक अंडमान-निकोबार के वन विभाग को कोई योजनागत आवंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हासिल की गयी वर्ष-वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि वापस लौटाई गई; और

(घ) ऐसे पारि-पर्यटन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर्यटकों ने भ्रमण किया तथा इन पर्यटकों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान पारि-पर्यटन की कोई स्कीम नहीं थी। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 'पारि-पर्यटन' नामक एक स्कीम शामिल की गई थी।

(ख) संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त

अवधि के दौरान अभ्यर्पित की गई कुल राशि के ब्यौरे विवरण-II में दिये गए हैं।

(घ) पारि-पर्यटन स्थलों के नाम और आगन्तुकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष-वार वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	परिव्यय (लाख रुपए)	व्यय (लाख रुपए)
2002-2003	7.25	7.41
2003-2004	30.00	14.36
2004-2005	32.00	15.12
2005-2006	71.00	35.43
2006-2007	56.00	31.68
2007-2008	47.00	47.70
2008-2009	40.50	49.79
2009-2010	53.95	62.54
2010-2011	65.90	65.90
2011-2012	90.00	11.23

12 स्थलों का विकास और रख-रखाव किया गया है।

विवरण-II

संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल अभ्यर्पित राशि

वर्ष	अभिर्पित (लाख रुपए)
1	2
2002-2003	शून्य
2003-2004	15.64
2004-2005	16.88
2005-2006	35.57
2006-2007	24.32
2007-2008	शून्य
2008-2009	शून्य
2009-2010	शून्य
2010-2011	शून्य

विवरण-III

संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पारि-पर्यटन स्थलों के नाम

1. माऊंट हैरियट
2. चिदियाटपु
3. महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, वंडूर
4. लाइम स्टोन केव्स, बारातंग
5. मड वॉलकेनो, बारातंग
6. कदमतला
7. अमकुंज बीच
8. येरत्ता जेटी
9. कथबर्ट बे टर्टल नेस्टिंग सैंचुरी
10. कर्मातंग बीच
11. रोज एण्ड स्मिथ आइलैंड
12. राइट म्यो

संघ शासित प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यटकों की संख्या

वर्ष	आगंतुकों की संख्या
2007	95625
2008	183466
2009	221900
2010	300611
2011 (जुलाई, 2011 तक)	157056

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर बाईपास

5287. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर बाईपास के निर्माण को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बाइपासों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है, जिनके संबंध में यातायात क्षमता संबंधी तकनीकी सर्वेक्षण किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : (क) से (ङ) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के हरियाणा सीमा (किमी 118.000) से फतेहपुर (किमी 0.000) तक के खंड का उन्नयन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु परामर्शी सेवाओं का कार्य प्रगति पर है जिसके बाद इस खंड पर बाइपासों की अवस्थिति तय हो जाएगी। इस मंत्रालय का प्रस्ताव, वार्षिक योजना 2011-12 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के फतेहपुर (किमी 0.000)-पाली (किमी 377.00) खंड में दो बाइपासों अर्थात् किमी 62.000 से 74.000 के बीच सुजानगढ़ बाइपास तथा किमी 77.700 से 87.000 के बीच लाडनू बाईपास का निर्माण कार्य भी शुरू करने का है। निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

अधिनियम में संशोधन

5288. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित समुदाय से संबंधित वर्तमान अधिनियमों/कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधनों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित एजेंसियों की सुविचारित राय आमंत्रित की है।

(ग) इस समय, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

हथकरघा चिह्न का पंजीकरण

5289. **श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों द्वारा हथकरघा चिह्न के पंजीकरण को बढ़ावा देने तथा उसका प्रसार करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजीकृत हथकरघा चिह्न की राजस्थान सहित राज्य-वार संख्या क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र समिति, जो हथकरघा मार्क के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, हथकरघा मार्क के पंजीकरण को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से वर्ष भर राज्य और क्लस्टर स्तर पर कार्यशाला, सेमिनार तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। गत 3 वर्षों के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	2008-2009		2009-2010		2010-2011	
	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
कलस्टर स्तरीय सेमिनार	45		45		77	
जागरूकता कार्यक्रम	29	15613	32	13533	40	14827
प्रदर्शनी में भागीदारी	23		11		28	

इसके अलावा, समूचे भारत में क्षेत्रीय भाषाओं सहित विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी किए जाते हैं। वस्त्र समिति भी हथकरघा मार्क के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों के दौरान प्रोत्साहन स्टॉल लगाती है। हथकरघा मार्क योजना और इसके निष्पादन इत्यादि के ब्यौरे इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से स्थापित वेबसाइट http://www.handloommark.gov.in पर आवधिक रूप से अपलोड किए जाते हैं।

दिनांक 31 जुलाई, 2011 की स्थिति अनुसार, योजना के अंतर्गत 8206 पणधारियों का पंजीकरण किया गया है। हथकरघा मार्क योजना के आरंभ से (28 जून, 2006 को आरभ की गई) पणधारियों का राजस्थान राज्य सहित राज्य-वार पंजीकरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हथकरघा मार्क योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक पणधारियों का राज्यवार पंजीयन

क्र.सं.	राज्य	राज्य वार पंजीयन								
		व्यक्तिगत बुनकर	मास्टर बुनकर	प्राथमिक सहकारी समिति	शीर्ष हथकरघा समिति	खुदरा विक्रेता और व्यापारी	निर्माता निर्यातक	विक्रेता निर्यातक	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	37	21	600	2	5	1	0	0	666
2.	असम	0	0	3	1	0	1	0	0	5
3.	बिहार	6	7	36	0	0	0	1	26	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	छत्तीसगढ़	0	0	49	1	0	0	0	0	50
5.	गुजरात	38	10	8	2	0	0	0	0	58
6.	हरियाणा	6	0	0	0	0	27	2	0	35
7.	हिमाचल प्रदेश	3	9	7	2	0	1	0	0	22
8.	जम्मू और कश्मीर	0	3	6	1	1	0	0	0	11
9.	झारखंड	0	0	1	2	0	0	0	0	3
10.	कर्नाटक	2	4	12	1	1	4	5	1	30
11.	केरल	29	0	138	2	3	1	2	0	175
12.	मध्य प्रदेश	3	16	15	1	0	0	0	0	35
13.	महाराष्ट्र	3	5	3	1	1	0	5	3	21
14.	नागालैंड	0	0	1	0	0	0	0	0	1
15.	मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16.	नई दिल्ली	1	1	0	0	1	5	2	1	11
17.	ओडिशा	81	25	38	3	2	0	0	5	154
18.	पंजाब	0	0	0	0	0	2	0	0	2
19.	पुदुचेरी	0	0	1	1	0	0	0	0	2
20.	राजस्थान	12	6	0	1	0	0	0	0	19
21.	तमिलनाडु	4708	50	898	2	25	24	3	1	5711
22.	त्रिपुरा	0	0	0	1	0	0	0	0	1
23.	उत्तर प्रदेश	537	8	98	5	7	2	2	4	663
24.	पश्चिम बंगाल	6	0	347	1	0	1	2	97	454
	कुल	5472	165	2261	31	46	69	24	138	8206

533-34

श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात

5290. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों तथा श्रम प्रधान इंजीनियरिंग वस्तुओं को छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा उक्त योजना के अंतर्गत कितनी इकाइयों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या अन्य उद्योगों तक भी इस योजना का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरी मदों सहित विभिन्न श्रम गहन क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए तथा हाल की वैश्विक आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन में आई गिरावट को रोकने और स्थिति को बदलने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत समय-समय पर प्रोत्साहनों की घोषणा की है। ये प्रोत्साहन निर्यातकों को 2% (चर्म) की दर पर, 5% (हस्तनिर्मित कालीन, हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र) की दर पर, 2% (वस्त्र एवं इंजीनियरी क्षेत्र) की दर पर शुल्क ऋण स्क्रिप के रूप में प्रदान किए जाते हैं। हस्तनिर्मित कालीनों, हस्तशिल्प, चर्म क्षेत्र एवं कुछेक विनिर्दिष्ट इंजीनियरी उत्पादों को बोनस लाभ के रूप में 2% की दर पर अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। वस्त्र, हस्तशिल्प, चर्म एवं कुछेक इंजीनियरी उत्पाद सहित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के दर्जाधारक, निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1% की दर पर दर्जाधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र हैं।

(ग) से (ङ) विदेश व्यापार नीति के तहत उत्पादों एवं बाजारों का विस्तार करना और गहन बनाना, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ऐसे उद्योग, जिनकी निर्यात वृद्धि में गिरावट प्रदर्शित हो रही है के अनुरोधों पर नियमित रूप से विचार करती है और वित्तीय एवं समग्र आर्थिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपाय किए जाते हैं। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत स्कीमों का कार्यान्वियन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित उत्पादों के सभी निर्यातक एवं बाजार लाभों का दावा करने के हकदार होते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

इस समय श्री सी.आर. पाटिल, श्री घनश्याम अनुरागी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। 534-35

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[श्री मल्लिकार्जुन खरगे]

(एक) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2011 जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1809(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 5101/15/11]

(दो) कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2011 जो 5 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.नि. 1810(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 5102/15/11]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय) : महोदय, मैं श्री जी.के. वासन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

...(व्यवधान)

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जलयानों का प्रबंधन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (वर्ष 2011-12 का संख्यांक 5) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 5103/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिये* संख्या एल.टी. 5104/15/11]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : महोदय, मैं, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

1. (एक) का.आ. 1844(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, राजस्थान का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 1845(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, दिल्ली का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 1843(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, जम्मू और कश्मीर का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 1846(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 1547(अ) जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन सदस्यों से मिलकर बने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकारी, महाराष्ट्र का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 5105/15/11]

(2) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का. आ. 1908(अ) जो 17 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण

की बैठक के साधारण स्थानों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 5106/15/11]

...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइसिज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइसिज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, *देखिये* संख्या एल.टी. 5107/15/11]

(3) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2011 जो 29 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 05 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 5108/15/11]

...*(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं श्री डी. नैपोलियन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हेंडीकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हेंडीकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, *देखिये* संख्या एल.टी. 5109/15/11]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थाई समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थाई समिति की दसवीं रिपोर्ट (पंद्रहवी लोक सभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

उपर्युक्त दसवीं रिपोर्ट 07 दिसंबर, 2010 को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत कर दी गई थी। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2009-10 की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने मंत्रालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में कुल पांच सिफारिशें/एक टिप्पणी

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 5110/15/11

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

(छः पैरों में) की है और इन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थाई समिति को 07 अप्रैल, 2011 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है, जो एतद् द्वारा लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है। मैं इस संलग्न अनुलग्नक की सम्पूर्ण विषय-वस्तु का वाचन करके सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे सदन में पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.03 बजे

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, श्री कपिल सिब्बल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार नाम से जात निक्षेपागार हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शैक्षणिक पुरस्कारों के राष्ट्रीय आंकड़ा आधार के अनुरक्षण और ऐसे पुरस्कारों के सत्यापन और अधिप्रमाणन तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार नाम से ज्ञात निक्षेपागार हेतु इलैक्ट्रानिक प्रारूप में शैक्षणिक पुरस्कारों के राष्ट्रीय आंकड़ा आधार के अनुरक्षण और ऐसे पुरस्कारों के सत्यापन और अधिप्रमाणन तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 05.09.11 में प्रकाशित।

श्री वी. नारायणसामी : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03½ बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.00 पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन के त्यागपत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा द्वारा समर्थित प्रस्ताव और समावेदन पर विचार तथा उसका समर्थन करने के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी।

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : अध्यक्ष महोदया आपकी अनुमति से मैं आपके तथा माननीय सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सेन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतु (क) के अनुसरण में 1 सितंबर, 2011 के अपराह्न से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से त्याग पत्र दे दिया है।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, क्या यह सभा का मत है कि न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को हटाए जाने के बारे में मद संख्या 12 और 13 पर कार्यवाही न करने का निर्णय लिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदया : हां, सभा इस पर सहमत है। धन्यवाद।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जाएंगे। आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की स्वीकृति प्रदान की गई है और जो उन्हें सभा-पटल पर रखना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर पर्चियों को सभा-पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा-पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिनकी पर्चियां निर्दिष्ट समय के भीतर सभापटल पर प्राप्त होंगी और शेष को व्यपगत माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में मुक्कूडल में स्थित ईएसआई अस्पताल में सुविधाओं में सुधार किए जाने तथा पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : महोदय, मेरे तिरुनेलवेली जिले में मुक्कूडल में एक ई.एस.आई. अस्पताल कार्य कर रहा है। यह कई गांवों अर्थात् मुक्कूडल, अलंगुलाम, काद्यम, पाप्पाक्कुदी संघो आदि सहित 60 से अधिक गांवों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हम क्षेत्र के गरीब लोग मुख्यत: बीड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं और केवल इसी अस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

तथापि इस अस्पताल में कतिपय मूलभूत सुविधाओं जैसे चिकित्सक, आवश्यक दवाइयों आदि की कमी है। इसमें चिकित्सकों की संस्वीकृत संख्या 14 है, जिसमें से केवल 4 डॉक्टर हैं। पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ और तकनीशियन भी उपलब्ध नहीं हैं। औसतन लगभग 400 रोगी इस अस्पताल में रोजाना बाह्य रोगी विभाग में इलाज के लिए आते है। यद्यपि अवसंरचना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं परंतु प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी के कारण मौजूदा सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। चिकित्सकों को दिया जा रहा वेतन अत्यंत कम है। गरीब कामगार दवाइयों के अत्यधिक मूल्य और बाहर से उपचार का खर्च हवन करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से सविनय आग्रह करता हूं कि वह इन सुविधाओं को विकसित करे और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य सहायक पैरा चिकित्सा कार्मिकों की ई.एस.आई. अस्पताल, मुक्कूडल में बिना और देर किए नियुक्ति करे जिससे यह अस्पताल इस क्षेत्र के बीड़ी कामगारों, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(दो) लोगों में नेत्रदान के बारे में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर) : वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 118 करोड़ है जिसमें से लगभग 15 मिलियन व्यक्ति अंधे हैं। इस समय भारत दुनिया में अंधे लोगों की सबसे अधिक संख्या वाला देश है। पूरे विश्व के 37 मिलियन अंधे लोगों में से भारत में लगभग 15 मिलियन अंधे लोग है। इसलिए हमारी सरकार को भारत से अंधेपन को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिये। भारत की जनसंख्या के संबंध में हाल के आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 87000 है और मृत्युदर लगीाग 62000 है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह लोगों के बीच इस बात के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि वे मरणोपरांत अपनी नेत्र दान करें और नेत्रदान के लिए जानकारी फैलाएं तथा अन्य लोगों को इस प्रकार की सोच के प्रसार के लिए प्रेरित करें। यदि सभी लोग परणोपरांत अपनी आंखें दान करने के इच्छुक हो जाएं तो भारत में एक भी व्यक्ति अंधा नही रहेगा।

बच्चों में इस प्रकार की जागरूकता उनके विद्यालय काल से ही उनमे पैदा करना चाहिए। सरकार को भी छात्रों को व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिये प्रेरित करें तथा सरकारी नौकरी में नियुक्ति में भी उन लोगों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए जो मरणोपरांत अपनी आंखे दान करने के लिए इच्छुक हो तथा सरकार को इस संबंध में संसद में एक विशेष कानून भी पारित करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रत्येक तालुका में एक नेत्र बैंक की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके माध्यम से नेत्रदान की गई आंखों को जरूरतमंद लोगों को लगायी जा सके। केन्द्र तथा राज्य सरकारें, दोनों, को चाहिए कि वे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में एक नेत्र बैंक की स्थापना करे तथा निजी अस्पतालों को भी अपने अस्पतालों में नेत्र बैंक की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री मानिक टैगोर]

इसलिए, महोदया, मैं अपने माध्यम से भारत के सभी 15 मिलियन दृष्टिहीन लोगों की ओर से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत से नेत्रहीनता को दूर करने के लिए बिना चूके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त आवश्यक कदम उठाए।

(तीन) केरल में गुरुवायूर से तिरुनवाया रेल लाइन परियोजना पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : 55 किलोमीटर लंबी गुरुवायुर-तिरुनावाया रेल संपर्क लाइन का शिलान्यास 1995 में किया गया था। इसके बाद से अब तक रेलवे द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुछ खास कार्य नहीं हुआ है। यह रेल लाइन मंदिरों के शहर गुरुवायुर को मंगलौर और कोंकण के मुख्य रेलवे से सीधे जोड़ेगी।

ऐसा समझा जाता है कि इस परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए आवंटित निधियों को पहले ही तमिलनाडु को अन्य परियोजनाओं को भेज दी गई हैं। इस परियोजना को पूरा करने में हो रहे विलंब के बढ़ने के साथ ही विभिन्न दलों के हित-संघर्ष सामने आ रहा है जिसके कारण इस परियोजना को अंततः छोड़ दिया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नई संपर्क लाइन से यात्रा की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। विशेषकर उन लोगों के लिए जो मालाबार से कोच्चि/त्रिवेन्द्रम की ओर जाते हैं और जिनके लिए मंदिरों के शहर गुरुवायुर जहां पूरे देश से हजारों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। के लिए सीधा संपर्क मार्ग बन जायेगा। यह लाइन मुस्लिम धार्मिक केन्द्र पोन्नाइनी से भी होकर गुजरेगी।

इसलिए, यह अनुरोध है कि रेलवे गुरुवायुर-तिरुनावाया संपर्क रेल लाइन पर तत्काल कार्य आरंभ किया जाये।

(चार) 51वीं इंडिया रिजर्व बटालियन को लक्षद्वीप राज्य सशस्त्र बल में परिवर्तित किए जाने तथा इंडिया रिजर्व बटालियन के कार्मिकों को उन संघ राज्यक्षेत्रों जहां से वे आते हैं, में पदस्थापित/तैनात करने के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : मैं सरकार का ध्यान 51वीं भारतीय रिजर्व बटालियन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका गठन (केन्द्रीय) गृह मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के लिए किया गया था। इस बटालियन में भर्ती किए गए कार्मिक लक्षद्वीप और अन्य स्थानों के थे। 2 वर्ष की अवधि पूरी किये जाने के बाद 126 लोगों की एक कंपनी को सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरण पर लक्षद्वीप से आने वाले लोगों को काफी असुविधा और आर्थिक क्षति होती है। लक्षद्वीप में आई.आर.बी. के कार्मिक को 18000/- रुपये या कुछ अधिक वेतन मिलता है, कि यदि उनका पदस्थापन दमन दीव; सिलवासा आदि जैसे जगहों में हो जाता है तो उन्हें मात्र 12000 रुपये का वेतन मिलता है। लक्षद्वीप की तुलना में हाउस स्टेशन में किराये के घर पर खर्च अधिक होता है। उन्हें अन्य सशस्त्र बलों के बराबर गैस भत्ता नहीं दिया जाता है। उनके स्थानांतरण पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में शिक्षा का माध्यम गुजराती है जबकि लक्षद्वीप में मलयालम है। लक्षद्वीप में बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिलती है क्योंकि उनके सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण तथा मुख्य भूमि से कटे होने के कारण अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।

इसलिए, सरकार से मेरा पुरजोर अनुरोध है कि वह आई.आर.बी. को लक्षद्वीप राज्य सशस्त्र बल का दर्जा दिया जाए और आई.आर.बी. कार्मिकों को उन्हीं संघ राज्य क्षेत्र में रहने की अनुमति हो जहां के वे निवासी हैं।

(पांच) कानपुर में आयुध उपस्कर फैक्ट्री को इसकी पूरी क्षमता के साथ चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : कानपुर स्थित आर्डिनेंस इक्युपमेंट फैक्ट्री द्वारा विगत वर्षों में कार्यक्षमता की दृष्टि से काफी कम कार्य हो रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओ.ई.एफ. कानपुर के लिए 350 करोड़ रुपयों के सापेक्ष कार्य आवंटित हैं, लेकिन प्रथम 4 माह में 30 करोड़ का ही काम फैक्ट्री द्वारा किया गया है। धीमी गति से किए जा रहे काम के परिणामस्वरूप आपूर्ति में देरी को आधार बनाकर निजी आपूर्तिकर्ताओं को काम देने का मार्ग प्रशस्त करना है।

अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन फैक्ट्रियों में कार्यरत

546

कर्मचारियों का अहित हो रहा है, देश का धन निजी कंपनियों के हाथ में जा रहा है और आपूर्ति में जो माल सप्लाई हो रहा है वह मानकों के अनुरूप नहीं होता है।

ऐसी दशा में विलंब हेतु कारणों को पहचान कर उन पर समय रहते कार्यवाही की जाए ताकि आर्डिनेंस इक्यूपमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों का अहित न हो, सार्वजनिक धन निजी हाथों में न जाए और सामान उच्च गुणवत्ता का प्राप्त हो।

545

(छह) असम में रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के मामलों का निपटान करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

[अनुवाद]

श्री ललित **मोहन शुक्लवैद्य** (करीमगंज) : असम समझौता के अनुरूप निर्धारित तिथि 25 मार्च, 1971 के पहले लगभग 4 लाख बांग्ला बोलने वाले लोग बंगला देश से असम आए, और इसे शेख मुजीवर रहमान और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच हुई संधि के आधार पर बनाया गया था और अब उन्हें मतदाता चिन्हित किए जाने के कारण वे भारी मानसिक तनाव में हैं। हजारों लोगों पर मुकदमा चल रहा है और दुश्मनों को पहचानने के लिए अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए विदेशी अधिनियम, 1946 के आधार पर मुख्यत: एक तरफा निर्णय पर विदेशी अधिकरण न्यायालयों द्वारा विदेशी के रूप में घोषित किया गया है। पीड़ित अपने आप को बचा नहीं पाए क्योंकि कोई सूचना नोटिस नहीं दिया गया।

इन पीड़ितों को निर्वासित कर दिया जाता है और बाद में गिरफ्तार किए जाने हेतु नो मैन्स लैंड की ओर ढकेल दिया जाता है और भारत भेज दिया जाता है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो आधी शताब्दी से भारत में हैं।

मैं सरकार से कार्रवाई करने की मांग करता हूं ताकि

(1) एकतरफा निर्णय के पीड़ितों को अपने बचाव के लिए एक मौका मिले;

(2) निर्वासन के बारे में उन्हें बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए; और

(3) उन्हें नौ मैन्स लैंड में नही भेजा जाना चाहिए।

(सात) आंध्र प्रदेश के ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के भाग के रूप में बकिंघम नहर के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले) : आज मैं बकिंघम नहर के आधुनिकीकरण की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो आंध्र प्रदेश में ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर बहती है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इसकी योजना राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 4 परियोजना के अनुसार बनाई गई थी जिसके लिए संबंधित विधेयक को वर्ष 2008 में संसद द्वारा प्राप्त किया गया था। प्रस्तावित जलमार्ग सं.4 काकीनाडा से पुदुचेरी तक बहती है और इसमें 1078 कि.मी. की दूरी शामिल है।

बकिंघम नहर का विकास कार्यकलाप शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि आवश्यक धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है।

यदि इसका विकास होता है तो इससे खाद्यान्नों, उर्वरकों, मिर्च, तंबाकू, समुद्री उत्पादों ग्रेनाइट - फलों और सब्जियों आदि के परिवहन की भारी यातायात संभावना होगी। इस परियोजना के विभिन्न वाणिज्यिक लाभ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार की अत्यधिक संभावनायें होंगी।

बकिंघम नहर का उत्तरी और दक्षिणी भाग क्रमश: 316 कि. मी. और 110 कि.मी. को शामिल करता है। यह आर्थिक रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह लंबी दूरी तक जाती है और यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क के रूप में भी कार्य करेगा।

मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वे इस परियोजना को पूरा करने के लिए अनिवार्य धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

546

(आठ) उत्तराखंड के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2001-02 में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था तथा यह इंगित किया गया था कि पूर्वोत्तर एवं सिक्किम विशेष श्रेणी राज्यों की भांति

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

उत्तराखंड को केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2001-02 से विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत अभी भी 50:50, 66:34, 75:25, 80:20 आदि अनुपातों में वित्त पोषण हो रहा है जबकि इन सभी अंश आधारित केन्द्र पोषित योजनाओं का वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में होना चाहिए। इस प्रकरण पर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 तक की अवधि की अवशेष धनराशि लगभग 2000 करोड़ रुपये एक मुश्त विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत की जाये। यदि यह धनराशि उत्तराखंड को प्रतिवर्ष मिलती रहती तो अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में यह प्रदेश काफी बेहतर स्थिति में होता।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशेष श्रेणी का राज्य होने के नाते उत्तराखंड राज्य को सभी अंश आधारित केन्द्र पोषित वित्त योजनाओं का वित्त पोषण पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी राज्यों की भांति 90:10 के अनुपात में किया जाये।

(नौ) गुजरात को पर्याप्त मात्रा में एपीएम गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईसीसीए) अर्थात् भूरे लाल समिति के सक्रिय परामर्श पर आधारित गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सी.एन.जी. चालित मोटर वाहनों को शुरू किया है। राज्य में विभिन्न नगरीय गैस वितरण कंपनियों के आगमन से गुजरात में सी.एन.जी. की खपत तेजी से बढ़ रही है। तथापि गुजरात में सी.एन.जी. की कीमतें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों की तुलना में बहुत अधिक है जबकि यह दिल्ली में लगभग 29.80 रुपए/कि. ग्राम और अहमदाबाद में लगभग 40-50 रुपए/कि.ग्राम है। दिल्ली में मूल्य इस क्षेत्र में ए.पी.एम.- गैस की उपलब्धता के कारण अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है। राज्य सरकार विश्वास करती है कि यदि एपीएम गैस उपलब्ध करा दी जाती है तो अहमदाबाद क्षेत्र में सी.एन.जी. का मौजूदा मूल्य 25% से अधिक घट जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे सी.एन.जी. के प्रयोग को बढ़ाना मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप तेल कंपनियों को बचत होगी तथा परिवहन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के प्रतिस्थापन के कारण भारत सरकार पर राजसहायता का बोझ कम होगा। गुजरात सरकार मोटर वाहनों में सी.एन.जी. के प्रयोग को और बढ़ावा देने हेतु इच्छुक जिसके लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गैस प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाए। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य रसरकार ने भारत सरकार से तीन बार अर्थात् वर्ष 2008, 2009 और 2010 में भारत सरकार से सी.एन.जी. के लिए गुजरात को कम से कम एक एम.एम.एस.सी.एन.जी. को एपीएम गैस का आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है लेकिन यह अनुरोध अभी भी लंबित है। राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि भारत सरकार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को गुजरात सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक प्रत्युत्तर देना चाहिए और राज्य को परिवहन क्षेत्र हेतु एक एस.एम.एस.सी.एमडी प.पी.एम. गैस राज्य को तत्काल आवंटित करना चाहिए।

(दस) राजस्थान में अनूपगढ़ से बीकानेर तक रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मेरा बीकानेर संसदीय क्षेत्र का अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र अभी रेल सुविधाओं के विस्तार में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अनूपगढ़ भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है तथा सैन्य व सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अनूपगढ़ वर्तमान में सूरतगढ़ से रेल लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र का भाग होने के कारण अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासियों का ज्यादा काम बीकानेर क्षेत्र से पड़ता है और उनके बीकानेर आने जाने का माध्यम केवल मात्र सड़क परिवहन है। अनूपगढ़ में श्रीगंगानगर जिलें व बीकानेर जिलें की किसी भी तहसील से अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसके अतिरिक्त पौंग बांध के विस्थापितों की संख्या भी सबसे अधिक है। अनूपगढ़ मुख्यालय से घड़साना, रावला, खाजूवाला होते हुए बीकानेर तक रेल लाईन का कार्य पूर्ण करने का सर्वेक्षण व विनिर्माण किया जाता है तो इससे अनूपगढ़ के निवासियों को आजादी के 64 साल बाद बीकानेर के लिए रेल सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि अनूपगढ़ मुख्यालय से घड़साना, रावला खाजूवाला होते हुए बीकानेर तक रेल लाईन का कार्य पूर्ण करवाने की व्यवस्था करें जिससे स्थानीय नागरिकों

के साथ साथ सैनिकों के परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो सकें।

(ग्यारह) झारखंड राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड ऐसा राज्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, यहां के जंगलों में रहने वाली जनजातियां भारत का गौरव है। इन विभिन्न प्रकृति के लोगों की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं जबकि जनजातियों का हित इस राज्य के सृजन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। परंतु आज इस क्षेत्र के लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इसलिए, यहां पर संतुलित विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था, लघु और बड़े उद्योगों और अंतत: केन्द्रीकृत आयोजना की आवश्यकता है।

इसलिए, यह मेरा विनम्र निवेदन है कि आप निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करें:-

1. झारखंड राज्य विशेषकर संथाल परगना के समावेशी विकास के लिए योजना आयोग में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाये।

2. भारत सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-शासन के उपकरणों का क्रियान्वयन।

3. गोड्डा और रांची के बीच रेल संपर्क स्थापित करना और दिल्ली तथा कोलकाता के बीच और अधिक रेल संपर्क स्थापित करना।

4. रांची जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सभी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना।

5. देवघर में राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाना, कोलकाता, देवघर, रांची, पटना और दिल्ली के बीच विमान-संपर्क स्थापित करना।

6. ऋण वितरण के लिए बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना।

7. प्रत्येक बागवानी और लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना आरंभ करना।

8. आर्थिक गतिविधि से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना।

9. हंसदीहा (दुमका) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान स्थापित करना।

10. कृषि और वन उत्पादों की संभावना का दोहन करने के लिए ग्रामीण सड़कों का बड़ा नेटवर्क विकसित करना।

11. शीतागार की एक शृंखला विकसित करना।

12. संथाल परगना के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की क्षमता में सुधार और भू-जल के दोहन का कार्य आगे बढ़ाना।

13. जसीडीहा, देवघर, घाटशिला और हजारीबाग में औद्योगिक पार्क विकसित करना।

(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड के खनन क्रियाकलापों के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज) : मेरा संसदीय क्षेत्र राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश आदिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर बारह महीनों गरीबी व भुखमरी रहती है। एन.सी.एल. सिंगरौली (म.प्र.) की मेरे क्षेत्र में ककरी, बीना, खड़िया, दुद्धीचुआ परियोजना के नाम से स्थापित है, जिससे सैकड़ों फीट गहरा खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। वहां पर सदियों से बसे लोगों को उजाड़ दिया गया है। उनको न तो नौकरी में रखा जा रहा है और न ही मजदूरी पर लगाया गया है। कंपनी के रवैये से वहां के मूल निवासी, आदिवासी दुखी हैं तथा आक्रोशित हैं। आज भी यह प्रक्रिया जारी है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि एन.सी.एल. द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाये, नौकरी दी जाये, बिजली, पानी, मकान, स्कूल आदि जो सुविधा सरकार व कंपनी द्वारा तय किया गया है, वह सब दिलाया जाये ताकि वहां के मूल निवासी, आदिवासियों में संतोष व उत्साह का संचार हो सके।

(तेरह) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों में विशेपकर मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में पड़ने वाली नदियों के पास के गांव हर बार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले कुशीनगर में इस बार बाढ़ की विभीषिका भीषण रही है। पूर्वांचल में एवं बिहार के उत्तरी हिस्सों में हर साल की बाढ़ में कई अरबों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है और सैंकड़ों पशु मारे जाते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। बाढ़ से गांव के गांव बह जाते हैं और नदियों के किनारों पर कटाव होता है जिसके कारण लोगों के खेत इधर से उधर हो जाते हैं और लोगों में इस कारण कई झगड़े होते हैं। इन कटावों में बंजर भूमि का क्षेत्रफल हर साल बढ़ जाता है। इससे लोगों के रहन-सहन एवं बच्चों के विकास एवं पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के नारायणी नदी पर तम्कुही राज क्षेत्र पर भूमि कटाव बड़ी मात्रा में हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूर्वांचल चाहे वे उत्तर प्रदेश के हो चाहे वे बिहार के हो, बाढ़ से बचाव करने की योजना तीन माह पूर्व कर लेनी चाहिए और बाढ़ अधिक पानी के बहाव से होता है उसका उपयोग पन बिजली सृजन में किया जाये इससे बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा।

(चौदह) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मदरसों को भी दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अश्वमेध देवी (उजियारपुर) : मैं आपके माध्यम से एक मूल समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। सरकार ने मदरसा की शिक्षा को भी शिक्षा बोर्ड की तरह मान्यता दे रखी है। मदरसा की शिक्षा को मान्यता मिलने के बावजूद भी उसे मकान बनाने के लिए कोई फंड नहीं मिलता है। अत: उसे कहीं झोंपड़ी में तो कहीं किसी के भवन पर चलाना पड़ता है।

अत: सरकार से मेरी मांग है कि उसे भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया जाये ताकि उसे भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाली सुविधा मिल सके। मदरसे को भी मकान बनाने के लिए सरकार से सहायता मिल सके।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के रणघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में भागीरथी नदी के प्रवाह-मार्ग पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए उसके तटबंधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. सुचारु रंजन हल्दर (रणघाट) : गंगा नदी मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रणघाट में नाराद्वीप विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से प्रवेश करती है जो पश्चिम बंगाल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।

यहां पर गंगा का नाम भागीरथी या हुगली है जो अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जिसपर कोलकाता पत्तन अवस्थित है।

नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के रूप में विख्यात है। इस्कॉन (इन्टरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कन्सियसनेस) का मुख्यालय, मायापुर - जो नवद्वीप का हिस्सा है, में अवस्थित है। परिणामस्वरूप नवद्वीप - मायापुर वर्ष भर दुनिया भर से लाखों लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल है।

पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से हुगली नदी अर्थात् भागीरथी के पूर्वी तट पर मृदा-अपरदन हो रहा है जिससे गांव के गांव उसमें समा रहे है और हजारों लोग बेघर हो रहे है। यह विनाश मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नवद्वीप, शांतिपुर, रणघाट दक्षिण तथा चकदह - 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और पड़ोसी बोंगाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र के हिस्स भी इसमें सम्मिलित हो रहे थें। ये सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुगली के पूर्वी तट पर अवस्थित हैं।

इस चिरस्थायी विनाश के स्थायी समाधान के लिए हुगली के पूर्वी तटर पर उत्तर में नवद्वीप रसे लेकर दक्षिण में कल्याणी तक पक्का तटबंध बनाया जाना चाहिए जिसकी साल भर निगरानी की जाए। इस निरंतर निगरानी के प्रभावी रखरखाव के लिए नवद्वीप रसे कल्याणी तक पूरी लंबाई में एक पक्की सड़क बनायी जाये। इससे वहां रहने वाले हजारों लोगों के लिए नया आर्थिक अवसर

पैदा होगा। इनमें से अधिकांश लोग विश्वप्रसिद्ध शांतिपुरी सूती और सिल्क साड़ी के बुनकर हैं। इससे हजारों संबद्ध रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। यह पी.पी.पी. पद्धति पर किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि यह सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा। विश्व भर में तीर्थयात्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (कोलकाता हवाई अड्डे) पर उतरने के बाद नदी के किनारे का दृश्यावलोकन करते हुए इस सड़क से मायापुर - नवद्वीप तक की यात्रा कर सकते हैं। यह पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण केन्द्र होगा।

(सोलह) पुदुचेरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22403/22404), हावड़ा-पुदुचेरी द्विसाप्ताहिक ट्रेन संख्या 12867-12868 को तमिलनाडु में बरास्ता तिरुवन्नामलाई चलाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुवन्नामलाई) : लाखों व्यापारी गिखिालम के लिए प्रतिमाह पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक कस्बे तिरुवन्नामलाई में एकत्रित होते हैं। प्रति वर्ष मनाए जाने वाले कार्तिगई दीपम के दिन 20 लाख से अधिक व्यक्तियों का अपार जनसमूह तिरुवन्नामलाई आता है। यह कस्बा अनेकों विदेशी भक्तों को भी आकर्षित करता है जो रमन्ना-महर्षि, शेषाद्रि स्वतीगल और योगी राम सुखकुमार के आश्रमों में भी जाते हैं। अत:, यात्रियों को तिरुवन्नामलाई जाने हेतु रेल संपर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए पुदुचेरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी सं. 22403/22404 के मार्ग पर तिरुवन्नामलाई को जोड़ा जाना चाहिए। इससे तिरुवन्नामलाई में और उसके आस-पास के हजारों की संख्या में ग्रामीण व्यक्तियों की पुदुचेरी में जिमपेर अस्पताल पहुंचने का लाभ मिलेगा। यह भी नोट किया जाना चाहिये कि तिरुवन्नामलाई की यात्रा करने वाले विदेशी भी पुदुचेरी में अरोविल जाने को प्राथमिकता देंगे। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में व्यवसायी और छात्र तिरुवन्नामलाई से दिल्ली की यात्रा करते हैं।

हावड़ा-पुदुचेरी द्विसाप्ताहिक गाड़ी सं. 12867/12868 को तिरुवन्नामलाई में ठहराव दिया जाना चाहिए। विल्लूपुरम-वेल्लोर यात्री गाड़ी, विल्लूपुरम-खड़गपुर, विल्लुपुरम-पुरुलिया बारास्ता तिरुवन्नामलाई रेल गाड़ियों को भी शीघ्र चलाया जाना चाहिए।

वार्षिक और मासिक त्यौहारों की अवधि के दौरान तिरुवन्नामलाई और चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली तथा तिरुची जैसे राज्य के अनेक भागों के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जानी चाहिएं। दिल्ली से भी विशेष ट्रेन चलाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि जनता को रेल अधिकारियों से काफी आशा है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तिरुवन्नामलाई मार्ग पर आमान परिवर्तन पर 500 करोड़ रुपये की लागत बर्बाद न जाये। तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन को भी वाराणसी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और मदुरै की ही तरह तीर्थयात्रा केन्द्र स्टेशन के रूप में उन्नयन भी किया जाना चाहिए।

(सत्रह) ऑटोरिक्शा चालकों के हितों की रक्षा के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर) : वर्तमान में, काल टैक्सी, शेयर ऑटो और टाटा मैजिक वैन जैसे नए यात्री वाहनों के अतिरिक्त ऑटोरिक्शा चालक पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स और अनुरक्षण खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण परेशानी में है। अकेले एक चालक तृतीय पक्ष बीमा प्रीमियम को बढ़ाकर 1000 रुपये करने से आग में घी का काम हुआ है। तृतीय पक्ष बीमा प्रीमियम राशि में वृद्धि के कारण ऑटोरिक्शा के एकमात्र को 1663 रुपये के बजाय 3000 रुपये तक तृतीय पक्ष बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह जानकर दुख होता है कि अंतिम मुआवजा राशि को भी प्रीमियम राशि की वृद्धि के समानुपात में नहीं बढ़ाया गया है। ऑटोरिक्शा चालक अब दयनीय आर्थिक स्थिति में हैं।

इस परिस्थिति में मैं अनुरोध करता हूं कि तृतीय पक्ष बीमा योजना में वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए और ऑटोरिक्शा चालकों को राहत प्रदान की जाए।

(अठारह) आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंटूर से कोंडामोडु (पीडुगुरल्ला) तथा गुंटूर से कुरनूल तक राजमार्गों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश के अपने नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंटूर से (कोंडामोडु) पिडुगुरल्ला और गुंटूर रसे कुरनूल तक राज्य राजमार्गों के दोहरीकरण की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर राज्य राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाए।

[श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी]

मेरे नरसारावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और दोनों राज्य राजमार्ग इन सातों निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात् सत्तेनपल्ली, गुराजला, मचेला, चिलाकुलुरीपेट, नरसारावपेट, विनुकोंडा और पेडाकुन्पाडु से गुजरते हैं तथा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को राज्य मुख्यालयों और साथ ही जिला मुख्यालयों तक जाने के लिए दोनों राजमार्गों पर यात्री और माल वाहनों जैसे भारी यातायात के कारण काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

इसलिए, मैं माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और क्रमशः सत्तेनापल्ली और विनुकोंडा नगरपालियों हेतु बाईपास के प्रावधान सहित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुंटूर से (कोंडामी डु) पिडुगुरल्ला और गुंटूर से कुरनूल तक राजमार्ग बनाने हेतु सभी संभावित कदम उठाएं।

(उन्नीस) यूरिया के मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने और उसे वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम) : उर्वरक कृषि और इसकी बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। तथापि, पिछले अनेक मौसमों से नियमित रूप से वर्षा नहीं हुई और इसकी भरपाई करने के लिए किसानों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग करने का सहारा लेना पड़ा। भारत की यूरिया की आवश्यकता के अधिकांश हिस्से का उत्पादन देश में ही किया जाता है। परंतु फास्फेट और पोटाश उर्वरकों जैसे ग्रेडों की आवश्यकताओं को पूर्णतः आयात से पूरा किया जाता है। दोनों ग्रेडों के पर्याप्त वैश्विक मूल्यों में चार गुणा वृद्धि हुई है जिससे भारतीय बाजार में मिश्रित उर्वरकों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, किसानों को अपनी नकदी और खाद्य दोनों प्रकार की फसलों के लिए पूरी तरह यूरिया पर निर्भर रहना पड़ता है। अब, यूरिया के मूल्य को नियंत्रणमुक्त करने के सरकार के निर्णय से यह स्थिति और बिगड़ गई है। इसे नियंत्रणमुक्त करने से पूर्व भी जून और जुलाई की अधिकतम आवश्यकता वाले समय के दौरान केरल में उर्वरकों की अत्यंत कमी थी। पोषण-आधारित राजसहायता औचित्यकरण की अपनी वर्तमान नीति पर आधारित सरकार यह किसान विरोधी कदम किसान के लिए अति नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। इस नीति से यूरिया के मूल्य में प्रति टन 500 रुपये की तत्काल वृद्धि होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, यह प्रतीत होता है कि यूरिया के मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करने की नई घोषणा से बाजार में यूरिया और मिश्रित ग्रेडों की पूर्णतः कमी हो जाएगी जिससे छोटे और मझोले किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस नाजुक समय में यूरिया के मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करने के किसान विरोधी निर्णय को वापस ले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 10। श्री नमो नारायन मीणा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

इस समय श्री जगदीश शर्मा, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03¼ बजे

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011* — राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : महोदया, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव** करता हूं:-

"हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, लोक सभा द्वारा यथापारित का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 05.09.11 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 10 **धारा 63 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन**

समनुषंगी बैंकों की विनियम बनाने की शक्ति

1. कि पृष्ठ 6 पंक्ति 5 से 7 का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, लोक सभा द्वारा यथापारित का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

खंड 10

1. कि पृष्ठ 6, पंक्ति 5 से 7 का लोप किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:

"खंड 10

कि पृष्ठ 6, पंक्ति 5 से 7 का लोप किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नमो नारायन मीणा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन से सहमति व्यक्त की जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सब वापस जाइये और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं*]

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मद संख्या 11

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय श्री सी.आर. पाटिल, श्री जगदीश शर्मा, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : महोदया, मेरी डॉ. जोशी के साथ एक बैठक हुई थी तथा हमने चर्चा की ओर सहमत हुए। अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया। आपकी अनुमति से, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखता हूं...*(व्यवधान)*

[श्री विलासराव देशमुख]

*महोदया, 21वीं शताब्दी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतृत्व वाली स्थिति वैश्विक पटल पर देश का रणनीतिक स्थान निर्धारित करता है। ऐसा नेतृत्व वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अति दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जो प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के इस आधुनिक युग में और अग्रणी क्षेत्रों में तथा प्रतिस्पर्धा में कुछ करने को तत्पर हैं। वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान विधेयक, 2010 इसी चुनौती से निपटने का एक प्रयास है।

पूरे देश में सी.एस.आई.आई. की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, आई.आई.टी. और अन्य संस्थाएं स्थापित करने के भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरु जी की दूरदृष्टि ने वैज्ञानिक अनुसंधान की नींव रखी। हमारी सरकार यह महसूस करती है कि अब समय आ गया हे कि कल की चुनौतियों से निपटने हेतु इस सुदृढ़ी नींव पर आगे निर्माण किया जाये। इसलिए हम अनेक नए आई.आई.टी. और विज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने की ओर अग्रसर हुए हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से महसूस किया गया है कि वर्त्तमान विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर और डाक्टरेट करने वाले लोगों की उत्पत्ति संख्या जरूरत से काफी कम है।

अकादमी कल के विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थाओं, जो ट्रांस-डिसिप्लिनरी वाली होगी, की स्थापना हेतु हमारे प्रयासों को दर्शाने वाली है। इसे हमारी सरकार द्वारा हाल के वर्षों में राष्ट्रीयता ज्ञान नेटवर्क की स्थापना हेतु किए गए भारी निवेश का लाभ मिलता है जिसके लिये सभी सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं जुड़ गयी हैं जिससे प्रयोगशालाओं में आपस में 'इंटर-डिसिप्लिनरी' और 'ट्रांस - डिसिप्लिनरी' सहयोग संभव हो पाया है।

अकादमी विद्यमान अत्याधुनिक अवसंरचना और सी.एस.आई.आर. ढांचा के तहत उपलब्ध शीर्ष वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का उपयोग करते हुए, किसी विशेष परिपक्वता अवधि की आवश्यकता के बगैर किफायती तरीके से सीधे समस्या का समाधान करने के अनुभव के साथ अधिकतम उच्च स्तरीय ट्रांस-डिसिप्लिनरी अनुसंधानकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सर्वाधिक सटीक विकल्प है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

चर्चा का उत्तर

इन टिप्पणियों के साथ, मैं चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने और देश में उच्च गुणवत्ता वाले स्नातकोत्तर और पीएचडी धारक व्यक्तियों को तैयार करने के लिए एक मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करने के लिए सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि प्रस्तावित अकादमी विश्वविद्यालय व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालेगी।

यह विधेयक विश्वविद्यालय व्यवस्था में किए गए अच्छे कार्यों को कमजोर नहीं करेगा, वरन इसका पूरक साबित होगा।

माननीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने यह चिन्ता जतायी थी और मेरे पूर्ववर्ती ने यह आश्वासन दिया था कि- उनके साथ इस संबंध में चर्चा की जाएगी। मैंने डॉ. जोशी जी से मुलाकात की थी और जैसाकि उन्होंने इस विधेयक पर दिए गए अपने भाषण में यह कहा कि वे सी.एस.आई.आर. अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालय व्यवस्था के बीच संपर्कसूत्र बनाया जाना चाहते हैं। मैंने देश के अनेक प्रख्यात वैज्ञानिकों और अकादमिशियनों की एक बैठक बुलायी थी जिसमें डॉ. जोशी जी भी उपस्थित थे। हमने यह चर्चा की कि वर्त्तमान में सी.एस.आईआर. और विश्वविद्यालय व्यवस्था के बीच जो सम्पर्क सूत्र है उसको और अधिक सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। इस बैठक का परिणाम यह रहा कि सी.एस.आई.आर. के महानिदेशक और यू.जी.सी. के चेयरमैन संस्थाओं में पारस्परिक लाभ हेतु दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। यह नोट किया जाना चाहिए कि यू.जी.सी. के चेयरमैन - सी.एस.आईआर. शासी निकाय के सदस्य भी है। मैं डॉ. जोशी जी को इस विषय पर उनकी गहरी अभिरूचि, मूल्यवान सुझाव और विद्वतापूर्ण जानकारियां देने के लिए धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में सी.एस.आई.आर. विश्वविद्यालय व्यवस्था के साथ बृहत रूप से कार्य कर रहा है और यह सहयोग जारी रहेगा। सी.एस.आई.आर. के कार्यक्रमों से विगत वर्षों में विश्वविद्यालय व्यवस्था को अत्यंत लाभ पहुंचा है। यह एक ऐसा संगठन है जिसने लगभग प्रत्येक उत्पादक अनुसंधानकर्त्ता को किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया है चाहे वह अनुसंधानकर्त्ता विश्वविद्यालय व्यवस्था से संबंध रखता हो अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क से। सी.एस.आई.आर.

द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति पूरे देश के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन के पोषण में सहायता प्रदान करती रही है।

सी.एस.आईआर ने 'ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी' के माध्यम से एक 'ओपन कैमेस्ट्री इनीसिएटीव' चलाया है ताकि टीबी और मलेरिया जैसे गरीबों की बीमारियों हेतु दवाओं के अनुसंधान के लिए दवाओं जैसे मोलिक्यूल्स का समन्वय किया जा सके। इस इनीसिएटीव में जम्मू-कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक, पूर्वोत्तर से लेकर सौराष्ट्र तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों सहित 30 विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल किए गए हैं। यह विश्व की अनौखी अनुसंधान परियोजना है, अपने तरह की पहली परियोजना है जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित छात्रों और संकायों के बीच नवीन तरीके से शिक्षा प्रदान करती है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि विश्वविद्यालय व्यवस्था, सी.एस.आई.आर. और अकादमी के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में विशिष्ट खंड रखे जाएं।

विधेयक के खंड 4 (2) में कहा गया है कि अकादमी उन विषयों पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिन्हें सामान्यत: नियमित विश्वविद्यालयी शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता। मुख्य रूप से इसका ध्यान मेकाट्रॉनिक्स, प्रूवियोनिक्स, फेब्रियोनिक्स, आयुर्जेनोमिक्स, सिस्टम एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, ओपन सोर्स सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन केमेस्ट्री, स्मार्ट मेटेरियल्स और अन्य जैसे क्षेत्रों में 'ट्रांस-डिसिप्लिनरी' और इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान करने पर है।

विधेयक का खंड 5(3) अकादमी के कार्यात्मक होने के बाद भी विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य करने हेतु नए देश में स्वतंत्र सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं की स्वतंत्रता को बनाये रखता है। श्री विजय बहादुरजी ने महसूस किया कि निदेशक मंडल के सभापति की चयन समिति में नौकरशाह है। संदर्भगत खंड 12 बताता है कि चयन समिति में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविद होंगे जिनमें से दो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटियों, अकादमियों या इसी तरह के संगठन के प्रमुख होंगे। यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि चयन समिति पूर्णत: विशेषज्ञता प्राप्त है जहां बेहद योग्य व्यक्ति अकादमी के शासी मंडल के चेयरपर्सन के रूप में चुने जाते हैं।

श्री प्रबोध पांडा जी ने स्वायत्तता की आवश्यकता पर बल दिया। विधेयक के खंड ll के अनुसार अकादमी के शासी मंडल में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद और ख्याति प्राप्त अन्य लोग शामिल हैं। यह अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करेगा।

शेख सैदुल हक जी ने हमें इस बात की चेतावनी दी कि केवल प्राप्तांकों को अकादमी में निर्धारक नहीं होना चाहिए। खंड 4(क) पाठ्यक्रम, में प्रावधान है कि पाठ्यक्रम, अध्यापन और अकादमी का मूल्यांकन नवोन्मेषी होगा और यह बहुविषयक ज्ञान वाले उच्च गुणवत्ता कर्मी तैयार करने की ओर लक्षित होगा। इस प्रकार अकादमी द्वारा हासिल की गई जानकारी अनूठी है जो इसे अन्य पारंपरिक संस्थानों से अलग करता है।

श्री महताबजी मानदेय उपाधि कार्यक्रम और दक्षता विकास कार्यक्रम चाहते थे। यह विधेयक अकादमी को ऐसा करने के लिए सशक्त करता है और अकादमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्नत क्षेत्रों में ऐसे पाठ्यक्रम ला सकती है।

श्री शैलेन्द्र कुमारजी और डॉ. जोशी जी ने सामाजिक रूप से संदर्भगत आविष्कारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता की ओर इंगित किया है। सी.एस.आई.आर. ने लगभग 800 मिलियन भारतीयों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक संदर्भ के साथ प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों को विकसित करने के उद्देश्य से, ग्रामीण और शहरी आबादी में आपेक्षिक रूप से वंचित तबकों के लिए विशेष रूप से सी.एस.आई.आर. - 800 नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। एक उदाहरण सोलेकशा, रिक्शाचालकों हेतु पैडल की सहायता से चलने वाला विद्युत चालित साईकिल रिक्शा है। अकादमी के सभी पी.एच.डी. छात्र किसी सी.एस.आई.आर. 800 परियोजना में एक अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिसका उद्देश्य निचले आर्थिक स्तर पर खड़े लोगों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अमल में लाना है। वे इस क्षेत्र में आविष्कार करने हेतु लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के साथ कार्य करेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करने हेतु श्री मुलायम सिंह यादवजी और श्री निनोंग इरिंगजी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, भारत में हम पारंपरिक रूप से विज्ञान का सम्मान करते हैं तथा ज्ञान-पिपासु है। ज्ञान प्राप्त करना आदर की बात थी। ज्ञान का सम्मान किया जाता था। शिक्षा उपलब्ध कराना ही सशक्तिकरण है। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में

[श्री विलासराव देशमुख]

भारत को ज्ञान की महाज्ञान शक्ति बनाने हेतु इस आधारशिला का निर्माण करना है।

चूंकि इक्कीसवीं शताब्दी शुरू हो चुकी है, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसमें नवीन सोच, व्यापक समझ और बेहतर संचार की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा इस अवसर की आधारशिला है।

हम नवोन्मेषी दशक में है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं को नवोन्मेषी होने की आवश्यकता है। हमे हमारे संस्थानों को नवोन्मेषी बनाने की आवश्यकता है। हमें खोजों को नवोन्मेषी प्रवृत्ति में तेजी से बदलने की कला सीखने की आवश्यकता है और इसके बाद इसके इर्द गिर्द एक उद्यम सृजित करें।

सी.एस.आई.आर. सदियों से राष्ट्र के आविष्कार की आधारशिला रही है इसने हमारे दैनिक प्रयोग की चीजें प्रदान की हैं, हमारे खेतों को जोतने वाले कुछ ट्रैक्टरों के लिए हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रयुक्त अमिट स्याही के प्रयोग जल को बाहर निकालने वाले मार्क-दो पंप, जेनरिक-औषधि से जीनोम औषधि, सागर विज्ञान से अंतरिक्ष तक, पूर्वोत्तर में मशरूम की खेती को सहायता देने से जम्मू कश्मीर में लैवेन्डर खेती तक और भारत के दूरस्थ भागों में लोगों के साथ कार्य करना जहां सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाएं स्थित हैं। भारत में सरकार वित्तपोषित संस्थानों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी पेटेंट सी.एस.आई.आर. द्वारा हासिल किये गये हैं और उनमें से कई का वाणिज्यिकरण किया गया है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि सी.एस.आई.आर. वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं।

महोदया, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी रूप से प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो लगातार उत्तमत्ता पर बल देता रहे। हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो 21वीं शताब्दी हेतु हमारे अनुसंधानकर्ताओं को तैयार करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे चिकित्सक अभियांत्रिकी दक्षता सीखें, अभियंता जैविक चुनौतियों को सुलझाए, केमिस्ट भौतिकी सीखें, गणितज्ञ जीव विज्ञान जाने इत्यादि और हमारे समाज के समक्ष खड़ी समस्याओं को सुलझाए।

अकादमी के माध्यम से हम सी.एस.आई.आर. का विश्वस्तरीय बुद्धिमानी दाया जिसे पिछले कई वर्षों की कड़ी मेहनत से स्थापित किया गया है तथा यह एक राष्ट्रीय संसाधन है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतिभाशाली और मान्यताप्राप्त संकाय है और उनमें से कुछ विश्व में सबसे अच्छे हैं को हम छात्रों के लिए खोल रहे हैं। यह सर्वाधिक अच्छे छात्रों को देश में बने रहने के लिए आकर्षित करेगा और हम उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेंगे तथा उन्हें शेष विश्व में प्रतिस्पर्धी और अति नवोन्मेषी बनने के लिए सक्षम बनाएंगे।

महोदया, पंडित नेहरूजी ने कहा कि केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे भाग्य को बदलने की ताकत है। यह विधेयक हमारे भाग्य को बदलने के क्रम में मूकदर्शक बनने के बजाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगुआ बनने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें नवोन्मेषी होने के लिए शिक्षित होने और शिक्षित होने के लिए नवोन्मेषी बनने की आवश्यकता है। हम अपने अनुसंधानकर्ताओं को केवल 20वीं शताब्दी के दरवाजे के माध्यम से भेजकर 21वीं सदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु तैयार नहीं कर सकते हैं या विदेशों में उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेजकर उन्हें खोना नहीं चाहते हैं।

हमारे युवा अति प्रतिभाशाली हैं। सही माहौल और सुविधायें देकर हम उन्हें विज्ञान की बेहतर प्रतिभा के साथ मुकाबला करवा सकते हैं। यह अकादमी आने वाले विज्ञान में भारत को अग्रणी स्थिति दिलाने के लिए स्थगित की गयी है। मैं अपने युवाओं से अग्रणी स्थिति दिलाने की इस चुनौती को स्वीकार करने की मांग करता हूं।

हम चाहते हैं कि शेष विश्व को पीछे छोड़ते हुए नवीकरण, शिक्षा पाने और उपलब्धि हासिल करने में आगे निकल जायें।

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 हमारी सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरी के एकीकृत और बहु संकाय क्षेत्रों में कल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत को नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास है।

इन शब्दों के साथ मैं सभी सांसदों जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया को धन्यवाद देता हूं और शिक्षक दिवस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी शिक्षकों का अभिवादन करते हुए इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूं।*

महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञात संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है कि:

"खंड 2 से 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,...

"2010" *के स्थान पर*

"2011" *प्रतिस्थापित* किया जाए (2)

(श्री विलासराव देशमुख)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:-

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,...

"इकसठवें" के स्थान पर

"बासठवां" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री विलासराव देशमुख)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है कि:

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

श्री विलासराव देशमुख : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.04 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 6 सितम्बर, 2011/ 15 भाद्रपद, 1933 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सी. शिवासामी	441
2.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी श्री विजय बहादुर सिंह	442
3.	श्री प्रेमदास श्री आनंदराव अडसुल	443
4.	श्री जफर अली नकवी श्री निशिकांत दुबे	444
5.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल श्री विश्व मोहन कुमार	445
6.	श्री समीर भुजबल श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	446
7.	श्री पी. विश्वनाथन श्री पशुपतिनाथ सिंह	447
8.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री विट्ठलभाई हंसराज रादड़िया	448
9.	श्री दारा सिंह चौहान डॉ. भोला सिंह	449
10.	श्री संजय भोई श्री चंद्रकांत खैरे	450
11.	श्री जगदीश सिंह राणा श्री हरिन पाठक	451
12.	डॉ. संजय सिंह डॉ. कृपारानी किल्ली	452
13.	श्री एम.के. राघवन	453
14.	श्री कमलेश पासवान	454
15.	श्री एम.आई. शानवास डॉ. के.एस. राव	455
16.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	456
17.	श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री राम सुन्दर दास	457
18.	श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री बाल कुमार पटेल	458
19.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्री नृपेन्द्रनाथ राय	459
20.	श्री एस. सेम्मलई श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	460

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बिजय हांडिक	5192
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	5094, 5168, 5210, 5264, 5281

1	2	3
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	5226
4.	श्री आनंदराव अडसुल	5168, 5254, 5281
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	5156
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	5199
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	5140
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	5168, 5210
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	5163
10.	श्री अनंत कुमार	5166
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	5220, 5254, 5267
12.	श्री सुरेश अंगड़ी	5157
13.	श्री घनश्याम अनुरागी	5161, 5200
14.	श्री अशोक अर्गल	5142, 5146
15.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	5174
16.	श्री कीर्ति आजाद	5196
17.	श्री गजानन ध. बाबर	5103, 5168, 5210, 5264
18.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	5181
19.	श्री रमेश बैस	5121
20.	श्री कामेश्वर बैठा	5139, 5247, 5248, 5269
21.	डॉ. बलीराम	5175
22.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	5260
23.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	5187

1	2	3
24.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	5125
25.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	5072
26.	श्री अवतार सिंह भडाना	5151, 5186
27.	श्री सुदर्शन भगत	5196, 5211
28.	श्री ताराचन्द भगोरा	5183
29.	श्री शिवराज भैया	5202
30.	श्री संजय भोई	5258
31.	श्री समीर भुजबल	5256
32.	श्री पी.के. बिजू	5113
33.	श्री हेमानंद बिसवाल	5253
34.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	5182, 5190, 5210, 5233, 5268
35.	श्री सी. शिवासामी	5154, 5196, 5254, 5278
36.	श्री पी.सी. चाको	5243
37.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	5165
38.	श्री हरीश चौधरी	5222, 5255, 5260
39.	श्री जयंत चौधरी	5255, 5257
40.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	5117, 5124, 5163, 5254
41.	श्री संजय सिंह चौहान	5158
42.	श्री दारा सिंह चौहान	5257
43.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	5111, 5168, 5197, 5245, 5265
44.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	5236

1	2	3
45.	श्री भूदेव चौधरी	5219, 5250, 5268
46.	श्रीमती श्रुति चौधरी	5113, 5115, 5254
47.	श्री अधीर चौधरी	5203
48.	श्री भक्त चरण दास	5125, 5259
49.	श्री खगेन दास	5093
50.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	5209
51.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	5200, 5239
52.	श्री रमेन डेका	5196, 5228
53.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	5190
54.	श्री के.डी. देशमुख	5064
55.	श्रीमती रमा देवी	5227, 5246
56.	श्री के.पी. धनपालन	5063, 5259, 5283
57.	श्री संजय धोत्रे	5233, 5269
58.	श्री आर. ध्रुवनारायण	5206
59.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	5111, 5163, 5168, 5218, 5247
60.	श्री चार्ल्स डिएस	5167
61.	श्री निशिकांत दुबे	5249
62.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	5262
63.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	5214, 5258, 5266
64.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	5151
65.	श्री वरुण गांधी	5130

1	2	3
66.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	5248
67.	श्री ए. गणेशमूर्ति	5224
68.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	5128, 5251, 5271
69.	श्री अनंत गंगाराम गीते	5240
70.	श्री एल. राजगोपाल	5146, 5265
71.	श्री शिवराम गौडा	5109
72.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	5196, 5229, 5251
73.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	5150
74.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	5158, 5238
75.	श्री महेश्वर हजारी	5196
76.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	5085, 5163, 5221
77.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	5222, 5285
78.	श्री बलीराम जाधव	5132
79.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	5177
80.	श्री बद्रीराम जाखड़	5061, 5254, 5263, 5289
81.	श्रीमती दर्शना जरदोश	5245, 5254, 5265
82.	श्रीमती पूरम वेलजीभाई जाट	5124
83.	श्री हरिभाऊ जावले	5147
84.	श्रीमती जयाप्रदा	5125, 5164, 5232, 5263
85.	श्री जिगजिणगी रमेश	5247
86.	श्री नवीन जिन्दल	5223

1	2	3
87.	श्री महेश जोशी	5184
88.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	5254
89.	श्री प्रहलाद जोशी	5152
90.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	5081
91.	डॉ. ज्योति मिर्धा	5132, 5150, 5249, 5250, 5263
92.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	5263
93.	श्री पी. करुणाकरन	5075, 5125
94.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	5092, 5196
95.	श्री राम सिंह क़स्वां	5096, 5287
96.	श्री लाल चंद कटारिया	5122
97.	श्री नलिन कुमार कटील	5262, 5263
98.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	5070, 5200, 5272
99.	श्री चंद्रकांत खैरे	5086, 5275
100.	डॉ. निर्मल खत्री	5213
101.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	5265
102.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	5244
103.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	5168, 5261
104.	श्री मधु कोड़ा	5180
105.	श्री विश्व मोहन कुमार	5209
106.	श्री अर्जुन मुंडा	5194
107.	श्री पी. कुमार	5154, 5200

1	2	3
108.	श्री यशवंत लागुरी	5177
109.	श्री सुखदेव सिंह	5085
110.	श्री पी. लिंगम	5150, 5230
111.	श्री एम. कृष्णास्वामी	5112
112.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	5290
113.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	5158, 5249
114.	श्री सतपाल महाराज	5145
115.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	5200
116.	श्री नरहरि महतो	5133, 5190
117.	श्री भर्तृहरि महताब	5176, 5255
118.	श्री प्रदीप माझी	5120, 5131
119.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	5210, 5267
120.	श्री मंगनी लाल मंडल	5249
121.	श्री जोस के. मणि	5069, 5274
122.	श्री हरि मांझी	5095, 5121
123.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	5199
124.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	5160, 5248, 5260, 5261
125.	श्री महाबल मिश्रा	5209
126.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	5086, 5218, 5250
127.	श्री सोमेन मित्रा	5163
128.	श्री गोपीनाथ मुंडे	5106, 5244

1	2	3
129.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	5259
130.	श्री देवेन्द्र नागपाल	5074
131.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	5173
132.	श्री इंदर सिंह नामधारी	5196, 5257
133.	श्री नारनभाई कछाड़िया	5111, 5124, 5245, 5257
134.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	5089
135.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	5251
136.	श्री संजय निरुपम	5126
137.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	5066, 5105
138.	श्री पी.आर. नटराजन	5132, 5171
139.	श्री जगदम्बिका पाल	5217, 5263
140.	श्री वैजयंत पांडा	5169, 5210, 5270
141.	श्री प्रबोध पांडा	5118
142.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	5138
143.	कुमारी सरोज पाण्डेय	5212
144.	श्री जयराम पांगी	5079
145.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	5146, 5214, 5258, 5266
146.	श्री कमलेश पासवान	5255
147.	श्री देवजी एम. पटेल	5166
148.	श्री आर.के. सिंह पटेल	5189
149.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	5124, 5125, 5216

1	2	3
150.	श्री बाल कुमार पटेल	5260
151.	श्री किसनभाई वी. पटेल	5131
152.	श्री नाथुभाई गोमनभाई पटेल	5196
153.	श्री हरिन पाठक	5124, 5197, 5245, 5265
154.	श्रीमती भावना पाटील गवली	5198
155.	श्री सी.आर. पाटिल	5124, 5197, 5245, 5254
156.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	5214, 5258, 5266
157.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	5170
158.	श्रीमती कमला देवी पटले	5067
159.	श्री पोन्नम प्रभाकर	5201, 5218
160.	श्री नित्यानंद प्रधान	5169, 5210, 5270
161.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	5259
162.	श्री प्रेमदास	5161
163.	श्री पन्ना लाल पुनिया	5071
164.	श्री एम.के. राघवन	5160
165.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	5091
166.	श्री अब्दुल रहमान	5229, 5235, 5251
167.	श्री प्रेम दास राय	5185
168.	श्री रमाशंकर राजभर	5193
169.	श्री सी. राजेन्द्रन	5215, 5251, 5267
170.	श्री एम.बी. राजेश	5144

1	2	3
171.	श्री पूर्णमासी राम	5089
172.	श्री रामकिशुन	5070, 5172, 5275, 5283
173.	श्री जगदीश सिंह राणा	5259
174.	श्री निलेश नारायण राणे	5105, 5132, 5265
175.	श्री रायापति सांबासिवा राव	5208, 5216, 5271
176.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	5188, 5199
177.	श्री रामसिंह राठवा	5124
178.	डॉ. रत्ना डे	5160, 5251
179.	श्री अशोक कुमार रावत	5084, 5156
180.	श्री अर्जुन राय	5220, 5254
181.	श्री विष्णु पद राय	5087, 5286
182.	श्री रुद्र माधव राय	5090, 5284
183.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	5254
184.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	5196, 5255, 5265
185.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	5179, 5210
186.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	5108
187.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	5133, 5190
188.	श्री एम. सेम्मलई	5200, 5263
189.	श्री एस. पक्कीरप्पा	5104
190.	श्री एस.आर. जेयदुरई	5119, 5196
191.	श्री एस.आर. रामासुब्बू	5107

1	2	3
192.	श्री राकेश सचान	5141
193.	श्री ए. संपत	5195
194.	श्री तकाम संजय	5136
195.	श्रीमती सुशीला सरोज	5196, 5257
196.	श्री तूफानी सरोज	5080, 5282
197.	श्री हमदुल्लाह सईद	5076, 5206, 5251, 5280
198.	श्री एम.आई. शानवास	5249, 5255
199.	श्रीमती जे. शांता	5110, 5208, 5215, 5251, 5253
200.	श्री शरीफुद्दीन शारिक	5252
201.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	5062
202.	श्री जगदीश शर्मा	5268
203.	श्री नीरज शेखर	5125, 5164, 5263
204.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	5208, 5254
205.	श्री राजू शेट्टी	5256
206.	श्री एंटो एंटोनी	5162, 5267
207.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	5124, 5196, 5197
208.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	5082, 5249
209.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	5178
210.	श्री भूपेन्द्र सिंह	5099, 5168, 5260
211.	श्री दुष्यंत सिंह	5264
212.	श्री गणेश सिंह	5127, 5161

1	2	3
213.	श्री इज्यराज सिंह	5241, 5255, 5260
214.	श्री जगदानंद सिंह	5249
215.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	5078, 5145, 5247
216.	श्रीमती मीना सिंह	5134, 5250
217.	श्री पशुपति नाथ सिंह	5277
218.	श्री राधा मोहन सिंह	5219, 5268
219.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	5242, 5257, 5261
220.	श्री राकेश सिंह	5065, 5249, 5276
221.	श्री रवनीत सिंह	5097, 5150, 5249
222.	श्री उदय सिंह	5077, 5116, 5251
223.	श्री यशवीर सिंह	5125, 5164, 5263
224.	चौ. लाल सिंह	5135
225.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	5149
226.	श्री धनंजय सिंह	5155, 5263
227.	श्री राधे मोहन सिंह	5206
228.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	5267
229.	राजकुमारी रत्ना सिंह	5191
230.	श्री उमाशंकर सिंह	5137
231.	श्री विजय बहादुर सिंह	5131, 5251
232.	डॉ. संजय सिंह	5191, 5260, 5285
233.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	5216, 5254

1	2	3
234.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	5114, 5197, 5242, 5245, 5254
235.	श्री मकनसिंह सोलंकी	5106, 5244
236.	श्री के. सुधाकरण	5237
237.	श्री ई.जी. सुगावनम	5068, 5267, 5273
238.	श्री के. सुगुमार	5101
239.	श्रीमती सुप्रिया सुले	5163, 5196
240.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	5083, 5242, 5267
241.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	5100, 5204, 5226
242.	श्री मानिक टैगोर	5225, 5251
243.	श्रीमती अन्नू टन्डन	5153
244.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	5174
245.	श्री मनीश तिवारी	5148
246.	श्री जगदीश ठाकोर	5088, 5274
247.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	5143, 5196
248.	श्री आर. थामराई सेलवन	5102
249.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	5247, 5249
250.	श्री मनोहर तिरकी	5210, 5267
251.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	5073, 5183, 5202
252.	श्री जोसेफ टोप्पो	5203, 5231
253.	श्री लक्ष्मण टुडु	5205
254.	श्री शिवकुमार उदासी	5077

1	2	3
255.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	5196
256.	श्री हर्ष वर्धन	5220, 5254
257.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	5197, 5227, 5246
258.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	5154, 5200
259.	श्री सज्जन वर्मा	5159, 5252
260.	श्रीमती ऊषा वर्मा	5196, 5257
261.	श्री वीरेन्द्र कुमार	5202
262.	श्री पी. विश्वनाथन	5160, 5200, 5267, 5279, 5290
263.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	5098, 5269, 5288
264.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	5233, 5269
265.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	5227
266.	श्री धर्मेन्द्र यादव	5094, 5168, 5281
267.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	5220, 5234
268.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	5145, 5207
269.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	5123, 5275
270.	योगी आदित्यनाथ	5129, 5196, 5247

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	452, 455, 459
रक्षा	:	449, 451
पर्यावरण और वन	:	446, 453, 454
श्रम और रोजगार	:	447, 458, 460
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	442, 456, 457
पोत परिवहन	:	448,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	441, 443
इस्पात	:	444
वस्त्र	:	445, 450

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	5094, 5107, 5108, 5118, 5125, 5132, 5199, 5201, 5210, 5216, 5256, 5258, 5267, 5271, 5290
रक्षा	:	5065, 5070, 5083, 5084, 5086, 5089, 5098, 5106, 5109, 5113, 5121, 5136, 5141, 5144, 5148, 5150, 5155, 5156, 5157, 5160, 5164, 5166, 5172, 5183, 5185, 5187, 5195, 5196, 5203, 5204, 5207, 5213, 5221, 5222, 5226, 5244, 5246, 5249, 5250, 5251, 5252, 5255, 5261, 5263, 5268, 5275, 5276, 5277
पर्यावरण और वन	:	5062, 5063, 5090, 5091, 5095, 5099, 5103, 5104, 5110, 5116, 5138, 5142, 5145, 5147, 5149, 5151, 5153, 5154, 5159, 5161, 5162, 5170, 5178, 5182, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5202, 5205, 5208, 5214, 5233, 5239, 5240, 5248, 5266, 5269, 5283, 5286
श्रम और रोजगार	:	5066, 5069, 5072, 5075, 5076, 5078, 5082, 5092, 5101, 5105, 5126, 5133, 5134, 5137, 5140, 5171, 5175, 5184, 5188, 5194, 5198, 5200, 5212, 5218, 5225, 5241, 5242, 5259, 5262, 5279, 5284

सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	5061, 5064, 5068, 5073, 5077, 5079, 5080, 5081, 5088, 5093, 5096, 5097, 5100, 5102, 5114, 5115, 5117, 5122, 5123, 5124, 5127, 5128, 5129, 5130, 5139, 5143, 5146, 5158, 5165, 5167, 5173, 5176, 5179, 5180, 5186, 5197, 5211, 5219, 5220, 5223, 5224, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5243, 5253, 5273, 5274, 5278, 5282, 5287
पोत परिवहन	:	5074, 5119, 5120, 5131, 5169, 5206, 5215, 5217, 5229, 5265, 5270
... न्याय और अधिकारिता	:	5067, 5071, 5085, 5087, 5111, 5112, 5135, 5152, 5163, 5168, 5174, 5181, 5232, 5245, 5247, 5257, 5272, 5280, 5281, 5285, 5288
इस्पात	:	5177, 5209
वस्त्र	:	5230, 5254, 5260, 5264, 5289

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वे .साइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" . सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/19/23/2011 (एन०)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।